लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 26 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 3 54
Date 13/6/2003

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

राजकुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 4, गुरुवार, 18 जुलाई, 2002/27 आषाढ़, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 64	3–41
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 65 से 80	41–62
अतारांकित प्रश्न संख्या 616 से 811	62–280
सभा पटल पर रखे गए पत्र	281
राज्य सभा से संदेश	281–282
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
अध्ययन दौरा प्रतिवेदन	282
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	282–283
समितियों के लिए निर्वाचन	283–285
(एक) प्राक्कलन समिति	283
(दो) लोक लेखा समिति	283
(तीन) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	284
पश्चिम एशिया के विशेष संदर्भ में भारत की विदेश नीति के बारे में	286–289
रेलवे मंडलों के पुनर्गठन के बारे में	299–314
नियम 377 के अधीन मामले	314–320
(एक) उड़ीसा के गंजम जिले में के. सुमंदी और आर. सुमंदी गांवों में पचास एकड़ क्षेत्र में फैले साल्ट लैंड को अनुसूचित जाति के लोगों में वितरित करने के लिए उड़ीसा सरकार को सौंपे जाने की आवश्यकता	
श्री अनादि साहू	315
(दो) दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच विमान किराया कम किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनंत नायक	315

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(तीन) उत्तरी बिहार में मसान बांध परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
डा. मदन प्रसाद जायसवाल	316
(चार) दक्षिणी बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजो सिंह	316
(पांच) कर्नाटक में गुलबर्गा-बीदर रेल लाइन को शीघ्र बिछाए जाने की आवश्यकता	
श्री इकबाल अहमद सरडगी	317
(छह) पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा और पद्मा नदियों द्वारा हो रहे भू-क्षरण को रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री मोइनुल हसन	317
(सात) अमरनाथ यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश रामराव जाधव	318
(आठ) पश्चिमी बंगाल में गिरी मैदान होकर खड़गपुर और मिदनापुर के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रबोध पण्डा	318
(नौ) निजी क्षेत्र और शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता	
श्री रामदास आठवले	319
(दस) उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में कनहार सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम शकल	319
दिल्ली नगर निगम (विद्युत कर विधिमान्यकरण) अधिनियम और अन्य विधियां (निरसन) विधेयक, 2002	320-338
विचार करने के लिए प्रस्ताव	320
श्री सीएच. विद्यासागर राव	320, 326
श्री पवन कुमार बंसल	321
श्री वरकला राधाकृष्णन	326
प्रो. रासासिंह रावत	330
श्री जी.एम. बनातवाला	331
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	333
खंड 2 और 1	338
पारित करने के लिए प्रस्ताव	338
अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2001	339-378
विचार करने के लिए प्रस्ताव	339

विषय	कॉलम
श्री रवि शंकर प्रसाद	339, 368
श्री मणिशंकर अय्यर	341
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	345
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	349
प्रो. रासा सिंह रावत	352
श्री वरकला राधाकृष्णन	356
श्री त्रिलोचन कानूनगो	358
श्री प्रबोध पण्डा	361
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	362
श्री बिक्रम केशरी देव	364
श्री शिवराज वि. पाटील	365
खण्ड 2 से 38 और 1	373
पारित करने के लिए प्रस्ताव	378
संविधान अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2001	378–386
विचार करने के लिए प्रस्ताव	378
डा. सत्यनारायण जटिया	378
श्री के.एच. मुनियप्पा	380
श्री रतन लाल कटारिया	384

लोक सभा

गुरुवार, 18 जुलाई, 2002/27 आषाढ़, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, हम प्रश्न काल को रोकना नहीं चाहते लेकिन फैजाबाद में जो एक गम्भीर हादसा हुआ है, मैं उसकी सूचना देना चाहता हूं और जिसे यहां देना अभी अनिवार्य है। वहां बिजली नहीं थी। रात के 11 बजे सारे मौहल्ले के लोग बाहर निकल पड़े और पूछने लगे कि बिजली क्यों नहीं है लेकिन पुलिस ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। पुलिस ने राजेश गुप्ता नामक व्यक्ति को इतना मारा कि वह भाग कर एक घर में छुप गया। पुलिस ने वहां जाकर फिर मारा जिस से उसकी हड्डी, पसली और आंतें सभी टूट गईं। उसे मेडिकल कालेज ले गए लेकिन वहां उसकी मृत्यु हो गई। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप इसे 'जीरो आवर' में उठाइए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : इतना ही नहीं, उसका दाह संस्कार होने नहीं दिया। *...(व्यवधान)* आप हमें नियम पढ़ाने वाले कौन होते हैं। मैं इस पर बोलूंगा। *...(व्यवधान)* इस प्रकार की एक नहीं अनेकों घटनाओं हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप इस मामले को जीरो आवर में उठाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 61 - श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। आप इस बारे में सरकार को निर्देश दीजिए। उत्तर प्रदेश में रोजाना ऐसी हत्याएं हो रही हैं। *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, यहां बिजली संकट पर चर्चा होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है। उसे भी इस बारे में कहिए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति न होने से वहां के लोग परेशान हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चतुर्वेदी जी, आप प्रश्न पूछिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, आपने सदन में सभी सदस्यों से यह कहा था कि ऐसे मसले जीरो आवर में उठाए जाएं और प्रश्न काल में हस्तक्षेप न किया जाए। यह नियमावली जानते हुए भी और आपके अनुरोध के बावजूद, यह स्थिति है। ऐसे में आपको इसका कोई उपाय करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय में जरूर कोई उपाय करने वाला हूं। आप अभी अपना प्रश्न पूछिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमें नियमावली सिखाने वाले यह कौन होते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि मैं अभी खड़ा हूं। जब अध्यक्ष महोदय खड़े होते हैं तो आपको बैठना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चतुर्वेदी जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपने जो प्रश्न उठाया है, वह मेरे पूरे ध्यान में है। जो उचित है, मैं उसे जरूर करने वाला हूं। आप अभी प्रश्न पूछिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं आपसे इस बारे में अनुरोध कर रहा था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, अभी बोलने की जरूरत नहीं है। शांति से बैठिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह एक सीनियर मैम्बर को ऐसा कहने वाले कौन होते हैं। *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाएं

***61. श्री +सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई और 30 जून, 2002 तक प्रत्येक दुर्घटना में जान और माल की कितनी हानि हुई;

(ख) मृतकों के निकटतम संबंधियों और घायलों को मुआवजे के तौर पर कितनी राशि दी गयी और मुआवजा देने का आधार क्या था;

(ग) सरकार के पास आज की तारीख तक इस प्रकार के कितने मामले लम्बित हैं;

(घ) ट्रेन दुर्घटनाओं के कारण क्या थे और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जायेंगे?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या, मारे गए व्यक्तियों की संख्या और सम्पत्ति को हुई हानि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

	1999-2000	2000-2001	2001-2002*	2002-2003* (जून, 2002 तक)
कुल दुर्घटनाओं की संख्या	463	473	415	103
मारे गए व्यक्तियों की संख्या	616	216	311	111
रेल सम्पत्ति को हुई हानि	81.94 करोड़ रुपए	54.98 करोड़ रुपए	48.54 करोड़ रुपए	5.08 करोड़ रुपए

*आंकड़े अनंतिम हैं।

(ख) वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों और दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में 25.87 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया था।

रेल दुर्घटना और अप्रिय घटना (क्षतिपूर्ति) संशोधन नियम, 1997 के अंतर्गत मृतक यात्रियों के आश्रितों और दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को न्यायोचित आधार पर मुआवजा दिए जाने के लिए निम्नलिखित प्रकार से मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं:

(1) मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता के मामले में 4 लाख रुपए

(2) चोट की गंभीरता के आधार पर 32,000 रुपए से 3,60,000 रुपए

(ग) 30 जून, 2002 तक रेल दावा अधिकरण में मुआवजे के दावे के लिए 536 दुर्घटना संबंधी मामले लम्बित हैं।

(घ) गाड़ी दुर्घटनाएं, रेल कर्मचारियों की गलती, उपस्करों की खराबी, समपारों से गुजरने वाले सड़क वाहन उपयोगकर्ताओं की गलती, तोड़फोड़ जैसे कई कारणों तथा आनुषंगिक कारणों से होती हैं।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:

(1) गतायु परिसंपत्तियों के नवीकरण और संरक्षा संबंधी कार्यों में वृद्धि करने के लिए 17,000 करोड़ रु. की व्यपगत न होने वाली विशेष रेल संरक्षा निधि की स्थापना की गई है।

(2) समूचे 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' और 'डी'-स्पेशल' मार्गों पर जहां गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है, उल्लंघन चिह्न से उल्लंघन चिह्न तक रेल परिपथन का कार्य पूरा हो गया है और शेष कार्य प्रगति पर है।

(3) मध्य रेलवे के मथुरा-पलवल खंड पर परीक्षण के आधार पर यूरोपीय गाड़ी नियंत्रण प्रणाली (ईटीसीएस) की एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई है।

(4) उत्तर रेलवे के लिए टक्कर रोधी उपकरण के विस्तारित फील्ड परीक्षण किए जा रहे हैं। विस्तारित फील्ड परीक्षण के सफल समापन के पश्चात् इसके व्यापक अनुप्रयोग के लिए निर्णय लिया जाएगा।

(5) 175 से अधिक ब्लॉक खंडों पर धुरा काउंटर द्वारा अंतिम जांच शुरू कर दी गई है और इसमें और अधिक खंडों को उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है।

(6) ड्राइवर/गार्ड और नियंत्रण कक्ष के बीच डुपलेक्स रेडियो संचार मुहैया कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण खंडों पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले डिजिटल मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार की मंजूरी दी गई है।

(7) संचार को बेहतर और तीव्रतर बनाने के लिए सभी गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को वॉकीटॉकी सैट्स सप्लाई किए गए हैं।

(8) बेहतर दृश्यता के लिए ड्राइवर और गार्डों के लिए उत्तरोत्तर एल.ई.डी. पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक फ्लैशर लैंप भी उपलब्ध कराए गए हैं।

(9) बेहतर रेलपथ ज्यामिति पाने के लिए टाई टेम्पिंग और गिट्टी साफ करने वाली मशीनें और रेलपथ नवीकरण गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है।

(10) रेलपथ ज्यामिती और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(11) पटरियों में दरारों और वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की गई है। स्वनोदित पराश्रव्य जांच वाहनों की खरीद की जा रही है।

(12) भिलाई में रेल रोलिंग मिल में दोषग्रस्त पटरियों को अलग करने के लिए ऑन-लाइन पराश्रव्य दोष जांच तथा एड्डी करंट परीक्षण किया जा रहा है, हाइड्रोजन तत्व कम करने तथा इस प्रकार पटरियों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए निर्वात डीगैसिंग की जा रही है। भारतीय रेल तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड रेलपथ में वेल्डों की संख्या कम करने के लिए परंपरागत 13 मीटर लंबाई के स्थान पर अपेक्षाकृत अधिक लंबी पटरियां अर्थात् 26 मीटर और 65 अथवा 78 मीटर की पटरियों का उत्पादन करने की एक साथ योजना बना रही है।

(13) पटरी के इस्पात की विशिष्टियों को उन्नत बनाया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ (यूआईसी) की विशिष्टियों के अनुरूप है।

(14) डीजल उपकर से प्राप्त होने वाली निधियों का उपयोग संरक्षा संबंधी कार्यों जैसे समपार, ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के निर्माण इत्यादि के लिए किया जा रहा है।

(15) धुरों में खामियों का पता लगाने के लिए नेमी मरम्मत डिपुओं में पराश्रव्य परीक्षण उपस्कर लगाए गए हैं ताकि धुराओं के कोल्ड ब्रेकेज जैसे मामले न हों।

(16) चौकीदार रहित समपारों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधकों व सड़क चिह्न मुहैया कराए गए हैं।

(17) समपारों पर सड़क उपयोगकर्त्ताओं द्वारा सावधानी बरतने के लिए श्रव्य दृश्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(18) उच्च यातायात घनत्व वाले समपारों का योजनाबद्ध आधार पर सिगनलों के साथ उत्तरोत्तर अंतपार्शन किया जा रहा है।

(19) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील तथा विस्फोटक सामग्री ले जाने पर रोक लगाने के लिए उपाय किए गए हैं।

(20) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अन्त: अनुशासनिक दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की गई है।

(21) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं आधुनिक बनायी गई हैं, जिनमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग शामिल है।

(22) गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जिनके कार्यनिष्पादन में कोई कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित (क्रैश) प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(23) कर्मचारियों और सड़क उपयोगकर्त्ताओं में संरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

(24) गंभीर दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों को सेवाओं से बर्खास्तगी/हटाने की सीमा तक गंभीर दंड दिया जा रहा है।

(25) निर्वात ब्रेक प्रणाली वाले अधिकांश चौपहिया मालडिब्बों (सीआरटी मालडिब्बों) को सेवा से हटा दिया गया है।

(26) सभी नए सवारी डिब्बों में बोगी पर आरोपित ब्रेक प्रणाली लगाई जा रही है। इसके अलावा, पर्याप्त उपयोगी आयु वाले मौजूदा सवारी डिब्बों में भी इस प्रणाली का रेट्रोफिटमेंट किया गया है।

(27) एक तात्कालिक उपाय के रूप में सवारी डिब्बों को टूट फूट रोधी बनाने के लिए उन्नत फिटिंगों एवं विशेषताओं के साथ सवारी डिब्बे की आंतरिक बनावट का डिजाइन पुनः तैयार किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप चोट नहीं लगेगी। साथ ही, अधिक प्रभाव को आत्मसात् करने के लिए सवारी डिब्बे के डिजाइन को पुनः तैयार किया जाएगा, ताकी यात्री को वहन करने वाला क्षेत्र क्षतिग्रस्त न हो।

(28) रेल प्रणाली पर सेवा में लगाए जा रहे नए मालडिब्बों को अधिक विश्वसनीय केसनब बोगी तथा वात ब्रेक प्रणाली से युक्त किया जा रहा है। मालडिब्बों में भी बागी आरोपित ब्रेक प्रणाली विकसित कर ली गई है तथा इसका परीक्षण किया जा रहा है। मालडिब्बों में कंपोजीशन ब्रेक ब्लॉकों का उपयोग भी उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है।

(29) सभी उत्पादन कारखानों, अधिकांश मरम्मत कर्मशालाओं तथा बड़ी संख्या में शेडों/डिपुओं ने अपनी गुणवत्ता अनुरक्षण प्रणाली के लिए आईएसओ-9002 प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, भारत में दुनिया का शायद सबसे बड़ा रेल नैटवर्क है। यह भी उतना बड़ा सच है कि भारतीय रेल का नैटवर्क सबसे बड़ा होने के बाद भी सबसे कम सुरक्षित है। सुरक्षा की दृष्टि से यह देखने में आया है कि निरन्तर हर वर्ष अनेक दुर्घटनाएं होती चली जा रही हैं। जांच समितियां बैठती हैं, उनकी रिपोर्ट आती है और उसके बाद वही क्रम चलता रहता है। बार-बार जिन कारणों का उल्लेख जांच समितियां करती हैं वही कारण अनेक बार रेल दुर्घटना के कारण बनते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो सवाल करना चाहता हूं। इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहली बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि पिछले तीन वर्षों में जून, 2002 तक 1454 रेल दुर्घटनायें हो चुकी हैं जिनमें 1254 लोगों की मौत हुई है लेकिन घायल कितने हुये हैं, ये आंकड़े नहीं बताये गये हैं। इन दुर्घटनाओं की लगभग 190.54 करोड़ रुपये की रेलवे सम्पत्ति को क्षति हुई है। माननीय रेल मंत्री जी ने जांच रिपोर्टों में इन दुर्घटनाओं के जो कारण बताये हैं, उनमें एक कारण विभागीय असफलता रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों की गलतियों के कारण ऐसी दुर्घटनाओं के कितने प्रकरण हैं, उनकी गफलत के कारण दुर्घटनायें हुईं, ऐसे कारणों में आपने ड्राइवर्स, गार्ड्स, सिग्नल आपरेटर्स और स्टेशन मास्टर्स के खिलाफ क्या कार्यवाही की है और कितने मामलों में आपने उच्च पदस्थ अधिकारियों, जिनमें डी.आर.एम. और सफेद हाथी—रेलवे बोर्ड या वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं को, जिम्मेदार ठहराया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है, कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है। हर देशवासी और हर रेल उपयोगकर्त्ता इस भावना से सहमत होगा कि रेल यात्रा सुरक्षित होनी चाहिये। रेल दुर्घटनायें न हों, इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाना चाहिये। मैंने माननीय सदस्य के हर प्रश्न का विस्तृत उत्तर मूल प्रश्न के उत्तर में दिया है। मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी देना चाहूंगा कि जहां तक भारतीय रेलवे की सेफ्टी परफौर्मैंस का सवाल है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा माना जाता है। यह सही है कि जीरो लैवल एक्सीडेंट प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाये जाने चाहिये। अगर दुनिया भर के रेल नैटवर्क के हिसाब से देखा जाये तो भारतीय रेल का परफौर्मैंस अच्छा माना जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति मिलियन ट्रेन किलोमीटर में कितनी दुर्घटनायें होती हैं, उसे देखा जाये तो हमारी स्थिति निरंतर सुधार की ओर है। जहां 1960 के दशक में प्रति मिलियन ट्रेन किलोमीटर रेल एक्सीडेंट की संख्या 5 से ज्यादा थी, वहीं आज यह संख्या 0.65 पर पहुंच गई है। जैसा मैंने कहा कि एक्सीडेंट बिल्कुल न हों, इस स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाये जाने चाहिये, इस दिशा में कई कदम उठाये गये हैं। अगर मोटे तौर पर देखा जाये कि किस कारण से रेल एक्सीडेंट होते हैं तो मालूम होगा कि 65 प्रतिशत दुर्घटनायें ह्युमन फेल्योर के कारण होती हैं और 22 प्रतिशत दुर्घटनायें रेल यूजर्स की गलतियों के कारण होती हैं। चूंकि हम

लैवल क्रासिंग पर हुई रेल दुर्घटनाओं को भी इसमें शामिल करते हैं जबकि दुनिया के किसी भी मुल्क में ये दुर्घटनायें इसमें शामिल नहीं की जाती हैं, इस प्रकार कुल रेल दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा हिस्सा 65 प्रतिशत मानवीय भूल के कारण होती हैं जिनमें हमारे रेल कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। जैसा मैंने कहा 22 प्रतिशत रेल दुर्घटनायें रोड यूजर्स की गलतियों से होती हैं और अगर मौटे तौर पर देखा जाये तो बाकी 13 प्रतिशत दुर्घटनायें इक्विपमेंट फैल्योर या क्विक एक्सीडेंट के कारण होती हैं। उसके लिये हर स्तर पर कदम उठाये गये हैं और सबसे पहला कदम अभी हाल ही में पिछले वर्ष उठाया गया है कि जो हमारे पुराने ट्रैक्स हैं, धन की कमी के कारण उनका रिन्युअल होना चाहिये लेकिन नहीं हो पा रहा था। उसके रिन्यूअल के लिए 17000 करोड़ रुपये का स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बनाया गया है। उसमें से पिछले वर्ष 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किये गये हैं और इस साल 2210 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। इससे हम पुरानी पटरियों को बदलेंगे, रेल के पुराने डिब्बों तथा माल गाड़ियों के पुराने डिब्बों को बदलने की हमारी योजना है। जो पुराने पुल खराब हो गये हैं, उनकी जगह नये पुल बनाने की योजना है। इस प्रकार से कई योजनाएं हाथ में ली गई हैं तथा ह्यूमैन फेल्योर को दुरुस्त करने के लिए लगातार एक सेफ्टी ड्राइव भी चलाया जा रहा है। इसमें हमने यूनियन और फैडरेशन को भी शामिल किया है।

एक सवाल माननीय सदस्य ने पूछा कि अब तक जो रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, उनमें विफलता के लिए कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। मैं उनकी कुल संख्या का स्टेटिस्टिक्स माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन बड़ी संख्या में रेलवे के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी दंडित किया जाता है। अभी गैसल दुर्घटना के बाद ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैंने बिल्कुल पिन-प्वाइंटेड सवाल किया था कि क्या किसी वरिष्ठ डी.आर.एम. या रेलवे बोर्ड के सदस्य को अभी तक जिम्मेदार ठहराया गया है। दुर्घटनाएं निरंतर हो रही हैं। यह रेल दुर्घटनाओं से संबंधित प्रश्न है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं आंकड़े उपलब्ध करा दूंगा। मेरा पूरक प्रश्न मूल प्रश्न से बिल्कुल उद्भूत होता हुआ प्रश्न है, मूल प्रश्न से सप्लीमेन्टरी प्रश्न उठता है। इस पर आपको तैयार होकर आना चाहिए था। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : माफ कीजिए, मैं जो कह रहा था, शायद मैं उसे सही ढंग से नहीं बता पाया। मैंने कहा आपने अब तक की दुर्घटनाओं के बारे में पूछा है कि तीन वर्षों में कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को किस स्तर की सजा दी गई है, उन पर क्या कार्रवाई हुई है - इसका विस्तृत विवरण मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन जहां तक उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रश्न है, मैं उसी का उल्लेख कर रहा था कि गैसल दुर्घटना के बाद उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आप जानते हैं कि कमिश्नर, रेलवे सेफ्टी की इंक्वायरी के आधार पर या फिर कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत इंक्वायरी के आधार पर जो रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होती है, सैकेन्ड्री स्पिांसिबिलिटी होती है और ब्लेम वर्दीनैस साबित होता है। इसी आधार पर डी.ए.आर. रूल्स बने हुए हैं। इसी आधार पर कार्रवाई की जाती है और उस दिशा में कार्रवाई की गई है। जहां तक ऑफीशियल्स को पनिश करने का सवाल है, 99 ऑफीशियल्स और इम्पलायीज के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वर्ष 1999-2000 में 561 एम्पलाइज के ऊपर कार्रवाई प्रारंभ की गई, वर्ष 2000-2001 में 564 और वर्ष 2001-2002 में 557 के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की गई। जहां तक आप छोटे-छोटे कर्मचारियों का सवाल पूछ रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि स्टेच्युटरी इंक्वायरी एक्सीडैन्ट्स के मामले में कमिश्नर, रेलवे सेफ्टी के द्वारा की जाती है या जिन केसिज में कमिश्नर, रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी नहीं करते हैं, रेलवे अधिकारी भी उसकी इंक्वायरी करते हैं, इसका भी स्टेच्युटरी इंक्वायरी का प्रावधान किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि कमिश्नर, रेलवे सेफ्टी प्रशासनिक रूप से रेल मंत्रालय के अधीन नहीं है। उन्हें निष्पक्ष और इन्डिपेन्डेंट बनाकर रखा गया है, वह सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होती है या समय-समय पर जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जूडीशियल कमीशन या दूसरे प्रकार के कमीशन बनाये जाते हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होती है। जैसा मैंने कहा उसे मैं दोहराना चाहता हूं कि प्राइमरी रिस्पांसिबिलटी, सैकेन्ड्री रिस्पांसिबिलिटी, ब्लेम वर्दीनैस इन तीन खानों में जिनके ऊपर आता है, उनके ऊपर पूरी जांच-पड़ताल के आधार पर कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। इसके अलावा सरकार के बने हुए रूल्स हैं और उन रूल्स में भी सबको अपने बचाव का पक्ष रखने का अवसर देते हुए कार्रवाई की जाती है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरा बहुत स्पष्ट और सीधे सवाल का जवाब 15 मिनट में यह मिला, उसका जवाब ही नहीं आया। मेरा सवाल था कि क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की गई है - यह अभी तक हमें अज्ञात है। मैं इसके आगे पूछना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि खन्ना समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए 17000 करोड़ रुपये का प्रावधान सरकार ने किया, यह आपने बताया। वर्ष 2002-2003 के लिए उन 17000 करोड़ रुपये में से कितनी राशि

आपने आबंटित की है और किन-किन सुधार कार्यों के लिए दी है तथा क्या यह सुनिश्चित करने का उपाय किया गया है कि यह राशि वर्ष 2003 के भीतर पूर्णत: उपयोग कर ली जायेगी। जो निर्माण कार्य किए जाएंगे, क्या उसमें गुणवत्ता बनाए रखी जाएगी? क्योंकि बहुत बड़ी सूचना ऐसी मिल रही है तमाम ऐसी जगहों से कि रेलवे विभाग के अंदर निर्माण कार्यों में निचले स्तर पर और ऊपर के स्तर पर दोनों जगह बहुत अधिक पिलफरेज हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके कारण गुणवत्ता बनाए नहीं रखी जाती है जो अंतत: दुर्घटनाओं के रूप में हमें दिखाई देती है। इन बातों पर कृपया प्रकाश डालने का कष्ट करें।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, खन्ना समिति की सिफारिशों के आलोक में, जैसा माननीय सदस्य ने भी उसका उल्लेख किया और मैंने भी उल्लेख किया है, कई अवसरों पर यह बताया गया और सदन को इस बात की जानकारी है कि 17000 करोड़ रुपये का नॉन लैप्सेबल स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बनाया गया। इसके दो कंपोनेन्ट्स हैं। इसमें पैसेन्जर्स पर एक सेफ्टी सरचार्ज लगाया गया है। उससे कुल मिलाकर 5000 करोड़ रुपये आएंगे और 12000 करोड़ रुपये भारत सरकार ग्रांट के तौर पर दे रही है। इस स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड को 1 अक्तूबर, 2001 से प्रभावी किया गया। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में 1400 करोड़ रुपये का उद्व्यय निर्धारित किया गया था। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उसमें व्यय के जो एक्चुअल फिगर्स आए हैं, उसके आधार पर जो जानकारी मिली है, 1434 करोड़ रुपये यानी 34 करोड़ रुपये ज्यादा हमने खर्च किया। 2002-2003 में 2210 करोड़ रुपये का उसमें प्रावधान किया गया है। लक्ष्य है कि कुल मिलाकर छ: वर्षों में हम इस धनराशि का उपयोग करके जो भी हमारे ओवरड्यू रेन्यूअल हैं, उनको दुरुत कर देंगे।

जहां तक आपने कहा कि किस मद में खर्च किया जाएगा, उसके लिए प्रावधान किया गया है - ट्रैक रेन्यूअल के लिए 6818 करोड़ रुपये, ब्रिजेज़ के लिए 1530 करोड़ रुपये, सिगनल और टैलीकम्यूनिकेशन्स के लिए 2758 करोड़ रुपये, रोलिंग स्टॉक के लिए 2985 करोड़ रुपये, सेफ्टी एनहैन्समेंट मीज़र्स के लिए 1018 करोड़ रुपये और इसके अलावा 1851 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है इनफ्लेशन के इफैक्ट को मीट करने के लिए। इस प्रकार से 17000 करोड़ रुपये का यह आकलन है। यही नहीं हमने एक ग्रीन बुक बनाई है, जो सदन के पटल पर रखी जा चुकी है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि किस-किस मद में इस पैसे को खर्च किया जाएगा। वह वर्क आइडेन्टिफाई हो चुके हैं और सदन को इस बात की जानकारी दी जा चुकी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभा को विशेष रेलवे सुरक्षा कोष के माध्यम से किए गए कार्य के बारे में बताया गया है। इसे 'पिंक बुक' के अतिरिक्त 'ग्रीन बुक' नामक पुस्तक में भी शामिल किया गया है। इसे संसद के समक्ष पहले ही रखा जा चुका है।

[हिन्दी]

जहां तक आपने इसमें पिलफरेज की बात कही है, मैं स्वागत करूंगा कोई भी स्पीसीफिक उदाहरण आप देंगे, कहीं भी इन मामलों में किसी प्रकार की कोताही या गड़बड़ी की जा रही है तो तत्काल हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी सभी सदस्यों से एक विनती है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, मेरी बात सुनिये। इनका प्रश्न रिकार्ड पर नहीं गया।

मेरी सभी सदस्यों से विनती है कि प्रश्न भी स्पेसिफिक हों और उत्तर भी स्पेसिफिक हों क्योंकि दूसरे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिस्ट में हैं। आज का चौथा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रश्न और उत्तर स्पेसिफिक हों।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमने उस विषय पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न अभी आ जाएगा तो अभी उत्तर मिल सकता है। सदन को डिसाइड करना है, मुझे नहीं। लेकिन प्रश्न भी स्पेसिफिक होना चाहिए और उत्तर भी स्पेसिफिक होना चाहिए

[अनुवाद]

ताकि सभा में और अधिक प्रश्नों को पूछना संभव हो सके।

श्री टी. गोविन्दन : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

महोदय, मैं रेल मंत्री का ध्यान समपारों में अंतपार्शन सिगनल प्रणाली के उपबंध के संबंध में उनके द्वारा आज दिए गए उत्तर

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के 18वें बिंदु की ओर दिलाना चाहता हूं। कन्नौर-कासरगौड़ सैक्शन में अधिकांश समपारों में अंतपार्शन सिगनल प्रणाली नहीं है इसलिए पलक्कड़ डिवीजन में डी.आर.एम. ने पिछले सप्ताह के दौरान फाटक बंद करने का निर्णय लिया। इससे स्थानीय लोगों के लिए काफी समस्या उत्पन्न हो गई। हमारे क्षेत्र में पटरी के दोनों तरफ घनी आबादी है। प्रत्येक घंटे में सैंकड़ों वाहन समपार से गुजरते हैं।

डी.आर.एम. के निर्णय ने इन क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। लोग बहुत ज्यादा क्षुब्ध हैं। स्थानीय सांसदों, विधायकों के हस्तक्षेप से डी.आर.एम. ने अपना निर्णय वापस ले लिया और फाटक पुन: खोल दिए। ऐसी कठिनाइयों से बचने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र में सभी समपारों से अंतपार्शन सिगनल प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाएं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करने का ही आश्वासन दे सकता हूं क्योंकि जो सिगनल का काम किया जाता है, वह ट्रैफिक को देख कर किया जाता है कि उस रूट के लैवल क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की कितनी व्यस्तता है। यह बात सही है कि केरल में ट्रैक के दोनों तरफ काफी आबादी है। मैंने ट्रैक इंसपैक्शन के दौरान कई एरियाज को स्वयं देखा है जहां ट्रैक के दोनों तरफ घनी आबादी है। मैं यह जरूर कहूंगा कि जिस इलाके के बारे में माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है, उसके बारे में मैं अलग से विचार करूंगा।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

इस जून की 27 तारीख को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पुन्नूर फाटक, जो तेल्लीचेरी स्टेशन के दक्षिण से 3 कि.मी. तथा माहे रेलवे स्टेशन के उत्तर से तकरीबन 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, पर बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। स्कूल बस बुरी तरह से फंस गई; बस चालक मारा गया और बस में एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया था। वस्तुत: यह बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी यदि बस स्कूली बच्चों से भरी हुई होती। यह बस बच्चों को छोड़कर स्कूल से वापस आ रही थी। जैसाकि श्री टी. गोविन्दन ने बताया कि इसके बाद ही पालघाट डिवीजन के डी.आर.एम. ने अंतपार्शन सिगनल प्रणाली रहित समपारों के रेल फाटक बंद करवा दिए थे। यह हमेशा बंद रहते हैं। केरल के उत्तरी भाग अर्थात् मालाबार क्षेत्र में इन फाटकों से गुजरने वाले अनेक वाहनों का रास्ता बदल दिया गया है और उन्हें काफी कठिनाई हो रही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वही मैं बोल रहा हूं कि भाषण न दें, बल्कि स्पेसिफिक प्रश्न पूछें, तो अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : मैं मुद्दे पर आ रही हूं। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने 30 जून और 1 जुलाई को बंगलौर से जांच की। लेकिन यह जांच दुर्घटना स्थल से 25 कि.मी. की दूरी से की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सीधे प्रश्न पूछिए। मैंने यही कहा है। यदि आप इस तरह बोलते रहेंगे तो मंत्री महोदय आपको उत्तर नहीं दे पाएंगे।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : मैं प्रश्न पर आ रही हूं। बार-बार जांच की जाती है लेकिन निष्कर्ष नहीं निकलता है। 21 जून, 2001 को कदलउंदी दुर्घटना हुई जिसमें करीब 52 व्यक्ति मारे गए। उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। आयुक्त की रिपोर्ट का क्या हुआ? जहां तक हमें मालूम है, आयुक्त की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय से पता कीजिए कि रिपोर्ट का क्या हुआ।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : मैं जानना चाहती हूं कि रेलवे सुरक्षा मुख्य आयुक्त द्वारा दी गई रिपोर्ट की स्थिति क्या है अथवा उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी है? यदि ब्यौरे उपलब्ध हैं तो हम उनके बारे में जानना चाहेंगे।

श्री नीतीश कुमार : रेलवे सुरक्षा मुख्य आयुक्त अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। जहां तक रिपोर्ट के प्रकाशन का संबंध है, आयुक्त की सलाह के अनुसार केवल सिफारिशें ही प्रकाशित की गई हैं। जहां तक पूरी रिपोर्ट का संबंध है, यह प्रकाशित नहीं हुई है। मामला यह है।

जहां तक उनके प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। मैं केरल का मामला अलग से देखूंगा।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : रेल मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि दुर्घटनाएं रोकने हेतु 29 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

लेकिन ये आदेश जारी करने के पश्चात् और अधिक संख्या में दुर्घटनाएं हुई हैं। फिर भी, एक महत्वपूर्ण बात पर विचार नहीं किया गया है अर्थात् नागर विमानन सचिव, जो रेलवे सुरक्षा मुख्य आयुक्त भी हैं, जो वहां रेलवे सुरक्षा में स्थायी आयुक्त है, किस तरह से रेलवे सुरक्षा से संबद्ध है? यदि मंत्री महोदय चाहते हैं कि दुर्घटनाओं की जांच स्वतंत्र निकाय करे तो वे सुरक्षा उपायों के सुझाव हेतु एक न्यायाधीश वाला आयोग नियुक्त कर सकते हैं। नागर विमानन को रेलवे से कोई सरोकार नहीं है। आज यहां कोई और है तो कल यहां कोई और होगा।

एक और बात यह है कि रेलवे सुरक्षा का स्थायी आयुक्त आपके रेलवे का कर्मचारी नहीं होता है; वह आपके विभाग का पदेन कर्मचारी होता है। वह जोन के महाप्रबंधक श्रेणी का भी नहीं होता है। जब वह जोन में जाता है और दुर्घटना की जांच करता है तो आप किस तरह से उचित रूप से जांच करा सकते हैं? क्या मंत्री महोदय इन दो बातों का उत्तर देंगे?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : रेलवे सेफ्टी कमिश्नरेट एक अलग आर्गनाइजेशन है। वह आर्गनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल ऐवीएशन के एडमिनिस्ट्रेटिव कंटोल में है न कि सैक्रेट्री, सिविल ऐवीएशन उसके चेयरमैन होते हैं। उनका प्रॉपर सलैक्शन होता है। 1989 के रेलवे एक्ट में कमिश्नर को पावर्स दी गई हैं और उनकी ड्यूटीज डिफाइंड हैं। उनकी अलग सर्विस कंडीशन्स हैं। इसीलिए उन्हें रेलवे से इंडीपेंडेंट रखा गया है।

जहां तक उनके सलैक्शन का सवाल है, रेलवे की जानकारी रखने वाले लोगों का ही उसमें सलैक्शन होता है। सिविल ऐवीएशन के सैक्रेट्री उसके चेयरमैन नहीं होते, उनका अलग से सलैक्शन होता है।

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : रेलवे को सुरक्षा प्रदान करने हेतु आपके पास एक अन्य सचिव तथा अन्य सरकारी विभाग है।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मेरे विचार से वे समझ नहीं रहे हैं।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : हां, मैं समझ रहा हूं।

श्री नीतीश कुमार : नागर विमानन के सचिव रेल सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष नहीं हैं। यह एक अलग आयुक्तालय है। यह नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। इसे रेल प्रशासन से स्वतंत्र रखने के लिए यह व्यवस्था की गयी है। मामला यह है। लोगों का चयन उचित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। उचित प्रक्रिया अपनाकर उचित चयन किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपने इसे स्पष्ट कर दिया है *...(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : सामान्यतः, जब कभी कोई रेल दुर्घटना होती है तब अपने आप बहुत तत्परतापूर्वक एक आयोग की घोषणा कर दी जाती है। लोगों की यह आम धारणा है कि सभी आयोगों की रिपोर्टों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई टीका-टिप्पणी न करें। अब अपना प्रश्न पूछें।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : रेलवे की सुरक्षा के लिए 17,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है जिसमें से 12,000 करोड़ रुपये भारत सरकार की बजट सहायता होगी तथा रेलवे द्वारा एक रुपया प्रति टिकट का अधिभार लगाकर शेष 5,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार, 5,000 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की जाएगी तथा इस तरह से यह कुल मिलाकर 17,000 करोड़ रुपये हो जाएगी।

मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या विभिन्न रेलवे में नए जोनों की स्थापना करने से, जिसका देश की सभी विशेषज्ञ समितियों द्वारा विरोध किया गया है, रेल सुरक्षा के लिए आवंटित 17,000 करोड़ रुपये की इस राशि को अन्यत्र प्रयोग किए जाने की आशंका है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड की एक पाई भी दूसरे कामों में डायवर्ट नहीं हो सकती। जैसा मैंने पहले बताया है, वह पैसा किस-किस काम में खर्च होगा, इसकी बाजाब्ता एक लिस्ट बनाकर ग्रीन बुक के तौर पर इस सदन में रखी जा चुकी है। उसमें से एक पाई भी दूसरी जगह डायवर्ट नहीं हो सकती, यह मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दुर्घटनाओं के कारणों की सूची की ओर आकर्षित

करना चाहता हूं। मैं पृष्ठ 2 में मुद्दा (9) की ओर उनका विशेष ध्यान आकर्षित करता हूं जो पटरियों के जोड़ों को कसने और 'ब्लास्ट क्लीनिंग' के बारे में है। दुर्भाग्यवश, रेलवे को घटिया बलास्टों की आपूर्ति की जा रही है और पटरियों के जोड़ों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा पटरियों को यथोचित रूप से बदला नहीं जा रहा है।

हाल ही में, जब मैं ऊंचाहार एक्सप्रेस से इलाहाबाद से कानपुर आ रहा था तो मुझे लगा कि मैं किसी एक्सप्रेस रेलगाड़ी के बजाय उत्ताल तरंगों पर चल रहे किसी तटपोत (रोलर कोस्टर) पर सवार हूं। अपनी थोड़ी बहुत जानकारी के साथ मैंने उतर कर यह देखा कि काफी संख्या में ब्लास्ट चूर-चूर हो गए थे। क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या दुर्घटनाओं के छानबीन के दौरान उन्हें पता लगा है कि ठेकेदारों द्वारा घटिया किस्म के ब्लास्टों की आपूर्ति की गई है तथा इन ब्लास्टों को स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को दंडित किया गया है अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अगर सब-स्टैंडर्ड बलास्ट की कोई जानकारी उनके पास है, तो वह हमें दें, उसकी पूरी जांच कराई जायेगी। जहां तक ट्रैक्स मेन्टेन करने का सवाल है, उसमें बलास्ट का पूरा ध्यान रखा जाता है। उसमें प्रॉपर बलास्ट कुशन होना चाहिए, बलास्ट क्लीनिंग होनी चाहिए। इसके लिए अब मशीनों का सहारा लिया जा रहा है, ताकि हर प्रकार ठीक ढंग से ट्रैक सिमेट्री को बनाते हुए ट्रैक्स को रखा जा सके। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, उनके अनुभव किसी खास सैक्शन पर हुए हैं। मैं तत्काल निर्देश दूंगा कि उस सैक्शन पर, जिसका उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जिक्र किया है, ट्रैक कंडीशन की मैं तत्काल जांच कराऊंगा। उसमें जो भी सुधार की जरूरत होगी, वह तो किया ही जायेगा, मैं माननीय सदस्य को भी उससे अवगत कराऊंगा।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात माननीय मंत्री जी की जानकारी में है कि बराक घाटी, मिजोरम और त्रिपुरा मुख्य मार्ग पर लुम्डिंग और सिल्चर के बीच भीषण भूस्खलन हुआ है। यदि इस मार्ग को अति शीघ्र पूर्ववत चालू नहीं किया जाता तो आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काफी बढ़ जाएंगी। क्या माननीय मंत्री हमें यह बतायेंगे कि क्या कार्रवाई की गयी है, कितने वरिष्ठ अधिकारी उस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं तथा इसे कब तक ठीक कर लिए जाने की संभावना है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : लैंड स्लाइड की वजह से वहां रेल सेवा प्रभावित हुई है, बाधित हुई है। वहां एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ खाई है। इसलिए ट्रैक के दोनों तरफ जो लैंड स्लाइड हुआ है, उसको साफ करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कुछ वक्त लगेगा। मैंने मैम्बर इंजीनियरिंग को भी कहा है कि व्यक्तिगत रूप से वे स्थल का निरीक्षण करें।

चैनलों को जोड़ने (अपलिंकिंग) से अर्जित विदेशी मुद्रा

***62. श्री प्रहलाद सिंह पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय और विदेशी चैनलों को जोड़ने के लिए सरकार को प्राप्त होने वाले आवेदनों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख तक कितने समाचार चैनल उपलब्ध हुए हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान चैनलों को जोड़ते समय उनसे वर्ष-वार, चैनल-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ग) क्या अन्य विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में चैनल जोड़ना सस्ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) अपलिंकिंग भारत से अथवा विदेशों से की जा सकती है। भारत से जुलाई 2000 के पहले और बाद में अपलिंकिंग नीति के उदारीकरण के बाद जिन चैनलों को अपलिंकिंग की अनुमति दी गयी है उनका ब्यौरा संलग्न अनुबंध में है। सरकार भारत से चैनलों के अपलिंकिंग से अर्जित विदेशी मुद्रा के आंकड़े नहीं रखती।

(ग) और (घ) विश्वसनीय लागत, तुलना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, भारत से अपलिंक करने वाले भारतीय प्रसारकों को अपलिंकिंग प्रयोजनों के लिए विदेशों में कार्यालय/कार्मिकों के रखरखाव पर खर्च करने का लाभ अवश्य मिलता है।

अनुबंध

(क) जुलाई, 2000 से पहले भारत से अपलिंकिंग हेतु अनुमति प्राप्त कंपनियों के ब्यौरे

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1	2
1.	उषोदय इंटरप्राईजिज लि.
2.	सुमनगली पब्लिकेशंस प्रा.लि.
3.	जैमिनी टी.वी.
4.	उदय टी.वी. लिमिटेड
5.	एशियन नेट कम्यूनिकेशन्स लि.
6.	विजय टी.वी. प्रा.लि.
7.	टी.वी. इंटरनेशनल
8.	जैन स्टूडियोज लि.
9.	मेवीज सैटकॉम प्रा.लि.
10.	टेक्नोलॉजी मीडिया ग्रुप प्रा.लि.

(ख) जुलाई, 2000 से मार्च, 2001 तक भारत से अपलिंकिंग हेतु अनुमति प्राप्त कंपनियों के ब्यौरे

क्र.सं.	कंपनी का नाम	चैनलों का नाम	चैनलों की संख्या	अनुमति की तिथि
1.	टी.वी. टुडे नेटवर्क लि.	इंडिया टुडे	1	4.12.2002
2.	जैन स्टूडियो लि.	जैन टी.वी.	1	4.1.2001
3.	सन टी.वी. लिमिटेड	सन टी.वी. सन न्यूज सूर्य नयूज एस सी वी सन-II सूर्य-II उषा टी.वी. उदय न्यूज तेजा न्यूज जैमिनी टी.वी. तेजा टी.वी. के.टी.वी.	13	26.3.2001
4.	राज टी.वी. नेटवर्क लि.	राज टी.वी. राज डिजिटल प्लस	2	29.3.2001

(ग) अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक भारत से अपलिंकिंग हेतु अनुमति प्राप्त कंपनियों के ब्यौरे

क्र.सं.	कंपनी का नाम	चैनलों के नाम	चैनलों की सं.	अनुमति की तिथि
1	2	3	4	5
1.	विजय ब्राडकास्टिंग कं. प्रा.लि.	विजय	1	9.4.2001
2.	उदय टी.वी. लि.	उदय टी.वी. उदय टी.वी.-II	2	10.4.2001

1	2	3	4	5
3.	स्काई (बी) बंगला प्रा.लि.	आकाश बी	1	12.4.2001
4.	ऊषोदय इण्टरप्राइजेज लि.	ईटीवी तेलुगु	7	6.6.2001
		ई.टी.वी. बंगाली		
		ईटीवी मराठी		
		ईटीवी कन्नड़ (इन एनालॉग एण्ड डिजिटल मोड),		
		ईटीवी उर्दू, ईटीवी उड़िया,		
		ईटीवी गुजराती (इन डिजिटल मोड ओनली)		
		ईटीवी यूपी (हिन्दी)		
		ईटीवी एमपी, (हिन्दी), ईटीवी राजस्थान	8	20.11.2001
		(हिन्दी), ईटीवी बिहार (हिन्दी)		
		ईटीवी पंजाबी, ईटीवी तमिल,		
		ईटीवी असमी, ईटीवी मलयालम		
5.	एशियानेट कम्यूनिकेशंस लि.	एशियानेट (एनालॉग) मलयालम,	1	13.6.2001
		एशियानेट ग्लोबल (डिजिटल)	1	9.6.2001
		एशियानेट (डिजिटल) मलयालम	1	18.7.2001
6.	टेक्नोलॉजी मीडिया ग्रुप प्रा. लि.	टीएमजी इण्टर	1	14.6.2001
7.	इनटेलीविजन लि.	स्प्लास टीवी नम टीवी	2	15.6.2001
8.	एसटीवी इण्टरप्राइजेज लि.	पंजाब टुडे	1	5.12.2001
9.	जी टेलीफिल्म लि.	अल्फा मराठी	7	6.12.2001
		अल्फा गुजराती		
		अल्फा बंगला		
		अल्फा पंजाबी		
		जी न्यूज		
		जी म्यूजिक		
		जेड टीवी		

1	2	3	4	5
10.	मलयालम कम्यूनिकेशंस लि.	कैराली	1	1.1.2002
11.	इण्टरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क प्रा.लि.	ईटीसी हिन्दी	2	5.2.2002
		ईटीसी पंजाबी		

(घ) अप्रैल, 2001 से आज तक भारत से अपलिंकिंग हेतु अनुमति प्राप्त कंपनियों के ब्यौरे

क्र.सं.	कंपनी का नाम	चैनलों के नाम	चैनलों की संख्या	अनुमति की तारीख
1.	मा टेलीविजन नेटवर्क लि.	मा टीवी	1	9.4.2002
2.	दिक्सात ट्रांसवर्ल्ड लि.	विन टीवी	1	11.4.2002
3.	सहारा संचार लि.	सहारा टीवी	10	10.5.002
		सहारा टीवी डिजिटल		
		सहारा टीवी इण्टरटेनमेंट		
		सहारा समय नेशनल एंड इण्टरनेशनल		
		सहारा समय यूपी		
		सहारा समय एम पी		
		सहारा समय बिहार		
		सहारा समय मुम्बई		
		सहारा समय राजस्थान		
		सहारा समय एनसीआर		
4.	जी टेलीफिल्म्स लि.	अल्फा कावेरी	4	28.5.2002
		अल्फा भारथी		
		अल्फा कृष्णा		
		अल्फा उर्दू		
5.	श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लि.	साबे टीवी	1	31.5.2002
6.	ब्राडकास्ट वर्ल्डवाईड लि.	तारा बंगला	4	3.6.2002
		तारा मराठी		
		तारा गुजराती		
		तारा पंजाबी		
7.	न्यू दिल्ली टेलीविजन लि.	एनडी टीवी	1	7.6.2002

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न के उत्तर में जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, उससे साफ लगता है कि सरकार अभी बहुत सारे मामलों में अपने उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं कर सकी है। जैसे मैंने पूछा था कि क्या देश से बाहर जो अपलिंकिंग होता है और देश के भीतर जो अपलिंकिंग की सुविधा दी गई है, क्या उसकी दरों में हम सस्ते हैं तो इसमें जवाब आया है कि अभी ऐसा कोई आकलन हमने नहीं किया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि विदेशी मुद्रा के आंकड़े आज तक कभी सरकार ने एकत्रित नहीं किये। तीसरी बात, मैंने पूछा था कि अन्य चैनलों की जो सूची इसमें दी गई है, उसमें सभी भारतीय चैनल हैं, जिनकी भारत से अपलिंकिंग की गई है, लेकिन मैं जो पूछना चाहता था, मेरी मान्यता यह थी कि चाहे स्टार हो, ई.एस.पी.एन. हो या जी टी.वी. हो, जो चैनल सर्वाधिक रूप से देखे जाते हैं, वे पे चैनल हैं और इनका अपलिंक भारत से होना पूरी लिस्ट में कहीं नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब है कि वे भारत से बाहर से अपलिंक करते हैं और उनका प्रसारण भारत के भीतर होता है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि चूंकि अधिकांश पे चैनल हैं इसलिए यहां का उपभोक्ता पैसा देता है और भारतीय मुद्रा बाहर जाती है, लेकिन जो चैनल चल रहे हैं, उनसे भारत सरकार कोई लाभ नहीं कमा पाती। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा कानून है कि जो चैनल्स बाहर से अपलिंकिंग करके इस देश में कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, जिसकी आप खुद हिमायत करती हैं, मैं खुद ऐसा मानता हूं कि जितनी सख्ती आपने बरती है, वह शायद पहले कभी नहीं बरती गई होगी, लेकिन जो बाहर से अपलिंकिंग करके हमारे यहां चैनल दिखाये जा रहे हैं, क्या उन पर भारतीय कानून लागू होगा? दूसरी बात जो मैंने जाननी चाही है कि अगर हम विदेशी मुद्रा नहीं कमा रहे हैं तो इस स्थिति में इसका कब तक आकलन होगा कि भारत में इनको सुविधा ज्यादा पैसा में मिलती है या कम पैसे में वे अपलिंकिंक करते हैं, उसके बाद से बाहर से नहीं करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आपका क्या दृष्टिकोण होगा?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, चूंकि सवाल 4-5 पूछ लिए गए हैं, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त तो नहीं, लेकिन हर सवाल का एक-एक लाइन में उत्तर देना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सदन को यह बता दूं कि अपलिंक करने वाली नीति केवल चार वर्ष पुरानी है। 1998 से पहले भारत से अपलिंकिंग की अनुमति ही नहीं थी। एन.डी.ए. की सरकार आने के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि भारत से अपलिंकिंग की जायेगी, इसलिए जो बात आप कह रहे हैं, यह केवल चार वर्षों की नीति है। मझे सदन को बताते हुए हर्ष है कि इन चार वर्षों में 76 चैनलों को हमने परमीशन दी है और 76 में से 53 चैनल आज भारत से अपलिंक कर रहे हैं।

जहां तक आपने सस्ते और महंगे के बारे में कहा, इसका हिसाब हमने नहीं रखा है। वह रखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जहां पहले वी.एस.एन.एल. के माध्यम से वे अपलिंक करते थे, उसके बाद हमने कहा कि आप अपना अर्थ स्टेशन लगाकर अपलिंक कर सकते हो। कोई दूसरा टेलीपोर्ट लगा ले तो आप उससे हायर कर सकते हो। अब कौन कितने अर्थ स्टेशन लगाएगा, उस पर कितना खर्च आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, बाहर किस-किस देश में, कितने-कितने पैसे पर वे खर्च कर रहे हैं, वह उनका अपना बिजनेस का तरीका है। लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि इस मायने में जरूर सस्ता होगा कि जब भारतीय चैनल्स विदेश से अपलिंक करते हैं, तब उनको वहां जाना पड़ता है, रोज कैसेट भेजनी पड़ती है, उनका व्यक्ति वहां जाता है और वे वहां अपना आफिस रखते हैं। उस पर बहुत सारा खर्चा नहीं होता। यहां अगर वे अपना अर्थ स्टेशन लगाकर अगर दस चैनल्स भी करें तो उनको बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन यह हिसाब-किताब सरकार नहीं रख सकती कि यहां से सस्ता पड़ेगा या बाहर से पड़ेगा। जहां तक विदेशी मुद्रा का सवाल है, विदेशी मुद्रा जो बाहर जाती है, वह आर.बी.आई. से अनुमति लेकर जाती है। लेकिन जो आपकी चिंता है, उसका समाधान हमने यह निकाला है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि बाहर से अपलिंक करने के लिए विदेशी मुद्रा की मंजूरी दो, तो हम उसे दो साल से ज्यादा की अनुमति नहीं देते। दो साल तक उसे भारत से अपलिंक करना ही होगा। विदेशी मुद्रा बचाने की यह नीति निर्धारित कर दी गई है कि हमसे विदेशी मुद्रा लेकर बाहर जाकर अपलिंक करना है तो दो बरस तक भारत से अपलिंक करना ही होगा। जहां तक उन विदेशी चैनल्स का सवाल है जो हमसे विदेशी मुद्रा नहीं लेते उनसे हम कोई विदेशी मुद्रा खो नहीं रहे हैं। सवाल यह है कि वे यहां से अपलिंक करेंगे तो हमने अपनी नीति का तीसरा चरण बनाया और उसमें कहा कि हर टी.वी. चैनल चाहे देशी यो या विदेशी, यहां से अपलिंक कर सकता है। उसको हमने अनुमति दे दी है। अभी उसको मेंडेटरी नहीं बनाया है। लेकिन आपका जो कंसर्न है, कुछ भी चाहे दिखाए, इसकी अनुमति नहीं मिल सकती। जो भी चीज यहां दिखाई जाती है, वह केबल एक्ट के थ्रू रेगुलेट होती है, क्योंकि केबल के थ्रू हर सेटेलाइट टांसमिशन से ट्रांसमिट होती है और केबल एक्ट उन पर लागू होता है, जिसमें हमारा प्रोग्राम कोड, एडवर्टाइजिंग कोड उन्हें मानना पड़ता है। अगर नहीं मानें तो वह चैनल बंद भी हो सकता है। इसलिए इस चिंता का समाधान हमने दूसरे कानून के तहत किया हुआ है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, जिन चैनलों को विदेश से या भारत के चैनलों को बाहर से अपलिंक करने की सुविधा है और वे प्रसारण कर रहे हैं, उसके लिए मैं सरकार को और मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतने सारे मैजर्ज उठाने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई प्रश्न है तो सीधे उस पर आ जाएं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : आज उन चैनलों में छद्म विज्ञापनों के नाम पर शराब के विज्ञापन दिखाए जाते हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि विदेशी अपलिंक वाले चैनल्स पर भी हमारा कोड लागू होगा और तीसरे चरण में जो कानून बनाना चाहती हैं, प्रतिबंध लगाना चाहती हैं, उसमें क्या ऐसी अनिवार्यता रखेंगे कि वे भारत में अपलिंक करें और फिर प्रसारण करें तो ही उनको दिखाने की अनुमति होगी? संदेह होता है कि जो चैनल्स बाहर से अपलिंक की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, उन पर भारत का कोड लागू होगा या नहीं इसलिए क्या यह अनिवार्यता रखने के लिए सरकार कानून बनाएगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मैंने अभी कहा कि लागू होगा नहीं, लागू है। कोई भी चैनल बाहर से यहां आता है तो केवल डाउनलिंक करके ही ट्रांसमिशन के थ्रू उसे दिखा सकता है, केबल के थ्रू नहीं दिखाया जा सकता। इसलिए उन पर लागू है, लागू होगा का तो सवाल ही नहीं है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने कहा कि अपलिंक व्यवस्था में काफी उदारीकरण किया गया है और बहुत सारे विदेशी चैनल्स यहां दिखाए जाते हैं, उनके प्रसारण की व्यवस्था है। विदेशी चैनल सीधे सैटेलाइट में जाता है और वहां से हमारे टी.वी. सैटों में आता है। सवाल यह उठता है कि अगर इस तरह का कोई प्रसारण हो जाए, जो राष्ट्रहित के खिलाफ हो, हमारी सुरक्षा को भी जिससे खतरा हो या कोई गलत सूचना उस चैनल के माध्यम से दे दी जाए और समूचे देश में उसका प्रसारण हो जाए, उससे देश को सरकार के मामले में या अन्य मामलों में क्षति हो सकती है। मेरा कहना है कि टी.वी. बाक्स में अपलिंक चैनल्स के इस तरह के प्रसारण को पूर्व में ही देखने की, समझने की और उस पर रोक लगाने की कोई व्यवस्था सरकार के पास है या नहीं, जिससे जो चैनल उस प्रसारण को संचालित कर रहा है, उसको पहले ही रोका जा सके?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, जितने भी प्रसारण टी.वी. के माध्यम से होते हैं, उनके प्रिव्यू या प्रिसेंसरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल फिल्म के लिए प्रिसेंसरिंग की व्यवस्था है। जैसा आपने कहा कि अगर कोई प्रसारण इस तरह का हो जाए तो क्या किया जा सकता है, मेरा इस बारे में यह कहना है कि उसके बाद उस चैनल पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उस चैनल को बंद करने की भी व्यवस्था है। लेकिन टी.वी. सोफ्टवेयर की प्रीरिव्यू की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : माननीय मंत्री जी ऐसा कुछ विचार कर रही हैं कि पूर्व प्रसारण के पहले कार्यक्रम को देखा जाए, समझा जाए, क्योंकि यह राष्ट्रीय हित का प्रश्न है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, मैंने पहले ही कहा कि प्रसारण के पूर्व देखने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रोग्राम कोड, एडवर्टिजमेंट कोड उन पर लागू है। वे एफिडेविट देते हैं और कहते हैं कि आपके यहां प्रसारण तब करेंगे, जब इसको मानेंगे, क्योंकि यह हम पर लागू है। अगर उसका उल्लंघन होता है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही होता है, लेकिन प्रीरिव्यू की कोई व्यवस्था विचाराधीन नहीं है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : महोदय, बाद में सजा होती रहेगी, लेकिन देश में तो तबाही मच जाएगी, इसलिए पहले ही इस तरह की व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न को मैंने भी समझा है, मंत्री महोदय ने भी समझा है, जो कुछ कार्रवाई करनी है, वे जरूर करेंगी।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन : अध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्यजनक बात है कि सरकार ने उदारीकरण के पश्चात् इन चैनलों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का कोई आंकड़ा नहीं रखा है। लिखित उत्तर से इस बात का पता चलता है। क्या यह सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि वह इन चैनलों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के आंकड़े अपने पास रखे? माननीय मंत्री जी ने दस चैनलों के बारे में जिक्र किया है। यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2000 से पहले दस कम्पनियों को भारत से अपलिंकिंग करने की अनुमति दी गयी है। इसे पढ़ने में समय लगेगा, अतएव मैं इसे नहीं पढूंगा। तत्पश्चात्, जुलाई 2000 से मार्च 2001 तक करीब चार कम्पनियों को अपलिंकिंग की अनुमति दी गयी है। वर्ष 1992-93 से लेकर आज तक, इन ट्रांसपोन्डर सुविधाओं को प्राप्त करने से पूर्व कुछ कम्पनियां कार्यरत रही हैं। इस संबंध में सरकार के पास क्या आंकड़े हैं? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ चैनलों ने विदेशी मुद्रा अर्जित की है तथा क्या कुछ चैनलों ने विदेशी मुद्रा विनियमों की अवहेलना की है। क्या सरकार ने इस प्रकार के चैनलों के बारे में जानकारी हासिल की है? क्या यह सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि वह प्रत्येक कम्पनी द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के आंकड़ों को रखे? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, यह आई एंड बी मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि वह डाटाबेस फारेन एक्सचेंज की डिटेल्स

रखें। हमसे वे केवल परमीशन मांगते हैं कि फारेन एक्सचेंज देने की भारतीय रिजर्व बैंक से परमीशन दी जाए। भारतीय रिजर्व बैंक उन्हें फारेन एक्सचेंज की परमीशन देता है। जैसा मैंने पहले कहा, हमने कंडीशन लगा दी है और 1998 से पहले यह अनुमति नहीं थी तथा सारी की सारी कम्पनियां वहीं से मांगती थीं।

[अनुवाद]

ऐसी आठ कंपनियां थीं। सिर्फ आठ कम्पनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा हेतु अनुमति मांगी थी। वर्ष 1998 में हमने सिर्फ उन्हीं आठ कम्पनियों को मंजूरी दी जिन्होंने भारत तथा वह भी विदेश संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से अपलिंक करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा की अनुमति मांगी थी। परन्तु अब हमने सभी कम्पनियों को अनुमति दे दी है। इसलिए, वे सभी कम्पनियां जो विदेशी मुद्रा चाहती हैं, वे भारतीय रिजर्व बैंक के पास जा सकती हैं। किन्तु हमने अपनी शर्त रखी है कि उन्हें दो वर्ष के भीतर आवश्यक रूप से भारत से अपलिंक करना होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास सिर्फ यही नियंत्रण है। हम उन कम्पनियों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का कोई लेखा-जोखा नहीं रखते।

[हिन्दी]

डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि

***63. श्री[+] विजय कुमार खंडेलवाल :**
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष जून के पहले सप्ताह में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में और वृद्धि की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे राजस्व में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी और तेल के बिल घाटे में कितनी कमी आयेगी;

(घ) क्या तेल के अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए मूल्यों में की गई वृद्धि के साथ पेट्रोल और डीजल पर लगाया जाने वाला सीमा शुल्क घटाया गया था;

(ङ) यदि हां, तो इससे तेल के अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों के साथ किस सीमा तक बराबरी होने की संभावना है;

(च) क्या इन मूल्यों में पुनः वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस की गई थी;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बार-बार की जाने वाली वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ज) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ज) 1 मार्च, 2002 को सरकार ने पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में क्रमशः लगभग 1.00 रुपए प्रति लीटर और 0.5 रुपए प्रति लीटर की कमी की थी। बाद में तेल कम्पनियों ने अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में 4 जून, 2002 से क्रमशः लगभग 2.50 रुपए प्रति लीटर और 1.50 रुपए प्रति लीटर और 16 जून, 2002 से प्रत्येक उत्पाद में 0.25 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी।

इसी के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य के संबंध में औसत भारतीय कच्चा तेल बास्केट मूल्य, जो फरवरी, 2002 के महीने में 19.50 अमरीकी डालर प्रति बैरल से बढ़कर मई, 2002 के महीने में 25 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गया, में वृद्धि के प्रभाव को आंशिक रूप से सीमित करने के लिए सरकार ने इन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क दर में 4 जून, 2002 से 2% की कमी कर दी।

जून, 2002 की अनुमानित बिक्री मात्रा के आधार पर मूल्यों में उपरिवर्णित परिवर्तन से तेल विपणन कम्पनियों की आय में लगभग 700 करोड़ रुपए प्रति माह की वृद्धि होगी। जहां तक तेल पूल खाते में घाटे में कमी का संबंध है प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) की समाप्ति के बाद तेल पूल खाता 1 अप्रैल, 2002 से बन्द कर दिया गया है।

इसके अलावा प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के बाद सार्वजनिक क्षेत्र तेल कम्पनियां विद्यमान अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और डीजल के उपभोक्ता मूल्य नियत कर रही हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा इस वर्ष पैट्रोल और डीजल पर से मूल्य नियंत्रण हटा लिया गया

है और इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर यहां उनके भावों में कमी होगी या वृद्धि होगी। पिछले माह में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 19.50 डालर प्रति बैरल से बढ़कर 25 डालर प्रति बैरल हो गया था, इस कारण घरेलू मार्केट में रेट न बढ़े और उत्पादकों पर इस महंगाई का बोझ न पड़े, आयात शुल्क में कमी की गई और थोड़ा बोझ जनता पर डाला गया है। इस कारण सरकार का बजट घाटा भी बढ़ा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि भावों को निर्धारित करने के लिए जिस प्रकार से कदम उठाए गए हैं, क्या हमेशा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ने पर इसी प्रकार उत्पाद शुल्क कम करके या अन्य कोई मूल्य कम करके कदम उठाए जायेंगे और साथ ही बजट घाटे को बढ़ने नहीं दिया जाएगा? क्या इसके लिए सरकार कोई दूरगामी नीति बनाने पर विचार कर रही हैं? अगर कर रही है, तो वह क्या है?

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, जैसे माननीय सदस्य ने कहा, हमने एक्साइज ड्यूटी में कमी की है और कीमतों में ज्यादा बोझ ग्राहकों पर न जाए, इसका प्रयास किया। इसके तहत हमने एक नीति अपनाई है कि एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज़म निकल जाने के बाद हर 15 दिन में तेल कम्पनियां देखेंगी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव कितना हुआ और जब ज्यादा उतार-चढ़ाव होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। इसके लिए हर तीन महीने में हम भी समीक्षा करेंगे कि क्या एक्साइज ड्यूटी कम या ज्यादा करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की हमने एक नीति बनाई है और उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक जुलाई या 16 जुलाई को तेल कम्पनियों ने कोई दाम नहीं बढ़ाया, क्योंकि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थिर है और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थिर है तब दाम का उतार या चढ़ाव नहीं होगा। आपने यह भी देखा होगा कि हमने जनवरी में एक रुपए 39 पैसे पैट्रोल का दाम कम किया, फिर मार्च में एक रुपया कम किया, कुल दो रुपए 39 पैसे प्रति लीटर कम किया, फिर रेट दो रुपये 50 पैसे बढ़ गए। इस तरह कुल 11 पैसे की छः महीने में बढ़ोत्तरी हुई है। इस नीति से हम अपने आप को सफलता की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, इस सारे प्रश्न का उत्तर हो गया है, अब सप्लीमेंट्री पूछना कहां रह जाता है। महोदय, चौथा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : मैं चौथे प्रश्न पर ही जाना चाहता हूं। यदि पूरे सदन के माननीय सदस्यों की सहमति हो तो मैं यही करना चाहता हूं।

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ जाने पर, जब इन पदार्थों के भाव बढ़ जाते हैं तो यहां भी भाव बढ़ते हैं, उनके रेट्स में खुद-ब-खुद वृद्धि हो जाती है। लेकिन हर स्टेट में अलग-अलग सेल्स टैक्स के रेट हैं और इसमें दस से 30 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। कहीं सेल्स टैक्स ज्यादा होने के कारण रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं। अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग रेट हैं। पूरे देश में पैट्रोल, डीजल के एक रेट रहें, सेल्स टैक्स के रेट अंतर्राष्ट्रीय भाव में वृद्धि होने के कारण प्रदेशों में न बढ़ें, इसके लिए क्या केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर किसी नीति पर विचार कर रही है, इस बारे में मैं जानना चाहता हूं।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में लगातार दो साल से वित्त मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि सेल्स टैक्स सभी राज्यों में एक समान हो तो अच्छा रहेगा। अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि सभी राज्य सरकारें इसमें जल्दी से जल्दी सहमत हों। उसका एक नुकसान है। जब हमने दो प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी कम कर दी तो कुछ राज्यों को उसका लाभ हुआ। हमारे महाराष्ट्र में, अध्यक्ष जी, जहां से आप भी आते हैं, वहां महाराष्ट्र सरकार ने दो प्रतिशत सेल टैक्स बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश में भी बढ़ा है।

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : मध्य प्रदेश में 30 प्रतिशत है।

श्री राम नाईक : हां, मध्य प्रदेश में भी बढ़ा है। सदन में अलग-अलग पार्टियां हैं। कम से कम यहां से ऐसा जब कंसेशन दिया जाता है तो वह ग्राहकों तक सीधा पहुंच जाए, राज्य सरकारें बीच में ही सेल्स टैक्स बढ़ा कर न लें, ऐसी प्रार्थना मैं करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि 1 अप्रैल, 2002 से पेट्रोलियम उत्पादों पर से शासित मूल्य तंत्र समाप्त किए जाने के बाद से पेट्रोल, डीजल और किरोसीन की कीमतें कितनी बार बढ़ाई जा चुकी हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सच्चाई को महसूस करती है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बार-बार परिवर्तनों की वजह से आम जनता का बजट प्रभावित हो रहा है तथा वे काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

दूसरा, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं, क्या सरकार इस सदन को यह आश्वासन देगी कि भारत में तेल कम्पनियों द्वारा अगले बजट तक पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जायेगी?

श्री राम नाईक : महोदय, शासित मूल्य तंत्र को समाप्त करने के पीछे मूल धारणा यही रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं वे यहां परिलक्षित हों। ऐसा करते हुए, हम यथासंभव मूल्य-स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करेंगे।

उनके प्रश्न का स्पष्ट उत्तर यह है कि कीमतें दो बार क्रमशः 4 जून और 16 जून को बढ़ायी गयी तथा दो बार, कीमतों को नहीं बढ़ाया गया।

हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि आम जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। परन्तु अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। वहां जो कुछ भी घटित होता है हमें उसका अनुसरण करना होगा क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं का 70 प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पाद आयात करते हैं। इसलिए, यह प्रभाव तो वहां बना रहेगा। यही कारण है कि शासित मूल्य तंत्र को समाप्त किया गया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रेलवे जोन

***64. श्री +मानसिंह पटेल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवसृजित रेलवे जोनों के क्षेत्राधिकार को अन्तिम रूप/अधिसूचित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नए रेलवे जोनों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ये जोन कब तक कार्यशील हो जायेंगे;

(ङ) इन जोनों के सृजन पर अब तक कितना व्यय हुआ है;

(च) क्या सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति ने रेलवे जोनों/मंडलों के सृजन पर टिप्पणी की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ज) इन नए जोनों के सृजन की विभिन्न रेलवे संगठनों/राज्यों द्वारा व्यापक आलोचना की गई है; और

(झ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (झ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) से (घ) इनके जोनवार क्षेत्राधिकार का ब्यौरा और उनके कार्यशील होने की तिथि इस प्रकार है।

क्र.सं.	रेलवे	क्षेत्राधिकार	कार्यशील होने की तिथि
1	2	3	4
1.	पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर 16.6.2002 को अधिसूचित	* पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर और समस्तीपुर मंडल * पूर्व रेलवे के दानापुर, मुगलसराय और धनबाद मंडल	1.10.2002
2.	उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर 14.6.2002 को अधिसूचित	* उत्तर रेलवे के बीकानेर और जोधपुर मंडल * पश्चिम रेलवे के जयपुर और अजमेर मंडल	1.10.2002
3.	पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर 4.7.2002 को अधिसूचित	* दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड, वालतेरू और सम्बलपुर मंडल	1.4.2003
4.	दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली 4.7.2002 को अधिसूचित	* दक्षिण रेलवे के बेंगलूरू और मैसूर मंडल * दक्षिण मध्य रेलवे का हुबली मंडल	1.4.2003

1	2	3	4
5.	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर 4.7.2002 को अधिसूचित	* मध्य रेलवे के जबलपुर और भोपाल मंडल * पश्चिम रेलवे का कोटा मंडल	1.4.2003
6.	उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद 4.7.2002 को अधिसूचित	* उत्तर रेलवे का इलाहाबाद मंडल * मध्य रेलवे का झांसी मंडल * आगरा मंडल (नया)	1.4.2003
7.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर 4.7.2002 को अधिसूचित	* दक्षिण पूर्व रेलवे के नागपुर और बिलासपुर मंडल * रायपुर मंडल (नया)	1.4.2003

(ङ) 31 मार्च, 2002 तक नए जोनों पर लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(च) और (छ) रेल सुधार समिति (1984) ने चार नए जोन बनाये जाने की सिफारिश की थी। आगे और समीक्षा के आधार पर सरकार ने इन जोनों की स्थापना का विनिश्चय किया है।

(ज) जी हां। विभिन्न रेलवे संघ नए जोनों की स्थापना का विरोध करते रहे हैं। अधिसूचनाएं जारी किए जाने के पश्चात् औपचारिक रूप से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जहां तक राज्यों का संबंध है, केवल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कुछ आशंकाएं जताई थीं, जिनका निराकरण पत्र भेजकर कर दिया गया है।

(झ) सरकार उनके विचारों से सहमत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह चाहता हूं कि आप यह सुनें कि प्रश्न किस विषय से संबंधित है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, आप यह तो जानते हैं कि 'बंद' दोनों ओर से हुए हैं। *...(व्यवधान)* हम किसी भी मुद्दे पर देश को बांटना नहीं चाहते हैं *...(व्यवधान)*

मैं इस मामले में आपसे चर्चा की अनुमति चाहता हूं। चर्चा के दौरान सरकार सभी के विचार सुने। यहां सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण माहौल बने *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने का मौका दिया है। उन्हें पहले प्रश्न पूछने दिया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम झगड़ा करना नहीं चाहते है...*(व्यवधान)* परन्तु हम ईमानदारी से यह महसूस करते हैं कि इस पर चर्चा हो *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम इस पर खुली और व्यापक चर्चा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस प्रश्न पर चर्चा पहले ही आरम्भ कर दी है और यह प्रश्न रखा गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अपना प्रश्न पूछने दीजिए। मुझे इस मुद्दे पर चर्चा हेतु अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। यह प्रश्न पहले ही आ चुका है। सदस्य ने इस प्रश्न के पूछे जाने को सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास किए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है। मंत्री जी को इसका मूल उत्तर देने दीजिए। इसके बाद यदि सभा चाहती

है, तो मैं इस पर चर्चा हेतु मामले को कार्य मंत्रणा समिति में रखूंगा। प्रश्न पूछने और उत्तर देने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री मानसिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि नवसृजित रेलवे जोनों के क्षेत्राधिकार को अंतिम रूप दे दिया गया है और अप्रैल, 2003 तक यह कार्यान्वित हो जाएगा। मैं इसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, मैं सभी लोगों के लिए यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने प्रश्न पूछने के बारे में निर्णय किया है और इसका उत्तर भी दिया जायेगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर आप उद्वेलित क्यों हैं?

आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं। मैंने तो यह पहले ही स्वीकार कर लिया है कि यदि कार्य मंत्रणा समिति सहमत है तो इस पर यथाशीघ्र चर्चा होगी। अत:, यदि आप नहीं चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाये, तो यह ठीक नहीं है। पहले प्रश्न पूछने दीजिए और इसका उत्तर भी आ जाने दीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, कल ध्यानाकर्षण सूचना को चर्चा में परिवर्तित कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह तो पूरी सभा चाहती थी।

...(*व्यवधान*)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह इस मामले में भी किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, ये माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि यह प्रश्न प्रश्न काल में भी पूछा जाये।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे यही अनुरोध है।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं जो नहीं कर रहा हूं, उसके बारे में आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं?

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री मानसिंह पटेल : मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रेल सुधार समिति ने जो नए जोन बनाने की सिफारिश की है, उसे ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने कौन-कौन से नए जोन स्थापित करने का निश्चय किया है?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नये जोनों के गठन के लिये मुझे धन्यवाद दिया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है कि रेलवे रिफार्म्स कमेटी ने जिन जोनों की सिफारिश की थी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि रेलवे रिफार्म्स कमेटी का गठन 1981 में किया गया जिसकी रिपोर्ट 1984 में आई थी। उसने देश में चार नये रेल जोन्स गठित करने की सिफाशि की थी। लेकिन बाद में सरकार ने 1996 में 6 नये तथा 1998 में एक और नया जोन बनाने की बात की और इस प्रकार 7 नये जोन्स का गठन करने का निर्णय किया। उन 7 नये जोन्स के गठन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रेलवे एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप इसकी अधिसूचना जारी की गई है, जिसका उल्लेख मैंने मूल उत्तर में कर दिया है। माननीय सदस्य ने यह भी जानना चाहा था कि किन जोन्स के लिये अधिसूचना जारी की गई है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि 7 जोन्स की अधिसूचना जारी कर दी गई है और उनमें से दो जोन्स 1.10.2002 से काम करना प्रारम्भ कर देंगे तथा बाकी पांच जोन्स 1.4.2003 से काम करना प्रारम्भ करेंगे। उनके क्षेत्र का निर्धारण करके उसके लिए अधिसूचना निर्गत कर दी गई है।

श्री मानसिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिमी रेलवे का 80 प्रतिशत हिस्सा गुजरात में है लेकिन मुख्य कार्यालय मुम्बई में है। गुजरात सरकार और यहां के लोगों ने कई सालों से यह मांग की है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय अहमदाबाद में हो। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अहमदाबाद में पश्चिमी रेलवे का मुख्यालब कब से करने जा रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का कोई प्रस्ताव रेल मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में अभी बताया कि 1.10.2002 से दो जोन्स काम करना प्रारम्भ कर देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1.10.2002 से कौन-कौन से जोन्स काम करने लगेंगे? इसके साथ ही मैं यह बताना चाहूंगा कि अखबारों में और मीडिया में यह समाचार आया था कि प्रधान मंत्री जी के यहां जोन्स के बारे में एक बैठक हुई थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया और इस बैठक के बाद क्या जोन्स के कार्य पर कोई प्रभाव पड़ा है? मंत्री जी ने अभी कहा कि दो जोनेस अक्तूबर से काम करने लगेंगे, क्या निश्चित तौर पर यह काम करने लगेगा क्योंकि देश की जनता में इस प्रकार का संशय है। मंत्री जी स्पष्ट रूप से बतायें कि क्या ये जोन 1.10.2002 से कार्य करने लगेंगे और इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, 1.10.2002 से दो जोन्स-ईस्ट सैंट्रल रेलवे और नार्थ वैस्टर्न रेलवे प्रभावी रूप से कार्यरत होंगे। जहां तक माननीय सदस्य ने प्रधान मंत्री स्तर पर होने वाली बैठक की चर्चा की है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि सरकार में बैठकें होती रहती हैं, किसी न किसी विषय पर उनमें चर्चा होती है लेकिन जहां तक जोन्स नोटिफिकेशन का सवाल है, उनका नोटिफिकेशन किया जा चुका है और इनको प्रभावी बनाने की दिशा में जो भी कदम उठाये जाने चाहिये, वह सारी कार्यवाही चल रही है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, मामले पर प्रधानमंत्री के आवास में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पुनः उल्लेख किया गया *...(व्यवधान)* इसके बाद यह मामला मंत्रिमंडल के पास चला गया *...(व्यवधान)*

इस मामले पर चर्चा की संभावना है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, विभिन्न वर्गों जैसे विभिन्न विशेषज्ञों, रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, राकेश मोहन समिति जैसी विशेषज्ञ समिति, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और रेल संबंधी स्थायी समिति की ओर से विरोध के बावजूद रेल मंत्री ने सात नए जोन बनाने की घोषणा की है और उन्होंने नए जोनों के कृत्यों की समयसारिणी की भी घोषणा कर दी है।

मध्याह्न 12.00 बजे

उन्होंने अपने उत्तर में यह कहा है कि यह निर्णय समीक्षा के आधार पर किया गया है। इसकी कोई समीक्षा नहीं की गई। कई प्रश्नों के उत्तर में यह बताया गया कि समीक्षा की जा रही है। समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि नए जोनों को बनाने का यह निर्णय समीक्षा हेतु मंत्रिमंडल को भेजा जा रहा है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसे समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल में भेजा गया है अथवा नहीं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : समय पूरा हो गया।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया मंत्री जी से मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहिए। *...(व्यवधान)* महोदय, मैंने यह जानकारी मांगी है कि क्या इसे समीक्षा हेतु मंत्रिमंडल को भेजा गया है अथवा नहीं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य ने एक प्रश्न पूछा है। ऐसे कई सदस्य हैं जो इस विषय पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैंने सभा को पहले ही यह आश्वासन दे दिया है कि मैं इसे कार्य मंत्रणा समिति में ले जाऊंगा। यदि समिति सहमत होती है तो हम इस विषय पर किसी एक अथवा अन्य नियम के अंतर्गत चर्चा करेंगे। मैं नहीं समझता कि प्रश्न काल में यह प्रश्न पूछा जा सकता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इसके पुनः कैबिनेट में जाने का क्या औचित्य है। इसमें जस्टिफिकेशन का सवाल नहीं है, इसका औचित्य क्या है।

अध्यक्ष महोदय : जस्टिफिकेशन के लिए बिजनेस एडवायजरी कमेटी में जा रहे हैं, वहां उस विषय में चर्चा होगी।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : रेलवे से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की अनुशंसा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। *...(व्यवधान)* हम भलीभांति यह महसूस करते हैं कि यह किसी

और अन्य राज्य के बीच का मामला नहीं है। हम यह नहीं चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार के लोगों को आशंका है कि राजनीतिक दबाव के चलते ये लोग हाजीपुर जोन की ज्यूरिस्डिक्शन की जेरीमेन्डरिंग करना चाहते हैं। इस आशंका के कारण वहां पर बड़ा भारी जनांदोलन उठ खड़ा हुआ है। यदि सरकार ने ज्यूरिस्डिक्शन में कोई हेर-फेर किया तो वहां जनाक्रोश भड़क उठेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बाल-फिल्मों का निर्माण

***65. श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बहुत कम बाल फिल्में बन रही हैं और राष्ट्रीय फिल्म समारोहों व अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सवों में भी इनका प्रदर्शन बहुत कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में बाल फिल्मों/बच्चों के कार्यक्रमों/धारावाहिकों के लिए धनराशि आबंटित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) फिल्म-निर्माताओं को और अधिक बाल फिल्में/बच्चों के कार्यक्रम/धारावाहिक आदि बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) भारत में फिल्म निर्माण के कार्यकलाप मुख्यतः निजी क्षेत्र में हैं। चूंकि बाल फिल्मों का एक सीमित बाजार है इसलिए निजी निर्माता अधिक बाल फिल्मों का निर्माण नहीं करते।

जहां तक भारतीय बाल फिल्म समिति का संबंध है यह समिति बाल फिल्मों का निर्माण, खरीद, वितरण और प्रदर्शन नियमित आधार पर करती है और भारत तथा विदेशों में राष्ट्रीय फिल्म समारोहों तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेने के लिए योग्य फिल्मों को भेजती है।

(ग) से (ङ) 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय बालफिल्म समिति के लिए फिल्मों/कार्यक्रमों/धारावाहिकों के निर्माण के लिए 17.60 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। बाल फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय बालफिल्म समिति ने विभिन्न राज्य सरकारों के साथ उनके क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित बाल फिल्मों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए मामला उठाया है। दूरदर्शन पर बाल कार्यक्रमों के प्रसारण को तथा बाह्य निर्माण को भी प्रोत्साहित करने के लिए प्रसार भारती के दर कार्ड में गैर-प्राइम टाइम में बाल श्रेणी में प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए प्रसारण शुल्क पर 25 प्रतिशत रियायत दी जाती है। बाल फिल्मों का प्रसारण राष्ट्रीय नेटवर्क और डीडी भारती पर भी किया जाता है। बाल कार्यक्रमों को दूरदर्शन के अन्य चैनलों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है।

बायोगैस संयंत्रों की स्थापना

***66. डा. वी. सरोजा :**
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई है और इन संयंत्रों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) इन संयंत्रों की स्थापना के लिए उद्यमियों/किसानों को वर्षवार कितनी राजसहायता दी गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि निर्धारित की गई थी और कितनी व्यय हुई है; और

(घ) राज्य सरकारों को अब तक दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम (डब्लूईपी) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक अपशिष्टों से उत्पादित बायोगैस से 4.73 मेवा. विद्युत उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता की चार परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। "सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र (सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी) कार्यक्रम" नामक एक पृथक योजना के अंतर्गत, इसी अवधि के दौरान कुकिंग ईंधन और प्रेरक (मोटिव) विद्युत उत्पादन के लिए कुल लगभग 1130 पशु गोबर एवं विष्ठा आधारित संस्थागत बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं।

(ख) अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित चार उद्योगों/उद्यमियों को दी गई सब्सिडी वर्ष 1999-2000 में 215.33 लाख रु. और उसके पश्चात् वर्ष 2001-02 में 40.95 लाख रु. थी। संस्थागत संयंत्रों के लिए संयंत्र के प्रकार और आकार, क्षेत्र और संस्था की प्रकृति पर निर्भर करते हुए केन्द्रीय सब्सिडी निश्चित राशि में प्रति संयंत्र 15000 रुपये से 8.00 लाख रु. तक दी गई थी। एक पृथक योजना के अंतर्गत किसानों को खाना पकाने के उद्देश्यों हेतु पारिवारिक आकार के संयंत्रों के लिए केन्द्रीय सब्सिडी दी जाती है।

(ग) बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और किए गए वास्तविक व्यय संबंधी सूचना नीचे दी गई है:-

(करोड़ रु. में)

कार्यक्रम	1999-2000		2000-01		2001-02	
	बीई/आरई	व्यय	बीई/आरई	व्यय	बीई/आरई	व्यय
डब्लूईपी	12.00/5.00	6.37	20.00/8.00	8.00	15.00/15.00	14.35
सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी	7.50/7.50	7.50	7.00/6.70	6.12	5.85/4.85	5.85

बीई-बजट अनुमान
आरई-संशोधित अनुमान

(घ) अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योगों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता या तो वित्त पोषण करने वाली संस्थाओं अथवा राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से दी गई जिसके ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम (डब्ल्यूईपी) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-02 के दौरान रिलीज की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता पर राज्यवार सूचना

राज्य	वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान रिलीज की गई निधियां (लाख रु. में)
1	2
आंध्र प्रदेश	69.44
दिल्ली	57.14
गुजरात	45.85
महाराष्ट्र	588.95
मध्य प्रदेश	190.47
पंजाब	0.10
तमिलनाडु	223.61
उत्तर प्रदेश	750.00

विवरण-II

सामुदायिक, संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र (सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी) कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के दौरान विभिन्न राज्यों को रिलीज की गई निधियों के संबंध में सूचना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान रिलीज की गई निधियां (लाख रु. में)
1	2
आंध्र प्रदेश	0.30
अरुणाचल प्रदेश	1.40

1	2
असम	18.40
बिहार	0.60
छत्तीसगढ़	16.00
दिल्ली	110.96
गुजरात	34.50
केरल	80.15
मध्य प्रदेश	10.10
महाराष्ट्र	156.21
मणिपुर	1.40
मेघालय	16.00
नागालैंड	17.00
उड़ीसा	14.50
पंजाब	292.22
राजस्थान	36.50
सिक्किम	1.40
तमिलनाडु	19.27
उत्तर प्रदेश	496.17
उत्तरांचल	16.00
पश्चिम बंगाल	77.33

विदेशी निवेशकों को प्रिंट मीडिया में प्रवेश की अनुमति

***67. श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संसद को विश्वास में लिए बिना तथा 'हाउस पैनल' की सिफारिशों की अनदेखी करके प्रिंट मीडिया में 26 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने के गुण-दोषों का अध्ययन कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में अभी तक प्राप्त और सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा भारतीय समाचार-पत्र उद्योग के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(छ) क्या सरकार ने इस संबध में कोई दिशानिर्देश/निदेश जारी किए हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या सरकार का विचार प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने के अपने निर्णय की समीक्षा करने का है;

(ञ) यदि हां, तो इसके कब तक समीक्षा किए जाने की संभावना है; और

(ट) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) सदन के पैनल द्वारा अधिवक्त चिन्ताओं के समाधान के बाद, सरकार का निम्नलिखित निर्णय है:

(1) समाचारों तथा सामयिक विषयों को छापने वाले समाचारपत्रों और सावधिकों का प्रकाशन करने वाली भारतीय संस्थाओं में उपयुक्त सुरक्षा उपायों के अधीन मामलावार आधार पर 26 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देना।

(2) विदेशी वैज्ञानिक, तकनीकी और विशिष्ट पत्रिकाओं/सावधिकों/मैगजीनों के भारतीय संस्करणों को मामलावार आधार पर अनुमति देना।

(3) वैज्ञानिक, तकनीकी और विशिष्ट पत्रिकाओं/सावधिकों/मैगजीनों को प्रकाशित करने वाली भारतीय संस्थाओं में मामलावार आधार पर 74 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति देना।

(ङ) सरकार को अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) विदेशी निवेशकों की जांच करने, निवासी भारतीयों के हाथों में सम्पादकीय तथा प्रबंधन नियंत्रण रखने और भारतीय इक्विटी धारिता के बिखराव को रोकने को सुनिश्चित करने जैसी उपयुक्त रक्षोपायों का प्रावधान किया गया है।

(छ) और (ज) अभी तक कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किये गये हैं।

(झ) से (ट) सरकार का प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति वाले अपने निर्णय की निकट भविष्य में समीक्षा करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह एक सुविचारित निर्णय है।

अंतरराज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना

***68. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल विद्युत से संबंधित अनेक अंतरराज्यीय विवादों के कारण जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वियन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और इससे हाइड्रो थर्मल मिक्स पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो विशेषत: राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में राज्य-वार उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है जो पांच वर्षों से अधिक समय से विवादित हैं;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है कि ये परियोजनाएं एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कार्यान्वित हों;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के एक वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में प्रमुख विद्युत और सिविल इंजीनियरों की सदस्यता वाले एक अंतरराज्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो लम्बे समय से लम्बित मामलों को सुलझाने के लिए इस न्यायाधिकरण की कब तक स्थापना हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) और (ख) वर्तमान में कुल मिलाकर 685 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता के लिए 33 जल विद्युत परियोजनाओं, जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया था, पर कार्य अंतर्राज्यीय पहलुओं का समाधान न होने के कारण रोका गया है। इन सभी स्कीमों पर पांच वर्ष से अधिक समय पहले विचार किया गया था। ऐसी परियोजनाओं की संख्या इंगित करते हुए राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। इसमें पंजाब में सतलुज यमुना लिंक परियोजना (50 मेगावाट) और राजस्थान में राहुघाट चरण-3 परियोजना (160 मेगावाट) शामिल है।

(ग) इन परियोजनाओंका क्रियान्वयन अंतर्राज्यीय पहलुओं के पूर्ण समाधान पर निर्भर करेगा। विद्युत मंत्रालय राज्यों के मध्य, जहां भी संभव हो, सहमति बनाए जाने को सुगम बनाता है।

(घ) और (ङ) सरकार जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अंतर्राज्यीय न्यायालय स्थापित करने पर फिलहाल विचार नहीं कर रही है।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं वाली जल विद्युत स्कीमों का नाम

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
उत्तर क्षेत्र		
1.	पंजाब	1
2.	राजस्थान	1
3.	उत्तर प्रदेश	1
4.	उत्तरांचल	1
पश्चिमी क्षेत्र		
5.	महाराष्ट्र	1
6.	मध्य प्रदेश	3
7.	गोवा	1
दक्षिणी क्षेत्र		
8.	आंध्र प्रदेश	1
9.	कर्नाटक	6
10.	केरल	6
11.	तमिलनाडु	7
पूर्वी क्षेत्र		
12.	असम	1
13.	झारखण्ड	1
14.	उड़ीसा	2
	कुल	33

कच्चे तेल पर रायल्टी

***69. श्री सवशीभाई मकवाना :**
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कच्चे तेल पर रायल्टी बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में प्रतिदिन रायल्टी की दर कितनी है और प्रस्तावित वृद्धि के पश्चात् रायल्टी की दर क्या होगी; और

(ग) रायल्टी दर के बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) सरकार ने स्वदेशी कच्चे तेल के संबंध में रायल्टी की नई योजना तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो सरकार के विचाराधीन है।

स्वदेशी कच्चे तेल पर रायल्टी की दर वर्तमान में अनंतिम आधार पर 850 रुपए प्रति मीट्रिक टन है। सरकार द्वारा रिपोर्ट पर कोई निर्णय लेने के बाद ही रायल्टी की संशोधित दर ज्ञात हो सकेगी।

लड़ाकू विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना

***70. डा. जयंत रंगपी :**
श्री रामजीवन सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मिग-21 और मिग-23 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप जान और माल की कितनी क्षति हुई;

(ग) मृतकों के परिवारजनों को कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) क्या दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने हेतु कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(च) क्या 25 अप्रैल, 2002 को एक और मिग विमान तथा इसके दो चालक लापता हो गये थे; और

(छ) यदि हां, तो उपरोक्त विमान और इसके चालकों का क्या हुआ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (छ) 3 मई, 2002 को एक मिग-21 विमान जालंधर शहर के बाहरी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तथा 26 जून, 2002 को एक मिग-23 वायुसेना स्टेशन, हलवाड़ा के समीप सिधवान खास रेंज के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। दोनों ही मामलों में जांच अदालतों के आदेश दे दिए गए हैं तथा अभी जांच-कार्य चल रहा है।

मिग-21 विमान राजस्थान बैंक की इमारत से जा टकराया था जिससे 9 लोग मारे गए तथा 12 लोग घायल हो गए। इमारत के अंदर स्थित बैंक तथा प्लाईवुड का एक गोदाम भस्म हो गए थे। मिग-23 विमान धान के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। किन्तु, इस दुर्घटना में न तो किसी की जान गई और न ही कोई व्यक्ति जख्मी हुआ।

दोनों ही मामलों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है तथा मौजूदा नियमों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

दो पायलटों सहित एक मिग-21 प्रशिक्षण विमान 20 अप्रैल, 2002 से लापता है। इस विमान ने असम स्थित तेजपुर एयरफील्ड से युद्धक कलाबाजी अभ्यास के लिए उड़ान भरी थी। किन्तु, उक्त विमान अभ्यास के बाद बेस में वापस नहीं आया। इस विमान के साथ रेडार संपर्क भी नहीं हो पाया था। भूटान सरकार की सहायता से लापता विमान की खोज का कार्य भी शुरू किया गया था। किन्तु, विमान के मलबे और लापता पायलटों का कोई पता नहीं चल पाया है। अभी तक, घने जंगलों से ढके पहाड़ी भू-भाग के कारण खोज-कार्य में बाधा आ रही है। दुर्घटना-स्थल का पता लगाने का अभी भी प्रयास किया जा रहा है। यह माना गया है कि इस दुर्घटना में दोनों ही पायलट मारे गए हैं।

त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण

***71. श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में, विशेषकर कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में, ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी त्वरित विद्युत विकास

कार्यक्रम के अंतर्गत एक परियोजना आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गयी है;

(घ) क्या परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या राज्य सरकारों ने ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु अतिरिक्त सहायता की मांग की है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी), जिसे अब त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के नाम से जाना जाता है, को फरवरी, 2001 में आरंभ किया गया था जिसका एकमात्र उद्देश्य राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटियों की वित्तीय व्यवहार्यता को पुनः बहाल करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य 33 के.वी./66 के.वी. से कम के उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का उच्चीकरण करना है। प्रथम चरण में सम्पूर्ण देश में 63 सर्किलों पर एपीडीपी के अंतर्गत उप पारेषण एवं वितरण का उच्चीकरण आरंभ किया जाएगा। इन सर्किलों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों क्षेत्र शामिल हैं। इन 63 सर्किलों में से कर्नाटक में 3 सर्किल और महाराष्ट्र में 5 सर्किलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभिज्ञात किया गया है। इन सर्किलों में मुहैया कराई गयी और समुपयोजित की गयी निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

कर्नाटक	निधियों की स्थिति				
सर्किल का नाम	परियोजना की लागत	स्वीकृत एपीडीपी निधियां	जारी एपीडीपी निधियां	स्वीकृत ऋण	समुपयोजित निधि
बेलगाम, बीजापुर, मैसूर	114.52	57.26	57.26	57.26	57.26
विद्युत उत्पादन का आर एंड एम	44.48	24.24	24.24	24.24	24.24
कुल	159.00	81.50	81.50	81.50	81.50

महाराष्ट्र	निधियों की स्थिति				
सर्किल का नाम	परियोजना की लागत	स्वीकृत एपीडीपी निधियां	जारी एपीडीपी निधियां	स्वीकृत ऋण	समुपयोजित निधि
रत्नागिरि, जलगांव, शोलापुर, उस्मानाबाद	189.87	90.22	90.22	16.14	72.33
सिंधुदुर्ग					
विद्युत उत्पादन का आर एंड एम	98.48	44.24	44.24	44.24	-
कुल	288.35	134.46	134.46	60.38	72.33

राज्यों को 5-6 अतिरिक्त सर्किलों की भी पहचान करने को कहा गया है जिसमें एपीडीआरपी स्कीमों के अंतर्गत उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का उच्चीकरण आरंभ किया जाएगा।

एपीडीआरपी के अंतर्गत अभिज्ञात परियोजनाओं के लिए निधियां योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ परामर्श करके तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार मुहैया करायी जाती है। अर्जित प्रगति का मूल्यांकन परियोजना हेतु तैयार किए गए समय कार्यक्रम के पूरा होने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

खुदरा तेल-डीलरों द्वारा निवेश

***72. श्री मोइनुल हसन :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के खुदरा वितरण के आवेदकों के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि वे "गैर-बाजार" (नान मार्किट) कार्यों में 10 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए निवेश कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो कम पूंजी क्षमता वाले उद्यमी किस तरीके से खुदरा तेल वितरण की तकनीकी और सुरक्षा दिशा-निर्देशों को पूरा कर सकेंगे और उन्हें किस तरीके से देश में बिक्री केन्द्र खोलने की अनुमति दी जायेगी;

(ग) निजी निवेशकों के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(घ) इस संबंध में लघु निवेशकों को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) सरकार ने निजी क्षेत्र सहित नए प्रवेशकों को परिवहन ईंधनों का विपणन करने का प्राधिकार प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) अन्वेषण और उत्पादन (ई एण्ड पी), परिशोधन पाइपलाईनों अथवा टर्मिनलों में 2000 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली अथवा ऐसा करने का प्रस्ताव करने वाली कंपनियों को परिवहन ईंधनों का विपणन करने का प्राधिकार दिया जा सकता है;

(2) पात्र निवेश नई रिफाइनरियां स्थापित करने, वर्तमान रिफाइनरियों के विस्तार, कोल बेड मीथेन और कच्चे तेल/प्राकृतिक गैस की पाइपलाइनों और संक्रिया संयंत्रों, कच्चे तेल/एल एन जी के टर्मिनलों, कामन कैरियर प्राकृतिक गैस/पेट्रोलियम उत्पादों/एल पी जी पाइपलाइनों जैसी सहबद्ध सुविधाओं सहित हाईड्रोकार्बनों के अन्वेषण और उत्पादन में और पर्यावरणीय रूप से संबंधित मानकों को पूरा करने के लिए उत्पाद गुणवत्ता के सुधार के लिए अतिरिक्त आस्तियों की स्थापना करने हेतु क्रियाकलापों में पात्र निवेश किए जाएंगे;

(3) ऐसे निवेशों के फलस्वरूप वर्तमान आस्तिओं के अतिरिक्त आस्तिओं और/अथवा पात्र क्रियाकलापों में नई आस्तियों का सृजन होना चाहिए;

(4) नवेश का प्रस्ताव करने वाली कंपनियों के मामले में 500 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्राप्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त निवेश करने की समय सीमा वित्तीय बंदी के लिए नियत 5 वर्षों सहित 10 वर्ष होगी। निवेशक को सरकार/विनियामक बोर्ड के साथ शर्तों और लक्ष्यों वाले एक करार पर हस्ताक्षर करने होंगे;

(5) प्रत्येक पात्र कंपनी केवल एक प्राधिकार प्राप्त कर पाएगी और सरकार की अनुमति के बिना इस प्राधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। आवेदक को सरकार अथवा विनियामक बोर्ड को विपणन की एक योजना प्रस्तुत करते समय उपरोक्त, विनियामक बोर्ड दूरदराज के क्षेत्रों में और निम्न सेवा क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने की बाध्यता सहित जनहित में शर्तें लगा सकता है और यह शर्त भी रहेगी कि पात्र कंपनी वर्तमान विपणन कंपनियों के खुदरा संजाल तंत्रों का अतिक्रमण नहीं करेगी।

2. 2000 करोड़ रुपये के निवेश की शर्त आवश्यक बुनियादी सुविधा का सृजन करने और देश में तेल सुरक्षा बनाए रखने के लिए तेल के खुदरा कारबार में प्रवेश करने के लिए नए प्रवेशकों द्वारा अन्वेषण और उत्पादन, परिशोधन, प्राकृतिक गैस/एल एन जी बुनियादी सुविधा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए है।

[हिन्दी]

राज्य सभा और राज्यों की विधान परिषदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु सीटों का आरक्षण

***73. श्री रामदास आठवले :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज की तिथि तक राज्य सभा और राज्यों की विधान परिषदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए सीटों को आरक्षित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सभा और विधान परिषदों में उक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षण देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक इस संबंध में माननीय संसद सदस्यों और विभिन्न संगठनों से कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) जी हां। संविधान में केवल लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का उपबंध किया गया है।

(ग) जी नहीं। सरकार, विधान मंडलों के ऊपरी सदनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को स्थानों का ऐसा ही आरक्षण देना समुचित नहीं समझती।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी

***74. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी निवेशकों के लिए रक्षा क्षेत्र खोलने के प्रस्ताव को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रक्षा क्षेत्र में निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) मई, 2001 में रक्षा उद्योग क्षेत्र को 26% तक के स्वीकार्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंश के साथ भारतीय निजी क्षेत्र की शत-प्रतिशत ईक्विटी तक की भागीदारी के लिए खोल दिया गया है परंतु ये दोनों लाइसेंस संबंधी अनुमति दिए जाने के अध्यधीन हैं। इसमें सभी तरह के रक्षा उपस्कर शामिल हैं। तथापि लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु आवेदन-पत्रों पर विचार करने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा रक्षा मंत्रालय तथा औद्योगिक संघों के साथ परामर्श करके विस्तृत दिशा-निर्देश 4 जनवरी, 2002 को जारी किए गए थे। इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने का मुख्य उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में और अधिक निवेश को आकर्षित करना तथा विदेशी प्रौद्योगिकी जुटाना है।

निजी उद्यमियों के सभी आवेदन-पत्रों पर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा रक्षा मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया जाएगा और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। लाइसेंस धारकों से पर्याप्त संरक्षा और सुरक्षा प्रक्रियाएं अपनाना अपेक्षित है जो प्राधिकृत सरकारी एजेंसियों द्वारा सत्यापन किए जाने के अध्यधीन होंगी। उत्पाद की गुणता रक्षा मंत्रालय की गुणता आश्वासन एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

उक्त अवधि और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के रक्षा उपस्करों के विनिर्माण के वास्ते औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को छः आवेदन प्राप्त हुए हैं। रक्षा उद्योग क्षेत्र एक उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र है जिसमें पर्याप्त पूंजी-निवेश किया जाना अपेक्षित है और इसलिए निजी उद्यमियों की ओर से सावधानी बरते जाने की बात समझने योग्य है। इस क्षेत्र को खोले जाने के निर्णय के प्रभाव का आकलन करना भी अभी जल्दबाजी होगी। निजी क्षेत्र के माध्यम से अधिप्राप्ति के विभिन्न पहलुओं पर उद्योग प्रतिनिधियों के साथ सरकार की बातचीत जारी है।

बंद वातानुकूलित सवारी डिब्बों से खतरा

***75. श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन का ध्यान रेलगाड़ी के पटरी से उतरने और आग लगने तथा अन्य दुर्घटनाओं के दौरान बंद वातानुकूलित सवारी डिब्बों से होने वाले खतरे की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दुर्घटनाओं के समय वातानुकूलित सवारी डिब्बों से यात्री बाहर नहीं आ सकते हैं;

(ग) क्या अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन ने ऐसे डिब्बों के डिजाइन में परिवर्तन करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन नये डिजाइन के सवारी डिब्बों को रेलवे को कब तक उपलब्ध कराया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) वातानुकूलित सवारी डिब्बे बिल्कुल सुरक्षित हैं तथा दुर्घटना के होने पर यात्री खिड़कियों के शीशे तोड़कर वातानुकूलित सवारी डिब्बों से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि खिड़कियों पर कोई संरक्षा छड़ें नहीं लगी होतीं।

(ग) और (घ) दुर्घटनाओं के समय वातानुकूलित सवारी डिब्बों से आपातिक निकास को और सुगम बनाने के उद्देश्य से, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन ने आपातिक निकास खिड़कियां तैयार की हैं, जिन्हें शीशा तोड़े बिना खोला जा सकता है तथा ऐसी खिड़कियों वाले सवारी डिब्बे पहले से चल रहे हैं। वातानुकूलित सवारी डिब्बा में बड़ी खिड़कियां लगाने के लिए आपातिक निकास खिड़की के डिजाइन में और सुधार किया जा रहा है।

(ङ) आशा है कि अगले एक वर्ष में ऐसी तैयार की गई आपातिक निकास खिड़कियों वाले वातानुकूलित सवारी डिब्बे उपलब्ध हो जाएंगे;

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सैनिक स्कूल खोलना

***76. श्री राजो सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में, विशेषकर बिहार में, प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने हेतु और सैनिक स्कूलों के खोले जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) किसी सैनिक स्कूल का खोला जाना संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश के स्कूल खोलने तथा इसके भली-भांति संचालन के लिए भूमि, भवन, उपस्कर, छात्रवृतियां तथा विशेष अनुदान-सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमत होने पर निर्भर करता है। हाल ही में विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों, संसद सदस्यों तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त 30 अनुरोधों में से कोई भी ऐसा प्रस्ताव सरकार के पास बकाया नहीं है जो सभी निर्धारित अपेक्षाएं पूरी करता हो।

बिहार में चार सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अभी तक बिहार सरकार ने आवश्यक धन मुहैया कराने का कोई वचन नहीं दिया है जोकि सैनिक स्कूल खोलने के लिए एक पूर्वापेक्षा है।

[अनुवाद]

लेखन सामग्री की खरीद

***77. श्री अरुण कुमार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने लेखन सामग्री की खरीद करने के संबंध में सामान्य वित्तीय नियमों का अनुपालन करने के स्थान पर अपने स्वयं के नियम और अनुदेश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अग्रिम जमा धनराशि (ई. एम. डी.) मांग के लिए किसी मानदंड और आधार का अनुपालन किया जाता है;

(घ) अग्रिम जमा धनराशि और निविदा दस्तावेजों का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है; और

(ङ) निविदा फार्म के प्रभारों और अग्रिम जमा धनराशि को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि निविदाओं में और अधिक लोग भाग ले सकें?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) रेलों द्वारा लेखन सामग्री की खरीद सामान्य वित्तीय नियमों में यथा विनिर्दिष्ट भारत सरकार की भंडार खरीद नीति के अनुसार की जाती है लेकिन स्थानीय खरीद केन्द्रीय भंडार, खादी ग्रामोद्योग आयोग, सुपर बाजार, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, उनकी शाखाओं और स्थानीय थोक उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से की जाती है

जिसके लिए भारत सरकार ने ऐसी खरीद के लिए सामान्य वित्तीय नियमों के अंतर्गत निविदा आमंत्रित करने के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया में छूट दे रखी है।

(ग) और (घ) अग्रिम जमा धनराशि यह प्रमाणित करवाने के लिए ली जाती है कि निविदा-दाता अपनी पेशकश के प्रति गंभीर रहे। जमा कराई जाने वाली अग्रिम राशि इतनी होनी चाहिए कि जिससे ठेकेदार के अपने टेंडर की स्वीकृति के बाद निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित प्रतिभूति की राशि जमा करवाने में विफल रहने पर या ऐसे समय तक जब तक कि उसे देय राशि इतनी न हो जाए जिसे पर्याप्त गारंटी के रूप में माना जा सके, जैसा भी मामला हो, होने वाले नुकसान से बचा जा सके। रेलवे अपनी निविदाओं में निविदा मूल्य के 2.5% तक की जमानत राशि मांगती है। एकरूपता के लिए रेल मंत्रालय ने निविदा दस्तावेजों की कीमतों के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं। निविदा दस्तावेजों की कीमत 5 लाख रुपए तक की निविदाओं के लिए 150 रुपए, 5 लाख रुपए से अधिक और 15 लाख रुपए तक की निविदाओं के लिए 500 रुपए, 15 लाख रुपए से अधिक और 50 लाख रुपए तक की निविदाओं के लिए 1,000 रुपए और 50 लाख रुपए से अधिक की निविदाओं के लिए 2000 रुपए रखी गयी है।

(ङ) निविदा फार्म की कीमत और अग्रिम जमा धनराशि पहले ही युक्तिसंगत है जैसा कि ऊपर मद (ग) और (घ) के उत्तर में बताया गया है।

राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा हेतु समिति

***78. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों (रा.वि.बो.) के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गयी है। तथापि, केन्द्र सरकार ने रा.वि. बोर्डों द्वारा सीपीएसयू को देय राशियों के एकमुश्त समाधान करने तथा ढांचागत समायोजन ऋणों के प्रावधान समेत रा.वि. से की पूंजीगत पुनर्संरचना करने के संबंध में सुझाव प्रदान किये जाने हेतु श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया के अधीन एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है ताकि वित्तीय संकटों से निपटने में उन्हें सक्षम बनाया जा सके। रा.वि. बोर्डों द्वारा देय राशियों के एकमुश्त समाधान के संबंध में श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया के अधीन विशेषज्ञ दल द्वारा की गयी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इस स्कीम के अनुसार रा.वि. बोर्डों पर सीपीएसयू की वर्तमान व भावी बकाया राशियों का परिसमापन किया जाएगा। स्कीम में प्रावधान किया गया है कि 30.9.2001 की स्थितिनुसार विलम्बित भुगतानों पर ब्याज/अभिभार का 60% माफ कर दिया जाएगा और शेष देय राशियों का प्रत्याभूतिकरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी करमुक्त बॉण्डों के जरिए किया जाएगा। वर्तमान देय राशियों के यथा समय भुगतान के लिए राज्यों को प्रोत्साहन भी प्रदान किए जायेंगे।

पूंजीगत पुनर्संरचना के मुद्दे का समाधान करने के लिए श्री दीपक पारिख, चेयरमैन, इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट फाइनेंशियल कारपोरेशन (आईडीएफसी) के अंतर्गत अन्य दल का गठन किया गया है। समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत हैं:

(क) वितरण पर बल देने के साथ विद्यमान एपीडीपी के अंतर्गत जारी प्रयासों की जांच-परख करना और सुधार उपाय सुझाना।

(ख) सुधार दृष्टिकोण अभिज्ञात करना जिसे राज्यों द्वारा वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा है और अन्य विकल्पों की तुलना में किसी विशेष दृष्टिकोण को वरीयता देने के लिए अपना विवेक इस्तेमाल करना और इन दृष्टिकोणों का विवेचनात्मक रूप से मूल्यांकन करना।

(ग) उपरोक्त (ख) के आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय उत्तम पद्धतिओं के मूल्यांकन के आधार पर क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता पुनः अर्जित करने या स्थिर बनाए रखने के लिए एक सुधार दृष्टिकोण तैयार करना; और

(घ) 5-6 चयनित राज्यों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके राज्य विशेष सुधार कार्यक्रम तैयार करना जो विद्युत क्षेत्र में विद्यमान और भावी सभी बड़े स्टेक होल्डरों के लिए अनुकूल व न्यायसंगत हो। प्रत्येक राज्य के लिए सुधार कार्यक्रम में निम्न शामिल होगा :

(1) एक विशेष सुधार दृष्टिकोण का प्रावधान

(2) बड़े सुधार लक्ष्यों के लिए एक समय-सीमा का प्रावधान

(3) अपेक्षित परिवर्तनकाल सहायता का शीघ्र मूल्यांकन करना और उस सीमा एवं पद्धति का शीघ्र मूल्यांकन करना जिसमें त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) और अन्य निधियों का इस्तेमाल सुधार उद्देश्यों को प्राप्त करने में किया जाएगा।

दूरदर्शन की बिलिंग प्रणाली में कमियां

*79. **श्री सुनील खां : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन 45 एजेन्सियों को दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दी जा सकती है जिन पर वर्षों से 33,445.84 लाख रुपये बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने दूरदर्शन की बिलिंग प्रणाली की उन कमियों का उल्लेख किया है जिनसे इसकी आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष में संघ सरकार (सिविल) (वर्ष 2002 की लेनदेन पुनरीक्षा निरीक्षण संख्या 2) की अपनी रिपोर्ट में दूरदर्शन के वाणिज्यिक कार्यक्रमों की बिलिंग प्रक्रिया में प्रणालीबद्ध कमियों तथा क्रियाविधि व्यपगतों का उल्लेख किया है। यह दर्शाया गया है कि 45 एजेंसियों की तरफ 33445.84 लाख रुपये बकाया है। सी.ए.जी. की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी दी गई है। रिपोर्ट का विस्तृत विवरण सी.ए.जी. की वेबसाईट पर तथा लोगों के लिए उपलब्ध है।

(ङ) सी.ए.जी. की रिपोर्ट प्रसार भारती के परामर्श से मंत्रालय के जांचाधीन है।

[हिन्दी]

एफ.एम. रेडियो के लिए राजस्व भागीदारी प्रणाली

*80. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एफ.एम. रेडियो के क्षेत्र में वर्तमान लाइसेंस शुल्क प्रणाली के स्थान पर राजस्व भागीदारी प्रणाली अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राजस्व भागीदारी प्रणाली को अपनाने के लिए कुछ प्रस्ताव और सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है; और

(ङ) इस प्रणाली को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लाईसेंसधारकों से कोई विशिष्ट प्रस्ताव या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बुलेट ट्रेन चलाया जाना

616. **श्रीमती मिनाती सेन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल ने मुम्बई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए स्पेनीश रेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जापानियों द्वारा पहले 2000 में किए गए एक व्यवहार्यता अध्ययन से यह पता चला कि बुलेट ट्रेन चलाया जाना न तो व्यावहारिक है और न ही वित्तीय रूप से ही व्यवहार्य है; और

(घ) यदि हां, तो स्पेनीश रेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के क्या कारण हैं जबकि भारतीय रेल ने इस तर्क पर कई क्षेत्रों में रेल चलाए जाने के कई प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया था कि संसाधनों के अभाव के कारण यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां। मुबंई-अहमदाबाद के बीच उच्च गति वाली गाड़ी चलाने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने के लिए

रेल मंत्रालय और स्पेन रेलवे (आर ई एन एफ ई), द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं प्रस्ताव आगामी कार्रवाई हेतु वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की नई दिल्ली में स्पेन दूतावास को अग्रषित किया है।

(ग) और (घ) दिल्ली-कानपुर खंड पर यातायात क्षमता और गाड़ी की गति की रेलवे सुधार योजना के लिए जे आई सी ए (जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी) द्वारा एक अध्ययन किया गया था। दिल्ली-कानपुर के बीच एक नया उच्च गति का गलियारा बिछाने के लिए लगभग 2200 करोड़ (1987 की लागत में) का कुल निवेश था। यह अध्ययन लगभग 15 वर्ष पुराना है। यातायात के आंकड़ों से अब यह ज्ञात होता है कि मुंबई-अहमदाबाद सबसे व्यस्त गलियारा है।

नया अध्ययन शुरू करना उचित समझा जाता है। परियोजना की स्थापना की व्यवहार्यता के बाद इसके वित्त पोषण के बारे में निर्णय लिया जाएगा। निर्माण स्वामित्व और परिचालन मार्ग अथवा निजी भागीदारी माध्यम से व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने के आधार पर भावी निवेशकों को इसकी पेशकश की जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

617. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की वर्तमान परंपरा के किसी विकल्प पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिए क्या कारण हैं; और

(घ) भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे

क्र.सं.	फायदे	उच्चतम न्यायालय		उच्च न्यायालय	
		मुख्य न्यायाधीश	न्यायाधीश	मुख्य न्यायाधीश	न्यायाधीश
		1	2	3	. 4
1.	पेंशन	1,98,000 वार्षिक (अधिकतम) (1.1.96)	1,80,000 वार्षिक (अधिकतम) (1.1.96)	1,80,000 वार्षिक (अधिकतम) (1.1.96)	1,56,000 वार्षिक (अधिकतम) (1.1.96)
2.	मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान	3.5 लाख (अधिकतम) (1.1.96)	3.5 लाख (अधिकतम) (1.1.96)	3.5 लाख (अधिकतम) (1.1.96)	3.5 लाख (अधिकतम) (1.1.96)
3.	कुटुंब पेंशन	सेवानिवृत्ति/मृत्यु के पहले सात वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश/मुख्य न्यायमूर्ति को स्वीकृत पेंशन का 60 प्रतिशत और तत्पश्चात् उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश/मुख्य न्यायमूर्ति को स्वीकृत पेंशन का 30 प्रतिशत			
4.	पेंशन का सरांशीकरण	... 1/2, सकल पेंशन		... 1/2, सकल पेंशन	
5.	छुट्टी भुनाना	पूर्ण भत्तों पर 300 दिन की छुट्टी (1.7.97)		पूर्ण भत्तों पर 300 दिन की छुट्टी (1.7.97)	
6.	अन्य पश्च सेवानिवृत्ति फायदे	अर्दली के लिए 3000 रु. प्रतिमाह और 1500 नि:शुल्क टेलीफोन काल (इन सुविधाओं को आय-कर		शून्य	

1	2	3	4
		में छूट प्राप्त है) और केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायामूर्ति को संविदा के आधार पर आशुलिपिक की सेवा के लिए 10,000 रु. प्रतिमाह। (25.5.2001)	
7.	चिकित्सीय प्रसुविधाएं	उच्चतम न्यायालय रजिट्री के माध्यम से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रसुविधाएं। इसके अतिरिक्त प्राधिकृत अस्पतालों में चिकित्सीय देख-रेख और उनके द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार पर उपगत व्यय की उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रसुविधाएं। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 23घ के अधीन राज्य सरकार द्वारा विस्तारित कोई अन्य प्रसुविधा।

[हिन्दी]

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र

618. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार देश के उन जिलों में भी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र स्थापित करने का है जहां रेल लाइन और रेलवे स्टेशन नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) उन क्षेत्रों में यह प्रणाली किस तरह से कार्य करेगी जहां रेल नेटवर्क नहीं है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी हां।

(ख) इसे चरणबद्ध आधार पर किया जाएगा।

(ग) जब कभी रेलवे नेटवर्क उपलब्ध नहीं होगा, चैनलों को किराये पर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

ओ.एन.जी.सी., बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. की परिसम्पत्तियां और लाभ

619. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओ.एन.जी.सी., बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. तेल कंपनियों के कुल लाभ और परिसम्पत्तियां कितनी हैं; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों का निजीकरण करने के पीछे क्या तर्क है जिसमें सरकार ने हजारों करोड़ रुपये का निवेश किया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार) : (क) इन तीन कम्पनियों की कुल परिसंपत्तियां तथा लाभ 31 मार्च, 2002 को निम्नवत थे :

	कुल परिसंपत्तियां (रुपये/करोड़)	करोपरांत लाभ (रुपये/करोड़)
ओ.एन.जी.सी.	37897.00	6198.00
एच.पी.सी.एल.	10242.00	788.00
बी.पी.सी.एल.	8545.01	849.83

(ख) ओ.एन.जी.सी. का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एच.पी.सी.एल. तथा बी.पी.सी.एल. के संबंध में सरकार ने एच.पी.सी.एल. तथा बी.पी.सी.एल के अंतर्गत कार्यनीतिक बिक्रय के माध्यम विनिवेश करने का सिद्धान्ततः निर्णय ले लिया है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी एस यूज) के अंतर्गत सरकार शेयरधार्यता के विनिवेश का मुख्य उद्देश्य कार्यनीतिक साझेदारों को सम्मिलित करके इन्हें और अधिक प्रतिस्पर्द्धी तथा बाजारोन्मुखी बनाना है।

चालक रहित विमान को मार गिराया जाना

620. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि एक चालक रहित भारतीय विमान को 7.6.2002 की देर रात को लाहौर के निकट पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों द्वारा मार गिराया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) भारतीय वायु सेना का एक चालक रहित विमान 7 जून, 2002 को पाकिस्तानी वायु सेना के विमान द्वारा मार गिराया गया था।

जी.एफ.आर. के कुछ भागों में छूट देकर कम्प्यूटरों की खरीद

621. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे मुख्यालय द्वारा एन.सी.सी.एफ. और केन्द्रीय भंडार से कितने कम्प्यूटरों की खरीद की गई और उनकी माडल और आकृति एवं लागत क्या है;

(ख) क्या कम्प्यूटर का मूल्य खुले बाजार की तुलना में बहुत ज्यादा लिया गया है;

(ग) क्या डी.ओ.पी.टी. ने अनधिकृत और अवैध रूप से सामान्य वित्तीय नियमों (जी.एफ.आर.) में छूट संबंधी उस भाग को विस्तारित कर दिया जिसके अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय भंडार. एन.सी.सी.एफ. और सुपर बाजार के मामले में निविदाएं आमंत्रित न करने संबंधी छूट पर सहमति दी गयी थी, जैसा कि वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 19.4.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4252 तथा दिनांक 17.5.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7738 के उत्तर में बताया गया था; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है कि वे एन.सी.सी.एफ. से लेखन सामग्री और अन्य वस्तुओं की खरीद खुली निविदा के आधार पर करें?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टिहरी जल विद्युत परियोजना

622. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी जल विद्युत परियोजना को पूरा किए जाने और अभिकल्पित मूल लागत का ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और आज तक इस पर कितनी लागत आई; और

(ग) परियोजना के पूरा होने के बाद इससे उत्पादित बिजली की इकाई लागत का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) मार्च, 1994 में 3391.40 करोड़ रुपये (मार्च, 1993 मूल्य स्तर) की लागत से टिहरी बांध और एचईपी चरण-1 (1000 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए टिहरी हाइड्रो पावर कारपोरेशन को मंजूरी दी गयी थी जिसमें 427.74 करोड़ रुपये का आईडीसी भी शामिल था। इस लागत में कोटेश्वर एचईपी का प्रतिबद्ध कार्य तथा टिहरी पीएसपी का आवश्यक कार्य शामिल था। दो यूनिटें वर्ष 1997-98 के दौरान शुरू होनी शामिल था। दो यूनिटें वर्ष 1997-98 के दौरान शुरू होनी थी तथा शेष दो यूनिटें वर्ष 1998-99 में।

(ख) टिहरी चरण-1 के कार्य में अच्छी प्रगति हुई है। मुख्य बांध की ऊंचाई बढ़ाकर 800 मीटर की गयी है तथा बांध की कुल ऊंचाई 260.5 मीटर की तुलना में शेष ऊंचाई 40 मीटर बढ़ायी जानी है। च्यूट स्पिलवे, राइट बैंक साफ्ट स्पिलवे, लेफ्ट बैंक शेफ्ट स्पिलवे स्थलों पर भी कार्य प्रगति पर है। भूमिगत पावर हाऊस से जुड़ा सिविल कार्य भी पूरा होने को है। इकाईयों के इलेक्ट्रो-मैकेनिकल उपकरण के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर हैं। पहले यूनिट के मार्च, 2003 तक तथा शेष यूनिटों के अगस्त, 2003 तक तथा शेष यूनिटों के अगस्त, 2003 तक पूरा होना निर्धारित है। टिहरी चरण-1 (1000 मेगावाट) के कार्य पर मई, 2002 तक व्यय हुई राशि 4286.89 करोड़ रुपये है।

(ग) अगस्त, 1999 के मूल्य स्तर पर .संशोधित लागत के अनुसार उत्पादन लागत 141.17 पैसे प्रति यूनिट अनुमानित थी। प्रति यूनिट उत्पादन लागत का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना पूरा कर लिए जाने पर किया जाएगा।

धन लेने के संबंध में उच्चतम न्यायालय की राय

623. श्री रघुनाथ झा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सिर्फ धन लेने का अर्थ यह नहीं है कि वह भ्रष्ट है जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता या उससे संबंधित कोई अन्य साक्ष्य नहीं है आदि;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में आवश्यक कानूनों सें संशोधन करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2003 (4) स्केल 40 में रिपोर्ट किए गए सुभाष परबत सोनवाने बनाम गुजरात राज्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि जब तक कि अभिलेख पर यह साक्ष्य न हो कि अभियुक्त ने भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा या लोक सेवक के रूप में अपनी हैसियत का दुरुपयोग करके स्वयं के या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यावान वस्तु या धन संबंधी फायदा 'अभिप्राप्त किया था' या उसने किसी लोक हित के बिना किसी व्यक्ति के लिये कोई मूल्यवान वस्तु या धन संबंधी फायदा अभिप्राप्त किया।

(ग) उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए विधि के आवश्यक उपबंधों का संशोधन करने के लिए इस समय सरकार द्वारा कोई कार्रवाई अनुध्यात नहीं की जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने विधि का कोई नया प्रस्ताव अधिकथित नहीं किया है किंतु उपरोक्त हाल ही के विनिश्चय में निर्दिष्ट अपने पूववर्ती निर्णयों द्वारा पहले से ही स्थापित विधिक स्थिति को मात्र दोहराया है।

[हिन्दी]

परियोजनाओं के पूरा न होने से होने वाला घाटा

624. श्री जय प्रकाश : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई परियोजनाओं के न पूरा होने के कारण सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों को हजारों करोड़ रुपए का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की ऐसी परियोजनाओं की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अद्यतन जानकारी 31.3.2001 तक की उपलब्ध है और उसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली 458 परियोजनाएं थीं। मूल रूप से अनुमोदित लागत और समय-सीमा के संदर्भ में इन परियोजनाओं में से 208 परियोजनाओं की लागत 70.3% बढ़ गई है और 154 परियोजनाओं में 1 से 204 माह तक का अधिक समय लगा है। इन 458 अनुमोदित परियोजनाओं की मूल लागत 164947 करोड़ रुपए थी और अब अनुमानित लागत 204261 करोड़ रुपए है और इस प्रकार कुल मिलाकर समग्र लागत में मूल अनुमान की तुलना में 23.8% की वृद्धि हो गई है। परियोजना के क्रियान्वयन की विस्तृत स्थिति सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है जो कि एक प्रकाशित दस्तावेज है।

(घ) स्थिति से निबटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय परियोजना तथा समय के अनुसार अलग-अलग होते हैं। बहरहाल, सरकार द्वारा किए गए उपाय हैं : उचित स्तर पर मासिक तथा तिमाही समीक्षा, अन्तर-मंत्रालयी स्वरूप की समस्याओं को निबटाने के लिए अन्तर-मंत्रालयी समन्वय, परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अद्यतन लागतों के आधार पर प्रति वर्ष उपयुक्त राशि उपलब्ध कराना आदि।

[अनुवाद]

मुम्बई में नया रेलवे स्टेशन

625. श्री किरीट सोमैया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई में और रेलवे स्टेशन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने 16 अप्रैल, 2002 को अपनी मुम्बई यात्रा के दौरान मुम्बई में नए रेलवे स्टेशनों की स्थापना की आवश्यकता के संबंध में केन्द्रीय रेलवे के अधिकारियों के साथ बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो मुम्बई में नये रेलवे स्टेशनों की स्थापना हेतु किन स्थानों की पहचान की गई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन स्टेशनों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) 16.4.2002 को मुम्बई दौरे के दौरान रेल मंत्री ने मध्य रेलवे के साथ दो नए रेलवे स्टेशनों की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया था। पहचान किए गए स्थान थाणे में मेंटल अस्पताल के निकट और मुलुड और भांडूप के बीच नाहुर में है। इन स्थानों

पर स्टेशनों की स्थापना के लिए रेलों द्वारा अध्ययन किए गए हैं। थाणे में मेंटल अस्पताल के निकट स्टेशन/उपनगरीय टर्मिनल स्थापित करना व्यावहारिक नहीं है। नाहुर में एक हाल्ट स्टेशन स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। स्टेशन को चालू करने का समय धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

हल्के लड़ाकू विमान की परीक्षण उड़ान

626. श्री सुशील कुमार शिन्दे :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में ही निर्मित हल्के लड़ाकू विमान की दूसरी सफल परीक्षण उड़ान भरी गई थी;

(ख) यदि हां, तो अपनी सभी अपेक्षाओं को पूरा करने में यह परीक्षण उड़ान किस हद तक सफल रही; और

(ग) विमान को सेवा में कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। हल्के लड़ाकू विमान के दूसरे प्रौद्योगिकी विमान (टी डी 2) ने, सभी निष्पादन अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, सफलतापूर्वक दो परीक्षण उड़ानें भरी थी।

(ग) वर्ष 2005-06 तक आरंभिक प्रचालनात्मक स्वीकृति प्राप्त होने की योजना है।

[हिन्दी]

राजस्थान में समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं का प्रसार

627. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में भाषा-वार कितने साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और दैनिक समाचार-पत्र/पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन पत्रिकाओं की प्रसार संख्या की जांच करने के क्या तरीके अपनाए जाते हैं और प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों की प्रसार संख्या कितनी है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन हेतु वर्ष-वार कितनी राशि का भुगतान किया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) राजस्थान से वर्ष 2000 के दौरान भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की कुल संख्या 3070 थीं। भाषावार तथा आवधिकीवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों के प्रयोजनार्थ समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को आडिट ब्यूरो आर्फ सरकुलेशनस (एबीसी) आर एन आई या किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित प्रसार संख्या के प्रमाणित आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। राजस्थान से वर्ष 2000 के दौरान प्रकाशित प्रमुख दैनिकों के दावे किए गए प्रसार संख्या संबंधी आकड़ों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान दैनिक समाचारपत्रों की संख्या, जिनको विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापन जारी किए गए थे तथा ऐसे विज्ञापनों के लिए वि.दृ.प्र.नि. द्वारा व्यय की गई राशि निम्नानुसार है :

वर्ष	दैनिकों की संख्या	रु. में राशि
1999-2000	152	3,40,63,552
2000-2001	121	2,97,87,932
2001-2002	106	3,05,07,527

विवरण-I

वर्ष 2000 के दौरान राजस्थान से प्रकाशित समाचारपत्र/पत्रिकाओं का भाषावार - आवधिकतावार ब्यौरा

क्र.सं.	भाषा	दैनिक	साप्ताहिकी	पाक्षिक	मासिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंग्रेजी	4	7	14	20	45
2.	हिन्दी	421	1018	1115	291	2845
3.	बंगला	0	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7
4.	मलयालम	0	0	0	1	1
5.	मराठी	0	1	0	0	1
6.	पंजाबी	0	1	0	1	2
7.	संस्कृत	0	0	0	1	1
8.	सिंधी	4	9	5	1	19
9.	उर्दू	11	4	3	4	22
10.	द्विभाषी	4	21	36	47	108
11.	बहुभाषी	0	2	3	12	17
12.	अन्य	0	2	2	4	8
	कुल	444	1065	1179	382	3070

विवरण-II

वर्ष 2000 के दौरान राजस्थान से प्रकाशित प्रमुख दैनिकों के दावे किए गए प्रसार आकड़ों का ब्यौरा

क्र.सं.	प्रकाशक का नाम	भाषा	प्रकाशन स्थान	प्रसार दावे
1.	दैनिक भास्कर	हिन्दी	जोधपुर	98285
2.	नवज्योति	हिन्दी	जयपुर	102317
3.	नवज्योति	हिन्दी	अजमेर	95194
4.	नवज्योति	हिन्दी	कोटा	94719
5.	प्रातःकाल	हिन्दी	उदयपुर	88058
6.	राजस्थान पत्रिका	हिन्दी	जयपुर	223325
7.	राजस्थान पत्रिका	हिन्दी	जोधपुर	101231
8.	राष्ट्रदूत	हिन्दी	जयपुर	111337

[अनुवाद]

हैदराबाद में कम सल्फर वाले ईंधन की आपूर्ति

628. श्री वी.ई.वी. राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनेक शहरों विशेषकर हैदराबाद में सल्फर और बेंजीन के कम स्तर वाले स्वच्छ ईंधन प्रदान करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तेल कुंओं और तेल शोधन कारखानों से तेल की चोरी

629. श्री मोहन रावले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित निगरानी प्रणाली के अभाव में तेल कुओं और तेल शोधक कारखानों से प्रति वर्ष 600 करोड़ मूल्य का तेल चोरी हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस चोरी को रोकने हेतु क्या ठोस कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जालंधर और जम्मू के बीच रेल लाइन

630. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जालंधर और जम्मू के बीच एक नई रेल लाइन के निर्माण का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल लाइन संबंधी कार्य शुरू करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) जालंधर और जम्मूतवी के बीच रेल सम्पर्क पहले से विद्यमान है। इस खण्ड के दोहरीकरण के प्रस्ताव, जिसके लिए आवश्यक स्वीकृतियां हाल ही प्राप्त की गई हैं, को वर्ष 1997-1998 के बजट में शामिल किया गया था। अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए 19.21 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

दावा अधिकरणों में दुर्घटना के लंबित मामले

631. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून 2002 तक दावा अधिकरणों में एक वर्ष से तीन वर्ष से अधिक समय से दुर्घटना के कितने मामले लंबित हैं;

(ख) उनके निपटान में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) न्यायालय द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) 222 गाड़ी दुर्घटनाओं के मामले।

(ख) मामलों के विलम्ब से निपटाने के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :

(1) सदस्यों की अधिक संख्या में पदों की रिक्तता

(2) दावेदारों के पास उत्तराधिकारी होने का प्रमाण-पक्ष न होना

(3) आवेदनकर्त्ता/उनके वकीलों द्वारा गवाहों अथवा अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए स्थगन आदेश की मांग

(4) दावेदारों द्वारा एक पीठ से अन्य पीठ में दावों के स्थानान्तरण की मांग करना।

(ग) न्याय के प्रभावी एवं शीघ्र प्रबन्धन के लिए आवेदनकर्त्ताओं को उनके निवास स्थान के निकट रेल दावा अधिकरण में दुर्घटनाओं के मामलों को स्थानान्तरित करने हेतु आवेदन-पत्र देने की भी अनुमति दी जाती है ताकि आवेदनकर्त्ताओं को न्याय की गुहार के लिए लम्बी दूरी की यात्रा न करनी पड़े।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटी, बहुत छोटी और लघु विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

632. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति में पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण घरों में बिजली पहुंचाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामुदायिक स्वामित्व वाली छोटी, बहुत छोटी और लघु विद्युत परियोजनाओं की स्थापना पर जोर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस योजना के तहत स्थापित और स्थापित किए जाने वाले संयंत्रों की संख्या, स्थान और विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) भारत सरकार बड़े जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के साथ-साथ छोटी जलविद्युत परियोजनाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। 25 मेगावाट क्षमता की छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के विकास से संबंधित कार्य गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। विद्युत मंत्रालय तथा इसके अधीन एनएचपीसी और निपको जैसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा छोटी जल विद्युत जल विद्युत परियोजनाओं के अभिनिर्धारण/कार्यान्वयन की दिशा में उस मंत्रालय और राज्य सरकार के प्रयासों को बल प्रदान किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से सुदूर स्थित गांवों के विद्युतीकरण में सहायक होने के अतिरिक्त विकेन्द्रीकृत उत्पादन की दृष्टि से भी सहायक है। गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय छोटी जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए स्थानीय निकायों, समुदायों, गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित कर रहा है। इस मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1 मेगावाट क्षमता तक की छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की परियोजना लागत के 90% तक विशेष प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यह अनुदान राज्य सरकार/राज्य अभिकरण को ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए दी जाती है।

(ग) कुल 152.75 मेगावाट क्षमता की 91 लघु जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट तक) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों व सिक्किम में पहले स्थापित की जा चुकी हैं तथा कुल 135.90 मेगावाट क्षमता की 55 परियोजनाएं निष्पादनाधीन हैं। विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचना तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा आयोजित अध्ययन के अनुसार गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों व सिक्किम में 2028.34 मेगावाट क्षमता की 1059 माइक्रो तथा लघु हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीमों की पहचान की है। राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	राज्य	स्थापित परियोजनाएं		निर्माणाधीन परियोजनाएं		अभिज्ञात शक्यता	
		संख्या	क्षमता (मेगावाट)	संख्या	क्षमता (मेगावाट)	संख्या	क्षमता (मेगावाट)
1.	अरुणाचल प्रदेश	44	32.10	20	44.31	492	1059.03
2.	असम	1	2.00	10	51.11	46	118.00
3.	मणिपुर	7	4.70	4	3.50	96	105.63
4.	मेघालय	3	30.71	9	3.28	98	181.50
5.	मिजोरम	15	14.76	3	15.50	88	190.32
6.	नागालैंड	7	19.87	5	11.00	86	181.39
7.	त्रिपुरा	3	16.01	-	-	8	9.85
8.	सिक्किम	11	32.60	4	7.20	145	182.62
	कुल	91	152.75	55	135.90	1059	2028.34

[हिन्दी]

झारखंड के ग्रामों का विद्युतीकरण

633. प्रो. दुखा भगत : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार झारखंड में जिले-वार कितने ग्रामों में बिजली नहीं है;

(ख) झारखंड में पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी बाधाएं दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) झारखंड रा.वि. बोर्ड द्वारा 1.4.2002 के अनुसार झारखंड में गैर-विद्युतीकृत गांवों के जिलावार ब्यौरे निम्नुसार हैं :

क्र.सं.	जिला	गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1.	रांची	1806
2.	पलामू	1431
3.	गडवा	650
4.	लातेहार	727
5.	गुमला	831
6.	सिमडेगा	408
7.	लोहरदगा	306
8.	हजारीबाग	704
9.	कोडरमा	808
10.	चतरा	1111
11.	पूर्वी सिंहभूम	1156
12.	पश्चिमी सिंहभूम	1767
13.	सरायकेला	
14.	दुमका	3399
15.	जामतारा	
16.	पाकुर	1031
17.	साहिबगंज	1211
18.	देवघर	2277
19.	गोड्डा	1660
20.	गिरिडीह	1635
21.	बोकारो	399
22.	धनबाद	374
	कुल	23691

(ख) और (ग) झारखंड रा.वि. बोर्ड (जेएमईबी) ने 10वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक सभी गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जेएसईबी ने टर्न-की आधार पर और विभागीय रूप से ग्राम विद्युतीकरण की नीति तैयार की है।

यद्यपि गांवों का विद्युतीकरण मुख्यत: राज्य सरकारों/रा.वि. बोर्डों (एसईबी) का उत्तरदायित्व है, राज्य सरकारों/रा.वि. बोर्डों द्वारा अनुभव की जा रही वित्तीय कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

भारत सरकार ने 2001-02 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड को क्रमश: 379.60 लाख रु. तथा 2819.00 लाख रु. की राशि जारी की है। योजना आयोग ने वर्ष 2002-03 के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण समेत पीएमजीवाई के सभी 6 घटकों के लिए 7446.00 लाख रु. का आबंटन किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत राज्यों को अपनी योजना प्राथमिकताओं एव निर्देशों के अनुसार 6 पीएमजीवाई क्षेत्रों के बीच एसीए आबंटन का निर्णय करने की छूट है। इसके अलावा 2002-03 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण हेतु झारखंड को एमएनपी के अन्तर्गत 6800.00 लाख रु. की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का विस्तार

634. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के विस्तार हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस संबंध में कितना अनुमानित व्यय किया गया है; और

(ग) मार्च, 2002 तक की योजनावधि के दौरान तमिलनाडु में इस योजना द्वारा कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) तमिलनाडु के शत प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण का कार्य 9वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत से पहले ही पूरा हो गया था। इसलिए, तमिलनाडु राज्य में उक्त योजनावधि के दौरान के

लिए ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, वर्ष 2012 तक सभी घरों तक बिजली पंहुचाने के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2001-02 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत तमिलनाडु के ग्रामीण विद्युतीकरण/भारत निर्धारण के लिए 11.736 करोड़ रु. की राशि तमिलनाडु को वर्ष 2001-02 में दिया। योजना आयोग ने तमिलनाडु में ग्रामीण विद्युतीकरण सहित प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के सभी 6 घटकों के लिए वर्ष 2002-03 के लिए 115.47 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि आवंटित किया है। संशोधित दिशानिर्देशानुसार राज्यों को यह छूट है कि प्र.ग्रा. योजना के सभी 6 घटकों के मध्य अतिरिक्त सहायता राशि का निर्धारण अपने अनुसार कर सकें। इसके अतिरिक्त, 9वीं योजनावधि के दौरान आरईसी द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त स्कीम के तहत वितरण प्रणाली में सुदृढ़ता लाने के लिए आरईसी ने तमिलनाडु इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड को 603.61 करोड़ रु. की राशि दी गयी।

[हिन्दी]

झारखंड में रसोई गैस एजेन्सियां/पेट्रोल पम्प

635. श्री राम टहल चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड में इस समय कुल कितनी रसोई गैस एजेंन्सियां और पेट्रोल पम्प कार्य कर रहे हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्य में कितनी रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल पम्प खोले जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कपनियां (ओ एम सीज) झारखंड राज्य में 407 खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा 103 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रचालन कर रही हैं।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान इस राज्य में खोली जाने वाली एल पी जी एजेन्सियों तथा पेट्रोल पम्पों की ठीक संख्या बता पाना कठिन है। तथापि, तेल विपणन कंपनियों की झारखंड राज्य में 30 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 44 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने की योजना है।

[अनुवाद]

महानदी में गैस की खोज

636. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन स्थानों पर गैस खोज के लिए ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया गया है और इस कार्य के लिए नियुक्त संगठनों द्वारा कितने बोरिंग किए गए हैं;

(ख) क्या पूर्वी तट पर विशेषकर महानदी पर तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में गैस खोज ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया गया है और इस प्रयोजनार्थ नियुक्त संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अब तक किन-किन जोनों का चयन किया गया है और गैस की खोज का कार्य शुरू किया गया है; और

(ङ) देश के विभिन्न भागों में अब तक तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों की सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले तीन वर्षों (1999-2002) के दौरान राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन ओ सीज) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी और पश्चिमी तटीय, अपतटीय क्षेत्रों में 498 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन किया जिनमें से 248 कूप तेल/गैस युक्त थे।

(ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) और निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियों ने महानदी अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में कोई अन्वेषणात्मक वेधन नहीं किया है। तथापि आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) ने 1970 के दशक के बाद के वर्षों और 1980 के दशक में महानदी तट में 4 कूपों और महानदी अपतट/उत्तर पूर्वी अपतट में 11 कूपों का वेधन किया था जिनमें हाइड्रोकार्बन की खोज नहीं हो सकी। निम्न निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों ने पूर्वी तट अपतट में अन्वेषणात्मक वेधन किया है:

(1) मैसर्स केर्न एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड, वीडियोकान पेट्रोलियम लिमिटेड, ओ एन जी सी, राव्वा आयल सिंगापुर लिमिटेड

(2) हार्डी आयल एंड गैस, निको रिसार्सेस लिमिटेड, नागार्जुन फर्टिलाईजर्स

(3) मोसबाशर इंडिया लिमिटेड, एच ओ ई सी, एनर्जी इक्विटी इंडिया पेट्रोलियम लिमिटेढ।

ओ एन जी सी पूर्वी तट में अन्वेषणात्मक वेधन जारी रखे हुए है।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पहले से अर्जित भूकम्पीय सर्वेक्षण आंकड़ों और नई अन्वेषण लाईसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के विभिन्न दौरों के तहत राष्ट्रीय तेल कंपनियों और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों को प्रदान किए गए अन्वेषणात्मक ब्लाकों के संबंध में अर्जित किए जाने वाले नए भूकंपीय सर्वेक्षण आंकड़ों के परिणामों के आधार पर महानदी बेसिन में अन्वेषणात्मक वेधन की योजना बनाई जाएगी।

(ङ) देश के पूर्वानुमानित तेल और गैस संसाधनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

बेसिन	हाइड्रोकार्बन संसाधन (मिलियन मीट्रिक टन)
अंडमान-निकोबार	180
असम-अराकन फोल्ड बेल्ट	3,180
बंगाल	190
कैम्बे	2,050
कावेरी	700
हिमाचल तराई और गंगा घाटी	520
केरल-कोंकण	660
कृष्णा-गोदावरी	1,130
कच्छ-सौराष्ट्र	1,050
मुंबई	9,190
राजस्थान	380
ऊपरी असम	1,860
गहन जल	7000
कुल योग	28090

अपव्यय

637. **श्री अमर रायप्रधान : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और विभागों में वर्तमान अपव्यय को कम करने के लिए सिफारिशें देने हेतु उनके मंत्रालय में किसी व्यय सुधार आयोग की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) 31 दिसम्बर, 2001 तक इस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उनके मंत्रालय अथवा उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों द्वारा अभी तक कार्यान्वित न की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन सिफारिशों को आज तक कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के व्यय का अध्ययन करने के लिए वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग ने व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) का गठन किया। इस आयोग ने भारत सरकार के 36 मंत्रालयों/विभागों का अध्ययन किया है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को ईआरसी द्वारा पृथक रूप से समीक्षा के लिए नहीं लिया गया। वैज्ञानिक मंत्रालयों के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से व्यय सुधार आयोग की सलाह के अनुसार अन्य वैज्ञानिक मंत्रालयों के साथ इस मंत्रालय की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। यह मामला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग

638. **श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या आपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार कितने व्यक्ति (प्रतिशत में) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इरेडा की राज्यवार उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में कितने ऊर्जा पार्क विकसित किए गए हैं और चालू वर्ष के दौरान कितने ऊर्जा पार्क विकसित किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) मंत्रालय बायोगैस संयंत्र, उन्नत चूल्हा, सौर कुकर, सौर लालटेन, सौर घरेलू रोशनी प्रणाली इत्यादि जैसी विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के उपयोग को प्रोत्साहन दे रहा है। इन प्रणालियों/युक्तियों का उपयोग प्रत्येक परिवारों द्वारा खाना पकाने, तापन और रोशनी की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। इन अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त देश में विद्युत उत्पादन करने के लिए 31.3.2002 के अंत तक लगभग 3522 मेवा. की समग्र क्षमता की अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाएं भी स्थापित की गई हैं।

(ख) इरेडा ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 2668.48 करोड़ रु. की ऋण वचनबद्धता सहित कुल 444 परियोजनाओं को स्वीकृत किया तथा 1612.04 करोड़ रु. वितरित किए हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में 18 ऊर्जा पार्क स्वीकृत किए गए जिनमें से 31.3.2002 के अनुसार 11 विकसित किए जा चुके हैं और 7 कार्यान्वयनाधीन हैं। मंत्रालय को अब तक चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में ऊर्जा पार्कों को विकसित करने के लिए 17 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

विवरण-I

31.3.2002 के अनुसार परिवारों द्वारा उपयोग की जा रही अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगास संयंत्र	उन्नत चूल्हा	सौर प्रकाशवोल्टीय		सौर कुकर
				घरेलू रोशनी	सौर लालटेन	
		(सं.)	(सं. लाख में)	(सं.)	(सं.)	(सं.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	333962	40.42	1033	27707	11984
2.	अरुणाचल प्रदेश	1514	0.43	750	4937	530
3.	असम	51269	6.04	2337	541	80
4.	बिहार एवं झारखंड	121979	11.87	781	44649	730
5.	गोवा	3355	1.21	51	443	1499
6.	गुजरात	351745	15.3	2552	31603	56321
7.	हरियाणा	44152	11.15	9666	32727	18905
8.	हिमाचल प्रदेश	43937	6.64	10848	20697	26367
9.	जम्मू और कश्मीर	1965	4.48	12519	9202	345
10.	कर्नाटक	339567	16.44	4156	7334	250
11.	केरल	79182	9.45	8689	39681	194
12.	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	207202	29.32	1316	9412	183449
13.	महाराष्ट्र	675097	24,63	721	8680	53842
14.	मणिपुर	1956	0.71	650	3883	365
15.	मेघालय	2209	0.22	540	4875	1164

1	2	3	4	5	6	7
16.	मिजोरम	2818	0.52	1645	5812	110
17.	नागालैंड	1667	0.38	143	95	0
18.	उड़ीसा	185690	22.17	2686	7823	3169
19.	पंजाब	68762	11.49	2520	14495	22050
20.	राजस्थान	66556	26.08	28464	4716	36600
21.	सिक्किम	3475	0.86	310	720	20
22.	तमिलनाडु	201395	28.09	471	12086	1355
23.	त्रिपुरा	1719	0.59	2238	17805	79
24.	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	371587	40.59	83142	79842	43323
25.	पश्चिम बंगाल	203626	37.66	25916	3662	7391
26.	अंडमान एवं निकोबार	137	0.33	405	796	59
27.	चंडीगढ़	97	0.19	275	1675	1523
28.	दादर व नगर हवेली	169	0.15	0	0	81
29.	दमन व दीव	0	0.01	0	0	0
30.	दिल्ली	676	2.66	0	4753	27990
31.	लक्षद्वीप	0	0.05	0	0	0
32.	पांडिचेरी	573	0.43	13	637	88
33.	अन्य	0		1895	26399	10383
	कुल	3368038	350.56	206732	427687	510246

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौराम इरेडा द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं, ऋण राशि और वितरण के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	कुल		
		परियोजना की सं.	इरेडा की ऋण राशि	वितरित राशि
1	2	2	3	4
क.	**राज्य**			
1.	आन्ध्र प्रदेश	92	748.38	562.71
2.	असम	1	8.93	2.72

1	2	2	3	4
3.	बिहार	1	0.15	0.17
4.	छत्तीसगढ़*	2	1.18	4.64
5.	गुजरात	10	8.91	53.42
6.	गोवा	6	0.46	0.04
7.	हरियाणा	3	5.19	0.10
8.	हिमाचल प्रदेश	12	126.86	14.39
9.	जम्मू और कश्मीर	1	0.05	0.00
10.	झारखंड*	1	0.26	–
11.	कर्नाटक	67	604.79	230.88
12.	केरल	7	2.31	6.10
13.	मध्य प्रदेश	7	71.55	41.34
14.	महाराष्ट्र	111	650.49	398.18
15.	मणिपुर	2	0.29	–
16.	मिजोरम	0	0.00	–
17.	नागालैंड	1	0.82	–
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	15	23.18	11.63
19.	उड़ीसा	0	0.00	14.47
20.	पंजाब	12	27.08	10.46
21.	राजस्थान	21	52.47	40.89
22.	तमिलनाडु	47	239.66	162.26
23.	उत्तर प्रदेश	8	40.72	40.89
24.	उत्तरांचल*	1	2.22	1.08
25.	पश्चिम बंगाल	15	45.85	31.76
	कुल 'क'	443	2.661.80	1609.42
ख.	**संघ राज्य क्षेत्र**			
1.	अंडमान निकोबार	0	0.00	0

1	2	2	3	4
2.	दमन	1	6.68	1.49
3.	पांडिचेरी	0	0.00	1.13
	कुल 'ख'	1	6.68	2.62
	कुल 'क' + 'ख'	444	2668.48	1612.04

*संबंधित राज्यों के गठन के बाद स्वीकृति दर्शाई गई है।

[अनुवाद]

चलती रेलगाड़ियों में घटिया भोजन

639. **श्री गंता श्रीनिवास राव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलती रेलगाड़ियों में घटिया भोजन की आपूर्ति करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या वेंडरों (विक्रेताओं) को चलती गाड़ियों पर मुक्त रूप से घूमने-फिरने की अनुमति है जो बहुधा चोरियां करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इसका संज्ञान लेगी और विशेषकर लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में भोजन की गुणवत्ता में सुधार करेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) सामान्यतः भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक रहती है।

(ख) जी नहीं। रेलवे अधिनियम के तहत गाड़ियों तथा स्टेशन परिसरों में अप्राधिकृत रूप से फेरी लगाना/वेंडिंग करना एक दण्डनीय अपराध है। इस बुराई को रोकने के लिए गाड़ियों तथा स्टेशन परिसरों में नियमित जांचें की जाती हैं और पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) रेल अधिनियम, 1989 के तहत स्टेशनों एवं रेल गाड़ियों में अप्राधिकृत रूप से फेरी लगाना एक दण्डनीय अपराध है। रेलवे प्रशासन इस प्रकार की गतिविधियों पर अभियोजन/अर्थदण्ड लगाने के माध्यम से अप्राधिकृत फेरी लगाने वालों पर अंकुश रखने के लिए समय-समय पर जांचें आयोजित करता है। खानपान की गुणवत्ता, स्वास्थ्यकर और संतोषजनक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें अनुमोदित स्रोतों से कच्ची सामग्री का उपयोग करना, मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में खुली थालियों के स्थान पर केसरोल शुरू करना, पर्यावरण अनुकूल पैकिंग सामग्रियों का उपयोग करना, आई एस आई द्वारा अनुमोदित विश्वसनीय पैकेज में पीने के पानी की आपूर्ति इत्यादि शामिल हैं। विभिन्न स्तरों पर नियमित निरीक्षण किए जाते हैं और चूककर्त्ताओं के विरुद्ध सख्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

सी.एन.जी. वितरण इकाइयां

640. **श्री अधीर चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.एन.जी. संचालित कम्प्रेसर और सी.एन.जी. की हैवी ड्यूटी वितरण इकाइयों ने वितरण की लागत कम कर दी है और सी.एन.जी. आनलाइन स्टेशनों की कार्यक्षमता बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो आई.जी.एल. द्वारा वास्तविक बिजली शुल्क से कम धनराशि मंजूर करने के विवादों के कारण कितने आन लाइन स्टेशनों पर पृथक विद्युत मीटर अथवा सी.एन.जी. वाले आई.ओ.सी.एल. पेट्रोल पम्प संबंधी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं;

(ग) क्या आई.जी.एल. प्राधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण लोगों को और अधिक असुविधा होगी;

(घ) क्या सरकार का विचार वितरण की कम लागत वाले सी.एन.जी. और कम्प्रेसर और हैवी ड्यूटी वितरण इकाइयों को संस्थापित कर ऐसे आनलाइन स्टेशन की बंद सुविधाएं पुनः शुरू करने के लिए आवश्यक निर्देश देने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो मौजूदा सुविधाएं बंद करने और नई सुविधाएं स्थापित करने के क्या कारण हैं; और

(च) मोटर वाहनों का प्रयोग करने वाले लोगों के अनावश्यक उत्पीड़न के लिए उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) आई ओ सी के 5 खुदरा बिक्री केन्द्रों पर आनलाइन सी एन जी वितरण सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन केन्द्रों पर संपीड़कों में बिजली की मोटर ड्राइव हैं। विद्युत प्रभारों के लिए तेल विपणन कंपनियों को आई जी एल द्वारा भुगतान औसत आधार पर है। इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई जी एल) तेल विपणन कंपनियों तो विद्युत प्रभारों का भुगतान औसत आधार पर करती है न कि वास्तविक खपत आधार पर। उत्पादित प्रति कि.ग्रा. सी एन जी औसत विद्युत प्रभार तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों को शामिल करके बनाई गई एक समिति द्वारा तैयार किए गए हैं। ऐसी स्थिति में कोई भेदभाव नहीं हुआ है।

आई पी सर्विस स्टेशन नाम का एक आई ओ सी डीलर इस राशि से संतुष्ट नहीं था और उनसे उच्चतर विद्युत प्रभारों की कटौती करने का एकतरफा निर्णय लिया। उक्त संबंधित डीलर के लिए आपूर्तियां अस्थाई रूप से निलंबित कर दी गई थीं। अब 9 जुलाई से आपूर्तियां बहाल कर दी गई हैं।

(च) चूंकि किसी भी पदाधिकारी की ओर से कोई दुराशय नहीं बरता गया है इसलिए किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रश्न नहीं है।

पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि

641. **श्री रमेश चंद तोमर :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 जून, 2002 को पेट्रोल और डीजल की संभावित मूल्य वृद्धि के बारे में पहले पता चल जाने से बाजारों से अव्यवस्था और कृत्रिम मांग पैदा हो गई थी;

(ख) क्या तेल निगमों ने सरकार के आदेशों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति जारी नहीं की है अथवा मुनाफा कमाने के लिए अपने आप आपूर्ति बंद कर दी थी;

(ग) क्या ए.पी.डी.ए. के महासचिव ने सरकार को अभ्यावेदन किया था और इस संबंध में 3 जून, 2002 को फैक्स भेजा था; और

(घ) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है और इसके लिए उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सरकार ने आपूर्ति रोकने के विषय में तेल कारपोरेशनों को कोई निर्देश जारी नहीं किया। यह अनुमान लगाना भी ठीक नहीं है कि तेल कारपोरेशनों ने लाभार्जन के लिए आपूर्ति रोक दी थी। तेल कंपनियों ने प्रक्रिया का अनुसरण किया है। तथापि, अनुमानित मांग के अनुसार स्टाक को पुनः पूरा करने के लिए 3/4 जून, 2002 को अनुरोध प्राप्त हुए थे।

विस्थापित कश्मीरी पंडित

642. **डा. बलिराम :**
श्री रामरती बिन्द :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के नाम कश्मीर की अद्यतन मतदाता सूची में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान डाक द्वारा मतदान प्रणाली में विसंगतियों और प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के कारण कश्मीरी पंडित मतदाताओं को पेश आ रही समस्याओं के मामले को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्वाचन आयोग के साथ क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) से (ङ) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि जब कभी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों और आयोग के अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर राज्य का दौरा किया तो यह जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करता रहा है। इनमें से किसी भी दौरे में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों के नामों को हटाए जाने का मुद्दा नहीं उठाया गया है। निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त रीति में किए जा रहे पुनरीक्षण से आयोग यह महसूस करता है कि उसमें किसी समूह या समुदाय को भारी संख्या में हटाया गया नहीं होना चाहिए। तथापि, पर्याप्त अवसर को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संबद्ध व्यक्तिओं तक विस्तारित किया गया है और विस्तारित किया जाता रहता है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो जम्मू-कश्मीर में वैध मतदाता है और जिसका नाम छोड़ दिया गया है, निर्वाचनों के लिए समय पर निर्वाचक नामावली

में अपना नाम सम्मिलित कराने में समर्थ हो। कश्मीरी पंडितों के लिए डाक मतदान प्रणाली की स्कीम को, आयोग द्वारा आगामी निर्वाचनों में इस समुदाय के मतदाताओं द्वारा मत डालने के संबंध में और अधिक दक्ष प्रणाली लाए जाने के लिए कुछ सीमा तक उपांतरित किया जा रहा है।

तहलका.डाट.काम पर सी.बी.आई. का छापा

643. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हाल ही में तहलका.डाट.काम के कार्यालयों की तलाशी ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तहलका.डाट.काम के कार्यालय में कोई आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस छापे से रक्षा सौदे में कथित भ्रष्टाचार संबंधी जांच पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजीकृत केस 5/2002-एस आई यू.-XI से संबंधित जांच के संबंध में तहलका.डॉट.काम के एक रिपोर्टर के नई दिल्ली स्थित आवासीय तथा कार्यालय परिसरों पर 26.6.2002 को छापे मारे थे। ये तलाशियां सबूत का पता लगाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 165 के अंतर्गत ली गई थीं।

(ग) जी, हां।

(घ) दोनों परिसरों से पंजीकृत केस 5/2002-एस आई यू-XI की जांच से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित काफी संख्या में कागजात बरामद किए गए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत-ईरान रक्षा समझौता

644. श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्री पी.आर. खूंटे :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान के बीच किसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) भारत और ईरान के बीच किसी रक्षा करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डेहरे के निकट भूमिगत रेलवे क्रासिंग

645. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनमाड खंड में डेहरे के निकट भूमिगत रेलवे क्रासिंग के निर्माण हेतु प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अब तक स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रसोई गैस डीलरों के लिए पार्टनरशिप के मानदंड

646. श्री रामरती बिन्द :
डा. बलिराम :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रसोई गैस की डीलरशिप प्राप्त करने के बाद डीलर द्वारा पार्टनर की नियुक्ति हेतु निर्धारित नियम/निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ख) 1 जुलाई, 2001 से 30 जून, 2002 तक आई बी पी कम्पनी ने ऐसे कितने मामलों को स्वीकृति दी है;

(ग) क्या आई बी पी कम्पनी ने नियमों का उल्लंघन करके पार्टनर की नियुक्त करने की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों का सत्यापन सतर्कता शाखा से कराया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के पुनर्गठन पर लागू होने वाले दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में अन्य के साथ-साथ निम्न विशेषताएं सम्मिलित हैं:

(1) स्वामी की मृत्यु या अनुकम्पा आधार जैसा कतिपय आकस्मिकताओं के अलावा चालू करने की तारीख से 3 वर्ष पहले पुनर्गठन की अनुमति नहीं होगी।

(2) नए भागीदार को बहु-डीलरशिप मानक पूरे करने चाहिए और आमतौर पर उसे सामान्य चयन के अन्य मानदंडों, जैसे आयु, शैक्षिक योग्यता, आय आदि को पूरा करना चाहिए।

(3) विद्यमान भागीदार अधिकांश हिस्सा रखेगा (रखेंगे)।

(4) अनु.जा., अनु.जन.जा. श्रेणी से संबद्ध डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए प्रवेशी भागीदार भी अनु.जा./अनु.जन.जा. का होना चाहिए।

(5) प्रवेशी भागीदार को किसी आपराधिक अपराध या नैतिक भ्रष्टाचार के लिए सजावार नहीं होना चाहिए।

(ख) आई बी पी ने 1 जुलाई, 2001 से 30 जून, 2002 तक की अवधि के दौरान एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के किसी पुनर्गठन की अनुमति नहीं दी है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में मिलिटरी स्टेशनों की स्थापना

647. श्री सुरेश चन्देल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी कमान मुख्यालय (चंडी मंदिर) की ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार से ऊना में मिलिटरी स्टेशन की स्थापना हेतु 790 एकड़ भूमि आबंटित करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्वोक्त भूमि की स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेना को ऊना में जमीन की एक पट्टी द्वारा पृथक दो पॉकिटों में भूमि देने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। सेना प्राधिकारियों ने अपनी यूनिटें और स्थापनाएं स्थापित करने के लिए इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करते हुए सुरक्षा संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार से एक ही पॉकिट में भूमि देने का अनुरोध किया था। अतः राज्य सरकार से एक ही पॉकिट में भूमि की उपलब्धता की पुष्टि करने और अवसंरचनात्मक विकास की लागत वहन करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) और (ग) सेना प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा सुझाई गई भूमि की उपयुक्तता पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की इकाइयों से नवरत्न का दर्जा वापिस लिया जाना

648. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की कुछ प्रमुख इकाइयों को दिया गया 'नवरत्न' का दर्जा वापिस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन इकाइयों का मूल दर्जा पुनः दिलाने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का "महानवरत्न" के नाम से एक बड़ा वर्ग बनाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकारी क्षेत्र की किन्हीं इकाइयों को "महानवरत्न" का दर्जा देने के लिए क्या

मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और ये इकाइयां नवरत्न इकाइयों से किस प्रकार अलग होंगी?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : (क) से (ग) इस समय सरकारी क्षेत्र के किसी विशेष उद्यम के नवरत्न दर्जे को तत्काल समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने मामले के अनुसार नवरत्न उद्यमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नए उद्यमों को नवरत्न दर्जा प्रदान करने तथा उनके नवरत्न दर्जे को समाप्त करने के लिए संस्थागत संरचना सृजित की है। इस उद्देश्य के लिए एक शीर्ष समिति गठित की गई है, जिसके लिए 15.3.2002 को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए प्रपत्र तैयार किया जा चुका है। सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह कहा गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को यह परामर्श दें कि वे प्रपत्र को पूरा करें तथा उसे प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से लोक उद्यम विभाग को भेज दें।

(घ) सरकारी क्षेत्र के कुछ चयनित उपक्रमों, जिन्हें तुलनात्मक लाभ प्राप्त है, को अधिक वित्तीय एवं प्रचालनात्मक शक्तियां प्रत्यायोजित करने के उद्देश्य से नवरत्न दर्जा प्रदान किया गया था, ताकि विश्वस्तरीय कम्पनियां बनाने के उनके अभियान में उनकी सहायता की जा सके। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले बड़े उद्यमों को "महानवरत्न" का दर्जा देने के लिए केवल विचार-विमर्श किया गया है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

निजी कम्पनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री

649. श्री के. एच. मुनियप्पा :
श्री के. ए. सांगतम :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री वाई. वी. राव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ निजी तेल कम्पनियों को देश में खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या समझौता किया गया है और इसमें पूर्वोत्तर विशेषतः नागालैण्ड की भागीदारी कितनी है;

(ग) इसके अंतर्गत तैयार की गई कार्यान्वयन योजना क्या है; और

(घ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सरकार ने दो निजी कंपनियों अर्थात् मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आर पी एल) और मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड (ई ओ एल) को देश में परिवहन ईंधनों का विपणन करने का प्राधिकार प्रदान किया है। सरकार द्वारा इन कंपनियों ने देश के विभिन्न भागों में 7,549 खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। सरकार द्वारा इन कंपनियों को उत्तर पूर्वी राज्यों सहित दूरदराज के क्षेत्रों/निम्न सेवा क्षेत्रों में दिनांक 8 मार्च, 2002 के सरकारी संकल्प में निर्धारित शर्त के अनुसार कुल खुदरा बिक्री केन्द्रों का 10.9% स्थापित करने को कहा गया है।

[हिन्दी]

टी वी पर विज्ञापन प्रसारण के नियम

650. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन पर दिखाए जा रहे विज्ञापनों में नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन, केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से पुनः प्रसारित विज्ञापनों को केबल टेलीविजन (विनियमन) अधिनियम, 1994 में निर्धारित विज्ञापन संहिता का पालन करना आवश्यक होता है। सरकार ने विज्ञापन संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर विशिष्ट शिकायतों या स्वतः स्फूर्त संज्ञान लेने के लिए एक अन्तर्मंत्रालयीन समिति गठित की है। संहिता का उल्लंघन करने वाले चैनलों के खिलाफ नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन परियोजनाएं बंद करना

651. **श्री तूफानी सरोज** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड ने अपनी कुछ पाइपलाइन परियोजनाओं को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो बंद की गई ऐसी पाइपलाइन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के स्थान पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड ने एक दर्जन नई पाइपलाइन परियोजनाएं शुरु करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) उत्पाद पाइपलाइन प्रस्तावों की व्यवहार्यता थ्रूपुट पर निर्भर करती है। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति/मांग परिदृश्य तथा इनके वृद्धि प्रतिरूप में काफी परिवर्तन हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता के विषय में पुनरीक्षा की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी

652. **श्री कुंवर अखिलेश सिंह :**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
प्रो. रासासिंह रावत :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री अधीर चौधरी :
श्री श्रीनिवास पाटील :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 दिसंबर, 2001 के बाद से पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर बार-बार गोलीबारी की जा रही है;

(ख) गत तीन माह के दौरान किन-किन स्थानों पर कितनी झड़पें हुई हैं;

(ग) पाकिस्तान की ओर से दागे गए गोले/गोलीबारी से देश को कितनी सम्पत्ति की हानि हुई है;

(घ) पाकिस्तान को कितनी हानि हुई है;

(ङ) गत तीन माह के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी में कितने सैनिक/नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं;

(च) मृत सैनिकों और नागरिकों के निकट संबंधियों को कितना मुआवजा दिया गया है; और

(छ) घायल सैनिकों और नागरिकों के पुनर्वास के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) 18 दिसंबर, 2001 से जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ दोनों ओर से बार-बार गोलाबारी होती रही है। पिछले तीन महीनों के दौरान जम्मू-कश्मीर में सियाचीन, कारगिल, द्रास, पुंछ, राजौरी और जम्मू सेक्टरों में अधिक गोलाबारी हुई है।

(ग) 31 मार्च से 31 मई, 2002 की अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर में हुई सम्पत्ति की क्षति का ब्यौरा इस प्रकार है :

सरकारी भवन	-	3
शैक्षणिक संस्थाएं	-	1
मकान	-	17
दुकानें	-	8
पुल	-	2

(घ) 18 दिसंबर, 2001 से 1386 पाकिस्तानी सैनिकों/सिविलियनों के मारे जाने/घायल होने का अनुमान है और उनके लगभग 432 बंकर तथा छह तोपें नष्ट/क्षतिग्रस्त हुई हैं?

(ङ) पिछले तीन महीनों के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए तथा घायल सैनिकों/सिविलियनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	मारे गए	घायल हुए
सेना कार्मिक (एक अप्रैल से 10 जुलाई, 2002 तक)	28	136
सिविलियन (एक अप्रैल से 30 जून, 2002 तक)	233	110

(च) और (छ) जम्मू-कश्मीर सरकार सिविलियनों की मृत्यु के मामलों में उनके निकटतम संबंधी को एक लाख रुपए तथा स्थायी अशक्तता, गंभीर रूप से घायल होने के मामलों में क्रमशः 75,000 रु., 5,000 रु. व 1,000 रु. अनुग्रह राहत मुहैया करा रही है।

जहां तक सैनिकों का संबंध है, शत्रु/आतंकवादी कार्रवाई के दौरान युद्ध में मारे गए/हताहत हुए सैनिकों के निकटतम संबंधियों के लिए एक विस्तृत कल्याण पैकेज तैयार करके कार्यान्वित किया गया है। युद्ध में अशक्त हुए सैनिकों के पुनर्वास के लिए भी सुविधाएं मौजूद हैं।

मैहर में रेल उपरिपुल

653. श्री रामानन्द सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जबलपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत मैहर में रेल उपरिपुल की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुल के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना का काम कब तक शुरू होने और पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) राज्य सरकार को अभी यह तय करना है कि प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल का निर्माण निपेक्ष शर्तों पर किया जाए अथवा निर्माण परिचालन तथा हस्तांतरण (बोट) शर्तों पर। बहरहाल, निपेक्ष शर्तों पर रेलवे द्वारा पुल खास (रेलपथ के ऊपर का भाग) के निर्माण के लिए 2.45 करोड़ रु. का एक अनुमान मुख्य इंजीनियर (एन एच) डिवीजन सार्वजनिक निर्माण विभाग, भोपाल द्वारा स्वीकृत कर दिया है परन्तु अभी तक निधियां जमा नहीं की गई हैं। इस मामले में आगे कार्रवाई केवल राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेने तथा इस पर कार्य करने के बाद ही की जा सकती है।

[अनुवाद]

केबल आपरेटरों के विरुद्ध कार्रवाई

654. श्री बी. वेंकटेस्वरलु : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल आपरेटर द्वारा दूरदर्शन-नेशनल, दूरदर्शन-मैट्रो और दूरदर्शन-भारती को प्राइम बैण्ड (अर्थात् 1 से 12 बैण्ड पर) पर प्रसारित नहीं करने के मामले में सरकार उनकी परिसम्पत्तियों को जब्त करने सहित उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार स्थानीय थाना अधिकारी या स्थानीय पुलिस के उप-निरीक्षक को देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह पता चलता है कि दूरदर्शन के चैनलों के प्रसारण के संबंध में सरकारी आदेशों का पालन बहुत कम हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन आदेशों को सभी केबल आपरेटरों के लिए कड़ाई से कब तक अनिवार्य बना दिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए केबल आपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी स्थानीय सीमाओं के क्षेत्राधिकार में जिला मजिस्ट्रेट, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट तथा पुलिस आयुक्त तथा केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित दूसरे अधिकारी प्राधिकृत हैं। अधिसूचित दूरदर्शन चैनलों के आवश्यक प्रसारण के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने हेतु प्रसार भारती प्रयत्नशील है। यद्यपि दूरदर्शन को अनुपालन न करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दूरदर्शन लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु जागरण अभियान चला रहा है। सरकार ने मामले को राज्य सरकारों के समक्ष भी उठाया है ताकि इस संबंध में अधिसूचित अधिकारी केबल आपरेटरों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कर सकें। दूरदर्शन ने सूचित किया है कि वे केबल आपरेटरों द्वारा दूरदर्शन चैनलों के प्रसारण की मॉनीटरिंग हेतु केबल आपरेटरों के साथ नियमित अंतराल पर बैठक कर रहे हैं।

[हिन्दी]

हरियाणा हेतु उच्च न्यायालय

655. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को हरियाणा के लिए न्यायालय की स्थापना करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हरियाणा के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ स्थित विद्यमान परिसर में हरियाणा कोटा से नियुक्त किए गए न्यायाधीशों सहित 40 प्रतिशत भवन अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद और प्रसाशनिक कृत्यकारियों का आबंटन करके हरियाणा के लिए एक पृथक् उच्च न्यायालय के सृजन के लिए हरियाणा विधान सभा के संकल्प की एक प्रति अग्रेषित की है।

(ग) और (घ) चूंकि हरियाणा के लिए पृथक् उच्च न्यायालय की स्थापना करना, चंड़ीगढ़ से राजधानी के स्थानांतरण और साथ ही हरियाणा राज्य के भीतर नए उच्च न्यायालय के लिए अवसंरचना के विकास पर निर्भर करेगा, इसलिए इस संबंध में कोई समय-सीमा बताना साध्य नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली में रसोई गैस विपणन का पुनर्गठन

656. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.पी.सी.एल. ने सरकार के निदेशानुसार दिल्ली में अपने वितरकों में रसोई गैस के विपणन हेतु पुनर्गठन का काम किया है;

(ख) यदि हां, तो इससे कौन-कौन सी एजेंसियों को लाभ मिला है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अपने निर्णय के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) बी पी सी एल ने यह सूचित किया है कि वह सरकार के निदेशों के अनुसार दिल्ली में अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के पुनर्गठन की पद्धतियां निर्धारित कर रही है। सरकार ने बी पी सी एल को यह कार्य यथाशीघ्र पूरा करने के संबंध में पुनः परामर्श दिया है।

[हिन्दी]

नई परियोजनाओं हेतु निधियां

657. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग नई परियोजनाओं के लिए एक निधि बनाने के लिए दस हजार करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का उक्त निधि के लिए दस हजार करोड़ रुपए किस प्रकार जुटाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) चार महानगरों - दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुजीय तथा विकर्णों को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। आवश्यक क्षमता संवर्द्धन कार्यों को करने के लिए अपेक्षित निवेश 8000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसके अलावा, रेलें भी बड़े पुलों के निर्माण के लिए 36000 करोड़ रु. का संसाधन जुटाने का प्रयास कर रही है। निधि जुटाने के लिए बहुपक्षीय वित्त पोषण तथा विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) के सृजन सहित वित्त पोषण के सभी संभव स्रोतों का पता लगाया जा रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुजीय कार्यों के लिए एसपीवी के सृजन हेतु प्रस्ताव फिलहाल प्रक्रियाधीन है। बड़े पुल संबंधी परियोजनाओं को भी विशेष प्रयोजन योजना द्वारा अनंतिम रूप से शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर

658. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उपकर की राशि 900 रुपये प्रति मीट्रिक टन के बढ़ाकर 1800 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उदारीकृत व्यवस्था ने शासन की जिम्मेदारी बढ़ा दी है और अब इसे बड़ी भूमिका निभानी होगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी हां। केन्द्रीय सरकार ने 1 मार्च, 2002 से कच्चे तेल के संबंध में उत्पाद शुल्क की दर 1800 रुपए प्रति टन विनिर्दिष्ट की है।

(ख) और (ग) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के तहत उपबंधों के अनुसार, उपकर केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और एकत्र किया जाता है और न कि राज्य सरकारों द्वारा।

कर्नाटक की विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

659. **श्री एच.डी. देवगौड़ा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में अलमाटी बेल्लारी (जिन्दल), बिडाडी और महादायी विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना में कितना निवेश किया गया है और इनकी उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए कितना विद्युत टैरिफ निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या इसमें कोई अंतर-राज्यीय मुद्दे भी शामिल हैं; और

(ङ) यदि हां, तो शेयरधारिता जुटाने के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 28.2.2002 को कर्नाटक राज्य में अलमाटी डैम पावर हाऊस (1 × 12 + 55 = 290 मेगावाट) को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है ताकि कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. (केपीसीएल) इसका निष्पादन कर सके।

सीईए ने कर्नाटक के बेल्लारी जिले में मै. जिन्दल ट्रैक्टेबल पावर कं. लि द्वारा स्थापना के लिए प्रस्तावित कोरांगल्लू विस्तार (2 × 250 मेगावाट) तथा कर्नाटक के बेल्लारी जिले में मै. बिदादी पावर कारपोरेशन लि. द्वारा स्थापना हेतु प्रस्तावित बिदादी (700 मेगावाट) परियोजना को अभी तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान नहीं की है क्योंकि विभिन्न आवश्यक निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित नहीं हुई थी।

महादायी परियोजना (2 × 10 + 2 × 12.5 + 2 × 150 = 345 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट गोवा के साथ अंतः राज्यीय पहलुओं के कारण मार्च, 1992 में कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. (केपीसीएल) को वापस कर दी गयी थी।

(ख) और (ग) सीईए ने 290 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाली अलमाटी डैम पावर हाऊस प्रोजेक्ट को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है, इसकी अनुमानित लागत 3.50 मिलियन अमरीकी डॉलर + 657.75 करोड़ रुपये (674.38 करोड़ रुपये के बराबर) है, जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज तथा 1 अमरीकी डॉलर = 47.50 रुपये विनिमय दर पर 106.12 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभार भी शामिल है। टीईसी के अनुसार समानीकृत टैरिफ 2.88 प्रति कि.वा. घंटा है।

(घ) उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल, 2000 के निर्णय के अनुसार अलमाटी डैम पावर हाऊस प्रोजेक्ट ने मुख्यतः अलमाटी तथा नारायणपुरम में कुल 173 टीएमसी तक पानी उपयोग सीमित करने से संबंधित अंतःराज्य पहलुओं को शामिल किया। कर्नाटक द्वारा अलमाटी में पानी के कुल उपयोग को सीमित करने और दिसम्बर, 2001 तक आवश्यक निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित करने के पश्चात् सीईए द्वारा परियोजना को स्वीकृति हेतु लिया गया।

(ङ) अलमाटी डैम पावर हाऊस प्रोजेक्ट (पूरी की गयी लागत के लिए) हेतु 80% ऋण तथा 20% इक्विटी का वित्तीय पैकेज (अंनतिम) है। प्रवर्तक केपीसीएल द्वारा प्रदान की गयी इक्विटी 134.88 करोड़ रुपये है।

अदालतों में लंबित मामले

660. **श्री दिलीप संघाणी** :
श्री कोलूर बसवनागौड :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उच्च न्यायालयों में भारी संख्या में लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए अब तक किए गए प्रयासों के इच्छित परिणाम सामने नहीं आए हैं;

(ख) यदि हां, तो जून, 2002 के अंत तक देश के न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में गुजरात और कर्नाटक सहित राज्य-वार लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करने पर विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे विवरण-I और II पर हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने, शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान विधियों में संशोधन पर विचार किया है। इनमें, विधि आयोग, मलिमथ समिति आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह और सिफारिशों के आधार पर मुख्य विधि और प्रक्रियात्मक विधि का सरलीकरण सम्मिलित है। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 1999 और सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 को तारीख 1.7.2002 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार प्रभावी कर दिया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के दो संशोधनकारी अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा नियम करने, कमीशन द्वारा साक्षियों की शीघ्र परीक्षा करने, किसी वाद के एक पक्षकार के लिए स्थगनों की संख्या को तीन तक निर्बंधित करने और सुनवाई समाप्त होने के साठ दिनों के भीतर निर्णय देने के लिए उपबंध करते हैं। चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित प्रक्रिया को अनेक विधियां अपनानी पड़ती हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधनों से न्यायालय में विलंब कम करने में अधिक व्यापक हितकारी प्रभाव पड़ेगा।

सरकार ने, दंड न्याय व्यवस्था का विस्तृत रूप से नवीकरण करने के लिए मलिमथ समिति गठित की है।

विवरण-I

उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या

(उच्च न्यायालय से प्राप्त त्रैमासिक जानकारी के आधार पर)

	लंबित मामले	निम्न तारीख को
भारत का उच्चतम न्यायालय	23,012	1.5.2002

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या	निम्नलिखित तारीख को
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	8,92,622	12/2001
2.	आंध्र प्रदेश	1,63,127	12/2001
3.	बम्बई	2,93,280	9/2001
4.	कलकत्ता	42,689	9/2001
5.	दिल्ली	1,78,001	12/2000
6.	गुवाहाटी	41,317	3/2001
7.	गुजरात	1,29,026	1-6-2002
8.	हिमाचल प्रदेश	17,947	3/2002
9.	जम्मू और कश्मीर	33,365	3/2002
10.	कर्नाटक	1,02,648	30-6-2002
11.	केरल	4,21,337	12/2001
12.	मध्य प्रदेश	1,17,141	6/2001
13.	मद्रास	3,49,836	6/2001

1	2	3	4
14.	उड़ीसा	1,47,813	3/2002
15.	पटना	80,956	12/2001
16.	पंजाब और हरियाणा	2,34,757	12/2001
17.	राजस्थान	1,32,306	12/2000
18.	सिक्किम	117	12/2001
19.	छत्तीसगढ़	(नया सृजित उच्च न्यायालय)	
20.	झारखंड	(नया सृजित उच्च न्यायालय)	
21.	उत्तरांचल	(नया सृजित उच्च न्यायालय)	
	कुल	33,78,285	

विवरण-II

जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	निम्नलिखित तारीख को	सिविल	दांडिक	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12/2001	542744	388388	931132
2.	अरुणाचल प्रदेश	06/99	331	1469	1800
3.	असम	06/2001	37229	118424	155653
4.	बिहार	06/2001	207417	809789	1017206
5.	छत्तीसगढ़	06/2001	51994	157620	209614
6.	गोवा	06/2001	26132	11732	37864
7.	गुजरात	06/2001	704725	2357496	3062221
8.	हरियाणा	06/2000	197809	305606	503415
9.	हिमाचल प्रदेश	06/2001	69976	73194	143170
10.	जम्मू और कश्मीर	12/99	43418	82596	126014
11.	कर्नाटक	12/2001	592380	398960	991340
12.	केरल	12/2001	229714	437266	666980
13.	मध्य प्रदेश	12/2001	298564	853223	1151787

1	2	3	4	5	6
14.	महाराष्ट्र	12/2000	924757	2130671	3055428
15.	मणिपुर	12/2000	4278	3487	7765
16.	मेघालय	12/99	1561	11322	12883
17.	मिजोरम	12/2000	817	986	1803
18.	नागालैंड	....	........उपलब्ध नहीं........	....	
19.	उड़ीसा	12/2000	135457	556759	692216
20.	पंजाब	06/2000	209975	249479	459454
21.	राजस्थान	06/2001	274277	558083	832360
22.	सिक्किम	12/98	467	1352	1819
23.	तमिलनाडु	06/2001	593703	267601	861304
24.	त्रिपुरा	12/2001	7313	14957	22270
25.	उत्तर प्रदेश	06/2001	1073234	2431929	3505163
26.	पश्चिमी बंगाल	12/99	473325	861754	1335079
27.	अंडमान और निकोबार	12/99	580	26790	27370
28.	चंडीगढ़	06/2000	15215	33349	48564
29.	दादरा और नागर हवेली	12/2001	429	2096	2525
30.	दमन और दीव	12/2000	642	742	1384
31.	दिल्ली	12/2001	146398	451789	598187
32.	लक्षद्वीप	12/2000	87	104	191
33.	पांडिचेरी	06/2001	6204	7239	13443
	कुल				20477404

इजरायल के महानिदेशक का दौरा

661. श्री पवन कुमार बंसल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजरायल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक ने हाल ही में भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का उद्देश्य क्या था; और

(ग) भारत सरकार के साथ उनकी बैठक के क्या परिणाम रहे?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। इजरायली रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक ने जून, 2002 के प्रथम सप्ताह में भारत का दौरा किया था।

(ख) और (ग) इजरायली रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक ने रक्षा सचिव और रक्षा मंत्रालय के अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ आपसी हितों के रक्षा तथा सुरक्षा संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श किया।

आई.ओ.सी.एल. द्वारा इक्विटी शेयरों की बिक्री

662. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने प्रति शेयर के 10 रुपये के अंकित मूल्य पर 7.8 करोड़ रुपये के नये इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इससे आई.ओ.सी.एल. में सरकार की शेयरधारिता 82.03 प्रतिशत से घटकर 74.5 प्रतिशत हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इक्विटी शेयरों को जारी करके धनराशि जुटाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने सरकार से कंपनी की वर्तमान प्रदत्त पूंजी के 10% तक नए इक्विटी शेयरों के निर्गम की अनुमति देने का अनुरोध किया है। इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है। यदि सहमति हुई तो आई.ओ.सी. की वर्तमान प्रदत्त पूंजी के 10% के नए इक्विटी शेयरों के निर्गम के फलस्वरूप आई ओ सी में सरकारी शेयरधारिता कम होकर 74.57 प्रतिशत रह जाएगी।

(घ) आई. ओ. सी. को नई परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए और उत्पादन उन्नयन सहित आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बृहत राशि के निवेश करने हैं। इसके लिए इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से धन जुटाए जाने का प्रस्ताव है जिससे आई.ओ.सी. के ऋण-इक्विटी पूंजी अनुपात में सुधार करने में भी सहायता मिलेगी।

त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम से संबंधित पारेख समिति की रिपोर्ट

663. श्री राम मोहन गाड्डे :
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के गठन के संबंध में पारेख समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पारेख समिति द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व

664. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उसके सभी स्वायत्त निकायों जैसे ओ एन जी सी, आई ओ सी एल, एच पी सी एल, ओ एन जी सी विदेश, ई आई एल, जी ए आई एल आदि में अनु. जा./अनु.ज.जा. और अ.पि.व. के व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी/राजपत्रित अधिकारियों के पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है;

(घ) उनके मंत्रालय में और उसके स्वायत्त निकायों कार्यालयों में कार्यरत वर्ग-क या ग्रुप-एक राजपत्रित अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन अधिकारियों के वेतन, भत्तों, वाहन एवं अन्य लाभों पर कुल कितना वार्षिक व्यय हुआ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ओ.एन.जी.सी. द्वारा ग्राहकों को रसोई गैस की आपूर्ति

665. श्री पी.आर. खूंटे :
श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. ने ग्राहकों को रसोई गैस की सीधे आपूर्ति की सरकार ने अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पाक टी.वी. पर प्रतिबंध

666. श्रीमती रेणुका चौधरी :
श्री अधीर चौधरी :
श्री जयोतिरादित्य मा. सिंधिया :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में पाक में टी.वी. के दुष्प्रचारों का जवाब देने और पाक टी.वी. के कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक लगाने हेतु भी योजना बनाई है जैसा कि 2 जून, 2000 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाक टी.वी. की भूमिका की जांच हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के किसी दल का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस दल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है; और

(ङ) पाक के दुष्प्रचारों का जवाब देने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि दूरदर्शन/आकाशवाणी पर उपयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से पाक टी.वी. के प्रचार का मुकाबला किया जाए। एक विशिष्ट पैकेज के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन की कवरेज बढ़ाने के लिए दूरदर्शन की ढांचागत सुविधाओं का विस्तार तथा उन्नयन किया गया है।

फिलहाल पाक टी.वी. पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 की धारा 20 के तहत उपरोक्त अधिनियम तथा इसके तहत बनाये गये नियमों में निर्धारित कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन के मामलों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति की सिफारिशों पर समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

दुर्गापुर और बोकारो इस्पात संयंत्रों के संबंध में एन.टी.पी.सी. का मूल्यांकन

667. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने राउरकेला इस्पात संयंत्र के रक्षित विद्युत संयंत्र के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने दुर्गापुर और बोकारो स्थित इस्पात संयंत्रों के संबंध में भी इसी प्रकार का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो इन रक्षित विद्युत संयंत्रों के कार्य निष्पादन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन संयंत्रों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। राउरकेला (2 × 60 मेगावट) = 120 मेगावाट के कैप्टिव पावर संयंत्र-2 (सीपीपी-2) का नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा मूल्यांकन किया गया था। उसके बाद एनटीपीसी तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) की एक संयुक्त कम्पनी अर्थात् एनटीपीसी-सेल पावर कं. प्रा.लि. का मार्च, 2001 में गठन किया गया ताकि विद्युत संयंत्र अधिग्रहण कर उसका प्रचालन और रख-रखाव किया जा सके।

(ग) और (घ) दुर्गापुर सीपीपी-2 का भी मूल्यांकन किया गया। इसका अधिग्रहण कर लिया है तथा एनटीपीसी-सेल पावर कं. प्रा.लि. द्वारा इसका प्रचालन व अनुरक्षण किया जा रहा है।

बोकारो इस्पात संयंत्र के कैप्टिव पावर संयंत्र के बारे में सेल तथा दामोदर वैली कारपोरेशन द्वारा संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि विद्युत संयंत्र का अधिग्रहण कर उसका प्रचालन और अनुरक्षण किया जा सके।

(ङ) से (छ) इन संयंत्रों के विस्तार का कोई कार्यक्रम नहीं है।

[हिन्दी]

अतिरिक्त राजस्व के स्रोत

668. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे में राजस्व के अतिरिक्त स्रोतों की खोज कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार सफलता प्राप्त करने हेतु इन तरीकों का किस प्रकार पालन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) अब तक उठाए गए कदमों से सरकार को कितनी सफलता मिली है, वह सफलता किस प्रकार की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) माल और यात्री आमदनियां रेलवे राजस्व का लगभग 90% बनती है रेलवे और अधिक राजस्व सृजन करने के उद्देश्य से यातायात पर अधिकाधिक कब्जा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। माल यातायात के मामले सभी संभव विपणन नीतियां जिनमें भाड़ा संरचना का युक्तीकरण, मात्रा छूट योजना आदि शामिल है, अपनाई जा रही हैं। इसके अलावा, रेलवे निजी उद्यमियों की भागीदारी से टर्मिनल और गोदाम सुविधाएं विकसित कर रही है ताकि बेहतर माल सम्हलाई सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बों की व्यवस्था करके और विशेष/नई गाड़ियां चलाकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, सूचना प्रणाली में सुधार के साथ-साथ यात्री आरक्षण प्रणाली के विस्तार, स्व-मुद्रण टिकट मशीनों और कूपन वैधीकरण मशीनों की शुरूआत द्वारा उपभोक्ता संपर्क क्षेत्र में भी सुधार किया जा रहा है।

इसके अलावा, रेलवे भूमि और ऊपरी स्थान के वाणिज्यिक उपयोग और चलस्टॉक एवं रेलवे स्टेशनों आदि पर वाणिज्यिकार प्रचार द्वारा राजस्व सृजन पर भी रेलवे जोर दे रही है। रेलवे भूमि/ऊपरी स्थान की वाणिज्यिक संभावना का पता लगाने के लिए व्यवहारिकता/बाजार अध्ययन किए जा रहे हैं। अभी तक, ऐसे 65 स्थलों की पहचान की जा चुकी है जिनमें से 14 मामलों में बोली प्रक्रिया आरंभ अथवा पूरी हो चुकी है।

यातायात निष्पादन और उनसे आमदनियों पर गहरी निगरानी रखी जा रही है तथा आवश्यक शोधक उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

हल्के विमानों का निर्माण

669. श्री के. येरननायडू : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन हल्के विमान पर कार्य कर रहा है जो कि हल्के विमान का कार्य कर सकेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके निर्माण के संभावित समय कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हल्के लड़ाकू विमान के नौसेना रूपांतरण के विकास हेतु परियोजना निर्धारण चरण तथा परियोजना-पूर्व चरण पूरे कर लिए गए हैं। हल्के लड़ाकू विमान (नौसेना) के पूर्ण स्तर पर इंजीनियरी विकास का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) दो विमानों का डिजाइन, विकास, विनिर्माण तथा जमीनी परीक्षण तथा एक संरचनात्मक परीक्षण प्रतिरूप।

(2) संक्रियात्मक मंजूरी हेतु लगभग 400 घंटों का उड़ान परीक्षण किया जाना।

[हिन्दी]

मानवरहित विमान 'लक्ष्य' का निर्माण

670. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानवरहित विमान 'लक्ष्य' का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस प्रकार के कितने विमानों का निर्माण किया गया और सेना को उसके उपयोग के लिए प्रदान किया गया है और प्रत्येक विमान की लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास इन विमानों को अन्य देशों को बिक्री की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उन राष्ट्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत में निर्मित विमान 'लक्ष्य' को खरीदने में रुचि दिखाई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। सेनाओं की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की सहायता से वैमानिकी विकास संस्थान में सीमित श्रृंखला उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) 'लक्ष्य' का सफलतापूर्वक विकास होने पर उसे भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल किया गया है। सेना में इसे वर्ष 2002-2003 में सुपुर्द करने की योजना है। सेना के लिए ग्राउंड लांच और उपस्कर नियंत्रण से युक्त पांच विमान निर्माणाधीन हैं। प्रत्येक विमान की लागत लगभग 205 लाख रुपए है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस विषय में किए गए प्रयास अभी तक किसी भी देश से बिक्री आदेश के रूप में फलित नहीं हुए हैं।

लखनऊ में रेलवे रैकेट

671. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'नवभारत टाइम्स' के 18 जून, 2002 के अंक में 'रेलवे रैकेट इन लखनऊ' के शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस रैकेट को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी हां।

(ख) यह सत्य नहीं है कि लखनऊ में रेलवे के माल की तथा रेल लाइनों की चोरी में कोई रैकेट है। दलाली के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं जिसमें रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इस बुराई की जांच के लिए निम्नलिखित उठाए गए हैं :

(1) रे.सु.ब., वाणिज्यिक तथा रा.रे.पु. कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से नियमित छापे मारे जाते हैं।

(2) वरिष्ठ अधिकारियों वाली टास्क फोर्स टीमों द्वारा बार-बार अचानक छापे मारे जाते हैं।

(3) दोषियों को पकड़ने के लिए स्टेशनों पर अचानक जांचें आयोजित करने हेतु सादे कपड़ों में कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं;

(4) ऐसी गतिविधियों में यदि रेल कर्मचारी शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

बिजली के मीटरों की खरीद

672. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत वित्त निगम (पीएफसी), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) और केन्द्र सरकार की इसी प्रकार की अन्य एजेन्सियां बिजली के मीटरों की खरीद के लिए राज्य विद्युत परिषदों को वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गुजरात इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (जीईबी) और कर्नाटक पावर एंड ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) निजी निर्माताओं से दोषपूर्ण बिजली के मीटर खरीद रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो गत एक वर्ष में जीईबी और केपीटीसीएल द्वारा खरीदे गए दोषपूर्ण बिजली के मीटरों से संबंधित प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन परिषदों को दोषपूर्ण मीटरों की आपूर्ति करने वाले निजी निर्माताओं पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें काली सूची में डालने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) दोषपूर्ण बिजली के मीटरों की खरीद करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी हां।

(ख) से (च) राज्य विद्युत बोर्डों (रा.वि. बोर्डों)/राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा मीटरों की प्राप्ति अपने द्वारा निर्धारित पद्धतियों के अनुसार स्वयं ही की जाती है। इनको अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित मानदण्डों के अनुसार परीक्षण एवं निरीक्षण गुण विशिष्टियों, कार्य निष्पादन इत्यादि शामिल हैं। रा.वि. बोर्डों के पास दोषपूर्ण मीटरों की पहचान करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रक प्रणाली, प्रमाणन और पद्धतियां विद्यमान हैं। उनके पास बाद में मीटर खराब पाए जाने की दशा में भी सुधारात्मक कार्य करने का उपयुक्त तंत्र विद्यमान है।

रेल सुरक्षा उपाय

673. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षोपायों को लागू करने हेतु योजना आवंटन और बजटीय सहयोग में वृद्धि के बावजूद भारतीय रेलवे वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या रेल सुरक्षा पर खर्च 1998-99 के 2313.04 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2001-02 में 3517.04 करोड़ रुपए कर दिया गया और 2002-03 में सुरक्षा उपायों में तेजी नहीं आ रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय रेलवे ने केन्द्र सरकार से अपने सुरक्षोपायों के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराने के लिए कहा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2002-03 में रेलों के लिए कुल बजटीय सहायता में वृद्धि हुई है जिसमें विशेष रेल संरक्षा विधि के लिए अंशदान शामिल है, तथापि अभी भी कमी है क्योंकि रेलों की प्रतिबद्ध आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। रेलों के अन्तरिक सृजन भी बदलाव की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं है।

(ग) और (घ) वर्ष 1998-99 में रेल संरक्षा पर व्यय 2323.04 करोड़ रुपए, वर्ष 2001-02 में 3344.94 करोड़ रुपए और वर्ष 2002-03 में संरक्षा उपायों के लिए 5304.72 करोड़ रुपए का आबंटन है जो संरक्षा संबंधी कार्यों में 129% की वृद्धि दर्शाता है।

(ङ) और (च) सरकार ने वर्ष 2001-02 में छः वर्षों की निर्धारित समयावधि में प्रतिस्थापन/नवीकरण के बकाया कार्यों को पूरा करने के लिए 17000 करोड़ की एक विशेष रेल संरक्षा निधि (एसआरएसएफ) की स्थापना की है। 17000 करोड़ रुपए की राशि में सरकार द्वारा छः वर्षों में 12000 करोड़ रुपए का अंशदान शामिल है और शेष 5000 करोड़ रुपए रेलों द्वारा यात्री किरायों पर संरक्षा अधिभार लगाकर जुटाए जाएंगे। वर्ष 2001-02 के दौरान, विशेष रेल संरक्षा निधि ने केन्द्र सरकार से 1000 करोड़ रुपए का अंशदान प्राप्त किया है और चालू वर्ष के दौरान 1350 करोड़ रुपए का अंशदान दिया जा रहा है।

देश में बिना चौकीदार वाले रेलवे क्रासिंग

674. श्रीमती कान्ति सिंह :
श्री श्रीनिवास पाटील :
श्री एम.के. सुब्बा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ऐसी अनेक रेल दुघटनाएं हुई हैं जिनमें बिना चौकीदार वाले लेवल क्रासिंगें के कारण बड़ी संख्या में व्यक्ति मारे गए और उनकी राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) 30 जून, 2002 को देश में राज्य-वार चौकीदार वाले/बिना चौकीदार वाले लेवल क्रासिंगों की संख्या कितनी है; और

(ग) राज्य सरकार की सहायता से बिना चौकीदार वाले क्रासिंगों के चौकीदार वाले क्रासिंगों में बदलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दुर्घटनाओं के ब्यौरे जोन-वार रखे जाते हैं न कि राज्य-वार। वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के प्रथम तीन महीनों के दौरान चौकीदार वाले समपारों पर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या तथा मारे गए व्यक्तियों की (जोन-वार) संख्या नीचे दर्शायी गई है :

रेलवे	2001-2002*		2002-2003 (जून, 2002 तक)*	
	दुर्घटनाओं की संख्या	मृत्यु	दुर्घटनाओं की संख्या	मृत्यु
मध्य रेलवे	6	14	-	-
पूर्व रेलवे	-	-	-	-
उत्तर रेलवे	27	55	11	10
पूर्वोत्तर रेलवे	15	45	7	7
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	2	-	-	-
दक्षिण रेलवे	9	9	1	1
दक्षिण मध्य रेलवे	10	13	3	3
दक्षिण पूर्व रेलवे	8	11	2	-
पश्चिम रेलवे	3	5	5	16
कोंकण रेलवे निगम	-	-	-	-
जोड़	80	152	29	37

*आंकड़े अनंतिम हैं

(ख) देश में इस समय 16424 चौकीदार वाले तथा 20,291 बिना चौकीदार वाले समपार हैं। राज्य-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

राज्य	चौकीदार वाले	बिना चौकीदार वाले
1	2	3
असम	430	593
आंध्र प्रदेश	1233	1478
बिहार	1050	1114
छत्तीसगढ़	193	376
दिल्ली	55	02
गुजरात	1493	2849
हरियाणा	553	318
हिमाचल प्रदेश	41	14
जम्मू और कश्मीर	18	12
झारखंड	319	512
कर्नाटक	630	946
केरल	407	138
मध्य प्रदेश	1136	1266
महाराष्ट्र	1164	1208
मणिपुर	1	2
मिजोरम	0	1
उड़ीसा	324	1134
पंजाब	766	998
राजस्थान	1412	1728
तमिलनाडु	1228	1297
त्रिपुरा	1	15
उत्तर प्रदेश	2781	3038
उत्तरांचल	62	7
पश्चिम बंगाल	1097	1233

1	2	3
चंडीगढ़	6	1
पाण्डिचेरी	9	9
गोवा	14	2
नागालैण्ड	1	0
जोड़	16424	20291

(ग) केवल सड़क यातायात में वृद्धि के कारण बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए मूल पूंजी तथा वार्षिक अनुवर्ती अनुरक्षण की पूंजीगत लागत तथा परिचालनिक लागत पूर्ण रूप से राज्य सरकार/संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा वहन की जानी चाहिए। बहरहाल, बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं की गंभीर परिणामों के मद्देनजर रेलवे ने अपनी पर बिना चौकीदार वाले ऐसे 4449 खतरनाक समपारों पर 5 वर्षों की अवधि में चौकीदार तैनात करने का निर्णय किया है। बिना चौकीदार वाले समपारों पर निक्षेप शर्तों पर चौकीदार तैनात करने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव भेजने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

तमिलनाडु में बड़ी विद्युत परियोजनाएं

675. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य की कुछ विद्युत परियोजनाओं को 'बड़ी विद्युत परियोजनाएं घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या है; और

(ग) देश में राज्य-वार घोषित बड़ी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) अप्रैल, 1999 में तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य की उन विद्युत परियोजनाओं को मेगा विद्युत परियोजनाओं का दर्जा देने का अनुरोध किया था, जिनकी क्षमता 1000 मेगावाट से अधिक है, विशेषकर एन्नौर स्थित जयकोंडम ताप विद्युत परियोजना (1500 मेगावाट) तथा 1884.645 मेगावाट एकीकृत एलएनजी सह विद्युत संयंत्र को। इस मामले की विद्युत मंत्रालय में जांच की गयी और तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया गया कि वे मेगा परियोजना संबंधी नीतिगत दिशा-निर्देशों में निर्धारित विभिन्न शर्तों, यथा एक स्वीकार्य भुगतान सुरक्षा का प्रावधान, राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन, एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरों में वितरण का निजीकरण, केन्द्रीय योजना आवंटन (सीपीए) में से राज्य के हिस्से से वसूली तथा अन्य विनियोग आदि का अनुपालन करने की सहमति ज्ञापित करें। किन्तु तमिलनाडु ने इसमें के कुछ शर्तों पर सहमति व्यक्त नहीं की। चूंकि तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (टिडको) ने इस परियोजना को अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीबी) के जरिए ठेके पर सौंपा था और परियोजना के लिए टैरिफ आकर्षक था, अतः यह निर्णय लिया गया कि पावर ट्रैडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीटीसीआईएल) को विकासकर्त्ताओं तथा संभावित क्रेता राज्यों के साथ बातचीत शुरू कर देनी चाहिए ताकि परियोजना से विद्युत को बेचने के लिए उपयुक्त प्रबंध किया जा सके और इसके लिए समुचित भुगतान सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था हो सके जिससे कि पीटीसी को किसी प्रकार के जोखिम का सामना नहीं करना पड़े। इस निर्णय को 30 मार्च, 2000 को तमिलनाडु सरकार को भी ज्ञापित किया गया।

(ग) नवम्बर, 1998 में भारत सरकार द्वारा घोषित संशोधित मेगा विद्युत नीति के अनुसार 19 अभिज्ञात मेगा विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विवरण में सूचीबद्ध परियोजनाओं के अलावा छत्तीसगढ़ में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा क्रियान्वित की जा रही सीपत सुपर ताप विद्युत परियोजना (4 × 660 मेगावाट) को भी भारत सरकार ने दिसम्बर, 2001 में मेगा विद्युत परियोजनाओं का दर्जा दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना/राज्य का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
निजी क्षेत्र		
1.	हिरमा ताप विद्युत परियोजना, मै. सर्दन इलेक्ट्रिक एशिया पावर लि. (एसईएपी), उड़ीसा	3960

1	2	3
2.	कुड्डालोर ताप विद्युत परियोजना, तमिलनाडु	1000
3.	कृष्णापटनम ताप विद्युत परियोजना	1500
4.	पिपावाव ताप विद्युत परियोजना, गुजरात	2000
5.	नर्मदा ताप विद्युत परियोजना (एलएनजी), गुजरात	
सार्वजनिक क्षेत्र		
1.	कहलगांव ताप विद्युत परियोजना चरण-2, एनटीपीसी, बिहार	1500
2.	उत्तर करनपुरा ताप विद्युत परियोजना	2000
3.	बाढ़ ताप विद्युत परियोजना चरण-1, एनटीपीसी, बिहार	2000
4.	मैथान ताप विद्युत परियोजना, दामोदार वैली कारपोरेशन	1000
5.	चेय्यूर ताप विद्युत परियोजना, चरण-1, तमिलनाडु	1500
6.	अंता सीसीपीपी, एनटीपीसी, राजस्थान	1300
7.	औरैया सीसीपीपी, एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश	1300
8.	कवास सीसीपीपी चरण-2, एनटीपीसी, गुजरात	1300
9.	गांधार सीसीपीपी चरण-2, एनटीपीसी, गुजरात	1300
10.	कोयलकारो एचईपी, एनएचपीसी, बिहार	710
11.	चमेरा एचईपी चरण-2, एनएचपीसी, हिमाचल प्रदेश	300
12.	तीस्ता एचईपी चरण-5, एनएचपीसी, सिक्किम	510
13.	कोलडैम एचईपी, एनटीपीसी, हिमाचल प्रदेश	800
14.	पार्वती एचईपी चरण-2, एनएचपीसी, हिमाचल प्रदेश	800

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन के लिए राजस्थान को धन

676. **डा. जसवंतसिंह यादव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राजस्थान को विद्युत उत्पादन के लिए कितना धन आबंटित किया गया; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा आंवटित धनराशि में से राज्य द्वारा अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के लिए राजस्थान में विद्युत क्षेत्र हेतु आवंटन और उपयोग नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	परिव्यय	व्यय
1999-2000	841.94	763.63
2000-01	993.66	1085.60 (संशोधित अनुमान)
2001-02	1277.56	अनुपलब्ध

[हिन्दी]

केरल में काडालुंडी रेल दुर्घटना के शिकार लोगों को दिया गया मुआवजा

677. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष केरल के कालालुंडी में हुई रेल दुर्घटना के शिकार लोगों को अब तक कितना मुआवजा दिया गया;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जो मुआवजा नहीं दिए जाने के कारण लम्बित हैं; और

(ग) इन मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) विगत वर्ष में हुई कलाकुड़ी गाड़ी दुर्घटना में मारे गए यात्रियों को अभी तक 58.81 लाख रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।

(ख) 11.7.2002 को डिगरी के पास किए तीन मामलों में दक्षिण रेल द्वारा भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है। रेल दावा अधिकरण के निर्णय की प्रतीक्षा वाले मामलों की संख्या 204 है।

(ग) यात्रियों के दावों को शीघ्र निपटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं।

I. प्रशासनिक कार्रवाई

(1) क्षेत्रीय रेलों को इस बात के अनुदेश जारी किए गए हैं कि जैसे ही यात्री की दुर्घटना होती है, घायलों तथा मारे गए यात्रियों के सभी विवरण प्राप्त कर लिए जाए, दावा संबंधी आवेदन के फार्म दावाकर्त्ताओं को भेज दिए जाएं तथा रेल दावा अधिकरण की संबंधित पीठ में रिकार्ड भी उपलब्ध कराया जाए।

(2) जब दावे दर्ज किए जाते हैं और सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं तो रेलें शीघ्र निपटान के लिए अधिकरण की यथासंभव सहायता करें।

(3) रेल दावा अधिकरण से नोटिस प्राप्त करने के बाद 30 दिन के भीतर ऐसे मामलों में रेलवे द्वारा लिखित बयान दर्ज किए जाते हैं।

(4) दावों की डिगरी राशि स्वीकृत होने के बाद, रेलें यह सुनिश्चित करती हैं कि 15 दिन की अवधि के दौरान चैक जारी कर दिए गए हैं तथा उन्हें प्रेषित कर दिया गया है?

II. अधिकरण द्वारा कार्रवाई

(1) दुर्घटना संबंधी दावों के मामलों के निपटान को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

(2) दावाकर्त्ताओं की सुविधा के लिए, मुख्यालयों की पीठों के अलावा, स्टेशनों पर समय-समय पर सर्किट पीठें आयोजित की जाती है;

(3) एक पीठ में सदस्यों के उपलब्ध न होने के मामले में, अन्य पीठ से भी सदस्य प्रतिनियुक्त किया जाता है।

(4) दावाकर्त्ताओं की सुविधा के लिए उनके निवास स्थान के नजदीक एक बैंच से दूसरी में मामलों के स्थानांतरण के लिए दावाकर्त्ताओं के अनुरोधों पर पर्याप्त विचार किया जाता है।

(5) साधारणतः स्थगन स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

[हिन्दी]

तेल कंपनियों द्वारा डीलरों की नियुक्ति

678. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादकों के वितरकों को नियुक्त करने के लिए तेल कंपनियों को अनुमति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल और एल.पी.जी. के वितरकों को किस तरह नियुक्त किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पेट्रोलियम क्षेत्र में 1.4.2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के परिणामस्वरूप सारे डीलर चयन बोर्डों को भंग किया जा चुका है। पेट्रोलियम उत्पादों के लिए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार अब तेल विपणन कंपनियों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों की एकीकृत कमाण्ड

679. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों को हाल ही में एकीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस एकीकृत सेना को वे आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होंगे जो अभी तक उसके पास नहीं थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ को नियुक्त करने के मामले में कोई निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो इसे कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) सशस्त्र सेनाओं अर्थात् सेना, नौसेना और वायुसेना की तीनों शाखाओं को न मिलाकर एक किया गया है और न ही इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। तथापि, समग्र रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली का सुधार करने के लिए गठित मंत्री-समूह की संस्तुति के आधार पर संयुक्त ढांचा जैसे कि 'मुख्यालय समेकित रक्षा स्टाफ' और संयुक्त 'अंडमान एवं निकोबार कमान' की स्थापना की है ताकि उपलब्ध संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त तीनों सेनाओं को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां भी प्रत्यायोजित की गई हैं ताकि त्वरित निर्णय लिया जाना सुनिश्चित किया जा सके। नए बनाए गए इस ढांचे में तीनों सेनाओं में उनके समतुल्य प्रतिपक्षियों के समान अधिक प्राधिकार भी प्रदत्त किए गए हैं।

(च) और (छ) अन्य संस्तुतियों के साथ-साथ मंत्री-समूह ने रक्षा स्टाफ अध्यक्ष के पद का सृजन किए जाने की संस्तुति की है। राजनीतिक दलों के साथ व्यापक विचार-विमर्श होने की वजह से इस संबंध में अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

एचएएल द्वारा घटिया और अप्रमाणित अतिरिक्त कलपुर्जों की आपूर्ति

680. **श्री सुबोध मोहिते** :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री मोहन रावले :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिग-21 के बार-बार दुर्घनाग्रस्त होने का कारण है एक एचएएल ने भारतीय वायु सेना (इंडियन एयर फोर्स) को घटिया और अप्रमाणित अतिरिक्त कलपुर्जों की आपूर्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि एचएएल रूस से आयात किए गए अच्छी क्वालिटी के अतिरिक्त कलपुर्जों का अल्जीरिया तथा वियतनाम को पुनर्निर्यात कर रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) मिग विमानों की भविष्य में दुर्घटना को रोकने हेतु भारतीय वायु सेना द्वारा अच्छी क्वालिटी के अतिरिक्त कलपुर्जों को खरीदने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपयुक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रॉयल्टी के भुगतान पर मित्र, देशों, जिनमें अल्जीरिया तथा वियतनाम शामिल हैं, को मिग-21 विमान के हिस्से पुर्जों का निर्यात और पुनर्निर्यात करने के लिए प्राधिकृत है। चूंकि यह बिक्री प्राधिकृत थी, इसलिए कोई जांच नहीं की गई है।

(छ) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारतीय वायु सेना को गुणता प्रमाणित हिस्से पुर्जें मुहैया कराए जा रहे हैं।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी

681. श्री पी.एच. किन्डिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब से इस संबंध में निर्णय प्रभावी होगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) 1 अप्रैल, 2002 से प्रशासित मूल्य व्यवस्था के समाप्त होने से पेट्रोल और डीजल के मूल्य नियंत्रणमुक्त हो गए हैं और तेल कंपनियां प्रचलित अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इन उत्पादों के मूल्य निर्धारित कर रही हैं।

टिहरी पनबिजली विकास निगम (टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्टस कारपोरेशन) की कार्यनीति

682. श्री रामजी मांझी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी पनबिजली विकास निगम लिमिटेड (टीएचडीसी) की कार्य नीति के अनुसार कंपनी 1 लाख से अधिक के मूल्य के कार्य हेतु खुली निविदा आमंत्रित करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 8.96 करोड़ रुपये मूल्य के 13 ठेके 30 लाख से अधिक के मूल्य सीमित निविदा के आधार पर दिए गए;

(घ) यदि हां, तो प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों को दरकिनार कर खुली निविदा के बजाय सीमित निविदा आमंत्रित करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय में उन लेखन सामग्रियों इत्यादि की खरीद जिनकी कीमत 50,000 रुपये से अधिक की होती है, खुली निविदा के आधार पर न कर के सहकारी समितियों के माध्यम से की जाती है;

(च) यदि हां, तो सरकारी वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के कारण है;

(छ) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा जीएफआर में ढील दी गई थी, और

(ज) तत्काल प्रभाव से जीएफआर के प्रावधानों के मुताबिक लेखन सामग्रियों की खरीद किए जाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (टीएचडीसी) का निर्माण नीति के अनुसार खुली, सीमित/प्रतिबंधित निविदाओं तथा निविदा पर निर्भर करता है। निविदाएं आमंत्रित करने और कार्य सौंपने का कार्य निगम द्वारा परियोजना की आवश्यकतानुसार समय-समय पर परियोजना प्राधिकारियों को भी सौंपा जाता है। 1989 में टीएचडीसी में लागू नीति के अनुसार, 1 लाख रुपये से ऊपर के प्रत्येक कार्य के लिए खुली निविदा प्रणाली को अंगीकार किया गया था, तथापि कार्य आवश्यकतानुसार तात्कालिकता के मामलों में सीमित निविदा आधार पर पूरी योजना अधिकारियों द्वारा भी कार्य सौंपे जाते हैं। परियोजना अधिकारियों को प्रदत्त अधिकारों के अनुसार कार्यकारी निदेशक (ईडी)/महाप्रबंधक (जीएम) को वर्ष 1989 तथा मार्च, 1999 में क्रमश: 50 लाख रुपये (प्रति कार्य) तथा 100 लाख रुपये (प्रति कार्य) सीमित निविदा आधार पार्टियों, जिनकी संख्या सामान्यत: 5 से कम न हो, से निविदाएं आमंत्रित करने के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरें सुनिश्चित की जाती हैं।

(ग) और (घ) प्रभावित परिवारों को पुनर्वास की तात्कालिकता को देखते हुए परियोजना प्राधिकारियों द्वारा 1994-95 से पूर्व सीमित निविदा आधार पर कुल 8.96 करोड़ रुपये मूल्य के 13 अनुबंध, प्रत्येक 30 लाख, प्रदान किए गए। ये अनुबंध पुनर्वास केन्द्र (कॉलोनी) में निर्माण के लिए निगम द्वारा प्रदत्त अधिकार/कार्य नीति के प्रावधानों के तहत् किए गए थे।

(ङ) से (ज) विद्युत मंत्रालय में स्टेशनरी की खरीद सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अनुसार की जाती है।

ओ एन जी सी विदेश की रासनेफ्ट के साथ भागीदारी

683. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ एन जी सी विदेश ने सखालिन द्वीप में तेल क्षेत्रों को खरीदने के लिए रासनेफ्ट नामक एक रूसी फर्म के साथ भागीदारी की है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरे क्या है;

(ग) ओ एन जी सी के संसाधनों का स्रोत क्या होगा;

(घ) क्या ओ एन जी सी विदेश द्वारा निवेश की गई इस पूंजी से होने वाली आय के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या तेल क्षेत्रों में निवेश करने की अपेक्षा अन्तरराष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदना बेहतर हैं; और

(च) यदि हां, तो इस अध्ययन रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ओ.एन.जी.सी. - विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) ने रासनेफ्ट - एस और एस एम एन जी-एस, जो रूस की राष्ट्रीय तेल कंपनी - रासनेफ्ट की दो सहायक कंपनियां हैं, से सखालिन-1 परियोजना में 20% प्रतिभागिता हित प्राप्त किया है।

(ग) इस परियोजना की वित्त पोषण ओ एन जी सी के आन्तरिक संसाधनों से किया जाएगा।

(घ) ओ वी एल ने अपने वित्तीय सलाहकारों, तकनीकी सलाहकारों और कानूनी सलाहकारों के माध्यम से परियोजना का विस्तृत अध्ययन आरम्भ किया है।

(ङ) और (च) भारत जैसे तेल की कमी वाले देश में तेल सुरक्षा सुनिश्चित करने के विकल्पों की पोर्टफोलियो अनिवार्य हैं जिसमें विदेश में इक्विटी तेल सम्मिलित है। इस प्रकार ऐसे परिदृश्य में जहां तेल के मूल्य अत्यधिक संवेदनशील हैं, वहां अंतरराष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदने के अतिरिक्त सम्पत्तियों में इक्विटी हिस्सा रखना विवेकपूर्ण है। ओ वी एल पूरे विश्व में व्यवहार्य परियोजनाओं में भाग लेकर देश के लिए इक्विटी तेल अर्जित कर रही है। वे एक्सन-मोबिल में सखालिन-1 परियोजना और ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ वियतनाम परियोजना में इक्विटी प्रतिभागिता अर्जित करने में सफल रहे हैं।

फील्ड शेल्टरों का निर्माण

684. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु जैविक और रासायनिक एजेंटों से बचाव के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन) की परिकल्पना पर आधारित फील्ड शेल्टरों के निर्माण में निजी क्षेत्र को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो इन शेल्टरों की सशस्त्र सेनाओं को आपूर्ति की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या शेल्टरों का निर्माण सीमावर्ती क्षेत्रों के आम नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। रक्षा अनुसंधान तथा विकास सगंठन ने एक समेकित फील्ड शेल्टर का डिजाइन तथा विकास किया है। इस ट्रेड में एक निजी एजेंसी समेकित फील्ड शेल्टर का उत्पादन कर रही है।

(ख) और (ग) सेना को दस फील्ड शेल्टरों की आपूर्ति कर दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल परियोजनाएं

685. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लंबित/चालू रेल परियोजनाओं और उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में सर्वेक्षण कराया गया है और इनमें परियोजना-वार, राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया और उस प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितना व्यय हुआ; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रूस द्वारा अतिरिक्त कलपुर्जों की आपूर्ति

686. **श्री गुन्नीपाटी रामैया :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने हाल ही में उन विमानों के आवश्यक अतिरिक्त कलपुर्जों का उत्पादन बंद कर दिया है जिनकी आपूर्ति भारतीय वायुसेना को की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारतीय वायुसेना के विमानों के रखरखाव वाली इकाइयों में मरम्मत कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां, मिग-23 तथा मिग-25 जैसे कुछ विमानों के मामले में विनिर्माता प्लांट अब कुछ हिस्से-पुर्जों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं।

(ख) जी हां, कुछ हद तक।

(ग) इस स्थिति से देश में ही हिस्से-पुर्जों का विनिर्माण बढ़ाकर तथा अधिप्राप्ति के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करके निपटा जा रहा है। यह सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया है।

पश्चिम रेलवे को क्षति

687. श्री चिंतामन वनगा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारी वर्षा से पश्चिम रेलवे को हुए नुकसान और क्षति के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपाय किए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां। 26.6.2002 को मुम्बई में भारी वर्षा के पश्चात् रेलवे सम्पत्ति को हुई हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

पश्चिम रेलवे

(1) पालघर और बोइसर के बीच किमी. 99/24-26 पर आर्क पुल सं. 144 (3 × 12.2 मी.) ढह गया था।

(2) पुल सं. 203 की विंग दीवार गिर गई।

(3) पुल सं. 223 की स्पैंड्रल दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी।

(4) विरार-सूरत खण्ड पर केल्वे रोड और संजन स्टेशनों के बीच दो स्थानों पर हल्की दरारें आ गई।

(5) मुम्बई क्षेत्र में प्वाइंट मशीन, रेलपथ परिपथन उपस्कर और सिगनलिंग केबल जैसे सिगनलिंग उपस्कर क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके अतिरिक्त, आर्क पुल सं. 144, जो ढह गया था, के निकट ओ एफ सी केबल और सहायक उपस्कर भी क्षतिग्रस्त हो गए थे।

(6) शिरोपरि बिजली कर्षण उपस्कर को भी मामूली क्षति पहुंची थी।

(ग) और (घ) पश्चिम रेलवे में दरारें समुद्र के उच्च ज्वार से अप्रत्याशित तथा असाधारण भारी वर्षा के कारण पड़ी थीं। बहरहाल, क्षति से बचने के लिए रेलें मानसून से पहले गश्त तथा निरीक्षण द्वारा प्रत्येक वर्ष अत्यंत सावधानी बरतती हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44 का विकास

688. श्री खागेन दास : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन ने त्रिपुरा को देश के शेष भागों से जोड़ने वाले एक मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 को सुधारने, उसे दो लेनों वाला मार्ग बनाने तथा इसके रख-रखाव के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-44 के उन्नयन और रख-रखाव के लिए पर्याप्त कोष का निर्धारण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को चरणबद्ध तरीके से सुधारकर दो लेन की चौड़ाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाना है। इस पर कार्य चल रहा है। दो लेन बनाए जाने के कार्य को 2010 तक पूरा कर लिए जाने की याजना है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के स्तरोन्नयन एवं रखरखाव हेतु निम्नलिखित धनराशियां रिलीज कर दी गई हैं :

1995-1996	-	1670.77 लाख रुपए
1996-1997	-	1582.62 लाख रुपए

1997-1998	-	1146.68 लाख रुपए
1998-1999	-	2688.00 लाख रुपए
1999-2000	-	4343.71 लाख रुपए
2000-2001	-	3800.13 लाख रुपए
2001-2002	-	2877.55 लाख रुपए
2002-2003	-	3872.61 लाख रुपए

उड़ीसा के पारादीप में आयॅल रिफाइनरी

689. **श्री प्रसन्न आचार्य** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के पारादीप में भारतीय तेल निगम लिमिटेड की ऑयल रिफाइनरी परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य की गति धीमी पड़ गई है क्योंकि ऑयल कंपनी ने परियोजना की अर्थक्षमता पर विशेषज्ञों की राय मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) ने 3347 एकड़ भूमि का कब्जा लिया हैं। निष्कर्षण और भूमि सुधार, पुलों के निर्माण और एन एच-5ए को रिफाइनरी स्थल के साथ जोड़ते हुए संपर्क मार्ग के निर्माण द्वारा भूमि का विकास पूरा कर दिया गया है। शेष बुनियादी सुविधा कार्य जैसे चहारदीवारी, संयंत्र मार्गों, नालिकाओं, कार्यस्थल कार्यालय का निर्माण, निर्माण जल/विद्युत आपूर्ति आदि के लिए सुविधाएं प्रगति पर हैं।

संशोधित परियोजना लागत, देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मांग-आपूर्ति अनुमानों और परियोजना के लिए आई सी आई सी आई की मूल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कंपनी वर्तमान में परियोजना की निर्धारित समय-सूचियों की समीक्षा कर रही है।

डिजिटल दूरदर्शन केन्द्र

690. **श्री कोलूर बसवनागौड** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सामने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के सभी दूरदर्शन केन्द्रों में डिजिटल सेवा मुहैया कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, को तत्संबंधी केन्द्रवार, विशेषकर बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र के मामले में, ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित केन्द्रों को कब तक डिजिटल सेवा मुहैया कराई जाएगी;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितना धन आबंटित किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरदर्शन ने अपने सभी प्रमुख केन्द्रों पर निर्माण सुविधाओं का डिजिटलीकरण करने का प्रस्ताव किया है। इस कार्य हेतु केन्द्र विवरण तथा वरीयता फंड तथा दूसरे संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) इस कार्य हेतु अब तक दसवीं पंचवर्षीय योजना की आबंटित राशि अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन की निश्चित समय अवधि बताना साध्य नहीं है।

कर्नाटक द्वारा अधिक मात्रा में ली गयी बिजली पर अतिरिक्त प्रभार लगाया जाना

691. **श्री आर.एल. जालप्पा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक द्वारा अधिक मात्रा में ली गयी बिजली पर अतिरिक्त प्रभार लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने कर्नाटक द्वारा अधिक मात्रा में ली गयी बिजली पर अतिरिक्त प्रभार लगाने के निर्णय को निरस्त करने के लिए क्या कदम उठाये है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) केन्द्र सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रणाधीन उत्पादक कंपनियों की मूल्य सूची को अन्य बातों के साथ-साथ विनियमित करने तथा अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण विनियमित करने की दृष्टि से विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग गठित किया गया है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत मूल्य सूची में सुधार हेतु उपलब्धता आधारित मूल्यसूची

(एबीटी) जारी किया है ताकि ग्रिड अनुशासन और संचालन में सुधार लाया जा सके। एबीटी के निम्नलिखित 3 घटक है :

1. निर्धारित प्रभार
2. अंतरणीय प्रभार
3. गैर निर्धारित आदान-प्रदान प्रभार जो फ्रीक्वेंसी से जुड़ा घटक है और जो ग्रिड अनुशासन की अवेहलना करने वाले जेनरेटरों/डिस्ट्रीब्यूटरों पर प्रभारित किया जाता है।

(ख) जी हां। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों द्वारा अपने-अपने उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय के खंड पीठ को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(ग) जैसा कि विद्युत तरंगों में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पादन और भारित क्षमताओं दोनों को काफी क्षति होती है, इसलिए एबीटी का प्रयोग सभी जेनरेटरों और विद्युत प्राप्तकर्ताओं द्वारा ग्रिड अनुशासन करने हेतु आवश्यक है। एबीटी आदेश को समयबद्ध ढंग से सामने लाया जा रहा है।

टेन स्पोर्ट्स को फीफा प्रसारण का अधिकार

692. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती ने हाल ही में सम्पन्न हुए विश्व कप फुटबाल में फीका प्रसार के अधिकारों को टेन स्पोर्ट्स को देने के संबंध में सरकारी हस्तक्षेप की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इलैक्ट्रानिक अदालतों की स्थापना

693. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या अगस्त-सितंबर, 2002 तक उच्चतम न्यायालय में इलैक्ट्रानिक अदालतों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन अदालतों पर अनुमानतः कितना निवेश किया गया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) से (ङ) वर्ष 2000 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति के निदेश पर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) ने सितंबर, 2000 में उच्चतम न्यायालय के कंप्यूटरीकरण के उच्च श्रेणीकरण पर एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

एन.आई.सी. ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि उच्चतम न्यायालय में विद्यमान हार्डवेयर और साफ्टवेयर औजारों को पर्याप्त रूप में बदलने की आवश्यकता थी। कुछ नए उपयोजनों, अर्थात्, मेनेजमेंट इन्फर्नेशन सिस्टम (एम.आई.एस.), पब्लिक इंटरफेस सिस्टम और इलैक्ट्रानिक-न्यायालय (ई-न्यायालय) को आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया था। परियोजना के प्रथम चरण में अंतर्वलित 4.6 करोड़ रुपए का कुल व्यय, उच्चतम न्यायालय रहा है जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक न्यायालय के रूप में दो न्यायालय कक्षों का सृजन भी है। द्वितीय चरण के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त ई-न्यायालयों के सृजन जैसे नए पहचान किए उपयोजन भी हैं और जिसके इस प्रथम चरण की समाप्ति के छह मास पूरे होने के पश्चात् होने की संभावना है।

[हिन्दी]

राजस्थान को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता

694. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के गरीब तबकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जा रही धनराशि पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए प्रदान की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए आबंटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग करने

में विफल रही है और आबंटित धनराशि का अधिकांश भाग अप्रयुक्त पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों द्वारा अप्रयुक्त धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) द्वारा सीधे राज्य सरकारों को निधियां आबंटित नहीं की जाती। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 4 के खंड (ग) के निबंधनों के अनुसार, नाल्सा की विभिन्न विधिक सहायता स्कीमों और कार्यक्रमों के, जिनके अंतर्गत समाज के कमजोर/निर्धन वर्गों को, जिनमें अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग और अधिनियम की धारा 12 के अधीन विधिक सेवा के हकदार अन्य निर्धन व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, विधिक सेवाएं देने का उपबंध है, लिए विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के, जिनके अंतर्गत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी है, नाल्सा निधियां आबंटित करता है। पिछले कई वर्षों में नाल्सा द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई गई हैं। पिछले वर्षों में उपयुक्त प्रयोजनों के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दी गई निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

अवधि	आबंटित राशि रुपए में
(1) 1999-2000	2,00,000
(2) 2000-2001	40,55,000
(3) 2001-2002	15,00,000

(ग) और (घ) कई बरस इस कार्य की परिस्थिति के कारण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को, जिनके अंतर्गत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी है, आबंटित निधियां समाप्त नहीं हो पाती और इसलिए उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत किए जाने की अनुज्ञा दी जाती है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की दशा में वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान 82,390 रु., वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान 5,54,753 रु. को अग्रेनीत किए जाने की अनुज्ञा दी गई थी और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 6,71,342 रु., को अग्रेनीत किए जाने की अनुज्ञा दी गई है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी) के दिशा-निर्देशों की समीक्षा

695. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) ने फिल्म प्रमाणन से संबंधित अपने दिशा-निर्देशों की किसी समीक्षा का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित समीक्षा का ब्यौरा और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सी.बी.एफ.सी. द्वारा प्रमाणन की मौजूदा प्रणाली में किस प्रकार से सुधार किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

साइडिंग शुल्क में संशोधन न किया जाना

696. श्री रघुनाथ झा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइडिंग शुल्कों में संशोधन किये बगैर अप्रैल, 1998 से मार्च, 2001 के दौरान साइडिंग मालिकों से 23.52 करोड़ रुपए की कम वसूली की गयी जैसा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2002 की अपना रिपोर्ट संख्या 9 (रेलवे) के पृष्ठ 33 पर उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ठीक ढंग से साइडिंग शुल्क न निर्धारित किये जाने के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य को वित्तीय घाटा पंहुचाने में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच चल रही है और मौजूदा नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय रेलों की टिप्पणियां मांगी गई हैं।

[हिन्दी]

छावनी क्षेत्रों का विकास

697. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर राजस्थान में कितनी छावनियां कार्यरत हैं;

(ख) इस समय कार्यरत छावनी बोर्डों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विकास कार्यों के लिए इन छावनियों के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(घ) क्या इन छावनी बोर्डों को राज्य सरकारों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) संपूर्ण भारत में, राजस्थान में कार्यरत दो छावनियों सहित, 16 राज्यों में 62 छावनियां कार्य कर रही हैं। इन सभी छावनियों में इस समय छावनी परिषदें कार्य कर रहीं हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I के अनुसार है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार, धन का आबंटन संलग्न विवरण-II के अनुसार है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

राज्यवार छावनियां

आंध्र प्रदेश	-	1	मध्य प्रदेश	-	5
बिहार	-	1	महाराष्ट्र	-	7
दिल्ली	-	1	मेघालय	-	1
गुजरात	-	1	पंजाब	-	3
हरियाणा	-	1	राजस्थान	-	2
हिमाचल प्रदेश	-	1	तमिलनाडु	-	2
जम्मू और कश्मीर	-	1	उत्तर प्रदेश	-	13
झारखंड	-	1	उत्तरांचल	-	9
कर्नाटक	-	1	पश्चिम बंगाल	-	3
केरल	-	1	कुल	-	62

विवरण-II

विशेष सहायता अनुदान के रूप में आबंटित धनराशि (राज्यवार)

	राज्य का नाम	आर्थिक रूप से कमजोर छावनी परिषदों को पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास के लिए आबंटित विशेष सहायता अनुदान की राशि (रुपए में)		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र (औरंगाबाद)	28,08,200		

1	2	3	4	5
2.	उत्तरांचल (क्लेमेंट टाउन)	4,00,000		
3.	झारखंड (रामगढ़)	46,02,679	1,00,21,000	1,91,00,000
4.	उत्तरांचल (रानीखेत)	12,00,000		
		90,10,879	1,00,21,000	1,91,00,000
	1999-2000	-	90,10,879	
	2000-2001	-	1,00,21,000	
	2001-2002	-	1,91,00,000	
	सकल जोड़		3,81,31,879	

[अनुवाद]

रंगिया में मंडल रेल मुख्यालय

698. श्री एम.के. सुब्बा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रंगिया में एक पृथक रेल मंडल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्षेत्राधिकार क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) उक्त मंडल को कब तक पूरी तरह से चालू किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां। मंडल का क्षेत्राधिकार इस प्रकार है:-

रंगिया/पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

क्षेत्राधिकार मंडल से	मार्ग किमी.
रंगिया-मुरकोंग सेलक अलीपुर द्वार	450
न्यू बोंगाई गांव-रंगिया कामाख्या	142
अलीपुर द्वार बालीपाड़ा-भालुकपोंग	43
अलीपुर द्वार रंगापाडा-तेजपुर	26
अलीपुर द्वार न्यू बोंगाई गांव-जोगीघोपा	33
अलीपुर द्वार जोगीघोपा-कामाख्या	131
अलीपुर द्वार	
जोड़	825

(ग) अक्तूबर, 1995 में रंगिया मंडल के कार्यालयों और क्वार्टरों की स्थापना के लिए असम सरकार द्वारा 40 एकड़ भूमि निशुःल्क देना सुनिश्चित किया जाना था। बहरहाल, प्रस्तावित भूमि निचले क्षेत्र में होने के कारण उपयुक्त नहीं थी। रेलवे द्वारा इसके

लिए मांगी गई वैकल्पिक भूमि रंगिया खंड के निकट है, जिसके लिए राज्य सरकार भूमि के मुआवजे के बारे में पूछ रही है जो रंगिया में नए मंडल की योजना के समय तय नहीं किया गया था। कुछ रेलवे भूमि जो उपलब्ध थी, को समतल करने और नए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय की इमारत के अभिकल्प के लिए परामर्श ठेके पर अब तक लगभग 1.3 करोड़ रु. खर्च हो चुके हैं।

(घ) यह मंडल 1.4.2003 से कार्य करने लगेगा।

[हिन्दी]

लोहरदगा में भारी उद्योग

699. प्रो. दुखा भगत: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कोई आधारभूत अथवा भारी उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर झारखंड के लोहरदरा में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जहां तक भारी उद्योग विभाग के तहत् सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, इस समय सरकारी क्षेत्र के किसी नए उपक्रम को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक द्वारा कायमकुलम विद्युत संयंत्र से खरीदी गयी 100 मेगावाट विद्युत

700. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केरल में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कायमकुलम विद्युत संयंत्र से 100 मेगावाट विद्युत खरीदने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय विद्युत मंत्री द्वारा बुलायी गयी दक्षिणी राज्यों के विद्युत मंत्रियों की बैठक के दौरान यह सहमति हुई;

(ग) यदि हां, तो क्या कर्नाटक को कायमकुलम विद्युत संयंत्र से विद्युत मिल गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे राज्य की विद्युत आवश्यकता पूरी हो जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से मांगी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) केन्द्रीय विद्युत मंत्री द्वारा दिनांक 17.5.2002 को नई दिल्ली में दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों के बिजली मंत्रियों के साथ बुलायी गयी बैठक कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन लि. (केपीटीसीएल)/ कर्नाटक सरकार पावरग्रिड द्वारा तालचेर-कोलार एचवीडीसी लिंक चालू किए जाने के बाद नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीसीपी) के पूर्वी क्षेत्र स्टेशनों से 90 मेगावाट विद्युत समेत कायमकुलम स्टेशन से 90 मेगावाट विद्युत खरीदने के लिए सहमत हो गयी है। इस लाईन को इस वर्ष चालू करने का कार्यक्रम है।

कर्नाटक सरकार ने राज्य में वर्तमान विद्युत संकट से निपटने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन स्टेशनों के अनावंटित कोटे से विद्युत का अतिरिक्त आवंटन किए जाने का अनुरोध किया है। विद्युत की इस कमी को पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन स्टेशनों के अनावंटित कोटे से 60 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन किया है और पूर्वी क्षेत्र के एनटीपीसी के स्टेशनों से भी 50 मेगावाट विद्युत का आवंटन किया है।

दुपहिया/तिपहिया वाहनों के लिए रसोई गैस का उपयोग

701. श्री वाई.वी. राव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए रसोई गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार इस संबंध में केन्द्र सरकार से आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/करने का प्रस्ताव है; और

(घ) अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से दुपहिया/तिपहिया वाहनों में बदले जा सकने योग्य सिलेन्डर के साथ आटो ईंधन के रूप में एल पी जी के उपयोग की अनुमति देने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (सी सी ओ ई) ने सुरक्षा कारणों की वजह से दुपहिया/तिपहिया वाहनों में बदले जा सकने योग्य सिलेंडरों के उपयोग की अनुमति नहीं दी है और इसलिए सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है।

भारतीय तटरक्षकों के पास उपलब्ध बचाव सुविधाएं

702. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अभ्यास के दौरान भारतीय तटरक्षकों के पास खोज और बचाव सुविधाएं उपलब्ध होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) युद्ध के दौरान स्थिति से निपटने के लिए पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी नौसेना कमानों के पास उपलब्ध संसाधनों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) भारतीय तटरक्षक के बेड़े में 52 पोत और 42 विमान हैं जो खोज और बचाव आपरेशनों को कार्यान्वित करने के लिए अपने-अपने समुद्री बचाव समन्वय केन्द्रों के नियंत्रण में रहते हैं। युद्ध के दौरान तटरक्षक बल नौसेना समान के अधीन कार्य करेगा। ऐसी परिस्थिति में तटरक्षक बल परिसंपत्तियों सहित पश्चिम, दक्षिण और पूर्व नौसेना कमान के पास उपलब्ध पोत और विमान खोज एवं बचाव आपरेशनों पर तैनात किए जांएगे।

रेल कर्मचारियों के लिए नयी पेंशन योजना

703. **श्री गंता श्रीनिवास राव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय रेल कर्मचारियों के लिए एक नयी पेंशन योजना लागू करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में रेल कामगारों की राय ली है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी हां। अगर सरकार द्वारा सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना शुरू करने का अंतिम निर्णय ले लिया जाता है तो रेल मंत्रालय रेल कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना शुरू कर देगा। चूंकि विद्यमान रेल पेंशन योजना मौजूदा केंद्र सरकार की पेंशन योजना पर आधारित हैं। अत: रेल कर्मचारियों के लिए कोई नई पेंशन योजना भी सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय की गई पेंशन योजना पर आधारित होगी।

(ख) से (घ) रेल कर्मचारी, पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग, जो कि कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन नीति संबंधी मामलों पर भारत सरकार का नोडल विभाग है, द्वारा तैयार की गई पेंशन और पेंशनर पेंशन योजना द्वारा शासित होते हैं। नई पेंशन योजना की विशेषताएं और योजना के प्रभावी होने की तारीख इस मंत्रालय को ज्ञात नहीं हैं क्योंकि पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग द्वारा अभी इस संबंध में निर्णय लिया जाना है। चूंकि सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पेंशनीय मामलों पर पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग का निर्णय रेल कर्मचारियों पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होना अपेक्षित है, अत: रेल कर्मचारियों के साथ अलग से परामर्श करना आवश्यक नहीं हैं।

अपराध मुक्त राजनीतिक वातावरण

704. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपराध मुक्त राजनीतिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निकट भविष्य में एक नया कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कानून की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) से (ग) सरकार राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के उद्देश्य से संसद के चालू सत्र में राजनीतिक दलों के परामर्श से एक उपयुक्त विधान लाने का आशय रखती है। विधेयक का प्रारुप

अर्थात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2002 राजनीतिक दलों के बीच उनके विचार जानने के लिए पहले ही परिचालित किया जा चुका है।

सी.एन.जी. स्टेशनों पर विद्युत प्रभार की लागत

705. **श्री अधीर चौधरी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.जी.एल. मुंबई में विभिन्न तेल कंपनियों के उन विक्रय केन्द्रों के विद्युत प्रभारों की वास्तविक लागत का भुगतान/ पुनर्भुगतान कर रहा है जिनके पास आन लाइन सी.एन.जी. स्टेशनों को चलाने के लिए पृथक विद्युत मीटर है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में आई.जी.एल. भी यही मानदंड अपना रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के क्या कारण है;

(घ) क्या इस भेदभाव के कारण कुछ आन लाइन सी.एन.जी. स्टेशन बंद हो गये हैं जिसके कारण प्रभावित वाहन चालकों की समस्याएं और बढ़ गई हैं;

(ङ) क्या यह भेदभाव केवल आई.ओ.सी.एल. के डीलरों को बदनाम करने के लिए बदला जा रहा है क्योंकि बी.पी.सी.एल. के अधिकारी आई.जी.एल. में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वरिष्ठ पद संभाले हुए हैं;

(च) प्रति 100 किलो सी.एन.जी. प्रदान करने में दिल्ली और मुंबई में बिजली की क्रमशः कितनी यूनिटों की खपत हुई और उन पर क्रमशः विद्युत की कितनी लागत आई; और

(छ) इस भेदभाव को कब तक दूर किये जाने की संभावना है और दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी/किये जाने का प्रस्ताव हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई जी एल) तेल विपणन कंपनियों को विद्युत प्रभारों की भुगतान औसत आधार पर करती न कि वास्तविक विद्युत उपभोग के आधार पर। उत्पादित प्रति कि.ग्रा. सी एन जी औसत विद्युत प्रभार तेल विपणनकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधियों को शामिल करके बनाई गई एक समिति द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ऐसी स्थिति में कोई भेदभाव नहीं हुआ हैं।

(घ) एक डीलर इस राशि से संतुष्ट नहीं था और उसने उच्चतर विद्युत प्रभारों की कटौती करने का अकेले-अकेले निर्णय लिया। उक्त संबंधित डीलर को आपूर्तियां अस्थाई रूप से निलंबित कर दी गई। अब 9 जुलाई से आपूर्तियां बहाल कर दी गई हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) मुबंई में 100 कि.ग्रा. सी एन जी का संपीड़न करने के लिए खपत होने वाले बिजली के यूनिटों की औसत संख्या 21 से 23 की श्रृंखला में है। एक डाटर बूस्टर केन्द्र जहां गैस का पुनः संपीड़न किया जाना होता है, के लिए संपीड़न के लिए खपत होने वाले बिजली यूनिटों की औसत संख्या 28 से 30 की श्रृंखला में है।

दिल्ली में 100 कि.ग्रा. सी एन जी का उत्पादन करने के लिए बिजली के लगभग 15 यूनिटों की खपत बताई गई है। मुबंई में बिजली की प्रति यूनिट लागत 5.2 रुपये से 6.75 रुपये प्रति यूनिट और दिल्ली में 5.25 रुपये प्रति यूनिट है।

(छ) चूंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है इसलिए किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मिग विमान को आधुनिक बनाना

706. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिग विमानों की बार-बार हो रही दुर्घटनाओं के मद्देनजर उन्हें आधुनिक बनाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस सिलसिलें में रूसी विशेषज्ञों के एक दल ने भारत का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में रूसी विशेषज्ञों और 'हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड' के विशेषज्ञों की रिपोर्ट क्या है;

(घ) मिग विमान बेड़े के आधुनिकीकरण के संबंध में क्या लक्ष्य तय किया गया है; और

(ङ) इन विमानों में आर-25 इंजिन लगाए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) मिग-21 बिस विमानों (मिग-21 श्रृंखला का नवीनतम संस्करण) का उनकी संक्रियात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए उन्नयन किया जा रहा है। उन्नयन योजना का विमान दुर्घटनाओं से कोई संबंध नहीं है।

(ख) जी, नहीं। उन्नयन परियोजना के संबंध में नहीं।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) वित्त वर्ष 2004-05 तक कुल 125 मिग-21 बिस विमानों का उन्नयन किया जाना है।

(ङ) आर-25 इंजनों को रखा जा रहा है क्योंकि ये उन्ननित विमानों के लिए उपयुक्त पाए गए हैं।

दूरदर्शन स्टूडियो कॉम्प्लेक्स

707. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का अगले दो वर्षों के दौरान देश में कुछ और स्टूडियो कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और स्थलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्धारित अवधि में इन स्टूडियों का कार्य पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) वर्तमान में देश के विभिन्न भागों में 9 स्टूडियो प्रोजेक्टों पर काम हो रहा है। ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है। प्रोजेक्टों की नियमित मानीटरिंग क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तरों पर की जाती है तथा आवश्यक होने पर उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं ताकि समय अनुसार उनका स्थापना कार्य पूरा किया जा सकें।

विवरण

कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन स्टूडियो प्रोजेक्ट

राज्य/संघ शासित	स्थान
आन्ध्र प्रदेश	वारांगल
हरियाणा	हिसार
जम्मू और कश्मीर	राजौरी
केरल	कालीकट
पंजाब	पटियाला
सिक्किम	गंगटोक
तमिलनाडु	कोय्यमबटुर
	मदुराई
दिल्ली	डी डी भवन

न्यायिक प्रशासनिक दंड संहिता

708. श्री मानसिंह पटेल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायिक प्रशासनिक दंड-सहिता और कानूनी प्रक्रिया का वर्तमान प्रणाली के विषय में एक व्यापक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार और न्यायपालिका की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या न्यायिक प्रक्रिया को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से उसे आम आदमी के लिए सुलभ करने हेतु, न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाकर न्यायपालिका को एक नया स्वरूप देने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, गृह मंत्रालय ने विद्यमान दांडिक न्याय प्रणाली में व्यापक परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए न्यायमूर्ति श्री वी.एस. मलिमथ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

(ग) और (घ) देश की न्याय प्रणाली को सरल और कारगर बनाने का संबंध सरकार और न्यायपालिका दोनों ही से है। यह एक निरन्तर चलने वाली और सतत् प्रक्रिया है। सरकार, विधि आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों के आधार पर प्रक्रियाओं को सरल बनाने और मामलों के निपटारे में शीघ्रता लाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाती रही है। विशेष न्यायिक/ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और माध्यस्थम और सुलह जैसे विवाद समाधान के वैकल्पिक ढंगों को अपना यातायात संबंधी

मामलों जैसे छोटे-मोटे अपराधों के निपटान के लिए उपाय किए गए हैं। लोक अदालतों को विवादों के समाधान के लिए अनुपूरक मंच के रूप में कानूनी आधार प्रदान किया गया है। लोक उपयोगी सेवाओं को इसके अंतर्गत लाने के लिए अनुपूरक मंच रूप में कानूनी आधार प्रदान किया गया है। लोक उपयोगी सेवाओं को इसके अंतर्गत लाने के लिए इन्हें विस्तारित किया जा रहा है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के व्यापक संशोधनों को 1 जुलाई, 2002 से प्रवर्तन में लाया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ, वाद के विभिन्न प्रक्रमों पर समय सीमा का नियत किया जाने, कमीशनों के माध्यम से साक्ष्य लेना, वाद के किसी पक्षकार के पक्ष में स्थगनों का तीन तक सीमित किया जाना और सुनवाई के पश्चात् 60 दिन के भीतर निर्णय दिया जाना भी सम्मिलित है। न्याय प्रदान किए जाने में शीघ्रता लाने के लिए प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के माध्यम से जिला न्यायालयों सहित सभी न्यायालयों की अवसंरचना में सुधार लाने के लिए और ई-मेल तथा इंटरनेट के प्रयोग के माध्यम से न्यायालयों में पहुंच सुधार के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय और अधिकांश उच्च न्यायालयों में पूछताछ/सुविधा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। दिल्ली, चैन्नई, कोलकाता और मुम्बई जैसे चार प्रमुख महानगरों में इंटरनेट के माध्यय से मामलों को इलैक्ट्रोनिक रूप से फाइल करने और न्यायालय आदेशों की प्रतियों की पुन: प्राप्ति की सुविधा वाली एक अग्रणी परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के पक्षकारों को इंटरनेट के माध्यम से उनके मामलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में समर्थ बनाने की सुविधा का विकास किया जाएगा।

[अनुवाद]

मानवाधिकारों का उल्लंघन

709. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेना के अधिकारियों/जवानों के माध्यम से विभिन्न राज्यों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान जून, 2002 तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों में तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई जांच आरंभ की है;

(घ) यदि हां, तो कितनी शिकायतें सही पाई गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। विचाराधीन अवधि में मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में सेवारत सशस्त्र सेना कार्मिकों से तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से दो शिकायतें राज्य सरकार की पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बारे में है और तीसरी शिकायत जम्मू-कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा एक बस में जोड़-तोड़कर बनाए गए विस्फोटक उपकरण के विस्फोट में एक बच्चे की मृत्यु के लिए केन्द्र सरकार से अनुग्रह के रूप में वित्तीय सहायता मांगे जाने के संबंध में है।

(ग) से (ङ) राज्य पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने से संबंधित पहले दो मामलों में संबंधित राज्य सरकारों से मामले की जांच करने तथा अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। एक राज्य सरकार ने जांच-कार्य पूरा कर लिया है तथा सजा सुना दी है। दूसरे मामले में, राज्य सरकार ने अपराध शाखा के माध्यम से जांच किए जाने के आदेश दिए हैं। जोड़-तोड़कर बनाए गए विस्फोटक उपकरण के विस्फोट में सेवारत अफसर की पुत्री की मृत्यु से संबंधित तीसरे मामले में उन्होंने मुआवजे के लिए अनुरोध किया है। ऐसे मामलों में अनुग्रह मुआवजे के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अत: अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका था।

[हिन्दी]

प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण

710. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जनवरी, 2002 से लेकर आज तक कितने प्रक्षेपास्त्र परीक्षण किए हैं और इनकी मारक दूरी कितनी थी;

(ख) प्रत्येक परीक्षण पर कितना खर्च हुआ;

(ग) उक्त प्रक्षेपास्त्रों को भारतीय सशस्त्र सेनाओं के शस्त्रागार में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या पाकिस्तान के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के मद्देनजर सरकार भविष्य में ऐसे और परीक्षण करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जनवरी, 2002 से सात विकास उड़ान परीक्षण किए गए हैं जिनमें त्रिशूल के नौसेना रूपांतरण के दो उड़ान परीक्षण, ब्रहमोस का एक, आकाश का एक, नाग के दो तथा अग्नि-1 को एक उड़ान परीक्षण शामिल है। इन प्रक्षेपास्त्रों की मारक क्षमता नीचे दिए अनुसार है :

नौसेना त्रिशूल	9 कि.मी.
नाग	4 कि.मी.
अग्नि-1	700 कि.मी.
ब्रहमोस	30 कि.मी. तक
आकाश	25 कि.मी.

(ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक प्रयोगशाला पूरी तरह से प्रक्षेपास्त्रों के उड़ान परीक्षण कार्य में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त, अन्य प्रयोगशालाओं के अनेकानेक वैज्ञानिक एवं कार्मिक जिन्होंने प्रक्षेपास्त्र तथा सहायक प्रणाली का विकास किया है, परीक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं। प्रक्षेपास्त्र परीक्षण संबंधी विविध लागतों का संविभाजन करने की परिपाटी नहीं है।

(ग) त्रिशूल, आकाश एवं नाग प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का विकास कार्य क्रमश: दिसंबर, 2003 तथा दिसंबर, 2004 तक पूरा हो जाने का आशा है जिसके बाद ये प्रक्षेपास्त्र प्रयोक्ता परीक्षण, उत्पादन एवं शामिल किए जाने के लिए तैयार रहेंगे। अग्नि-1 का विकास कार्य पूरा हो गया है तथा इस प्रक्षेपास्त्र का उत्पादन करके इसे शामिल किए जाने से पूर्व इसका एक बार और परीक्षण किया जा रहा है। ब्रहमोस सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र के वर्ष 2003 के अंत तक उत्पादन चरण में प्रवेश करने की संभावना है तथा इसे वर्ष 2004 तक अधिष्ठापित कर लिया जाएगा।

(घ) और (ङ) भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सामरिक आवश्यकताओं एवं राष्ट्र की सुरक्षा संबंधी जरूरतों के आधार पर प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का डिजाइन, विकास एवं उड़ान परीक्षण किया जाना एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

सैन्य ठेकों में मानदंडों का उल्लंघन

711. कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी :
श्री रामजी मांझी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जून, 2002 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'गवर्नमेंट पुल्ड अप फार नार्म वायलेशन इन आर्मी कांट्रेक्ट' शीर्षक से ' काशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय भंडार/सुपर बाजार/ एन.सी.सी.एफ. से ही वस्तुओं की खरीद चाहे उनकी दरें खुले बाजार से कितनी ही ऊंची क्यों न हों, के लिए सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों में छूट संबंधी कोई कार्यालय ज्ञापन जारी किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) कार्यालय ज्ञापन को महत्व न देने के क्या कारण हैं;

(ज) क्या वित्त मंत्रालय ने 50,000/- से अधिक की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के लिए दिसंबर, 1998 में भी कार्यालय ज्ञापन जारी किया था;

(झ) यदि नहीं, तो 50,000/- रुपए से अधिक की खरीद के लिए खुली निविदा आमंत्रित न करने के क्या कारण हैं; और

(ञ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ञ) सरकार को 15 जून 2002 के 'द हिंदुस्तान टाइम्स' में 'गवर्नमेंट पुल्ड अप फॉर नार्म वायलेशन इन आर्मी कांट्रेक्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है। यह रिपोर्ट घाद्रा कैमिकल्स लिमिटेड बनाम यूनियन आफ इंडिया तथा अन्य के मामले में वर्ष 2002 की रिट याचिका संख्या 572 के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 6 जून, 2002 को दिए गए एक निर्णय पर आधारित है।

इस मामलों में तथ्य यह है कि सेना मुख्यालय (आपूर्ति एवं परिवहन महानिदेशालय) ने वर्ष 2002-03 की आवश्यकता के प्रति 50 किलोमीटर टेम्फोस 50% कीटनाशक की खरीद हेतु निविदाएं आमंत्रित की थीं तथा ये निविदाएं अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा दिनांक 27.11.2001 को खोली गई थीं। इस निविदा जानकारी के

प्रति तीन आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त मूल्य दरों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) मैसर्स घाद्रा कैमिकल्स लिमिटेड, मुंबई-481.40 रु. प्रति लीटर

(ख) मैसर्स एग्रीमोर लिमिटेड, अतुल, गुजरात-503.00 रु. प्रति लीटर (5% सामान मुफ्त में देने का प्रस्ताव किया था)

(ग) मैसर्स फिकस आर्गैनिक्य, लिमिटेड, मुंबई-612.52 रु. प्रति लीटर

आपूर्ति एवं परिवहन निदेशालय ने इन निविदाओं पर कार्रवाई की तथा उसने मैसर्स एग्रीमोर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित छूट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था तथा उसने मैसर्स एग्रीमोर लिमिटेड, अतुल गुजरात के एल-1 होने की वजह से उससे वार्ता करने की सिफारिश की थी। विधिवत् रूप से गठित मूल्य वार्ता समिति ने मैसर्स एग्रीमोर लिमिटेड द्वारा किए गए प्रस्ताव पर विचार किया तथा कुल 479.50 रु. प्रति लीटर मूल्य संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था।

मूल्य वार्ता समिति के उपयुक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर मैसर्स घाद्रा कैमिकल्स लिमिटेड, मुंबई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 2002 की रिट याचिका सं. 572 दायर की जिसने अपने दिनांक 6.6.2002 के आदेश में मैसर्स एग्रीमोर लिमिटेड के मुफ्त में देने के प्रस्ताव को छूट प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया। तथापि, न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता को संविदा नहीं देने का निर्णय दिया। साथ ही न्यायालय ने यह निदेश दिया था कि मैसर्स एग्रीमोर लिमिटेड द्वारा विगत में की गई आपूर्तियों को अस्वीकार नहीं किया जाएगा तथा यह फर्म मौजूदा आपूर्ति आर्डर के तहत आगे किसी प्रकार की सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करेगा। न्यायालय ने शेष सामग्री की मात्रा के लिए सीमित निविदा आमंत्रित करने का निदेश दिया था।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली उच्च न्यायालय ने न ही किसी अधिकारी को दोषी पाया है और न ही इस मामले में कोई जांच करने का सुझाव दिया है, अत: किसी प्रकार की जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकार ने अपने दिनांक 14.7.1981 के आदेश के जरिए केंद्र सरकार के सभी विभागों के दायित्व के रूप में यह आवश्यक कर दिया कि वे सामान्य वित्तीय नियमों में निर्धारित निविदा/कोटेशन आमंत्रित करने संबंधी प्रक्रिया में छूट प्राप्त करते हुए लेखन सामग्री तथा अन्य मदों की भी समस्त खरीददारी केंद्रीय भंडार से करें।

जहां तक रक्षा संबंधी खरीददारी में सामान्य वित्तीय नियमों के लागू होने का प्रश्न है, यह स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य वित्तीय नियम के नियम 99 में, मदों की बड़ी मात्रा में खरीददारी, उत्पादन अथवा उपयोग करने वाले विभागों के लिए विभागीय विनियम/नियम/अनुदेश बनाए जाने का प्रावधान है। तदुनसार रक्षा सेवा विनियम-वित्तीय विनियम बनाए गए हैं जिनका रक्षा मंत्रालय पालन करता है। टेम्फोस 50% की खरीददारी रक्षा मंत्रालय के गुणता आश्वासन महानिदेशालय एवं केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड, फरीदाबाद के पास पंजीकृत विनिर्माताओं से इस विनियम तथा निर्धारित मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार की गई थी।

जहां तक 50,000 रु. से ऊपर की मदों की खरीददारी खुली निविदा से करने संबंधी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 1986 के कार्यालय ज्ञापन का संबंध है, इसे दिनांक 28 मई 1999 को संशोधित करके 2.00 लाख रु. कर दिया गया है। टेम्फोस की खरीददारी प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में खुली निविदा विज्ञापित करके की गई थी।

संयुक्त विद्युत कार्य दल

712. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री रामपाल सिंह :
डा. अशोक पटेल :
श्री ए. नरेन्द्र :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विद्युत कें क्षेत्र में भारतीय और ब्रिटिश विशेषज्ञ शामिल करके एक संयुक्त विद्युत कार्य दल गठित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या इस बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) जून, 2002 के अंतिम सप्ताह में विद्युत मंत्री की यू.के. यात्रा के दौरान विद्युत क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा यू.के. के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त विद्युत क्षेत्र कार्यदल की स्थापना की परिकल्पना की गयी है ताकि विद्युत क्षेत्र में सुधारों

को प्रोत्साहित किया जा सके। इसमें क्षेत्र संबंधी अध्ययनों, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में विशेषज्ञों तथा सहयोग के अन्य माध्यमों के विनियम की भी परिकल्पना की गयी है। समझौता ज्ञापन में सूचना, अनुभव तथा सर्वोत्तम परिपाटियों की शेयरिंग के माध्यम से विद्युत क्षेत्र में सहयोग की बात भी कही गयी है।

[हिन्दी]

रक्षा तैयारी

713. **श्री रामदास आठवले :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और चीन भारत की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में हथियारों का आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया है/करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) कोई भी देश आधुनिकीकरण की अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप हथियारों के आयात का सहारा लेता है। भारत की अपेक्षित युद्ध क्षमता को बनाए रखने के लिए हथियारों के जरूरत का निर्धारण करते समय पड़ोसी देशों द्वारा अधिप्राप्त किए गए हथियारों को ध्यान में रखा गया है।

[अनुवाद]

गुजरात की हिंसा पर एडीटर्स गिल्ड की सिफारिशें

714. **श्री आनन्दराव विठोवा अडसुल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' ने ऐसी कोई मांग की है कि समाचार-माध्यमों के कतिपय वर्गों द्वारा प्रकाशित समाचारों की जांच करने के लिए एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की जाये, जो गिल्ड के कथनानुसार गुजरात में हिंसा भड़काने और नफरत फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उन्होंने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) एडिटर्स गिल्ड ने सुझाव दिया है कि मीडिया के उन वर्गों के लेखों की जांच के लिए सरकार द्वारा एक उच्च न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो इस बात की सिफारिश करे कि प्रथम दृष्टया कानून का घोर उल्लंघन करने वाले यदि कोई हो, के विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई की जाए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऐसे मामले भारतीय प्रेस परिषद द्वारा देखे जाते हैं वर्तमान में जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। मीडिया में लोक सेवा तथा उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देने व उच्च मानकों को स्थापित करने हेतु भारतीय प्रेस परिषद उत्तरदायी हैं। परिषद को यदि यह विश्वास हो जाए कि किसी समाचारपत्र, एजेंसी, संपादक या पत्रकार ने पत्रकारिता आचरण या जनभावना का उल्लंघन किया है या व्यावसायिक कदाचार किया है तो परिषद आवश्यक होने पर, उनके विरुद्ध चेतावनी, निंदा या भर्त्सना कर सकती है।

काजीपेट और सिकंदराबाद के बीच रेलगाड़ियों का तेज चलना

715. **श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेल में काजीपेट और सिकंदराबाद के बीच का रेल मार्ग रेलगाड़ियों के तेज गति से चलने के लिए उपयुक्त नहीं हैं;

(ख) क्या इस रेलमार्ग पर रेल-दुर्घटना के खतरे के मद्देनजर, संबंधित स्टॉफ ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दक्षिण मध्य रेल में ऐसे अन्य और कौन से खंड हैं जिसके अन्तर्गत आने वाले रेल मार्ग पर तेज गति से रेलगाड़ियां नहीं चलाई जा सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस रेल मार्ग का सुधार करने के लिए किन कदमों का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दक्षिण मध्य रेल का काजीपेट-सिकंदराबाद खंड अनुमेय गति पर गाड़ियों को तीव्र गति से चलाने हेतु उपयुक्त है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस रेलवे के सभी मुख्य मार्गों पर तीव्र गति से चलने वाली गाड़ियों का संचलन अनुमेय है।

(ङ) रेलपथ में सुधार करना एक सतत कवायद है। नियमित अनुरक्षण के अलावा, आवश्यकता होने पर रेलपथ नवीकरण भी किए जाते है, बशर्ते निधि उपलब्ध हों।

चिह्न प्रणाली की स्थापना

716. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिह्न-प्रणाली पेट्रोल/डीजल की मिलावट की पहचान की अंतिम जांच है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चिह्न प्रणाली की स्थापना की स्वीकृति दी है;

(ग) यदि हां, तो इस मशीन का शुरूआती मूल्य क्या है और इसे किस मूल्य पर खरीदा जा रहा है;

(घ) क्या इसे वैश्विक निविदा प्रणाली पर खरीदा जा रहा है या एकल जांच प्रणाली पर;

(ङ) क्या अखिल भारतीय पेट्रोलियम व्यापारी संघ के अध्यक्ष की इस खरीद के पीछे कोई भूमिका थी;

(च) यदि हां, तो उन स्थानीय प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है जो इस मशीन की आपूर्ति कर रहे हैं;

(छ) इन मशीनों को खरीदने के लिए दी गई प्रारंभिक दर की तुलना में ऊंची दर पर खरीदने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) मार्कर प्रणाली पेट्रोल/डीजल की मिलावट का पता लगाने के लिए अंतिम जांच नहीं हैं। यह ईंधन तेलों की मिलावट का पता लगाने की शीघ्र और प्रभावकारी जांच है।

(ख) सरकार ने तेल उद्योग को आरम्भ में दिल्ली और मुंबई में ईंधन तेल पैमाने पर आर ओ एच एम और एच ए ए एस प्रौद्योगिकी के आधार पर मार्कर प्रणाली और परीक्षण करने का निर्देश दिया है।

(ग) परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ आपूर्तिकर्ता नामत: मैसर्स रोह्म एण्ड हास ने 1 पैसा प्रति लीटर की लागत पर मार्कर और छह डिजिटल एनालाईजर्स की आपूर्ति की है जिनमें से तीन की आपूर्ति निशुल्क की गई थी और शेष के लिए नाममात्र का पट्टा प्रभार है। तथापि वाणिज्यिक कवायद हेतु डिजीटल एनालाइजर्स का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होगा। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) ने भी 9.5 लाख रुपये की लागत से एक डोजिंग पम्प का प्रापण किया है।

(घ) क्रियान्वयनाधीन मार्कर प्रणाली मालिकाना किस्म की है इसका चयन उच्च शक्तिप्रदत्त अध्ययन दल द्वारा किया गया था। इसके मद्देनजर बृहत पैमाने की परीक्षण की शुरुआत के लिए यह प्रणाली एकल जांच आधार पर प्राप्त की जा रही है।

(ङ) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई भूमिका नहीं लाई गई हैं क्योंकि खरीद का कार्य तेल कंपनी द्वारा कंपनी की निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जा रहा है।

(च) मार्कर और डोजिंग उपस्कर सहित डिजीटल एनालाइजर की आपूर्ति मैसर्स रोह्म एण्ड हास द्वारा अपने यू.के. कार्यालय से की जाएगी।

(छ) अभी तक मशीनों की अधिप्राप्ति नहीं की गई है। तथापि सभी तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों को लेकर बनाई गई एक समिति संपूर्ण मार्कर प्रणाली की अधिप्राप्ति के लिए मैसर्स रोह्म एण्ड हास के साथ वार्ता कर रही हैं। अत: संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता।

अत्याधुनिक लोको-इंजिनों का निर्यात

717. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने अत्याधुनिक लोकोमोटिव-इंजिनों का निर्यात करने के लिए दीर्घावधि-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इन लोको-इंजिनों को निर्यात किए जाने हेतु किन-किन देशों की पहचान की गई है;

(ग) क्या भारतीय रेल ने इन अत्याधुनिक लोको-इंजिनों का निर्माण शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त लोको-इंजिनों के उत्पादन पर कितनी लागत आयेगी; और

(च) भारतीय रेल द्वारा कितने लोकों-इंजिनों का निर्माण कर लिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) भारतीय रेले अपने विपणन स्कंध यथा राइट्स और इरकान के जरिए अत्याधुनिक डीजल और बिजली रेल इंजनों सहित सभी प्रकार के चल स्टाक का निर्यात कर रही हैं। चूंकि इसे अंतर्राष्टीय बोली में भाग लेकर हासिल किया जाना है इसलिए देशों के नाम की पहचान के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करना संभव नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) से (च) डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी द्वारा 2001-02 के दौरान उच्च अश्व शक्ति वाले डब्ल्यूडीजी 4 से 3 रेल इंजनों का निर्माण किया गया था। 2002-03 के दौरान इस प्रकार के अन्य 25 डीजल रेल इंजनों के निर्माण की योजना बनाई गई है। 2002-03 के बजट अनुमान के अनुसार, प्रति रेल इंजन अनुमानित लागत 12.75 करोड़ रुपये है।

इसी प्रकार, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में 2001-02 तक डब्ल्यूएपी5 के3, डब्ल्यूएपी7 के4, डब्ल्यूएजी9 के 27 बिजली रेल इंजनों का निर्माण किया गया था। 2002-03 के दौरान इसी प्रकार के अन्य 25 बिजली रेल इंजनों के निर्माण की योजना है। बिजली रेल इंजनों के निर्माण की औसत लागत 1998-99 के 21.41 करोड़ रुपये से 2001-02 के 13.65 करोड़ रुपये के बीच है।

[हिन्दी]

उत्तरी रेलवे के खान-पान विभाग में फर्जी बिल

718. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी रेलवे के खान-पान विभाग में फर्जी बिलों के जरिये मासिक भुगतान करने का चलन बेरोकटोक जारी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार प्रतिमास कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है और यह भुगतान किसे किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने फर्जी बिलों के आधार पर भुगतान करने के संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसका निष्कर्ष क्या रहा और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) खानपान विभाग द्वारा जाली बिलों के माध्यम से भुगतान के बारे में कोई विशिष्ट मामला ध्यान में नही आया है। बहरहाल, इस मामले पर 14.6.2002 को राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र में रिपोर्ट छपी थी, जिसके संबंध में क्षेत्रीय रेलवे द्वारा जांच की गई थी और कोई अनियमितता सिद्ध नहीं हो पाई थी।

मध्य प्रदेश में बिजली की कमी

719. श्री रामानन्द सिंह :
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश इन दिनों भारी विद्युत-संकट की समस्या का सामना कर रहा है और विद्युत की अपनी आवश्यक मात्रा के आधे का भी उत्पादन नहीं कर पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किये जा रहें हैं या किये जाने का विचार है;

(ग) मध्य प्रदेश स्थित किन-किन विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है; और

(घ) राज्य में विद्युत-संकट कब तक समाप्त हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) मध्य प्रदेश राज्य में अप्रैल-जून, 2002 तक की अवधि की विद्युत आपूर्ति की स्थिति इस प्रकार है:

ऊर्जा (मि.यू.)		व्यस्ततमकालीन (मेगावाट)	
आवश्यकता	7190	व्यस्ततमकालीन मांग	4572
उपलब्धता	6122	व्यस्ततमकालीन आपूर्ति	3642
कमी	1068	कमी	930
%	14.9	%	20.3

अप्रैल-जून, 2002 के दौरान राज्य विद्युत बोर्ड ने 3383 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना नें 3531 मिलियन यूनिट विद्युत अपने संसाधनों से उत्पादित की और इस प्रकार लक्ष्य में 4.4% की वृद्धि दर्ज की। यह वृद्धि पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में 15.7% अधिक है।

(ख) मध्य प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य को पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय सेक्टर स्टेशनों के अनावंटित कोटे से 32% तथा पूर्वी क्षेत्र के एनटीपीसी के अनावंटित कोटे से लगभग 250 मेगावाट विद्युत दी गयी है। मांग पक्ष प्रबंधन, टी एंड हानियों में कटौती, ऊर्जा संरक्षण, पुराने और अक्षम संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण तथा जीवन वृद्धि आदि के उपाय के माध्यम से विद्युत की उपलब्धता में सुधार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आकलन के अनुसार, 10वीं, योजना के दौरान मध्य प्रदेश में 2399.5 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की वृद्धि होने का अनुमान हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य को पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित होने वाले केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों से भी अपने हिस्से की बिजली प्राप्त होने की अनुमान है।

(ग) और (घ) विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने हेतु न ही मध्य प्रदेश राज्य को और न ही किसी राज्य को प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। तथापि, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 तक सभी को विद्युत उपलब्ध कराने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकारों के सहायतार्थ कई उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

बायो-डीजल प्रयोग में लाना

720. **श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में, विशेषकर दिल्ली जैसे महानगरों में, पर्यावरणीय रूप से अनुकूल बायो-डीजल को प्रयोग में लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे देश में प्रदूषण को कम करने में किस सीमा तक मदद मिलेगी; और

(घ) दिल्ली और अन्य महानगरों में इसे कब तक प्रयोग में लाए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) फिलहाल केवल अनुसंधान और विकास अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ख) से (घ) उपयुक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत शुल्क

721. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा** :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में उपभोक्ता के लिये विद्युत शुल्क अलग-अलग है;

(ख) यदि हां, तो देश में घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं से राज्यवार कितना विद्युत शुल्क लिया जाता है;

(ग) शुल्क निर्धारण के क्या मानदंड नियत किये गये है; और

(घ) क्या ये मानदंड सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होते हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्रभारित विद्युत शुल्क के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) और (घ) विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 59 के प्रावधानों के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों को अपनी मूल्य सूची इस ढंग से तैयार करनी होती है कि किसी वर्ष के लेखे में कुल राजस्व, सभी खर्चों, आय और लाभ पर करों, ह्रास एवं ब्याज तथा राज्य सरकार से किसी अर्थ सहायता को क्रेडिट करने के बाद राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट उच्चतर प्रतिशतता या उस वर्ष की शुरूआत में बोर्ड की अचल परिसंपत्तियों की मूल्य के कम-से-कम 3% शेष बचे।

भारत सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोग गठित करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने की दृष्टि से विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सूची का निर्धारण इस ढंग से करें कि उसमें प्रगामी तौर पर

आपूर्ति लागत, अर्थव्यवस्था और दक्षता में सुधार, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की झलक मिलने के साथ-साथ उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग किए गए विद्युत का मूल्य भुगतान सुनिश्चित हो सके।

विवरण

विद्युत की अनुमानित औसत दर को दर्शाते हुए विवरण

(31.12.2001 तक)

(पैसे/प्रकिवाघं में दरें)

क्र.सं.	यूटिलिटी का नाम	टैरिफ लागू होने की तिथि	घरेल 2 कि.वी. (100 किवाध/माह)	घरेलू 5 किवी. (4000 किवाघं/माह)	घरेलू 10 किवा. (1000 किवाघं/माह)	वाणिज्यिक 5किवा (200 किवाघं/माह)	वाणिज्यिक 10किवा (1000 किवाघं/माह)	वाणिज्यिक 20किवा 2000 किवाघं/माह)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.4.01	213.50	366.63	495.25	513.50	703.50	727.25
2.	असम	1.9.98	228.20	280.92	292.35	566.40	490.59	494.17
3.	बिहार	1.7.93	139.00 यू 46.00 आर	150.75	161.10	451.00	287.80	289.90
4.	गुजरात	10.10.00	577.00 यू 519.50 आर	717.38 यू 640.85 आर	792.60 यू 697.75 आर	844.50	883.65	885.83
5.	हरियाणा	1.1.01	348.00	394.25	429.50	455.00	455.00	455.00
6.	हिमाचल प्रदेश	1.5.00	95.25	153.94	200.18	265.00	297.50	306.25
7.	जम्मू और कश्मीर	1.4.99	292.80	244.00	244.00	489.22	311.10	311.10
8.	कर्नाटक	29.12.00	261.00	337.50	421.00	611.25	575.75	577.88
9.	केरल	15.5.99	107.80	243.93	330.77	591.25	710.05	742.78
10.	मध्य प्रदेश	5.10.01	211.35	312.00	374.73	520.48	553.70	557.60
11.	महाराष्ट्र	1.5.00	244.25	364.57	452.43	426.80	627.71	654.91
12.	मेघालय	1.6.00	115.00	167.50	190.00	276.00	300.00	303.00
13.	उड़ीसा (ग्रिडको)	1.2.01	135.00	315.00	315.00	415.00	455.00	455.00
14.	पंजाब	1.7.00	174.00	271.50	297.00	376.00	376.00	376.00
15.	राजस्थान	1.4.01	322.50	305.63	302.25	555.00	551.00	553.00
16.	तमिलनाडु	1.12.01	153.25	289.06	371.13	-	-	-
	चेन्नई मेट्रो एरि	-	-	-	-	517.13	532.35	533.45
	नॉन मेट्रो एरि.	-	-	-	-	506.63	521.85	523.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	उत्तर प्रदेश	9.8.00	229.00यू 72.00 आर	239.00	273.00	484.00	454.00	460.25
18.	पश्चिम बंगाल	26.1.99	181.25 यू 168.81 आर	339.44 यू 319.33 आर	405.83 यू 361.75 आर	362.18 यू 349.92 आर	477.50 यू 460.53 आर	477.50 यू 460.63 आर
19.	अरुणाचल प्रदेश	1.2.00	162.50	211.88	231.75	357.50	387.50	391.25
20.	गोवा	1.7.00	125.00	170.00	220.00	355.00	402.50	418.75
21.	मणिपुर	12.7.01	252.20	274.70	–	401.20	287.20	345.80
22.	मिजोरम	1.3.00	115.00	200.00	227.00	195.00	275.00	285.00
23.	नागालैंड	1.6.01	250.00 यू	300.00 यू	300.00 यू	350.00	380.00	380.00
24.	सिक्किम		200.00 आर	200.00 आर	200.00 आर			
25.	त्रिपुरा	1.11.00	157.50 यू 112.50 आर	208.13 यू 163.13 आर	272.25 यू 227.25	270.00	333.00	346.50
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1.4.99	269.00	192.50	170.00	605.00	264.00	286.00
27.	चंडीगढ़	1.1.00	100.00	217.50	261.00	310.00	390.00	400.00
28.	दादर नगर हवेली	1.2.01	150.75	216.94	255.18	389.00	389.00	389.00
29.	दमन व दीव	1.2.87	72.50	85.63	88.25	122.00	124.40	124.70
30.	दिल्ली डीवीबी एनडीएमसी	1.5.99	130.00	172.50	204.00	232.50	258.50	261.75
31.	लक्षद्वीप	1.6.01	157.50	252.00	327.60	525.00	462.00	525.00
32.	पांडिचेरी	1.6.01	158.00	252.25	327.70	500.00	462.00	525.00
33.	अहमदाबाद इलें कं.	1.4.00	200.00	337.50	375.00	650.00	650.00	650.00
34.	कोलकाता	1.6.00	55.00	130.00	140.00	230.88	282.88	290.68
35.	(1) डीवीसी	26.2.98	312.73	384.13	420.89	522.31	633.74	642.62
	(2) बिहार क्षेत्र	19.10.98	205.43	365.98	436.25	401.55	510.00	510.00
	(3) प.बं. क्षेत्र	1.9.00	–	–	–	–	–	–
36.	दुर्गापुर परियोजना लि.	1.5.99	180.25	338.44	404.83	361.18	467.00	467.00
37.	मुंबई बेस्ट	15.7.97	82.50	306.55	443.99	623.95	757.15	801.55
	बीएसईएस	1.10.98	151.80	443.05	457.30	612.26	644.12	655.38
	टाटा	1.12.98	143.00	331.53	390.13	428.90	428.90	428.90

क्र.सं.	यूटिलिटी का नाम	कृषि 5 एचपी, 15% एलएफ (408 किवाघं/माह)	कृषि 10 एचपी, 15% एलएफ (816 किवाघं/माह)	लघु उद्योग 10 एचपी 25% एलएफ (1361 किवाघ/माह)	मध्यम उद्योग 50 किवा 40% एलएफ (14600 किवाघ/माह)	बड़े उद्योग 1000 किवा 65% एलएफ (474500 किवाघ/माह)	भारी उद्योग (11 केवी) 1000 किवा 60% एलएफ (4380000 किवाघ/माह)	भारी उद्योग (33 केवी) 15000 किवा 50% एलएफ (5475000 किवाघ/माह)	रेलवे कर्षण 12500 किवा, 30% एलएफ (2737500 किवाघ/मा माह)
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आन्ध्र प्रदेश	43.30	51.22	414.69	439.88	438.15	491.05	501.39	132/220 कि.वा. पर 460.01
2.	असम	99.50	120.17	284.26 यू 139.76 आर	321.60	352.79	365.71	373.72	-
3.	बिहार	40.15	40.15	157.09	140.54	211.99	214.58	212.07	25 कि.वा. पर 275.21
4.	गुजरात	65.36	65.36	606.43	665.22 एफ	720.66	760.94	772.08	743.65
5.	हरियाणा	65.00	65.00	461.00	461.00	444.00	444.00	432.00	66 कि.वा. से ऊपर 462.23
6.	हिमाचल प्रदेश	65.00	65.00	222.00	247.00	272.00	272.00	268.25	-
7.	जम्मू व कश्मीर	40.26	40.26	164.70	164.70	164.70	164.70	-	-
8.	कर्नाटक	50.00	50.00	341.32	406.65	446.65	459.17	467.44	11 कि.वा. पर 478.75
9.	केरल	60.39	59.04	274.53	265.09	266.30	270.79	-	-
10.	मध्य प्रदेश	82.10	84.61	322.47	435.00	448.79	451.84	446.54	466.69 132/220 कि.वा.
11.	महाराष्ट्र	97.77	147.77	340.23	365.53	434.85	44.36	-	425.00
12.	मेघालय	56.00	56.00	256.12	277.77	204.79	206.86	-	-
13.	उड़ीसा (ग्रिडको)	105.00	105.00	320.00	340.00	344.26	357.06	384.46	25 कि.वा. पर 407.45
14.	पंजाब	0.00	0.00	276.00	311.00	332.00	332.00	322.82	415.00
15.	राजस्थान	105.03	99.91	391.04	417.66	447.07	448.83	450.19	446.66
16.	तमिलनाडु	0.00	0.00	271.02	-	-	-	-	-
	चेन्नई मेट्रो एरि	-	-	-	458.26	424.60	441.61	448.04	470.00
	नॉन मेट्रो एरि.	-	-	-	447.76	414.10	431.11	437.54	25 कि.वा. पर 460.00
17.	उत्तर प्रदेश	67.40	67.40	411.04	409.16	431.23	433.92	419.30	-
18.	पश्चिम बंगाल	54.66	123.00	336.56 यू 313.57 आर	407.46	377.48	370.73	370.37	25 कि.वा. पर 391.70

1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
19.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	345.00	361.44	393.95	394.89	-	-
20.	गोवा	125.00	125.00	255.00	310.00	370.99	373.58	380.29	-
21.	मणिपुर	267.20	267.20	267.20	294.73	268.33	268.93	270.25	-
22.	मिजोरम	55.00	55.00	242.65	200.00	200.00	200.00	200.00	-
23.	नागालैंड	150.00	150.00	250.00	275.00	275.00	275.00	-	-
24.	सिक्किम	315.00	332.42	355.40	216.26	258.47	261.26	-	-
25.	त्रिपुरा	120.00	120.00	140.00	190.00	-	-	-	-
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	60.00	60.00	275.30	288.63	-	-	-	-
27.	चंडीगढ़	100.00	100.00	278.00	318.00	371.00	371.00	360.20	-
28.	दादर नगर हवेली	50.00	50.00	170.10	170.36	180.86	181.85	-	-
29.	दमन व दीव	55.00	55.00	225.00	244.18	253.83	256.01	-	-
30.	दिल्ली डीवीबी एनडीएमसी	78.75	78.75	430.50	430.50	459.05	462.30	454.80	480.58
31.	लक्षद्वीप	-	-	431.00	431.00	-	-	-	576.00
32.	पांडिचेरी	-	-	450.00	450.00	-	-	-	-
33.	अहमदाबाद इलें कं.	7.66	7.66	188.36	193.92	235.93	244.78	-	-
34.	कोलकाता	312.44	312.04	368.36	399.60	417.32	420.65	-	-
35.	(1) डीवीसी	-	-	377.01	425.50	424.12	427.14	422.80	438.06
	(2) बिहार क्षेत्र	-	-	-	-	311.53	319.44	326.00	132 कि.वा. पर 400.43
	(3) प.बं. क्षेत्र	-	-	-	-	327.49	336.00	343.05	132 कि.वा. पर 382.48
36.	दुर्गापुर परियोजना लि.	158.00	219.96	327.66	445.44	400.46	406.46	-	-
37.	मुंबई बेस्ट	-	-	674.30	725.90	426.04 ई	429.65ई	-	-
	बीएसईएस	50.00	50.00	578.41	540.23	394.52	385.51	-	-
	टाटा	-	-	412.74	412.74	378.60	382.24	391.73	415.44 6.66 कि.वा. से 33 कि.वा. तक

यू अर्बन आर-रूरल(ग्रामीण) एन-गैर सतत प्रक्रिया उद्योग पी-सतत प्रक्रिया उद्योग

*सेवा प्रभार अतिरिक्त, छोटे निकायों के लिए निःशुल्क आपूर्ति

ऊपर दी गई औसत दरें संकेतात्मक है तथा अनुमानित खपत स्तरों पर आधारित हैं, संयुक्त/अनुबंधात्मक भार व खपत रखाव के आधार पर न्यूनतम/निर्धारित प्रभारों आदि के कारण कुछ मामलों में वास्तविक दरें भिन्न हो सकती हैं।

किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए एसी ई ए के एफ एस तथा ए प्रभाग से संपर्क किया जा सकता है।

उक्त विवरण को सी ई ए के एफ एस तथा ए प्रभाग द्वारा दी गई सूचना एफ सी ए तथा विद्युत टैरिफ, विद्युत शुल्क दरों के आधार पर तैयार किया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली में बीपीसीएल की बेनामी रसोई गैस एजेंसियां

722. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बीपीसीएल की उन गैस एजेंसियों के नाम क्या है जो गत एक वर्ष के दौरान सरकार के साथ हुये वितरण अधिकार समझौते का उल्लंघन कर चलाई जा रही है;

(ख) इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है;

(ग) क्या सरकार के निर्णय को बीपीसीएल द्वारा लागू किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, को बीपीसीएल के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को अप्रैल 2001 में दिल्ली के उन निम्न छह डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के निबंधन लागू करने का परामर्श दिया है, जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार का उल्लंघन करते हुए प्रचालन करते पाए गए थे :

(1) मैसर्स किचन फ्लेम, मंगोलपुरी।

(2) मैसर्स ईस्ट एंड एंटरप्राइसेस , दिलशाद गार्डन।

(3) मैसर्स फ्रेन्ड्स गैस सर्विस, सुखदेव विहार।

(4) मैसर्स मायापुरी गैस, राजोरी गार्डन।

(5) मैसर्स गैस प्लाजा, प्रीत विहार।

(6) मैसर्स विक्टरी एंटरप्राइसेस, नांगलोई।

(ग) और (घ) बीपीसीएल ने यह सूचित किया है कि दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप के मामलों का निजी रूप से प्रबंध करने का परामर्श दिया गया था और चेतावनी दी गई थी और उन्होंने अब इस अपेक्षा का पालन कर दिया है। सरकार ने इस मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए बीपीसीएल से कुछ ब्यौरे मांगे हैं।

[हिन्दी]

सीएनजी और एलएनजी का उत्पादन और आयात

723. **श्री रामचन्द्र पासवान** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान सीएनजी और एलएनजी का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस मद में कुल कितना आयात किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) देश में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और समपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) का उत्पादन नहीं होता। सीएनजी प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक गैस को 200-250 बार्स के उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता। महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) और इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने वर्ष 2000-01 के दौरान क्रमशः 328.8 लाख कि.ग्रा. और 173.9 लाख कि.ग्रा. सीएनजी की बिक्री की।

(ख) वर्ष 2000-01 के दौरान एलएनजी या सीएनजी का कोई आयात नहीं किया गया।

21.6.2002 को 'जनसत्ता' में प्रकाशित समाचार

724. **श्री ब्रहानन्द मंडल** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21.6.2002 के 'जनसत्ता' में "सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर पानी फेरने में जुटी केन्द्र सरकार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) जी हां। समाचार पत्र को अपने विचार व्यक्त करने का हक है। सरकार ने इस विषय पर तारीख 8.7.2002 को सभी राजनितिक दलों से विचार-विमर्श किया था। उक्त बैठक में इस विचार पर सर्वसम्मति थी कि इस विषय पर विधान लाने की शक्ति केवल संसद् को है। बैठक में यह भी महसूस किया गया

कि राजनीतिक दलों के परामर्श से समुचित विधान अधिनियमित करके राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की आवश्यकता है। विधेयक का एक प्रारूप, राजनीतिक दलों को उनके विचार प्राप्त करने के लिए परिचालित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

श्रमजीवी एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

725. **श्री रामजीवन सिंह :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री मोहन रावले :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में श्रमजीवी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के कारण कई लोग मारे गये और कई घायल हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को अनुमानतः कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या ट्रेन के पटरी से उतरने में किसी तोड़-फोड़ की कार्रवाई का सन्देह है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां। इस दुर्घटना में 11 यात्रियों की जानें गई, 15 यात्री गम्भीर रूप से घायल हुए थे और 32 अन्य को मामूली चोटें आई।

(ग) क्षति की लागत का अनुमान लगभग 204 लाख रुपए लगाया गया है।

(घ) जी हां। उत्तर सर्कल के रेल सुरक्षा आयुक्त ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि यह दुर्घटना मुख्य रूप से कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फिश प्लेट जॉइटों के खोलने के कारण हुई;

(ङ) और (च) रेल सुरक्षा आयुक्त की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पंपों का स्थान बदलना

726. **श्री पी.एस. गढ़वी :**
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जून, 2002 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में ''आयल कंपनीज, नेशनल हाइवे अथारिटी ऑफ इंडिया ऐट लागरहेड्स ओवर रिलोकेटिंग पंप्स आफ हाइवेज'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल कंपनियों में वर्तमान पंपों को अन्यत्र स्थापित करने में कठिनाई व्यक्त की है क्योंकि इसमें प्रति पेट्रोल पंप 25 लाख से 2 करोड़ रुपये का व्यय होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने 5 जुलाई 2002 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बैठक बुलाई थी जिसमें तेल कंपनियां भी उपस्थित थीं; और

(घ) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) जी, हां। विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक बैठक 5 जुलाई, 2002 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में बुलाई गई थी जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजमार्गों पर स्थित विद्यमान खुदरा बिक्री केन्द्रों साथ ही राजमार्गों के इर्द गिर्द स्थापित किए जाने वाले नए खुदरा बिक्री केन्द्रों से संबंधित समस्याओं समेत विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई थी।

किसानों को मुआवजा

727. **श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्रीमती रेणुका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
कुंवर अखिलेश सिंह :
श्री जे.एस. बराड़ :
श्री सुनील खां :
कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा और अन्तरराष्ट्रीय रेखा पर सैन्य बलों और बारूदी सुरंग बिछाने के लिए किसानों की भूमि अधिगृहित की है;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सशस्त्र बलों द्वारा जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया उन्हें राज्यवार प्रति एकड़ कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) क्या दिये गये मुआवजे के संबंध में किसानों में कोई असंतोष हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(च) आपरेशन पराक्रम के दौरान स्थानवार सुरंग विस्फोट की कितनी घटनायें घटी;

(छ) इसके परिणामस्वरूप जान और माल का कितना नुकसान हुआ;

(ज) मृत सैनिकों और नागरिकों के निकटतम संबंधियों को कितना मुआवजा दिया गया;

(झ) क्या सावधानी नहीं बरती गई और सुरंग पुरानी तथा घटिया स्तर की थी, जिनके फ्यूज खराब थे और;

(ञ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

(च) से (ञ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य-टुकड़ियों की वर्तमान लामबंदी के संबंध में रक्षा सेनाओं ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आस-पास की किसानों की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया है। तथापि सशस्त्र सेनाओं ने इन क्षेत्रों में, सैन्य टुकड़ियों की वर्तमान लामबंदी के संबंध में संक्रियात्मक प्रयोजनों के वास्ते सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्थायी रूप से कुछ जमीनों को अपने अधीन लिया है। रक्षा मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र सेनाओं की रक्षात्मक तैयारियों/संचालन की प्रारंभिक अवस्था के दौरान उनकी खेती-बाड़ी को हुए नुकसान के वास्ते व्यक्तियों/किसानों को अनुग्रह-पूर्वक मुआवजा और कब्जा की गई जमीनों के वास्ते सैन्य प्राधिकारियों द्वारा रक्षा संपदा महानिदेशक के प्रतिनिधियों और स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों को साथ मिलाकर अफसर बोर्ड द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण करवाने के आदेश दे दिए गए हैं ताकि सशस्त्र सेनाओं द्वारा कब्जे में ली गई जमीनों और खेती-बाड़ी को हुए नुकसानों का निर्धारण किया जा सके। इस प्रयोजन हेतु सशस्त्र सेनाओं द्वारा कब्जा की गई जमीन और किसानों की खेती-बाड़ी को हुए नुकसान के विवरण तभी पता लगेंगे जब संयुक्त सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो जाएगा।

तथापि, किसानों की खेती-बाड़ी को हुए नुकसान के वास्ते उन्हें तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 36 करोड़ रुपए की राशि, जोकि राज्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा खेती-बाड़ी को हुए नुकसान के प्रति प्रस्तावित राशि का 25 प्रतिशत है, पंजाब राज्य सरकार को किसानों को 'लेखानुसार' अदायगी करने के लिए मंजूर कर दी है। इसमें से लगभग 21 करोड़ रुपए की राशि प्रभावित व्यक्तियों/किसानों को पहले से ही अदा की जा चुकी है। सेना मुख्यालय की संस्तुतियों के आधार पर खेती-बाड़ी को हुए नुकसान के प्रति मुआवजा के रूप में अदा किए जाने के वास्ते 30 करोड़ रुपए की और धनराशि भी पंजाब राज्य सरकार को मंजूर की जा चुकी है।

किसानों को 'लेखानुसार' अलग-अलग अदायगी किए जाने के वास्ते राजस्थान राज्य सरकार को 13.80 करोड़ रुपए की धन-राशि मंजूर की गई है जोकि राज्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गये लेखे के अनुसार खेती-बाड़ी को हुए नुकसान के 25 प्रतिशत के बराबर है। इसमें से 10 करोड़ रुपए (अनुमानतः) की राशि प्रभावित व्यक्तियों/किसानों को अदा की जा चुकी है। इसी तरह के किसानों को 'लेखानुसार' अलग-अलग अदायगी किए जाने के वास्ते जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार को खेती-बाड़ी के नुकसान के प्रति 3.75 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है जोकि मुख्यालय उत्तर कमान द्वारा प्रस्तावित राशि का 25 प्रतिशत है।

व्यक्तियों/किसानों को की गई अदायगी स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित अफसर बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अंतिम बिलों के तहत समायोजित कर ली जाएगी।

राज्य प्राधिकारियों की संस्तुति के अनुसार मुआवजे का आकलन किया जा रहा है। किसानों के बीच किसी प्रकार के असंतोष की जानकारी सरकार को नहीं है।

अमरीका के साथ मिसाइल रक्षा प्रणाली पर सहयोग

728. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री जयोतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका दक्षिण एशिया में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाने हेतु मिसाइल रक्षा प्रणाली पर सहयोग करने हेतु सहमत हो गये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों देशों के बीच क्या समझौता हुआ;

(ग) क्या भारत और अमरीका के रक्षा नीति समूह के बीच कोई बातचीत हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सहयोग से भारत को किस सीमा तक लाभ होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। भारत एवं अमरीका के बीच प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली संबंधी सहयोग पर कोई करार नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत अमेरिका रक्षा नीति समूह की बैठक मई, 2002 में हुई थी। इस बैठक में दोनों पक्षों ने यह निर्णय लिया कि सहयोगी सुरक्षा और स्थायित्व बढ़ाने के लिए एक उपाय के तौर पर भविष्य में प्रक्षेपास्त्र रक्षा कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।

भारत-अमरीका संयुक्त सैनिक अभ्यास

729. श्री बसुदेव आचार्य :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री जयोतिरादित्य मा. सिंधिया :
श्री श्रीनिवास पाटील :
श्री गुनीपाटी रामैया :
श्री सुनील खां :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और अमरीका ने सैनिक मामलों में सहयोग बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत-अमेरिका संयुक्त सैनिक अभ्यास भारतीय भूमि और समुद्र पर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ये यही अमेरिकी सेनाएं हैं जिनके साथ पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी तथाकथित लड़ाई में संयुक्त आपरेशन किए हैं/कर रही हैं;

(च) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पाकिस्तान के प्रति अमेरिका सेना की प्रतिबद्धता अमेरिका के लिए भारत के प्रति अपने समर्थन की तुलना में रणनीतिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों एर अधिक महत्वपूर्ण है;

(छ) यदि हां, तो क्या भारत के अमरीका के साथ बढ़ते सैन्य और रक्षा सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यासों के कारण हमारी अपनी संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी और हम सीमा पार से आतंकवाद जैसी गतिविधियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे; और

(ज) यदि हां, तो अमेरिका के साथ सैनिक अभ्यास करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। भारत-अमरीका रक्षा सहयोग को सुदृढ़ बनाने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिए मई 2002 के दौरान अमरीका में भारत-अमरीका रक्षा नीति समूह की बैठक हुई थी। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को प्रभावित करने वाले व्यापक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। वे रक्षा संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने की दिशा में सहमत हुए।

(ग) और (घ) आगरा में मई 2002 में भारत-अमरीका संयुक्त सैनिक अभ्यास किया गया था। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच परस्पर समझ और सहयोग बढ़ाना था।

(ङ) जी, नहीं। भारत अमेरिकी पैसिफिक कमान के साथ संयुक्त अभ्यास का संचालन कर रहा है जबकि अमरीकी मध्य कमान से संबंधित सेनाएं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कार्रवाई कर रही हैं।

(च) सरकार को अफगानिस्तान में अमरीकी सैनिक संक्रियाओं के संदर्भ में अमरीकी-पाकिस्तान सैनिक सहयोग के स्वरूप की जानकारी है। रक्षा और सुरक्षा मामलों सहित भारत-अमरीका सहयोग इस आपसी मान्यता पर आधारित है कि एशिया और उससे बाहर स्थिरता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह संबंध महत्वपूर्ण

है। अमरीका के साथ भारत का रक्षा सहयोग परस्पर हितों के आधार पर है न कि किसी अन्य देश के संदर्भ में।

(छ) और (ज) अमरीका के साथ नजदीकी रक्षा और सैनिक सहयोग का उद्देश्य आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई सहित आम हित के अनेक क्षेत्रों में परस्पर क्षमताएं बढ़ाना है। सरकार की रक्षा नीतियां केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं राष्ट्र की संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाता।

एच.एम.टी., बंगलौर को घाटा

730. **श्री के.एच. मुनियप्पा :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एचएमटी की बंगलौर इकाई घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक एचएमटी को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय अतिरिक्त कार्यबल में कमी करने के लिए नई स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना आरम्भ करने पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार एचएमटी का पुनर्गठन करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। एचएमटी समग्र रूप से तथा इसकी कुछ इकाइयां/सहायिकाएं पृथक रूप से हानि उठा रही हैं। एचएमटी तथा इसकी सहायिकाओं द्वारा विगत तीन वर्षों में उठाई गई हानियों के ब्यौरे निम्नुसार हैं :

वर्ष	हानि (रुपये करोड़ में)
1999-2000	294
2000-2001	137
2001-2002	188

(ग) और (घ) एचएमटी जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने के लिए समय-समय पर वीआरएस लागू करती रही हैं। वर्ष 2000 की पुनरुद्धार योजना में एचएमटी में वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान 6947 की सीमा तक कर्मचारियों की कटौती करने की परिकल्पना की गई है। विगत दो वर्षों के दौरान अब तक कुल 6959 कर्मचारियों को अलग किया गया है।

(ङ) और (च) कार्यान्वनाधीन पुनरुद्धार योजना 2002 के संगठनात्मक और वित्तीय पुनसंरचना शामिल हैं। वाच और मशीन टूल्स व्यवसाय समूह को तीन अलग सहायिकाओं में परिवर्तित किया गया है नामत :

(1) एचएमटी वाच लिमिटेड, बैंगलोर

(2) एचएमटी चिनार वाच लिमिटेड, श्रीनगर

(3) एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बैंगलोर

इन पुनर्संरचना से प्रत्येक सहायिका की गहन निगरानी करने में मदद मिलेगी तथा विभिन्न सहायिकाओं का सफल नीतिगत विनिवेश करना सुलभ होगा।

वित्तीय पुनर्संरचना के संबंध में सरकार ने निम्नलिखित सहायता मुहैया कराई है :

1. 250 करोड़ रुपये की इक्विटी का नया निवेश।
2. 7.20 करोड़ रुपये का योजना निवेश।
3. 39.70 करोड़ रुपये के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना।
4. 12.74 करोड़ रुपये के ब्याज को माफ करना।
5. 469.00 करोड़ रुपये के वीआरएस के बॉंड के लिए एक प्रतिशत की दर से गारंटी शुल्क सब्सिडी देना।
6. वीआरएल बॉंड पर 50% की ब्याज सब्सिडी देना।
7. श्रीनगर वाच फैक्टरी के लिए 3 वर्ष अर्थात् 2002-03 तक वेतन एवं मजदूरी के लिए बजटीय सहायता देना।
8. वाच समूह के लिए 2 वर्षों तक 40.40 करोड़ रुपये के कार्यशाल पूंजी बॉंड के लिए गांरटी देना।

कुलम और वास्को डिगामा के बीच आमान परिवर्तन

731. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2002 की रिपोर्ट संख्या 9 (रेलवे) के अनुसार कुलम और वास्को डिगामा के बीच 26.78 करोड़ की लागत से रेलपटरी को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन किया जाना था, जिसके लिये विशेष सीमित निविदायें आमंत्रित की गई थीं, जिन्हें बाद में रद्द कर दिया गया और बाद में खुली निविदायें आमंत्रित की गई थीं और जमीन तैयार करने संबंधी 3 मदों की दरें औचित्यपूर्ण नहीं पाई गईं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक धन का अपव्यय रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या लेखापरीक्षा में 0.71 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान कर कार्य के खराब पर्यवेक्षण हेतु रेल अधिकारियों पर दोष लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो अधिकारियों की जवाबदेही और उत्तरदायित्व निर्धारण और रेल प्रशासन की कार्य प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) ठेकेदारों को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया है। बहरहाल, एक मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अनुसार भुगतान वास्तव में किए गए कार्य के लिए किया गया था। बाकी मामलों में अलग से कार्रवाई की जाएगी।

(घ) लेखापरीक्षा की टिप्पणी तथ्यात्मक रूप से नहीं हैं।

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

तेल और गैस क्षेत्रों के संवर्धन हेतु विनियामक दिशा-निर्देश

732. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद के संवर्धन हेतु अलग से विनियामक दिशा-निर्देश बनाने की मांग की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में भारतीय उद्योग परिसंघ से कोई प्रस्ताव/योजना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन

733. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दू विवाह अधिनियम और अपराध प्रक्रिया संहिता की संगत धाराओं में संशोधन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय विधि आयोग ने अपनी 178वीं रिपोर्ट में और राष्ट्रीय महिला आयोग ने 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्ट में, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19 का, इसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 126 के समरूप बनाने की दृष्टि से संशोधन करने की सिफारिश की है जिससे कि कोई महिला भरण-पोषण या किसी अन्य प्रकार के अनुतोष के लिए वाद अपने निवास स्थान पर फाइल कर सके। इस प्रस्ताव को सभी राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित कर दिया गया है।

नई रेल लाइनें

734. **श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना के दौरान जोनवार और राज्यवार प्रस्तावित नई रेल लाइनें कौन सी हैं जो विस्तारित परियोजनायें नहीं हैं बल्कि पूरी तरह नई हैं;

(ख) सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक मामले में कितनी लाभ दर का आकलन किया गया है;

(ग) क्या तालचेर-बिमलगढ़ रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार लाभ दर क्या है;

(ङ) इस अद्यतन रिपोर्ट से पूर्व कितनी बार इस नई रेल लाइन का सर्वेक्षण किया गया;

(च) क्या दसवीं योजना के दौरान इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) नई रेल लाइन परियोजनाएं समय-समय पर परिचालनिक, सामरिक, सामाजिक तथा अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरम्भ की जाती हैं। राजस्थान में कोलायात से फलोदी तक नई लाइन का कार्य सामरिक महत्व के मद्देनजर वर्ष 2002-2003 के बजट में शामिल किया गया है।

(ख) कोयालात-फलोदी नई लाइन में प्रतिफल की दर (-) 4.08 आंकी गई थी।

(ग) जी हां।

(घ) 10.22% बहरहाल, सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच चल रही है।

(ङ) इस लाइन का सर्वेक्षण एक बार पहले हो चुका था।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

खम्बात बेसिन में तेल और गैस क्षेत्र

735. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश गैस ग्रुप ने गुजरात तट के खम्बात बेसिन में एक प्रमुख तेल और गैस क्षेत्र में आपरेशन स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटिश गैस ने उनके मंत्रालय से खम्बात तट क्षेत्र में खुदाई कार्य स्थगित करने हेतु अनुरोध किया है क्योंकि उसके अधिकारियों को ब्रिटिश सरकार की सलाह के बाद भारत से वापस जाना पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पुनः शुरू होने की संभावना है क्योंकि इस बात के संकेत मिले हैं कि सीमा पर तनाव कम हो रहा है; और

(घ) कार्यस्थगन का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) प्रचालक, ब्रिटिश गैस ने गुजरात तट से दूर खंबात की खाड़ी में अन्वेषण ब्लाक सीबीओएस/1 में वेधन प्रचालन स्थगित करने का निर्णय लिया था।

(ग) इस ब्लाक में कार्य 3 जुलाई की मध्य रात्रि से पुनः आरंभ हो गया है।

(घ) चूंकि सीबी-ओएस/1 एक अन्वेषण ब्लाक है तथा वहां से कोई तेल/गैस उत्पादन नहीं हो रहा है, इसलिए कार्य स्थगन का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

विद्युत क्षेत्र के सुधार में विदेशी निवेश

736. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करके विद्युत क्षेत्र में सुधार को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र सुधार आरंभ करने के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अन्य दाता एजेंसियां कुछेक राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

पीजीसीआई द्वारा तमिलनाडु में उप-बिजलीघरों की स्थापना

737. **श्री वी. वेत्रिसेलवन** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में विद्युत लाने हेतु पारेषण लाईनों को मजबूत करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया तमिलनाडु में कुछ और उप-बिजलीघरों की स्थापना पर विचार कर रहा हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) टीएनईबी की आवश्यकताओं एवं बोर्ड के विशेष अनुरोध के आधार पर पावर ग्रिड ने तमिलनाडु को विद्युत अंतरण हेतु पारेषण सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें शुरू की हैं :

(1) 396.28 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 400 केवी का विजयवाड़ा-नेल्लोर-श्रीपेरूम्बदूर (चैन्नई) डबल सर्किट पारेषण लाईन। इस स्कीम को फरवरी, 2003 तक पूरा किया जाना निर्धारित है। इस लाईन के पूरा होने पर टीएनईबी बिना किसी बाधा के रामागुंडम ताप विद्युत केन्द्र से अपने विद्युत का हिस्सा प्राप्त कर सकेगा और पड़ोसी क्षेत्रों से सहायता भी ले सकेगा।

(2) तालचेर-2 पारेषण प्रणाली 3865.61 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर। इस स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल है :

1. 2000 मे. वा., + 500 केवी तालचेर-कोलार एचवीडीसी बाईपोल
2. कोलार-श्रीपेरूम्बदूर (चेन्नई) 400 केवी एस/सी लाईन
3. कोलार-होसार 400 केवी डी/सी लाईन
4. होसर-सलेम 400 केवी एस/सी लाईन
5. सलेम-उदुमालपेट 400 केवी एस/सी लाईन
6. कोलार-हुडी 400 केवी डी/सी उच्च क्षमता क्वाड कंडक्टर के साथ
7. कोलार में मौजूदा कुडापाह-बंगलोर 400 केवी एस/सी लाईन का लूप-इन-लूप-आउट
8. होसार में 2 × 315 एमवीए ट्रॉन्सफार्मर के साथ नए 400/200 केवी के उपकेन्द्र की तथा कोलार में 4 × 16 एमवीए ट्रॉन्सफार्मरों की स्थापना।

उपयुक्त पारेषण प्रणाली के साथ-साथ एचवीडीसी के प्रथम पोल के एसी हिस्से को दिसम्बर-2002 तक चालू किया जाना है और दूसरे पोल को जून, 2003 तक चालू किया जाना है। पारेषण प्रणाली के पूरा होने के बाद पूर्वी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र समेत तमिलनाडु को 2000 मे.वा. विद्युत का अंतरण करना संभव होगा।

(ग) से (ङ) तमिलनाडु ग्रिड की प्रणालीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विजयवाड़ा नेल्लोर-श्रीपेरूम्बदूर (400 केवी) के लीलों द्वारा 400/200 केवी के अलमाटी एवं मदुरनथगम उपकेन्द्र की स्थापना संबंधी टीएनईबी का प्रस्ताव फिलहाल केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में विचाराधीन है। पावरग्रिड पुगुलूर, कायाथर आदि में 400/200 केवी के उप केन्द्रों की स्थापना करने के अलावा नैवेली टीएस-II विस्तार (2 × 250 मे.वा.) तथा कुडनकुलम (4 × 1000 मे. वा.) के द्वारा क्षमता अभिवृद्धि का विचार कर रहा है।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का विस्तार

738. **श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) ने विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) द्वारा कौन-कौन से विस्तार कार्यक्रम तैयार किये गए हैं; और

(ग) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईओईएल) के विस्तार हेतु पता लगाए गये नए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) क्षमता विस्तार अथवा आस्तियों के विस्तार के रूप में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के विस्तार का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नाभिकीय, जैविक और रसायनिक संरोधन प्रणाली का विकास

739. **श्री के. येरननायडू :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक नाभिकीय, जैविक और रसायनिक संरोधन प्रणाली विकसित की है;

(ख) क्या यह प्रणाली सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को भी उपलब्ध करा दी गई है;

(ग) क्या इस प्रणाली की नागरिकों के लिए भी आपूर्ति किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने प्राथमिक तौर पर रासायनिक कारकों के संरोधन के लिए अनेक संरोधन प्रणालियां विकसित की हैं। इसमें वैयक्तिक संरोधन किट, सुवाह्य संरोधन उपकरण, संरोधन घोल तथा चल संरोधन प्रणाली है।

(ख) वैयक्तिक संरोधन किट, सुवाह्य संरोधन उपकरण और संरोधन घोल नामक तीन मदें सेना को सप्लाई की गई हैं। सेना को चल संरोधन प्रणाली की सप्लाई करने का कार्य चल रहा है।

(ग) ये संरोधन प्रणालियां ट्रेड के माध्यम से किसी के लिए भी उपलब्ध हैं।

(घ) वैयक्तिक संरोधन किट शरीर के नग्न भागों, वस्त्रों, दस्तानों, बड़े बूटों आदि जैसे संदूषित क्षेत्रों को रासायनिक कारकों से बचाने के लिए हैं। संरोधन घोल रासायनिक कारकों के संरोधन के लिए प्रयुक्त एक रासायनिक फार्मूला है। संरोधन उपकरण वाहनों, उपस्करों आदि के छोटे सतही क्षेत्रों के संरोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चल संरोधन प्रणाली भूभाग, वाहन, उपस्कर और कार्मिकों के बड़े क्षेत्र के संरोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है।

विद्युत परियोजनाओं में निवेश

740. **श्री ए. नरेश** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 7वीं, 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत परियोजनाओं में राज्य-वार कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निवेश का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) उक्त अवधियों के दौरान आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल सरकार द्वारा विद्युत परियोजनाओं में कुल कितना निवेश किया गया है; और

(घ) योजनावार कितना लक्ष्य हासिल हुआ है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 7वीं, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय एवं व्यय के राज्य-वार ब्यौरे विवरण के रूप मे संलग्न हैं।

(ख) 10वीं योजना के लिए विद्युत मंत्रालय हेतु नियत परिव्यय 1,43,399 करोड़ रुपये हैं।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश राज्य हेतु विद्युत क्षेत्र परिव्यय एवं व्यय समेत प्रतिशतता में उपलब्धि नीचे दर्शाए गए हैं :

आंध्र प्रदेश (करोड़ रु. में)

योजना	परिव्यय	व्यय	% उपलब्धि
7वीं योजना	1104	1117.4	101.21
8वीं योजना	3040.62	3546.56	116.64
9वीं योजना	5749	5299.44 (1997-98 से 2000-01 अन्नतिम)	92.18

उत्तरांचल राज्य की उत्पत्ति 2000-01 में उत्तर प्रदेश के द्विभाजन के बाद हुआ। वर्ष 2001-02 में उत्तरांचल राज्य के लिए 89 करोड़ का आवंटन किया गया था। उत्तर प्रदेश में 7वीं, 8वीं एवं 9वीं योजनाओं के दौरान उत्तर प्रदेश के संबंध में आवंटन, व्यय एवं प्रतिशत उपलब्धि निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

उत्तर प्रदेश

योजना	परिव्यय	व्यय	% उपलब्धि
7वीं योजना	3395.0	2763.1	81.39
8वीं योजना	6974.76	5423.42	77.76
9वीं योजना	7468	4044.56 (1997-98 से 2000-01 तक अनन्तिम)	54.16

विवरण

(करोड़ रु. में)

राज्य	7वीं योजना		8वीं योजना		9वीं योजना
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	1104.9	1117.4	3040.62	3546.56	5749
असम	485.0	610.2	1192.46	677.76	850
बिहार	1065.0	1057.1	2120.83	586.21	2300
दिल्ली	364.3	832.2	1212.00	1540.54	2985
गुजरात	1437.0	1437.8	2635.00	2502.62	4000
हरियाणा	1010.3	645.4	1701.99	1197.98	2648
हिमाचल प्रदेश	260.1	347.5	500.00	628.78	1020
जम्मू और कश्मीर	278.2	422.1	1175.18	1240.23	2387
कर्नाटक	800.0	873.6	3024.86	2957.61	3650
केरल	396.8	373.2	1226.20	1616.57	2531
मध्य प्रदेश	2646.0	2091.0	3563.36	3701.01	3464
महाराष्ट्र	3048.9	2621.2	4572.64	5493.53	5580
मेघालय	70.0	122.0	166.48	52.90	312
उड़ीसा	780.0	537.3	2638.30	1254.68	4623
पंजाब	1638.0	1991.1	2417.50	3347.00	2927
राजस्थान	874.2	917.4	3200.00	3078.72	4489
तमिलनाडु	2000.0	1768.2	3000.00	3103.46	6000

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	3395.0	2763.1	6974.76	5423.42	7468
पश्चिम बंगाल	1248.0	1244.9	3016.00	2865.49	5632
अरुणाचल प्रदेश	35.9	54.3	148.28	332.46	451
गोवा	35.5	33.0	52.50	65.33	129
मणिपुर	36.0	50.2	185.35	184.70	333
मिजोरम	27.8	62.2	101.05	152.27	222
नागालैंड	33.5	28.6	59.00	93.71	115
पांडिचेरी	12.0	24.0	102.22	160.09	230
सिक्किम	33.9	58.7	133.00	131.78	341
त्रिपुरा	46.0	79.7	116.50	159.58	172
अंडमान और निकोबार	—	—	57.97	68.93	140
चंडीगढ़	—	—	55.00	45.87	86
दमन और दीव	—	—	7.37	15.50	30
दादर और नगर हवेली	—	—	5.11	19.36	48
लक्षद्वीप	—	—	6.21	6.63	15

एमआरवीसी-एमयूटीपी हेतु विश्व बैंक ऋण

741. **श्री किरीट सोमैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने एमआरवीसी-एमयूटीपी के वित्तपोषण हेतु रेलवे के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्यां है;

(ग) क्या कोई भुगतान राशि जारी की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे मुंबई के दैनिक यात्रियों पर अतिरिक्त उपकर हटाने जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां। विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना चरण-I (एमयूटीपी चरण-I) के रेल कम्पोनेंट को वित्त पोषित करने के लिए 364.9 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण को अनुमोदित कर दिया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) रेलों का विश्व बैंक के ऋण को पोषित करने के लिए मुम्बई उपनगरीय दैनिक यात्रियों पर अधिभार लगाने का प्रस्ताव है। यह अधिभार, ई.एम.यू. की खरीद के लिए ठेका प्रदान करने से पहले लगाया जाना है। 14 वर्षों की अवधि के दौरान 2891 रुपए अर्जित करने की आशा है। इस राशि का 50% वित्त मंत्रालय और 50% विश्व बैंक के ऋण को पोषित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को दिया जाना है।

[हिन्दी]

प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल

742. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की तेल क्षेत्र की सभी प्रमुख कंपनियां प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल की बिक्री हेतु अपने आपको तैयार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये कंपनियां प्रीमियम के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कंपनियों को ऐसी अनुमति प्रदान करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन कंपनियों द्वारा प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने प्रमुख बाजारों में चुनिंदा खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से शीघ्र ही पेट्रोल का एक प्रीमियम ग्रेड आरंभ करने की योजना बनाई है।

(ख) आरंभ में पेट्रोल का प्रीमियम ग्रेड मुंबई और दिल्ली में आरंभ किया जाएगा तथा उसके बाद, उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर उसका विस्तार अन्य प्रमुख बाजारों तक किया जाएगा।

(ग) पेट्रोल के प्रीमियम ग्रेड की ऐसे निष्पादन वर्धक योगजों से सुदृढ़ किया जाएगा जो वाहन में पेट्रोल के निष्पादन को बढ़ाएंगे।

(घ) तेल कंपनियों को ऐसे उत्पाद आरंभ करने की अनुमति है जिसके लिए उपभोक्ताओं के किसी वर्ग से मांग की जा रही हो।

(ङ) और (च) सरकार सदैव तेल कंपनियों को उत्पादों और सेवाओं का उन्नयन करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा सके। तेल कंपनियों द्वारा प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल की शुरूआत करना एक ऐसी पहलकदमी है जिससे उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा और वाहन प्रदूषण भी कम होगा जिसके फलस्वरूप पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

ओएनजीसी विदेश की आयल इक्विटी

743. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओएनजीसी विदेश ने विदेशों में आयल इक्विटी हासिल कर ली है अथवा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओएनजीसी विदेश हाल ही में उन दोनों प्रमुख आयल प्रोपर्टीज के लिए जो दोनों ही ओमान और इंडोनेशिया में अच्छे उत्पादक क्षेत्र है, चीनी प्रतियोगी से मात खा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और ऐसी खामियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) ओएनजीसी-विदेश लि. (ओवीएल), जो आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, विदेश में हाईड्रोकार्बन अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएंडपी) क्रियाकलापों में लगी हुई है। वर्तमान में ओवीएल निम्नांकित विदेशी परियोजनाओं के अंतर्गत प्रतिभागिता कर रहा है :

(1) 45 प्रतिशत प्रतिभागिता हित के साथ, वियतनाम में ब्लाक 06.1 अपतटीय गैस परियोजना,

(2) 20 प्रतिशत प्रतिभागिता हित के साथ, रूस में सखालिन-1 तेल एवं गैस परियोजना,

(3) 20 प्रतिशत प्रतिभागिता हित के साथ, म्यांमार में ब्लाक ए-1 अपतटीय गैस परियोजना,

(4) शत प्रतिशत प्रतिभागिता हित के साथ इराक में अन्वेषण ब्लाक 8

ओवीएल सूडान, ओमान, लीबिया, कजाखस्तान, इंडोनेशिया तथा बेनेजुएला जैसे कुछ देशों में अन्वेषण तथा उत्पादन अवसरों की खोज भी कर रही है।

(ग) और (घ) ओमान में ब्लाक-5 के अंतर्गत 50 प्रतिशत प्रतिभागिता हित, जिसके संबंध में ओवीएल द्वारा बातचीत की जा रही थी, बाद में इस ब्लाक के स्वामी के द्वारा चीन की एक कंपनी को दिया गया था।

जहां तक इंडोनेशियाई संपत्ति का संबंध है, जब ओवीएल ने प्रतिभागिता हित क्रय करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तब विक्रेता ने सूचित किया था कि वे एक विशेष आधार पर एक अन्य पक्षकार के साथ बातचीत कर चुके हैं और यह कि यदि ये वार्ताएं अभीष्ट समय सीमा के अंतर्गत पूरी नहीं की जा सकी तो संबंधित विक्रेता ओवीएल के साथ चर्चाएं आरंभ करेगा।

ओवीएल परिसंपत्तियों के गुण-दोष के आधार पर तथा संपत्तियों के मूल्य के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के पश्चात् विदेश में तेल एवं गैस संपत्तियां प्राप्त करती रहीं हैं। इस कंपनी ने ऐसी संपत्तियां प्राप्त करने के लिए अपनी न्यूनतम प्रत्याय बाधा दर निर्धारित की है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों का मूल्यांकन के विषय में अपना निजी मानदंड है और ये अपनी शर्तों पर प्रतिस्पर्द्धा करेंगी। एक ऐसी स्थिति में ओवीएल से प्रत्येक लेन-देन विजयी बोलीदाता होने की आशा नही की जा सकती है।

[हिन्दी]

रक्षा के लिए बजट का आवंटन

744. **श्री बलिराम :**
श्री सुबोध राय :
प्रो. ए.के. प्रेमाजम :
श्री मोइनुल हसन :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के व्यय प्रस्ताव के रूप में रक्षा व्यय की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में रक्षा क्षेत्र हेतु किये गए बजट आवंटन के विरुद्ध कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित धनराशि का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के व्यय के अनुपात में रक्षा खर्च के लिए धनराशि का अंतिम रूप से कुल आबंटन तथा इस्तेमाल की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित राशि का इस्तेमाल न किए जाने का मुख्य कारण कतिपय संविदाओं को अंतिम रूप न दिया जाना तथा कुछ संविदाओं के लिए आपूर्ति न हो पाना था। इसके विस्तृत कारण संसद के पटल पर रखे गए संबंधित वर्षों के लिए विनियोग लेखा रक्षा सेवा में दिए गए हैं।

विवरण

वास्तविक रक्षा व्यय तथा इसे केन्द्र सरकार के कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में दर्शाने वाला ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

वर्ष	अंतिम रक्षा आबंटन	वास्तविक रक्षा व्यय	केन्द्र सरकार के खर्च के प्रतिशत के रूप में रक्षा व्यय
1999-2000	47614	47071	15.79
2000-2001	51351	49622	15.24
2001-2002 (संअा)	57000	खाता अभी बंद नहीं हुआ है।	15.64

[अनुवाद]

दूरदर्शन के समाचारों पर हंगामा

745. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स में "स्टार्म ब्रिविंग आवर डीडी न्यूज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उनका मंत्रालय और प्रसार भारती ज्यादा प्रचार-प्रसार वाले चैनलों की शुरुआत को लेकर विवाद की स्थिति में है;

(घ) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन का नया प्रस्तावित चैनल अन्य नये चैनलों द्वारा की जा रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर आर्थिक रूप से व्यवहार्य है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्तमान में एक समाचार चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

किराए ढांचे की समीक्षा

746. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में हाल ही में की गई वृद्धि के बाद रेलवे के किराए ढांचे की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए मूल्य के परिणामस्वरूप कितना पूर्वानुमानित अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव अंतर्ग्रस्त है; और

(ग) रेल किराए की समीक्षा के बारे में क्या निर्णय लिए गए हैं अथवा लिये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चुनाव से संबंधित उच्चतम न्यायालय का निर्णय

747. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय ने 1 जुलाई, 2002 के अंत तक दो महीनों के अंदर सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के लिए दिशा-निर्देश दिए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ग) क्या सरकार ने चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए इन दिशा-निर्देशों को अनिवार्य बनाने हेतु एक कानून अधिनियमित किया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने तारीख 2.5.2002 के अपने निर्णय में भारत निर्वाचन आयोग को यह निदेश दिया है कि वह तारीख 1.7.2002 को समाप्त होने वाली दो मास की अवधि के भीतर निर्वाचनों में अभ्यर्थियों से शपथ-पत्र पर निम्नलिखित जानकारी की मांग करने वाले आदेश जारी करे :

(1) क्या अभ्यर्थी पूर्व में किसी दंडिक अपराध के लिए, यदि कोई हो, सिद्धदोष ठहराया गया है/दोषमुक्त/निर्मुक्त किया गया है, क्या उसे कारावास या जुर्माने से दंडित किया गया है।

(2) क्या अभ्यर्थी नामांकन पत्र फाइल करने के छह मास पूर्व दो वर्ष या अधिक के कारावास के दंडनीय अपराध के किसी लंबित मामले में अभियुक्त है जिसमें विधि के न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए जा चुके हैं या संज्ञान लिया जा चुका है। यदि हां तो उसके ब्यौरे।

(3) किसी अभ्यर्थी और उसके पति/उसकी पत्नी उसके आश्रितों की आस्तियां (स्थावर, जंगम, बैंक अतिशेष आदि)।

(4) दायित्व, यदि कोई हों, विशिष्ट रूप से किसी लोक वित्तीय संस्था या सरकार को देयों के संबंध में।

(5) अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हताएं।

सरकार ने तारीख 8.7.2002 को राजनैतिक दलों के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था जिसमें सर्वसम्मति से यह विचार व्यक्त किया गया था कि इस विषय पर विधान लाने की शक्ति केवल संसद् को है। बैठक में यह विचार भी व्यक्त किया गया था कि राजनीति के अपराधीकरण को राजनीतिक दलों के परामर्श से उपयुक्त विधान अधिनियमित करके रोकने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों के विचार प्राप्त करने के लिए उनको एक प्रारूप विधेयक परिचालित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन की अनाबंटित विद्युत का उपयोग

748. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के विद्युत केन्द्र-2 स्थित ताप केन्द्र में लगभग 220 मेगावाट की कोई अनाबंटित बिजली है;

(ख) यदि हां, तो इस अनावंटित विद्युत का किस प्रकार उपयोग किया जाता है;

(ग) उत्पादित विद्युत को आवंटित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में विद्युत की मांग के मद्देनजर तमिलनाडु को आवंटित विद्युत का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के ताप विद्युत स्टेशन-2 से अनावंटित कोटे में से किया गया वर्तमान आवंटन नीचे दिया गया है।

	नैवेली टीपीएस-2 चरण-1 और 2
अनावंटित कोटा	220 मेगावाट
	आवंटन (%)
आंध्र प्रदेश	9.61
कर्नाटक	75.05
तमिलनाडु	8.71
केरल	1.25
पांडिचेरी	7.38
कुल	100.0

(घ) (1) दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन स्टेशनों से तमिलनाडु को किया गया सुनिश्चित आवंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	मेगावाट
रामागुण्डम एसटीपीएस (एनटीपीसी)	470
मद्रास एपीएस (एनपीसी)	253
नैवेली टीएस-2 (चरण-1)	176
नैवेली टीएस-2 (चरण-2)	265
कैगा एपीएस (एनपीसी)	220
कुल	1384

(2) केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों की अनावंटित विद्युत से वर्तमान आवंटन-व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान 116 मेगावाट और गैर-व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान 108 मेगावाट।

(3) पूर्वी क्षेत्र में वर्तमान आवंटन-100 मेगावाट

(4) इसके अतिरिक्त तमिलनाडु को चन्द्रपुर-रामागुण्डम 400 के.वी. लाईन पर पश्चिमी क्षेत्र से आयातित गैर-व्यस्ततमकालीन सामयिक अधिशेष विद्युत का 29% मिलता है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उत्पादन

749. श्री जसवंतसिंह यादव : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए सरकारी क्षेत्र उद्यम-वार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इनका वास्तविक उत्पादन कितना रहा है; और

(ख) लक्ष्य को प्राप्त न किये जाने के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) विगत 3 वर्षों के दौरान विनिर्माणकारी एककों के महत्वपूर्ण उत्पादों के वास्तविक उत्पादन तथा संस्थापित/निर्धारित क्षमता से सम्बन्धित विवरण 7 मार्च, 2002 को सभा पटल पर प्रस्तुत वर्ष 2000-2001 के लोक उद्यम सर्वेक्षण में दिया गया है। निम्न उत्पादन/क्षमता उपयोग के कारण सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम में अलग-अलग हैं तथा इन्हें भी लोक उद्यम सर्वेक्षण में दर्शाया गया है। इसमें बाजार में मन्दी/मांग में कमी, विद्युत एवं कच्चे माल की कमी, कार्यचालन पूंजी का अभाव तथा अप्रचालित संयंत्र व मशीनरी इत्यादि शामिल हैं।

[अनुवाद]

बिहार में त्वरित न्यायालय

750. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार में त्वरित न्यायालय के संचालन हेतु 3.20 करोड़ रुपये जारी किये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या त्वरित न्यायालय के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णमूर्ति) : (क) और (ख) त्वरित निपटान न्यायालय स्कीम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को अभी तक 21.30 करोड़ रुपए की रकम दे दी गई हैं।

(ग) और (घ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने बृजमोहन लाल बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले में 6 मई, 2002 के अपने निर्णय में निम्नलिखित निदेश दिया है :

> ''संबंधित उच्च न्यायालय समय-समय पर त्वरित निपटान न्यायालय के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करेगा और किन्हीं कमियों और/या खामियों की दशा में, नाम निर्देशित प्रशासनिक न्यायाधीश के विचारों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र उपचारी उपाए करेगा।''

उच्चतम न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि 5 अगस्त, 2002 तक त्वरित निपटान न्यायालयों में कोई पद रिक्त न रहे।

ओएनजीसी विदेश द्वारा वियतनाम में तेल क्षेत्रों की खरीद

751. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने वियतनाम में तेल क्षेत्र की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो इस खरीद का ब्यौरा क्या है;

(ग) वियतनाम के इस विशेष तेल क्षेत्र में तेल का अनुमानतः कितना सुरक्षित भंडार है;

(घ) उक्त तेल क्षेत्र का वर्तमान में वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ङ) इस तेलक्षेत्र में निवेश की गई पूंजी लागत सहित उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि ओएनजीसी विदेश (ओवीएल) ने वियतनाम अपतट के 6.12 ई तथा 19 ब्लाकों में अन्वेषण आरंभ करने के लिए वर्ष 1988 में मैसर्स पेट्रोवियतनाम के साथ उत्पादन हिस्सेदारी संविदा हस्ताक्षर की थी। ओवीएल द्वारा इसके परिसंघ साझेदारों अर्थात् यूके की ब्रिटिश पेट्रोलियम, नार्वे की स्टैटआयल तथा वियतनाम की पेट्रोवियतनाम के साथ आरंभ किए गए अन्वेषण कार्य के परिणामस्वरूप वर्ष 1992-93 में देश के सबसे बड़े गैस क्षेत्रों - लान टे तथा लान दो की खोज की गई थी। इन क्षेत्रों के अनुमानित भंडार लगभग 58 बिलियन घनमीटर है।

(घ) और (ङ) इन क्षेत्रों से वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2002 के अंत में अथवा वर्ष 2003 के शुरूआत में आरंभ होने का कार्यक्रम है। ओवीएल के विकास पूंजी व्यय का अंश लगभग 228 मिलियन अमरीकी डालर, अर्थात् 1 अमरीकी डालर = 49 रुपए की विनियम दर पर 1117.2 करोड़ रुपए हैं।

वाहनों के लिए एलपीजी

752. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे कर्नाटक में वाहनों के लिए एलपीजी की आपूर्ति हेतु अभी तक मात्र एक ही बिक्री केन्द्र है; और

(ख) यदि हां, तो वाहनों को एलपीजी की आपूर्ति करने हेतु और अधिक बिक्री केन्द्र खोलने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्तमान में, इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने कर्नाटक राज्य के अंतर्गत बंगलौर में विद्यमान खुदरा बिक्री केन्द्रों पर 3 आटो एलपीजी वितरण स्टेशन (एएलडीएस) स्थापित कर दिए हैं। आगे, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) की मार्च, 2003 तक कर्नाटक राज्य में 10 और एएलडीसी स्थापित करने की योजना है।

गैस अन्तरण अवसंरचना

753. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गैस के अन्तरण के हेतु उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं काफी सीमित है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने संबंधी उपायों की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) गैस परिवहन बुनियादी सुविधा उपलब्ध गैस के वितरण का कार्य करने के लिए देश में उपलब्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) को प्राकृतिक गैस के वितरण और विपणन का कार्य सौंपा गया है। गेल के स्वामित्व में

देश में लगभग 62 एमएमएससीएमडी प्राकृतिक गैस से परिवहन और वितरण के लिए 4400 कि.मी. के अधिक की लंबाई की क्रासकंटरी पाईपलाइन है।

(ख) और (ग) जी, हां। गेल ने 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान लगभग 1078 कि.मी. लंबी प्राकृतिक गैस पाईपलाइन बिछाने के लिए 3410.97 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रतिबद्धता की है। इसके अतिरिक्त गेल लगभग 3876 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 2100 कि.मी. लंबी पाईपलाइन के लिए प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं

754. श्री एम.के. सुब्बा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उग्रवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं पर होने वाले सुरक्षा व्यय को वहन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 के दौरान विद्युत परियोजनाओं को ऐसी सुरक्षा उपलब्ध करने पर कितना व्यय हुआ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) सुरक्षा संबंधी व्यय को विद्युत परियोजनाओं की लागत का हिस्सा बनाया जाए या नहीं, इस प्रश्न पर सरकार पृथक रूप से विचार कर रही है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उच्च शक्ति वाले रेल इंजन

755. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल मई-जून-2002 के दौरान 10 और उच्च शक्ति के रेल इंजन प्रयोग में लाई हैं;

(ख) यदि हां, तो रेलवे की कुल आवश्यकता कितनी है;

(ग) उसकी मांग को किस सीमा तक पूरा किया गया है;

(घ) क्या कंपनी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति वाले यात्री रेलगाड़ी के इंजनों को भेज चुकी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं।

(ख) रेल इंजनों की कुल आवश्यकता ढोए गए माल तथा यातायात और उत्पन्न होने वाले बदलावों पर निर्भर करती है। प्रति वर्ष 25 उच्च अश्व शक्ति वाले रेल इंजनों सहित 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रति वर्ष 89 रेल इंजनों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(ग) अभी तक 24 माल तथा 10 यात्री उच्च अश्व शक्ति वाले रेल इंजन सेवा में लगाए गए हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) जनवरी, 1999 में मैसर्स जनरल मोटर्स को 10 यात्री रेल इंजनों की खरीद के लिए ठेका दिया गया था। ये रेल इंजन मई, 2001 में प्राप्त हो गए हैं।

[हिन्दी]

सीएनजी स्टेशनों पर वर्षा का प्रभाव

756. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वर्षा के कारण दिल्ली के कई सीएनजी स्टेशन पर स्थापित मशीनों ने काम बंद कर दिया जैसाकि दिनांक 30 मई, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने स्टेशन प्रभावित हुए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में वर्षा के कारण सीएनजी स्टेशनों पर स्थापित मशीनें खराब न हों, क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) 28 मई, 2002 को भारी वर्षा के कारण बहुत सी जगह बिजली चली गई जिसके परिणामस्वरूप 12 सीएनजी स्टेशन 1 से 12 घंटों तक काम नहीं कर सके।

(ग) सीएनजी स्टेशनों के विभिन्न क्षमताओं के 30 जनरेटर लगाए गए हैं जिससे सीएनजी कम्प्रेसर ग्रिड पावर न होने पर काम कर सकें।

रेलवे स्टेशनों पर स्टालों का आबंटन

757. **श्री मानसिंह पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने विवेकाधीन कोटे से रेलवे स्टेशनों पर किन्हीं स्टालों का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998 से आज तक की तिथि तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त स्टॉलों के आबंटन के संबंध में क्या नियम बनाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) पिछले 5 वर्षों में कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

त्वरित न्यायालयों में मामलों का हस्तांतरण

758. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्वरित न्यायालयों को कितने मामले हस्तांतरित किये गये और उनके द्वारा कितने मामलों का निपटान किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा त्वरित न्यायालयों की प्रशासनिक खामियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1,35,502 मामले त्वरित निपटान न्यायालयों को अंतरित किए गए हैं जिसमें से उनके द्वारा 58,662 मामलों का निपटान कर दिया गया है।

(ख) जैसा कि स्कीम में अभिकल्पित है, त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करना राज्य सरकारों का प्राथमिक दायित्व है। तथापि, केंद्रीय सरकार राज्यों को समय-समय पर स्पष्टीकरण देकर त्वरित निपटान न्यायालयों की प्रशासनिक खामियों को दूर करने के लिए सभी प्रयत्न कर रही है।

उच्चतम न्यायालय ने बृजमोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में अपने 6 मई, 2002 के निर्णय में निम्नलिखित निदेश दिए हैं:

> "त्वरित निपटान न्यायालयों द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों के निपटान का मानिटर करने और कठिनाईयों या खामियों को, यदि कोई हो, संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक समर्थन और सहयोग से दूर करने के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में कम से कम एक प्रशासनिक न्यायाधीश नामनिर्देशित किया जाएगा। राज्य सरकार प्रशासनिक न्यायाधीश को अपेक्षित सहयोग देना सुनिश्चित करेगी।"

राज्य के मुख्य सचिवों से भी निर्धारित संख्या में त्वरित निपटान न्यायालयों के गठन और ऐसे न्यायालयों के सुचारू रूप से कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश, जिनमें समय-सीमा के भीतर त्वरित निपटान न्यायालयों में रिक्त पदों को भरे जाने और उच्च न्यायालयों द्वारा स्कीम का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना भी सम्मिलित है, राज्य सरकारों को अनुपालन के लिए संसूचित कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

तेल अन्वेषण से मिलने वाले लाभ में राज्यों का हिस्सा

759. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री रामचन्द्र पासवान :
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चीखलीया :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को वर्तमान में उनके क्षेत्र में पाए गए तेल अथवा गैस के लिए लाभ में कोई हिस्सा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक राज्यों को लाभ का कितना हिस्सा उपलब्ध कराया गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने भविष्य में राज्यों को उनके क्षेत्र में स्थित किसी तेल अथवा गैस क्षेत्रों से प्राप्त लाभ में से एक हिस्सा देने हेतु मंजूरी देने का प्रस्ताव पेश किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्यों को लाभ का कितना हिस्सा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इस कदम से राज्यों को पूर्व के लाभों के भी मिलने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) पर सहमति व्यक्त करते समय कुछ राज्य सरकारों ने भारत सरकार द्वारा नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के तहत हस्ताक्षरित जमीनी क्षेत्रों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) के तहत लाभ पेट्रोलियम के एक अंश के लिए अनुरोध किया है और उपरोक्त अनुरोध सरकार के विचारधीन है।

[हिन्दी]

मितव्ययिता संबंधी उपाय

760. श्री रामदास आठवले : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों ने विभिन्न व्यय शीर्षों पर कितनी राशि व्यय की है;

(ख) क्या सरकार का विचार एसटीडी और आईएसडी, आई.एस.टी.डी. बिलों, बिजली के बिलों विशेषकर एयरकंडीशनरों और कूलरों के बिलों तथा अन्य ऐसे व्ययों सहित प्रचार, विज्ञापन, मनोरंजन, खानपान, उद्घाटन समारोहों, संगोष्ठियों, देश-विदेश संबंधी यात्राओं पर होने वाले व्ययों को कम करने हेतु कोई मितव्यतता संबंधी अभियान चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न शीर्षों पर खर्चे की गई राशि विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय में कटौती करने के उद्देश्य से जारी अनुदेशों, जिसमें पदों के सृजन पर रोक, स्वीकृत पदों की संख्या में कमी, कार्याधीन खर्चों, तथा मनोरंजन/स्वागत-सत्कार व्यय में कमी करना शामिल है, का विद्युत मंत्रालय में अनुपालन किया जा रहा है।

विवरण

शीर्षवार विस्तृत प्रावधान का ब्यौरा

विवरण	वास्तविक आंकड़े 1998-99		वास्तविक आंकड़े 1999-2000		वास्तविक आंकड़े 2000-2001	
	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत
1	2	3	4	5	6	7
वेतन	13514	319677	14340	323277	13444	344236
मजदूरी	0	902	0	627	0	621
समयोपरि भत्ता	154	1155	178	1244	181	1263
घरेलू यात्रा खर्च	3921	5022	5353	7857	3115	8180
विदेशी यात्रा खर्च	658	2977	9184	4552	1199	3746
कार्यालयीन खर्च	4017	34224	10774	41211	8481	40625
किराया, दर एवं कर	0	0	0	17297	0	16576
प्रकाशन	0	479	0	617	0	703

1	2	3	4	5	6	7
अन्य प्रशासनिक खर्च	0	1250	0	1418	0	1881
विज्ञापन एवं प्रचार	0	48	0	91	0	59
छोटे-मोटे कार्य	1410	130	3303	131	3424	162
योगदान	0	25	0	32	0	25
व्यावसायिक सेवाएं	800	1032	906	537	1867	5812
सहायता अनुदान	750035	44200	748692	47000	1312213	49400
अन्य संविदात्मक सेवाएं	0	5327583	0	7632100	0	8836123
सब्सिडी	3400000	23	2953300	24	2950000	6
एक मुश्त प्रावधान	0	0	0	0	0	0
सस्पेन्स	0	20000	0	20000	0	16500
ब्याज	0	215000	0	206899	0	0
अन्य प्रभार	2370	31402	9178	21244	5309	21284
मशीनरी एवं उपस्कर	9643	30000	4061	15025	5030	16747
बड़े कार्य	15102	0	17186	0	15355	0
निवेश	12197900	0	12426900	0	12820000	0
ऋण एवं अग्रिम	14020000	0	15199132	0	10776399	0
अन्य पूंजीगत व्यय	664293	0	293466	0	445323	0
अंत: लेखा अंतरण	0	169165	0	141515	0	0
कुल योग	31083817	6204294	31695953	8482698	28361340	9363949

[अनुवाद]

ईरान एवं बंग्लादेश से होकर गैस पाईपलाइन

761. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ईरान एवं बंग्लादेश से होकर गैस पाईप लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हमारे देश के लिए यह किस सीमा तक लाभकारी होगी; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने और चालू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) भारत-ईरान द्विपक्षीय सहयोग के तहत ईरान से भारत तक तटीय और अपतटीय गैस पाईपलाइन विकल्पों का पता लगाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के लिए भारत से गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) और ईरान से राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी (एनआईओसी) को संबंधित सरकारों द्वारा नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है। पाकिस्तान के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के बाहर अपतटीय पाईपलाइन विकल्प के लिए गेल

और एनआईओसी ने संयुक्त रूप से एक व्यवहार्यता अध्ययन इटली की मैसर्स सनामप्रोगेटी-साइपेम को सौंपा हैं, जो प्रगति पर है।

बांग्लादेश के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों नामतः इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड का परिसंघ प्राकृतिक गैस के आयात में भाग लेगा। बांग्लादेश सरकार को भारत को गैस के निर्यात के बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय लेना है।

पाईपलाइन गैस के आयात से भारतीय गैस बाजार को निश्चित रूप से लाभ होगा क्योंकि घरेलू आपूर्ति बढ़ती हुई गैस मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। उर्वरक और विद्युत क्षेत्र जैसे मुख्य क्षेत्रों को गैस की और अधिक मात्रा की जरूरत है। इसी प्रकार औद्योगिक, आवासीय और परिवहन क्षेत्रों को भी आने वाले वर्षों में और अधिक गैस की आवश्यकता होगी।

(ग) भारत-ईरान पाईपलाइन परियोजना के लिए समयावधि का पता, विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर इस परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के ज्ञात होने के बाद ही, चल सकेगा। जबकि बांग्लादेश के मामले में, बांग्लादेश सरकार का निर्णय, औपचारिक रूप से इसे प्रेषित किए जाने के बाद ही पता चल पाएगा।

खोया और पाया कार्यालय

762. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे देश में कोई खोया और पाया कार्यालय चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो नियमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलगाड़ियों में खोए हुए अथवा भूले गए सामानों को संचालकों द्वारा स्टेशन मास्टरों के पास सुरक्षित रखने हेतु नहीं सौंपा/लौटाया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों में जागरूकता बढ़ाने और नियमों को निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) गुम अथवा लावारिस वस्तुओं की देख-भाल के लिए मौजूदा प्रावधान पर्याप्त हैं।

विवरण

रेलवे अनन्य रूप से किसी "खोया और पाया कार्यालय" का परिचालन नहीं करती है। बहरहाल, गुम अथवा लावारिस वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा/निपटान के लिए भारतीय रेल वाणिज्यिक नियमावली, जिल्द-II के अध्याय XII में प्रावधान विद्यमान है।

बुक किए गए पार्सल, सामान और मालडिब्बे में लादे गए पारेषण जो विभिन्न कारणों के कारण अलग हो जाते हैं, को भारतीय रेलवे के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अप्राप्त कक्ष द्वारा सम्हाले जाते है।

परेषण के यथोचित समय के भीतर वांछित गंतव्य पर पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए इन परेषणों का छोर तक पता लगाया जाता है।

बुंकिग और पार्सलों की ढुलाई को कारगर बनाने के लिए प्रमुख टर्मिनलों पर पार्सलों का कंप्यूटरीकरण पहले ही शुरू कर दिया गया है और मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली परियोजना, भी शुरू कर दी है जो वस्तुतः मालडिब्बों के अलग हो जाने की संभावना समाप्त कर देगी और सभी मालडिब्बें की वास्तविक समय स्थिति की सुविधा प्रदान करेगी, शीघ्र ही आरंभ होने वाली है।

गाड़ियों में अथवा स्टेशन परिसरों में यात्रियों द्वारा छोड़े गए सामान अथवा रे.सु.ब. और टी.एक्स.आर. कर्मचारियों द्वारा खाली सवारी डिब्बें में पाए गए सामान अथवा अमानती गृह में छोड़े गए सामान और अलग हुए किसी अन्य परेषण या पार्सल अथवा मालडिब्बों को आगे के निपटान के लिए स्टेशन मास्टर को सुर्पुद किए जाते हैं, जो उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध करेगा।

सामान/पार्सल कार्यालय में पण्यों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए स्टेशन मास्टर पैकेज इत्यादि की स्वयं जांच करता है और स्वामित्व आदि से संबंधित पाए गए किसी सुराग के आधार पर गुम हुई संपत्ति वैध स्वामी को लौटा दी जाती है। सभी गुम हुई संपत्ति, यदि उन पर किसी व्यक्ति द्वारा दावा किया जाता है और उनकी पहचान की जाती है तो उससे एक आवेदन प्राप्त करके तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, स्टेशन मास्टर की संतुष्टि पर उसके मालिक को सुपुर्द कर दी जाती है। गुम संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में संदेह होने के मामले मे सुपुर्दगी केवल मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक के आदेश प्राप्त करने के बाद की जाती है।

इन वस्तुओं को विनियमित, सुव्यवस्थित और सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. स्टेशन में वस्तुओं का ठीक ढंग से रिकार्ड रखा जाता है अर्थात् रेलवे कर्मचारियों द्वारा पाई गई सभी गुम एवं लावारिस वस्तुएं अथवा किसी व्यक्ति द्वारा जमा की गई वस्तुएं "गुम सम्पत्ति रजिस्टर" में दर्ज की जाती हैं। प्रत्येक वस्तु उसके पूर्ण विवरणों, चिह्न, वास्तविक भार, अनुमानित कीमत (यदि पता लगाने योग्य हो) आदि सहित अलग से दर्ज की जाती है।
2. इन वस्तुओं को उनके मूल हालातों में ठीक ढंग से पुन: पैक किया जाता है और उन पर स्टेशन मोहर लगा दी जाती है ताकि क्षति तथा उठाईगीरी से बचा जा सके।
3. प्रत्येक वस्तु तथा पैकेज पर "गुम संपत्ति रजिस्टर" में इसकी प्रविष्ट की क्रम संख्या अंकित कर दी जाती है।

सभी लावारिस पारेषण और छोड़े गए सामान, जिनका पता नहीं लगाया जा सका और जो वैध परेषती/स्वामी को सुपुर्द नहीं किया जा सके, को समय-समय पर मौजूदा दिशा-निर्देश के अनुसार नीलाम कर दिया जाता है।

वैगनों की खरीद

763. श्री रघुनाथ झा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने समाचार पत्रों के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित कर खरीद करने के बजाय वर्ष 1994-95 से 1997-98 के दौरान उच्च दरों पर वैगन इंडिया के माध्यम से वैगनों की खरीद की थी;

(ख) क्या इस खरीद से 23.24 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय हुआ;

(ग) यदि हां, तो मामलों की जांच की गई है और देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी नीति क्या है और कम मूल्यों पर खरीद न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) 1993-94 से पहले, रेल मंत्रालय द्वारा मालडिब्बों के लिए आदेश सीधे वैगन इंडिया लि, (डब्ल्यू आई एल) की सदस्य इकाइयों को दिए जाने थे, जिसकी स्थापना 1974 में मंत्रिमंडल की स्वीकृति से की गई थी। खरीद की इस प्रणाली में, कीमतों का निर्धारण स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा तय किए गए लागत विश्लेषण के आधार पर पहले अध्यक्ष/बीआईसीपी की अध्यक्षता में और तत्पश्चात् मुख्य सलाहकार (वित्त)/वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत गठित कीमत निर्धारण समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है। उन्नीस के दशक के आरम्भिक वर्षों में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के अनुसार, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के व्यापक परिदृश्य के दृष्टिगत रेल मंत्रालय ने समानांतर उपाय के रूप में भी प्रतियोगी निविदाओं का निर्णय लिया है। तदनुसार बाजार की जांच और अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आंशिक आवश्यकता के लिए खरीद डब्ल्यू.आई.एल. तथा निविदा द्वारा की गई। प्रतियोगी खरीद और खुली निविदा द्वारा मालडिब्बें की खरीद की संशोधित प्रणाली के स्थिर होने के पश्चात् रेलों को हुई वित्तीय बचत के मद्देनजर, रेलों ने 1998-99 से 100% खरीद के लिए खुली निविदा प्रणाली अपना ली। इस प्रकार 1994-95 से 1997-98 के बीच की अवधि एक संक्रमण अवधि थी, जिसके दौरान थोड़ी सी उच्च दर पर डब्ल्यू.आई.एल. द्वारा खरीद, डब्ल्यू. आई.एल. के निर्माण के सरकारी उद्देश्य, स्थायी समिति की सिफारिश और मितव्ययिता प्राप्त करने और खरीद में पारदर्शिता रखने की रेल मंत्रालय द्वारा तैयार नीति की पृष्ठभूमि में देखी जानी चाहिए।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अधिक मितव्ययिता और प्रतियोगिता प्राप्त करने के लिए खुली निविदा के माध्यम से खरीद की संशोधित प्रणाली को चरणबद्ध आधार पर आरंभ किया गया है तथा 1998-99 से रेल खरीद की 10% आवश्यकता खुली निविदा के माध्यम से पूरा कर रही है।

पेट्रोल पंपों पर सेल्यूलर फोन के उपयोग पर प्रतिबंध

764. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री पी.आर. किन्डिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय ने पेट्रोल पंपों पर सेल्यूलर फोनों को बंद रखने के संबंध में सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में उपभोक्ताओ के बीच जागरूकता लाने हेतु कोई निदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस निदेश को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) सरकार ने यह निदेश दिया है कि खुदरा बिक्री केन्द्रों पर मौजूद रहते वक्त सेल फोन को बंद रखने की आवश्यकता के बारे में ग्राहकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा तेल विपणन कंपनियों को यह निदेश दिया गया है कि वे परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन को उपयुक्त पर्चों का वितरण करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों पर फील्ड स्टाक को लगभग 30 दिन तक नियुक्त करने के अतिरिक्त चेतावनी सूचना भी प्रदर्शित करें। आम जनता की सूचना के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति भी 27 जून, 2002 को जारी की गई।

[हिन्दी]

विकास कार्य हेतु आबंटित धनराशि का उपयोग न करना

765. कुवंर अखिलेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विकास कार्यों के लिए रेलवे को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या विकास कार्य हेतु प्रत्येक वर्ष में आबंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) रेलवे में विकासात्मक कार्यकलापों की अंतर्ग्रस्तता रखने वाले कार्यों का विवरण कुछ योजनाशीर्ष पर किया जाता। पिछले तीन वर्षों के दौरान मूलतः विकासात्मक कार्यकलापों को शामिल करते हुए योजना शीर्षों के अंतर्गत आवंटित शुद्ध राशि और शुद्ध व्यय नीचे लिखे अनुसार है:

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

योजनाशीर्ष	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
नई लाइनें आदि	600	521.03	825	710.24	1015	891.06
आमान परिवर्तन	645	543.07	600	454.04	665	686.44
दोहरीकरण	625	554.57	655	524.10	672	600.06
रेल विद्युतीकरण	350	319.16	325	302.22	225	269.47
महानगर परिवहन परियोजनाएं	300	245.22	400	262.66	378	280.82
यातायात सुविधाएं	220	170.82	225	148.79	225	172.18
रेल अनुसंधान	10	7.07	10	9.21	10	7.56
यात्री और अन्य उपयोगकर्ता सुविधाएं	130	115.14	200	136.36	200	168.70
अन्य बिजली संबंधी कार्य	130	103.68	130	92.67	120	97.65

1	2	3	4	5	6	7
कारखाना और उत्पादन इकाइयां	250	166.80	220	165.09	220	205.69
कंप्यूटरीकरण	70	39.88	70	55.49	70	67.95
मशीन एवं संयंत्र	110	90.39	100	90.95	100	82.59
जोड़	3440	2876.83	3760	2951.82	3900	3530.17

व्यय में कमी मुख्यतः कोंकण रेल निगम को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने और संशोधनों के आंतरिक सृजन में कमी के कारण संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता के फलस्वरूप हुई हैं।

[अनुवाद]

बीपीसीएल द्वारा कम वजन वाले रसोई गैस सिलेंडर

766. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बीपीसीएल वितरकों को बाटलिंग संयंत्रों से कम वजन वाले सिलेंडर मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बीपीसीएल को इस संबंध में अपने वितरकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो बीपीसीएल द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या जिन वितरकों ने कंपनी को शिकायत की है उनका कंपनी द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): नई दिल्ली में बीपीसीएल के डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां उतराई करते हुए कम भरे हुए कुछ सिलेंडरों का पता लगा था, जो बीपीसीएल ने गुणवत्ता नियंत्रण उपाय का एक भाग है। डिस्ट्रीब्यूटरों को इसके लिए क्रेडिट नोट दिया गया है।

(ख) बीपीसीएल को डिस्ट्रीब्यूटरों से कम वजनी सिलेंडरों की कोई शिकायत नहीं हुआ है।

(ग) एलपीजी का भरण करते समय कड़ी गुणवत्ता निरीक्षण जांच की जाती है और नियमित निरीक्षण किए जाते हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं को कम वजन के सिलेंडर न मिलें।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में एफ एम रेडियो की सुविधा शुरू करना

767. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्रियों के हित में मनोरंजक मानकों में सुधार लाने हेतु लम्बी दूरी की विभिन्न रेलगाड़ियों में पहले से प्रसारण किए जा रहे संगीत इत्यादि के साथ-साथ एफ एम रेडियो की सुविधा शुरू करने की संभावना की तलाश की है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो सभी रेल गाड़ियों में ऐसी व्यवस्था कब तक कर ली जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी नहीं। बहरहाल, रेलवे ने एक राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी में यात्रियों के लिए आकाशवाणी द्वारा आरंभ किए गए डारेक्ट टू होम रेडियो चैनल के विस्तार के लिए आकाशवाणी के साथ संयुक्त परीक्षण किए हैं। परीक्षणों की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अन्य राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में सेवा के विस्तार का निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में वस्तुएं बेचने वाले अनधिकृत विक्रेता

768. **प्रो. दुखा भगत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई अनधिकृत विक्रेता रेलवे अधिकारियों की मिलीभगत से रेलगाड़ियों में खान-पान सामग्री बेचते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत रेलवे स्टेशनों और रेल गाड़ियों में अप्राधिकृत रूप से फेरी लगाना दण्डनीय अपराध है। रेलवे प्रशासन समय-समय पर अप्राधिकृत फेरी लगाने वालों पर अंकुश रखने के लिए इस प्रकार की गतिविधियों पर अभियोजन तथा अर्थदण्ड लगाने के माध्यम से विशेष अभियान आयोजित करती है।

(ख) और (ग) रेल कर्मचारियों की अप्राधिकृत फेरी लगाने वालों/वेंडरों के साथ सांठ-गांठ का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। बहरहाल, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999, 2000 और 2001 के दौरान की गई जाचों के परिणामस्वरूप 50907, 59639 और 80514 अप्राधिकृत फेरी वाले/वेंडर पकड़े गए थे।

[अनुवाद]

गोबर पर आधारित रसोई गैस संयंत्र

769. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की सहायता से गोबर से रसोई गैस संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जापान से अभी तक कितनी सहायता मिली है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विज्ञापनों पर किया गया खर्च

770. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी विज्ञापनों पर कुल कितना खर्च किया गया है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक मंत्रालय का क्या विशिष्ट बजट है; और

(ग) यदि हां, तो क्या खर्च स्वीकृत अनुदानों के भीतर हुआ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिए स्वायत्त निकायों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वर्ष 1999-2000, वर्ष 2000-2001 के दौरान जारी किए गए विज्ञापनों पर विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) द्वारा किया गया कुल व्यय क्रमशः 81,13,14,143 रु. 73,88,05,298 रु. तथा 88,62,56,376 रु. था।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिए विज्ञापनों को जारी करने के लिए, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है; नामतः शुल्कदायी तथा गैर-शुल्कदायी। शुल्कदायी मंत्रालय/विभाग विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी किए जाने वाले अपने विज्ञापनों के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय को अपेक्षित निधियां अग्रिम में सौंप देते हैं, जबकि गैर-शुल्कदायी मंत्रालयों/विभागों हेतु विज्ञापन जारी करने पर व्यय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के स्वीकृत बजट अनुदान से वहन किया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रसारण बजट से हुआ व्यय स्वीकृत अनुदान से और उसके भीतर ही था। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय अन्य मंत्रालयों/विभागों के स्वीकृत बजट अनुदानों के ब्यौरे नहीं रखता है।

अश्लील फिल्मों के लिए विशेष हॉल

771. श्री राम मोहन गाइडे :
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जून, 2002 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "एक्सट्रा स्पेशल हाल्स फॉर रेटेड फिल्मस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेंसर बोर्ड का विशेष सिनेमाघरों में अश्लील फिल्मों को काटे बिना इनको दिखाये जाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चलचित्र अधिनियम, 1952 में परिवर्तन करने का क्या औचित्य है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) जी, हां। समाचार विषय वस्तु पर केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की टिप्पणियां मांगी गयी थी। के.फि.प्र. बोर्ड ने सूचित किया है कि चलचित्रकी अधिनियम, 1952 तथा उनके तहत बनाए गये नियमों की समीक्षा के लिए सरकार की सिफारिश हेतु की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में बोर्ड को यह समाचार विषय वस्तु एक सुझाव के रूप में प्राप्त हुई है। फिल्म प्रमाणन बोर्ड के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने के.फि.प्र. बोर्ड को सलाह दी है कि 'एक्स ए' (एक्स रेटिंग) फिल्म प्रमाणन के संबंध में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्राप्त छुटपुट सुझाव न तो वांछनीय हैं न ही क्रमिक हैं और इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

कार्यगत खर्चों संबंधी बचत

772. श्री वाई.वी. राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2001-2002 के दौरान रेल के कार्यगत खर्चों सम्बन्धी बचत प्राक्कलनों को पार कर गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा कार्यगत-खर्चों में किस प्रकार कमी की है; और

(घ) चालू वर्ष हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी हां। रेलों के सामान्य संचालन व्यय में इस वर्ष के आरम्भ में निर्धारित 910 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2001-2002 में 1487 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यह बचत मुख्य रूप से रेलों पर किफायत और मितव्ययिता के विभिन्न उपायों के कड़े कार्यान्वयन, व्यय की कतिपय मदों जिनके लिए बजट में प्रावधान विद्यमान था, का कार्यान्वित न होना और कुछ हद तक, लक्षित माल लदान में कमी आना और परिणामस्वरूप गतिविधियों के स्तर में गिरावट आने के कारण हुई है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में, 650 करोड़ रुपए की बचत का लक्ष्य रखा गया है और रेलें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठा रही हैं:

(1) प्रति व्यक्ति उत्पादकता में सुधार लाने के लिए बेहतर श्रमशक्ति प्रबंधन।

(2) ऊर्जा संरक्षण।

(3) परिसम्पत्तियों का सफलतापूर्वक उपयोग।

(4) उपस्करों की खराबियों में कमी।

(5) खर्च की सीमाओं और मासिक बजट अनुपातों के निर्धारण तंत्र के जरिए और रोकड़ के प्रवाह के नियंत्रण के माध्यम से भी कड़े वित्तीय और बजटीय नियंत्रण।

(6) आतिथ्य सत्कार, प्रचार, विज्ञापन आदि के क्षेत्र में मितव्ययिता।

इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना

773. श्री के.पी. सिंह देव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और उस पर अभी तक वास्तव में कितनी राशि खर्च की गयी है;

(ख) क्या उस परियोजना की बायीं तरफ की नहर कमजोर हो गयी है और इसका तत्काल पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) दिसम्बर, 1996 के मूल्य स्तर पर अपर इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 1107.10 करोड़ रुपये थी और मार्च, 2002 तक इसका संचयी व्यय 1118.36 करोड़ रुपये था।

(ख) और (ग) आरडी 00 से 15 किलोमीटर तक बायीं मुख्य नहर कमजोर हो गई थी और इसके तत्काल नवीकरण की आवश्यकता थी। उड़ीसा सरकार के अनुसार गत वित्तीय वर्ष के दौरान गाद हटाने के लिए 44 लाख रुपये तथा बायीं मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए 20 लाख रुपये आवंटित किए गए थे।

तमिलनाडु में इंजीनियरिंग कार्यशाला

774. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में कुछ इंजीनियरिंग कार्यशालाओं को इस समय कार्य-आदेश नहीं मिल रहे हैं और कार्यशालाओं का अधिकतम उपयोग नहीं हो रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को श्रमिकों को कुछ प्रशिक्षण देकर कार्यशालाओं को यांत्रिक कार्यशाला बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) तमिलनाडु की उन इंजीनयरिंग कार्यशालाओं का ब्यौरा क्या है जिनका अधिकतम उपयोग नहीं हो रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं, तमिलनाडु में केवल एक इंजीनियरी कारखाना अर्थात् अरक्कोणम इंजीनियरी कारखाने में फिलहाल पर्याप्त कार्यभार है तथा शॉप का संतोषजनक रूप से उपयोग किया जा रहे है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कोई नहीं।

आंध्र प्रदेश तथा उत्तरांचल में सड़क उपरि पुल का निर्माण

775. श्री ए. नरेन्द्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश तथा उत्तरांचल प्रदेश सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्यों में सड़क उपरि पुलों के निर्माण हेतु भेजे गए प्रस्तावों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में सड़क उपरि पुलों की चालू परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है क्या प्रत्येक परियोजना को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) ऐसे पुलों का निर्माण कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में पड़ने वाले ऊपरी सड़क पुलों के प्रस्तावों से संबंधित विवरण संलग्न हैं। बहरहाल, उत्तरांचल राज्य सरकार से ऊपरी सड़क पुलों के संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए हैं।

(घ) रेलें, पुल खास पर (रेलपथ के ऊपर) निर्माण कार्य संबंधित राज्य सरकार द्वारा पंहुच मार्गों पर कार्य करने के साथ-साथ पूरा करेगी।

विवरण

(आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	रेलवे	अनुमोदन का वर्ष	02-03 के दौरान आवंटन	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	बल्हारशाह-काजीपेट, बेलमपल्ली स्टेशन के निकट समपार सं. 62, किमी 237/8-10 के बदले ऊपरी सड़क पुल।	दमरे	2000-01	100	संशोधित अनुमान पर कार्रवाई चल रही है।
2.	तिरूपति-रेणीगुण्टा खण्ड तिरूपति शहर के बीच 92/9-10 किमी पर समपार सं. 105 के बदले ऊपरी सड़क पुल।	दमरे	1999-00	100	जीएडी अनुमोदित

1	2	3	4	5	6
3.	अंकापल्ली-थाड़ी: विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खण्ड पर 747/1-2 किमी पर समपार सं. 487, के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	2000-01	100	जीएडी अनुमोदित
4.	के जेड जे-बी जेड ए खण्ड पर मधिरा स्टेशन के निकट 528/32-34 किमी. पर समपार सं. 122 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	2000-01	100	रेलवे के भाग की निविदा अंतिम दौर मे, राज्य सरकार की निविदा आमंत्रित की गई है।
5.	गुन्टूर-दनकुंडा-पेरीछेड़ता स्टेशन के निकट 10/8-9 किमी. पर समपार सं. 306 बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	2000-01	100	सामान्य आरेखण व्यवस्था के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा
6.	नुजविड़-वतलूर-बी जेड ए-बी एस के पी खण्ड पर 470/1-2 किमी. पर समपार सं. 336 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	2001-02	150	अंतिम आरेखण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
7.	वाडी-एस सी-हाफिजपेट स्टेशन के निकट किमी 165/13-14 पर समपार सं. 26 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	2000-01	80	सामान्या आरेखण व्यवस्था मंजूर, अनुमान तैयार किया जा रहा है।
8.	गुडूर-ओडूरू-गुडूर-रेणीगुण्टी-बी जेड ए खण्ड पर 135/2-4, 0/3-4 किमी. पर समपार सं. 99ए और बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	2000-01	150	राज्य सरकार द्वारा स्थान तथा संरेखण को अंतिम रूप दिया जाएगा।
9.	भद्राचलम-द्रोणाकल-भद्राचलम रोड खण्ड पर 54/8-10 किमी. पर समपार सं. 18के. के. के बदले निचला सड़क पुल	दमरे	2000-01	95.08	रेलवे के हिस्से की संविदा दे दी गई है। पहुंच संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है।
10.	अंनतपुर यार्ड-जीटीएल-डी एम एम खण्ड पर समपार सं. 128ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	2001-02	120	सामान्य आरेखण व्यवस्था राज्य सरकार को भेज दी गई है। पहुंच मार्गों के लिए अनुमानों की राज्य से प्रतीक्षा है।
11.	बडवेल-उंदानगर-समपार के बदले सड़क ऊपरी पुल	दमरे	2001-02	100	सामान्य आरेखण व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है। मिट्टी की जांच के लिए निविदाओं को आमंत्रित किया गया है।
12.	मौलाअली-एस एन एफ-एम एल वाई बाईपास पर 19/2-3 किमी. पर समपार सं. 3 एम जी के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	2001-02	100	सामान्य आरेखण व्यवस्था को रेलवे द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है। अनुमोदन के लिए सामान्य आरेखण व्यवस्था को राज्य सरकार के पास भेजा गया है।

1	2	3	4	5	6
13.	ताडी-दुवाडी-बी जेड ए-बी एस के पी खण्ड (अनाकापल्ली) की 755/3-4 किमी. पर समपार सं. 490 के बदले सड़क ऊपरी पुल	दमरे	2001-02	146.13	सामान्य आरेखण व्यवस्था तैयार की जा रही है।
14.	पेदावदलापुडी-बी जेड ए-जी डी आर खण्ड में 415/34-36 किमी. पर समपार सं. 301 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	2001-02	150	सामान्य आरेखण व्यवस्था मंजूर, विस्तृत अनुमान तैयार किए जा रहे है।
15.	पेडापल्ली-के जेड जे-बी पी क्यू खण्ड पर 290/16-18 किमी. पर समपार सं. 41 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	2001-02	100	सामान्य आरेखण व्यवस्था मंजूर, राज्य सरकार के हिस्से के अनुमान की प्रतीक्षा की जा रही है।
16.	ऑनगोल-बी जेड ए-बी एस के पी खण्ड में 291/1-2 किमी पर समपार सं. 208 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	2001-02	150	सामान्य आरेखण व्यवस्था को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया है।
17.	अनापर्ती स्टेशन यार्ड-बी जेड ए-वी एस के पी खण्ड पर 602/1-2 किमी. पर समपार सं. 413 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	2001-02	150	स्थान के परिवर्तन के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से संशोधित प्लान की प्रतीक्षा है।
18.	कागजनगर यार्ड-के जेड जे-बी पी क्यू खण्ड पर 202/24-26 किमी. पर समपार सं. 77 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	2001-02	100	राज्य सरकार से अंतिम स्थान निर्धारित और संरेखण की प्रतीक्षा है।
19.	साफिलगुडा-एस सी-डी एन सी खण्ड पर 615/3-4 किमी. पर एक समपार सं. 254 के बदले उपरी सड़क पुल	दमरे	2001-02	100	राज्य सरकार द्वारा संरेखण को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
20.	गुण्टूर-द्रोणाचलम-नरसारा पेट स्टेशन के निकट 43/11-12 किमी. पर समपार सं. 285 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	2001-01	100	सामान्य आरेखण व्यवस्था अनुमोदित, विस्तृत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
21.	मेहबूबाबाद-के जेड जे-बी जेड ए खण्ड पर 437/28-30 किमी पर समपार सं. 82 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1999-00	120	कार्य प्रगति पर है
22.	कुप्पम-जोलारपेट्टे-बेंगलुरु सिटी खण्ड के कुप्पम में 251/13-14 किमी मौजूदा समपार सं. 101 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दरे	1998-99	300	कार्य प्रगति पर है

1	2	3	4	5	6
23.	जमई ओस्मानिया-एस सी-डी एन सी खण्ड पर 4/4-5 किमी@ किमी पर समपार सं. 2 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1990-91	75	निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है
24.	पालाकोल्लू-गोरिनटाडा-बी बी आर एम -एन एस पी खण्ड पर 31/2 किमी@ बी श्रेणी के समपार सं. 23 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1990-91	110.25	रेलवे का भाग पूरा हो चुका है और पहुंच मार्गों पर कार्य जारी है।
25.	काजीपेट यार्ड-324/1-2 किमी पर समपार सं. 59ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1992-93	100	राज्य सरकार से सामान्य आरेखण व्यवस्था की मंजूरी की प्रतीक्षा है।
26.	चिराला-बी जेड ए-जीडी आर खण्ड पर 340/12-14 किमी@ पर समपार सं. 244 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1994-95	54.47	बुनियाद और आधार के निर्माण संबंधी कार्य पूरा हो चुका है। पुरानी निविदा रद्द की जा चुकी है और नई निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
27.	जहीराबाद-वी के बी-ए डब्ल्यू बी खण्ड पर 60/11-12 किमी पर समपार सं. 30बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1994-95	100	कार्य लगभग पूरा होने को है।
28.	सीताफल मण्डी-एस सी-डीएनसी खण्ड पर सीताफल मण्डी के निकट समपार सं. 1 @2/7-8 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1996-97	100	निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
29.	गुण्टुर-तेनाली-जीएनटी-टीईएल खण्ड पर 23/11-12 किमी@ पर समपार सं. 250 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1998-99	250	कार्य प्रगति पर है।
30.	खम्माम-के जेड जे-बी जेड ए खण्ड पर 484/32-34 किमी@ पर समपार सं. 104 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1999-00	100	सामान्य आरेखण व्यवस्था अनुमोदित, राज्य सरकार से विस्तृत अनुमानों की प्रतीक्षा है।
31.	पीठापुरम-बी जेड ए-वी एस के पी खण्ड में 638/12-13 किमी@ पर समपार सं. 429 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1999-00	0.1	रेलवे द्वारा सामान्य आरेखण व्यवस्था को अनुमोदित कर दिया गया है। राज्य सरकारों से अनुमानों की प्रतीक्षा है। राज्य सरकार ने संरेखण में बदलाव के लिए अनुरोध किया है और राज्य सरकार से अंतिम अनुमान मिलने बाकी है।

1	2	3	4	5	6
32.	पलावलासा राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर-बेरूआ-मंडासा रोड के बीच, समपार सं. 236 के बदले 655.594 किमी पर ऊपरी सड़क पुल	दपूरे	1999-00	75	डी आई आर/एन एच ए आई/बी एस के पी के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के पुनर्सरेखण से ऊपरी सड़क पुल को हटाना होगा।
33.	दुवादा किमी 752/1-3 पर ऊपरी सड़क पुल	दपूरे	2001-02	100	सामान्य आरेखण व्यवस्था अनुमोदित, अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
34.	हरिपुरम-मंडासा रोड-सुम्मा देवी समपार सं. 242 राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर किमी. 664.442 पर ऊपरी सड़क पुल	दपूरे	1999-00	75	डी आई आर/एन एच ए आई/बी एस के पी के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के पुनर्सरेखण से ऊपरी सड़क पुल को हटाना होगा।
35.	कंछिली-बरुआ-सोमपता के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 646.469 किमी पर समपार सं. 229 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दपूरे	2000-01	100	सामान्य आरेखण व्यवस्था अनुमोदित, संरचनात्मक ड्राइंग और लॉचिंग स्कीम एन एच ए आई द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।
36.	चिपुरापल्ली-गरीबीडी के बीच में 792/12-13 किमी पर ऊपरी सड़क पुल	दपूरे	2002-03	1.00	संरेखण का निर्धारण प्रगति पर है।
37.	नीलीमारिया-विजयानगरमरिवडी के बीच 811/3 किमी. पर ऊपरी सड़क पुल	दपूरे	2002-03	1.00	आरेखण की तैयारी प्रगति पर है।
38.	कंटकपल्ली-कोंटावलासा के बीच डिस्ट्रिक्ट रोड पर 851/1 किमी पर ऊपरी सड़क पुल	दपूरे	2002-03	122.5	आरेखण की तैयारी प्रगति पर है।
39.	863 किमी पर पेंडूरर्थी-सिम्हाचलम के बीच ऊपरी सड़क पुल	दपूरे	2002-03	122.5	आरेखण की तैयारी प्रगति पर है।
40.	मेल्लमडुगू-खम्माम, के जेड जे-बी जेड ए खण्ड पर 482/16-18 किमी पर ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1999-00	100	सामान्य आरेखण व्यवस्था में संशोधन किया जा रहा है।
41.	फिरंगीपुरम-सतलूरू, जीएनटी-डी केडी खण्ड पर 28/12-13 किमी पर समपार सं. 295 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1999-00	बॉट	सामान्य आरेखण व्यवस्था में संशोधन किया जा रहा है।
42.	विनूकोंडा-गुंडियाकम्मा, जीएनटी-डी के डी खण्ड पर 91/8-9 किमी पर समपार सं. 295 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1999-00	बॉट	सामान्य आरेखण व्यवस्था अनुमोदित।
43.	विनूकोंडा-गुंइलाकम्मा, जीएनटी-डी के डी खण्ड पर 86/1-2 किमी पर समपार सं. 262 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1999-00	बॉट	सामान्य आरेखण व्यवस्था अनुमोदित।

1	2	3	4	5	6
44.	बेलमकोंडा-पिड्डुगुरेल्ला, जी एनटी-एस सी खण्ड पर 71/9-10 किमी पर समपार सं. 62 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1999-00	बॉट	कार्य प्रगति पर है।
45.	मुनीमाका-संतमगलूरू, डीकेडी-जी एनटी खण्ड पर 60/1-2 किमी पर निचला सड़क पुल	दमरे	1999-00	बॉट	कार्य प्रगति पर है।
46.	सतलुरू-नसारपेट, जीएनटी-डीकेडी खण्डों पर 43/1-2, 42/5-6 किमी पर समपार सं. 286 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1999-00	बॉट	सामान्य आरेखण व्यवस्था अनुमोदित
47.	तरलूपाडु-कुम्बम, डीकेडी-डीएनसी खण्ड पर 169/10 किमी पर ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1999-00	बॉट	राज्य सरकार से सामान्य आरेखण व्यवस्था की प्रतीक्षा है।
48.	वेल्लालचेररूबू-जीएनटी-डीकेडी खण्ड पर 66/4-5 किमी पर समपार सं. 272 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1999-00	बॉट	सामान्य आरेखण व्यवस्था अनुमोदित।
49.	जीएनटी-डीकेडी खण्डों पर वीकेएम-जी के एम स्टेशनों के बीच 91/6-7 किमी पर ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1999-00	बॉट	सामान्य आरेखण व्यवस्था तैयार की जा रही है।
50.	जीएनटी-डीकेडी खण्ड पर वीकेएम-जी के एम स्टेशनों के बीच 84/10-11 किमी पर ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1999-00	बॉट	अनुमान एवं नक्शे तैयार किये जा रहे हैं।
51.	चल्लाबरीपाई-टाडीपतरी, आर यू-जी वाई खण्ड पर 366/2-3 किमी पर ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1999-00	बॉट	राज्य सरकार से सामान्य आरेखण व्यवस्था की प्रतीक्षा है।
52.	गिड्डालूर-डिग्गूवमेटा, डीकेडी-डीएनसी खण्ड पर 209/11-12 किमी पर सड़क ऊपरी पुल	दमरे	1999-00	बॉट	कार्य प्रगति पर है।
53.	वेमुलापडू-रायलचेरूवू, आरयू-जीवाई खण्ड पर 279/14-15 किमी पर ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1999-00	बॉट	कार्य प्रगति पर है।
54.	गंगायपल्ले-कमलापुरम, आर यू-जीवाई खण्ड पर 279/14-15 किमी पर ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1999-00	बॉट	कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
55.	आर जे-जीटी खण्ड पर 388/13-14 किमी पर समपार सं. 170 के बदले ऊपरी सड़क पुल	दमरे	लागू नहीं	बॉट	कार्य प्रगति पर है।
56.	आर यू-जीडीआर खण्ड पर 81/13-14 किमी पर ऊपरी सड़क पुल	दमरे	लागू नहीं	बॉट	कार्य प्रगति पर है।
57.	डीकेडी-डीएनसी खण्ड पर 189/10 किमी पर समपार सं. 221 के बदले ऊपरी सड़क पुल।	दमरे	लागू नहीं	बॉट	कार्य प्रगति पर है।
58.	मौजूदा निचला सड़क पुल 27ए के बदले एस सी-डीएनसी खण्ड पर 9/4-5 किमी पर आजमपुरा में नया निचला सड़क पुल	दमरे	लागू नहीं	बॉट	राज्य सरकार से ब्यौरों की प्रतीक्षा है
59.	मौजूदा निचला सड़क पुल 20 के बदले एससी-डीएन सी खण्ड पर 7/20-21 किमी पर आजमपुरा में नया निचला सड़क पुल	दमरे	लागू नहीं	बॉट	राज्य सरकार से ब्यौरों की प्रतीक्षा है
60.	टीपीटीवाई-केपीडी खण्ड पर चित्तूर के निकट 33/1-2 किमी पर निचला सड़क पुल सं. 564	दमरे	1999-00	निक्षेप	सामान्य आरेखण व्यवस्था अनुमोदित।
61.	राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर गुण्टूर-विजेंडला के बीच 20/3-4 किमी पर ऊपरी सड़क पुल	दमरे	1999-00	निक्षेप	कार्य प्रगति पर है।
62.	राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर कृष्णाकैनाल और कोलुनकोंडा के बीच 421/5-7 किमी पर ऊपरी सड़क पुल	दमरे	लागू नहीं	निक्षेप	कार्य प्रगति पर है
63.*	कुरनूल और आलमपुर स्टेशनों के बीच 2063/-6-7 किमी पर आलमपुर में निचला सड़क पुल	दमरे	लागू नहीं	निक्षेप	सामान्य आरेखण व्यवस्था अनुमोदित। कार्य प्रगति पर है।
64.	रेणीगुण्टा छोर पर तिरुपति में मौजूदा ऊपरी सड़क पुल सं. 163 ए को चौड़ा करना।	दमरे	लागू नहीं	निक्षेप	कार्य प्रगति पर है।
65.	तिरूपति-पकाला मीटर लाइन (2×9.8पी एस सी) पर मौजूदा निचले सड़क पुल सं. 150 का पुनर्निर्माण	दमरे	लागू नहीं	निक्षेप	कार्य प्रगति पर है।
66.	अलुगाडुवी-मौजूदा निचला सड़क पुल संख्या 1ए को प्रस्तावित चौड़ा करना	दमरे	लागू नहीं	निक्षेप	कार्य प्रगति पर है।

उत्तरांचल राज्य से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

पवन ऊर्जा की संभावना

776. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पवन ऊर्जा उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में पवन ऊर्जा की संभावना का राज्यवार कितना वास्तविक उपयोग होता है;

(ग) क्या पवन ऊर्जा उत्पादन अधिक सस्ता तथा प्रदूषण रहित है; और

(घ) यदि हां, तो प्रति इकाई उत्पादन लागत कितनी है और ऐसा ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितनी पूंजी निवेश की आवश्यकता है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) देश में कुल पवन विद्युत संभाव्यता लगभग 45,000 मेवा. अनुमानित की गई है। तथापि, तकनीकी संभाव्यता, जो इस समय दोहन की जा सकती है, लगभग 13,000 मेवा. है। देश में अब तक स्थापित की गई कुल पवन विद्युत क्षमता 1628 मेवा. है। राज्यवार कुल तथा तकनीकी संभाव्यता और स्थापित क्षमता पर ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) पवन से विद्युत का उत्पादन प्रदूषण रहित और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न राजकोषीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहनों को देखते हुए पवन विद्युत उत्पादन की संतुलित लागत पारंपरिक विद्युत लागत के अनुकूल है। पवन विद्युत की पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट 4.5 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये के बीच भिन्न-भिन्न तथा स्थलों पर निर्भर करते हुए उत्पादन की लागत प्रति यूनिट 2.25 रुपये से 2.75 रुपये के बीच है।

विवरण

राज्यवार सकल एवं तकनीकी संभाव्यता और पवन विद्युत संस्थापित क्षमता
(31.3.2002 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	सकल संभाव्यता (मेवा.)	तकनीकी संभाव्यता (मेवा.)	कुल संस्थापित क्षमता (मेवा.)
1.	आंध्र प्रदेश	8275	1750	92
2.	गुजरात	9675	1780	167
3.	कर्नाटक	6620	1120	69
4.	केरल	875	605	2
5.	मध्य प्रदेश	5500	825	23
6.	महाराष्ट्र	3650	3020	399
7.	उड़ीसा	1700	680	—
8.	राजस्थान	5400	895	16
9.	तमिलनाडु	3050	1750	857
10.	पश्चिम बंगाल	450	450	1
11.	अन्य	—	—	2
	कुल	45195	12875	1628

वृत्तचित्र/फिल्में दिखाने के लिए निर्देश

777. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** सिनेमा घरों में समाचार से संबंधित वृत्तचित्रों को पर्दे पर दिखाने के लिए नियम के बारे में 31 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5952 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलकाता उच्च न्यायालय में रिट याचिका का निपटारा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन की विकास दर

778. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन में अप्रैल-मई, 2002 के दौरान 2.1% तक की कमी हुई है जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में इसकी विकास दर 3.4% थी;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के प्रथम दो माह में विद्युत उत्पादन के विकास में इस कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत वर्ष में नई उत्पादन क्षमता बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो देश में विद्युत उत्पादन के निम्न विकास के क्या कारण है; और

(ङ) विद्युत उत्पादन क्षमता की उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) देश में अप्रैल-मई, 2002 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर विद्युत उत्पादन में वृद्धि दर 3.5% रही जो गत वर्ष (2001-02) की इसी अवधि में 2.4% थी।

(ग) जी, हां। वर्ष 2001-02 के दौरान 3115.25 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की वृद्धि हुई।

(घ) वर्ष 2001-02 के दौरान विद्युत उत्पादन में वृद्धि वर्ष 2000-01 के दौरान 3.9% की तुलना में 3.1% थी। वर्ष 2001-02 के दौरान इस वृद्धि में गिरावट के प्रमुख कारण रहे (1) देश के प्रमुख भण्डारों में जल की कम आपूर्ति के कारण जल विद्युत का कम उत्पादन (2) गैस की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण गैस आधारित/तरल ईंधन स्टेशनों में कम उत्पादन (3) नेफ्था की उच्च लागत के कारण स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से राज्यों द्वारा कम विद्युत लिया जाना तथा (4) अपर्याप्त क्षमता अभिवृद्धि।

(ङ) उत्पादन क्षमता और कार्यनिष्पादन की नियमित समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2001-02 के दौरान देश में ताप विद्युत स्टेशनों की संयंत्र भार क्षमता वर्ष 2000-01 के दौरान 69% की तुलना में 69.9% थी। इसके अतिरिक्त उत्पादन क्षमता और कार्यनिष्पादन में सुधार लाने की दिशा में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

(1) बड़े ताप विद्युत यूनिटों के सुनियोजित रख-रखाव के लिए मानकों में संशोधन

(2) फोर्स्ड आउटेज के तहत् यूनिटों का शीघ्र पुनरुद्धार

(3) वर्तमान के पुराने तथा अक्षम उत्पादक यूनिटों का नवीकरण तथा जीवनवृद्धि

(4) त्वरित विद्युत कार्यक्रम के तहत् ताप विद्युत स्टेशनों के रख-रखाव तथा उनके संचालन में सुधार लाने के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ऋण दिया जाना।

1000 मेगावाट विद्युत परियोजना स्थापित करना

779. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु कोरबा-छत्तीसगढ़ कोयला मुहाने में 1000 मेगावाट वाला एक रक्षित कोयला संयंत्र स्थापित किए जाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और लागत क्या है और उससे अनुमानतः कितने वितरण की हानि होने की संभावना है; और

(ग) कोरबा, छत्तीसगढ़ में स्थित होने के कारण दिल्ली के लिए रक्षित संयंत्र का आर्थिक औचित्य क्या होगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए बिजली आपूर्ति हेतु कोरबा-छत्तीसगढ़ पिट हैड ने 1000 मेगावाट

के कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव वर्तमान में अपने प्रारंभिक चरण में है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को इस परियोजना की प्रारंभिक संकल्पनात्मक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है ताकि इस पर दिल्ली सरकार विचार कर सके।

(ख) और (ग) चूंकि उक्त प्रस्ताव वर्तमान में संकल्पनात्मक चरण में है अत: इसकी लागत, पारेषण एवं वितरण हानि एवं आर्थिक औचित्य आदि संबंधी विवरण देना फिलहाल संभव नहीं है।

[हिन्दी]

एच.पी.सी.एल. के पास रसोई गैस की उपलब्धता

780. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एच.पी.सी.एल.) के पास कितनी मात्रा में रसोई गैस उपलब्ध है और इस समय कितनी रसोई गैस का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या एचपीसीएल का रसोई गैस की आपूर्ति बढ़ाने का और देश में और रसोई गैस विक्रय केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो एचपीसीएल द्वारा रसोई गैस प्रदान करने हेतु किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(घ) देश में एचपीसीएल द्वारा राज्य-वार कितने रसोई गैस वितरकों की स्थापना की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) वर्तमान में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) के पास एल.पी.जी. की मासिक उपलब्धता इसके प्रतिमाह 160 हजार मीट्रिक टन (टी.एम.टी.) उपयोग की तुलना में 55.5 (टी.एम.टी.) है। एच.पी.सी.एल. की शेष आवश्यकता अन्य रिफाइनरियों एवं प्रभाजकों से आपूर्तियों के माध्यम से साथ ही जब कभी जरूरत हो आयातों से भी पूरी की जाती है। एच.पी.सी.एल. की देश के विभिन्न भागों में 683 नई एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलकर एल.पी.जी. की आपूर्ति में वृद्धि करने की योजना भी है।

(घ) 1 जुलाई, 2002 की स्थिति के अनुसार ए.पी.सी.एल. देश भर में 1,839 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रचालन कर रही है।

रक्षा खरीद बोर्ड की स्थापना

781. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षा सौदों में पारदर्शिता लाने के लिए रक्षा खरीद बोर्ड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोर्ड ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रक्षा सौदों में भविष्य में पारदर्शिता लाने तथा हथियारों की खरीद की गति को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) सरकार ने रक्षा अधिप्राप्तियों में अपेक्षाकृत अधिक व्यावसायिकता, प्रचालनात्मक दक्षता, लागत प्रभावकारिता और समन्वय लाने के लिए एक रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड की स्थापना की है। इस बोर्ड के अध्यक्ष रक्षा सचिव हैं और इसमें मंत्रालय के सभी विभागों तथा सेना मुख्यालयों के वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधि हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अधिप्राप्ति के सभी बड़े मामलों की अनिवार्य और समयबद्ध संवीक्षा किए जाने के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करके आदेश जारी किए गए हैं। विदेशी आपूर्ति-कर्ताओं के प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधियों/एजेंटों की भूमिका को परिभाषित किया गया है और पंजीकरण की एक प्रणाली निर्धारित की गई है। यह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा, मंत्रालय अधिप्राप्ति प्रक्रिया को सरल बनाने का सतत् रूप से प्रयास कर रहा है।

मितव्ययिता संबंधी उपाय

782. **श्री रामदास आठवले :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न शीर्षों पर वर्ष-वार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार प्रचार, विज्ञापन, मनोरंजन, खान-पान, उद्‌घाटन समारोहों, सेमिनारों, देश और विदेशों में की जाने वाली यात्राओं, एसटीडी एवं आईएसटीडी बिलों, विद्युत बिलों, विशेषकर एयरकंडिशनरों एवं कूलरों पर होने वाले व्यय और ऐसे अन्य व्यय को कम करने के लिए कोई आर्थिक अभियान चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) विगत तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा विभिन्न शीर्षों पर व्यय की गई धनराशि क्रमशः 558.18 लाख रुपए, 632.70 लाख रुपए तथा 645.50 लाख रुपए है।

(ख) और (ग) मितव्ययिता उपायों के विषय में वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का इस मंत्रालय द्वारा अनुपालन किया जाता है।

[अनुवाद]

आधुनिक हथियार प्रणाली

783. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस आधुनिक हथियार प्रणाली के अनुसंधान विकास और उत्पादन के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने हेतु नए क्षेत्रों की खोज कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी हां। भारत और रूस के बीच अनुसंधान परियोजनाओं की योजना तैयार करने के लिए एक संयुक्त कार्यकारी दल का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ

784. श्री राम मोहन गाड्डे :
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 14 जून, 2002 के *हिन्दुस्तान टाइम्स* में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और कश्मीर में अल-कायदा के आतंकवादी घुस आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) कुछ ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जिनमें अफगानिस्तान से भगाए गए कुछ अलकायदा आतंकवादियों के जम्मू-कश्मीर में घुस आने की ओर संकेत किया गया था। तथापि, जम्मू-कश्मीर में कार्यरत आसूचना एजेंसियों तथा सैन्य टुकड़ियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है।

(ग) नियंत्रण रेखा/अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात तथा आंतरिक क्षेत्रों में कार्रवाई कर रही सैन्य टुकड़ियों को अलकायदा आतंकवादियों द्वारा जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ करने के प्रयासों की संभावनाओं के बारे में सचेत कर दिया गया है।

ए.आई.पी.ई.ए. का विद्युत विधेयक, 2002 को वापस लिए जाने के लिए अभ्यावेदन

785. श्री वाई.वी. राव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने सरकार से विद्युत विधेयक, 2002 को वापस लेने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त एसोसिएशन ने सरकार से विद्युत क्षेत्र का निजीकरण न करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मार्च, 2001 में मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के हुए सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह संकल्प लिया

गया था कि निम्नवत में किसी एक के जरिए 2-3 वर्षों में वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त की जानी है-

* पूर्ण जिम्मेवारी के साथ लाभ केन्द्रों का सृजन
* पंचायतों/स्थानीय निकायों/मतदाताओं/उपभोक्ता संघों को स्थानीय वितरण हस्तांतरित करना, जहां भी आवश्यक हो
* वितरण का निजीकरण
* या अन्य कोई साधन

विद्युत विधेयक, 2001 लोक सभा में 30.8.2001 को प्रस्तुत किया गया था और इसे ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विकास में विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश

786. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार विदेशी कंपनियों से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विकास के क्षेत्र में निवेश हेतु अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से जिन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) इन प्रस्तावों हेतु पहचान किए गए राज्यवार क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ङ) प्रत्येक प्रस्ताव की अद्यतन प्रगति क्या है; और

(च) इस क्षेत्र में पहले से शामिल विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ङ) जी, हां। सम्पूर्ण अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र के लिए भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार सरकार को पूर्व सूचना दिए बिना ऑटोमैटिक मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। एफ.डी.आई./एन.आर.आई./ओ.सी.बी. निवेश के साथ औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.), भारत सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए पांच प्रस्ताव प्राप्त किए हैं तथा इन्हें स्वीकृत किया है। इन प्रस्तावों में लगभग 44 करोड़ रु. का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घटक है। इसमें पवन ऊर्जा क्षेत्र में 28 करोड़ रु. सौर पीवी में 11 करोड़ रु. और बायोमास क्षेत्र में 5 करोड़ रु. शामिल है। अनुमोदित प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित प्रस्ताव के अतिरिक्त वर्ष 1994-95 से वर्ष 1998-99 के दौरान एफ.आई.पी.बी. ने पंद्रह प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। शामिल विदेशी कंपनियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों (वर्ष 1999-2000 आगे) के दौरान अक्षय ऊर्जा में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी निवेश प्रस्ताव

कार्यक्रम	सहयोग: भारतीय	सहयोग: विदेशी	कुल लागत (विदेशी इक्विटी)	उद्देश्य और राज्य जहां परियोजना स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है	वर्ष
1	2	3	4	5	6
1. पवन ऊर्जा					
(1)	मैसर्स एनरकॉन विंड फर्मस (कर्नाटक)	मैसर्स एनरकॉन जीएमबीएच जर्मनी प्रा.लि.	40 करोड़ रु. (65%)	चित्रादुर्गा, कर्नाटक में एक 21 मेवा. पवन फार्म स्थापित करना	2002-03
(2)	पायोनियर विनकॉन लि.	विनकॉन ए/एस डेनमार्क	4.00 करोड़ रु. (30%)	तमिलनाडु राज्य में पवन चालित विद्युतीय जनरेटरों के निर्माण के लिए	1999-2000

1	2	3	4	5	6
2. सौर प्रकाशवोल्टीय					
	(1) महर्षि सोलर नई दिल्ली	महर्षि टेक्नोलोजी को.बी.वी. नीदरलैंड	10.60 करोड़ रु. (99%)	भारत में सौर प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए आंध्र प्रदेश में उत्पादन सुविधा स्थापित की गई है।	1999-2000
	(2) मैसर्स एसटीईसीए इंडिया सोलर प्रा.लि.	मैसर्स हेलिक्स सोलर इलेक्ट्रानिक जीएमबीएच एंड मि. कावस्टार माइकलसन	20 लाख रु. (100%)	तमिलनाडु राज्य में सौर ऊर्जा प्रणाली और उत्पादों के नियोजन, डिजाईन तथा इंजीनियरिंग के लिए।	1999-2000
3. लकड़ी वाले बायोमास सहित सहउत्पादन संयंत्र					
	(1) मैसर्स धीरूपावर एंड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	कैमडॉन एटलांटिक लि. यू.के. तथा अन्य	24.50 करोड़ रु. 4.80 करोड़ रु.	निट्टूर गांव, गुल्टी ताल्लुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक में एक 6 मेवा. बायोमास विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए।	2001-2002

विवरण-II

अक्षय ऊर्जा में शामिल विदेशी कंपनियों की सूची

कार्यक्रम	कंपनी
1. पवन ऊर्जा	(1) एल.एम. ग्लास फाइबर डेनमार्क एंड द इंडस्ट्रीयलाइजेशन एंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीयिंग, डेनमार्क
	(2) एनरकॉन जीएमबीएच, जर्मनी
	(3) मिकॉन, डेनमार्क
	(4) एनईजी मिकॉन, डेनमार्क
2. सौर प्रकाशवोल्टीय	(1) हिलिओस, इटली
	(2) कोनार्ड जोसलिन, ईटीएल, स्विटजरलैंड
	(3) सनपावर टैक्नीक जीएमबीएच, जर्मनी
	(4) पल्म स्ट्रीट एंटरप्राइजेज इनक. सं.रा.अ.
	(5) सोलर इलेक्ट्रिक लाइट फंड एंड मैसर्स ई एंड को
	(6) रॉयल डच/शैल, यू.के.
3. बैटरी चालित वाहन	(1) फ्रेजर नेश, यू.के.
4. लकड़ी वाले बायोमास सहित सहउत्पादन संयंत्र	(1) मैसर्स फ्रेंड, स्विटजरलैंड
5. ऊर्जा में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट	(1) इको टैक्नोलोजी जेवीवीओवाई, फिनलैंड
6. सामान्य	(2) मि. जयशंकर मेनन, जर्मनी
	(1) गुआस्कोर एस.ए., स्पेन

आतंकवादी शिविरों को नष्ट करना

787. **श्री ए. नरेन्द्र :**
प्रो. रासासिंह रावत :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आई.एस.आई. की सहायता से पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में भारत के विरुद्ध चलाए जा रहे आतंकवादी शिविरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन शिविरों से भारत में भेजे गए आतंकवादियों की संख्या की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) भारत पाक सीमा और नियंत्रण रेखा के पास विभिन्न स्थानों पर सेना द्वारा देखी गयी आई.एस.आई. की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) गत छः महीनों के दौरान सेना द्वारा कितने आतंकवादी मारे गए;

(छ) क्या अमरीका के हस्तक्षेप और पाकिस्तान द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद सीमा पार से घुसपैठ जारी है;

(ज) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्तमान स्थिति का आकलन किया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) पाक अधिकृत कश्मीर तथा पाकिस्तान में 70 से 80 आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं।

(ख) और (ग) सेना के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जून, 2002 के दौरान लगभग 97 आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की। जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा/अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार से आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए पर्याप्त सैन्य उपाय किए गए हैं। इनमें नियंत्रण रेखा पर बहुस्तरीय रक्षात्मक-सह-घुसपैठ रोधी कार्रवाई शामिल है जिसमें घुसपैठ के सभी ज्ञात रास्तों पर जमीन पर तैनात सैनिकों द्वारा पहरा देना तथा गश्त करना शामिल है। यद्यपि क्षेत्र की बनावट तथा जलवायुगत परिस्थितियां ऐसी हैं कि नियंत्रण रेखा को पूरी तरह से सील करना संभव नहीं है फिर भी आसूचना संबंधी जानकारियों के आधार पर घुसपैठ रोधी कार्रवाई की लगातार पुनरीक्षा की जा रही है।

(घ) और (ङ) आई.एस.आई. जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को लगातार संरक्षण, प्रशिक्षण दे रही है तथा उन्हें धन मुहैया करा रही है। जम्मू-कश्मीर में सीमा पार के आतंकवाद की समस्या से निबटने के लिए सेना ने प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा प्रचालन प्रक्रियाओं में सतत् रूप से सुधार कर उपयुक्त सैन्य उपाय किए हैं।

(च) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में जनवरी से जून, 2002 के दौरान भारतीय सेना तथा राष्ट्रीय राइफल द्वारा 762 आतंकवादी मारे गए हैं।

(छ) से (झ) जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ जारी है, यद्यपि इसमें मामूली कमी आई है। जून, 2002 के दौरान घुसपैठ के चार प्रयास विफल किए गए थे जिनमें 14 आतंकवादी मारे गए थे। घुसपैठ में आंशिक रूप से कमी आने का श्रेय हमारी सेना द्वारा की जा रही सख्त निगरानी को दिया जा सकता है। किसी प्रकार का निर्णायक आकलन करने से पूर्व इन रूझानों को कुछ और समय तक देखने की जरूरत होगी।

तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में संशोधन

788. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री सुनील खां :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम क्षेत्र में नियंत्रित मूल्य प्रणाली तंत्र के समाप्त होने के पश्चात् पेट्रोल और डीजल के मूल्य में समय-समय पर संशोधन आम बात हो गई है;

(ख) यदि हां, तो नियंत्रित मूल्य प्रणाली समाप्त होने के बाद से तेल कंपनियों द्वारा किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो तेल कंपनियां और पेट्रोल पंप के मालिक अपने ग्राहकों को न लूटे यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अन्य प्रणाली विकसित की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के समापन, जो 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी है, के साथ पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य नियंत्रणमुक्त हो गए हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां इन उत्पादों के मूल्य प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों को ध्यान में रखते हुए नियत कर रही हैं। इन तेल कंपनियों ने पेट्रोल तथा डीजल के खुदरा बिक्रय मूल्यों में 3/4 जून, 2002 की मध्य रात्रि से क्रमशः लगभग 2.50 रुपए प्रति लीटर तथा 1.50 रुपए प्रति लीटर की और बाद में 16 जून, 2002 से इन दोनों उत्पादों के बिक्रय मूल्य के विषय में 25 पैसे प्रत्येक की वृद्धि की थी।

इक्विटी निवेश कोष

789. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नवस्थापित विद्युत संयंत्रों और विद्युत उत्पादन इकाईयों के लिए एक इक्विटी निवेश कोष की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इक्विटी निवेश कोष ने भी बहुपक्षीय संस्थाओं से धनराशि मांगी है;

(घ) यदि हां, तो धनराशि की सीमा कितनी होगी और कितनी आरंभिक राशि दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या ऊर्जा के पर्यावरण के अनुकूल स्रोतों को प्रोत्साहन देने लिए लघु पन बिजली परियोजनाओं को कोई प्राथमिकता दी जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रकार की प्राथमिकता और लाभ का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) ने 2012 तक लगभग 1 लाख मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि करने का निर्णय लिया है। संबद्ध पारेषण एवं वितरण (टी एण्ड डी) प्रणाली के साथ-साथ अनुमानित रूप से 8,00,000 करोड़ रु. के निवेश की आवश्यकता होगी। पावर फाइनैन्स कॉरपोरेशन (पी.एफ.सी.) ने इस उद्देश्य से ऋण एवं इक्विटी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय विद्युत निधि (आई.पी.एफ.) की संकल्पना प्रस्तावित की है। यह प्रस्ताव फिलहाल संकल्पना के चरण में है।

(ङ) जी हां।

(च) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.) देश में 25 मे.वा. क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रहा है। देश में लघु जल विद्युत परियोजना के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध हैं, जैसे लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विस्तृत सर्वेक्षण एवं जांच हेतु वित्तीय सहायता, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) की तैयारी, सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी तथा निजी क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं के लिए ब्याजगत सहायता आदि।

ईमानदार रेल कर्मचारियों को पुरस्कार

790. **श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास ईमानदार रेल कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की कोई प्रोत्साहक योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की नीति शुरू करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) रेलों पर ईमानदार रेल कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की कोई पृथक प्रोत्साहन योजना नहीं है। बहरहाल, मंडल स्तर पर, क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर, रेलवे बोर्ड स्तर पर व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से और मंत्री स्तर पर रेलवे सप्ताह पुरस्कार से रेल कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए उपर्युक्त रूप से पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कृत व्यक्तियों को नवीन परिवर्तनों, प्रक्रियाओं, कार्यविधियों के क्षेत्र में, जिसके परिणामस्वरूप व्यय में किफायत, उत्पादन में सुधार, आयात विकल्प इत्यादि, बहादुरी के कार्यों, परिचालनों, बेहतर अनुरक्षण, परिसंपत्तियों का उपयोग, संरक्षा और सुरक्षा संबंधी कार्यों में सुधार लाने हेतु अनुकरणीय कार्यों, खेलकूद के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर योगदान, दुर्घटना इत्यादि रोकने के लिए नकद पुरस्कार, शील्ड, योग्यता प्रमाण-पत्र, पदक, प्रशस्ति पत्र, स्मृति-चिह्न आदि प्रदान किए जाते हैं।

मुंगेर में गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क पुल

791. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :** क्या **रेल मंत्री** मुंगेर में गंगा नदी पर पुल के बारे में 18 अप्रैल, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4096 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने मुंगेर में गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क पुल के निर्माण के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना संबंधी कार्य के कब तक आरंभ और पूरा होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो मंजूरी प्राप्त करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) मुंगेर में गंगा नदी पर रेल पुल के निर्माण का कार्य 1997-98 से पूरक बजट में इस शर्त के साथ कि कार्य को अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद ही शुरू किया जाएगा, शामिल किया गया था। तत्पश्चात् लगातार मांग के आधार पर मुंगेर में गंगा नदी पर रेल एवं सड़क पुल के निर्माण के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कराया गया तथा अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पहले ही आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

मितव्ययिता संबंधी उपाय

792. श्री रामदास आठवले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न विभागों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों पर वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का एस.टी.डी. और आई.एस.टी.डी. बिलों, बिजली के बिलों विशेषकर एयरकंडीशनर और कूलर के बिलों का भुगतान किए जाने सहित प्रचार, विज्ञापन, मनोरंजन, खान-पान, उद्घाटन समारोहों, संगोष्ठियों, देश में और देश के बाहर किए जाने वाले दौरों एवं ऐसे ही अन्य व्ययों को कम करने हेतु कोई मितव्ययिता संबंधी अभियान चलाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) रेलों पर व्यय का ब्यौरा कार्यवार रखा जाता है, विभागवार नहीं। यह कार्यवार ब्यौरा विभिन्न अनुदान की मांगों में दर्शाया जाता है। विभिन्न अनुदान की मांगों के अंतर्गत विभिन्न शीर्षों पर रेल मंत्रालय द्वारा खर्च की गई वर्ष-वार राशि "रेल बजट के साथ सदन में प्रस्तुत रेलवे भाग-II पर केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए अनुदान की मांगों" में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) रेलें प्रणाली की वित्तीय अर्थक्षमता को बनाए रखने के लिए व्यय को नियंत्रित करने और राजस्व को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही हैं। कर्मचारी उत्पादकता, परिसम्पत्ति उपयोग, दरसूची प्रबंधन, ईंधन खपत में सुधार करके और यात्रा, प्रचार, आतिथ्य आदि जैसे क्षेत्रों में मितव्ययिता द्वारा व्यय को नियंत्रित करने के उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है। रेलों पर, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मितव्ययिता और किफायत संबंधी अनुदेशों का निष्ठापूर्ण पालन किया जाता है। क्षेत्रीय रेलों को विभिन्न व्यय नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 650 करोड़ रुपए बचाने का लक्ष्य दिया गया है।

[अनुवाद]

प्रमुख स्टेशनों पर इंटरनेट कियोस्क

793. श्री राम मोहन गाड्डे :
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के रेलटेल, टेलीकॉम विंग प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के लिए एस.टी.डी./आई.एस.डी./फैक्स/विडियो क्रान्फ्रेंसिंग और चैटिंग की सुविधा देने के लिए सहायक सहित इन्टरनेट कियोस्क स्थापित करने की योजना बना रहे है;

(ख) यदि हां, तो अब तक देश में चुने गए स्टेशनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी राशि का आबंटन किया गया है और इनके कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कम्पनी भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड (रेलटेल) परीक्षण के आधार पर कियोस्क स्थापित करने की योजना बना रहा है।

(ख) फिलहाल, पायलट परियोजना के लिए निम्नलिखित 3 खण्डों की पहचान की गई है:-

(1) लुधियाना-अमृतसर

(2) अहमदाबाद-वडोदरा

(3) चैन्नै-चेंगलपट्टू

(ग) कियोस्कों के अभिकल्प अभी वैचारिक स्तर पर हैं क्योंकि इन कियोस्कों का निर्माण रेल उपयोगकर्ताओं की

आवश्यकताओं सहित सभी सम्भव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाएगा। इस कार्य में लगने वाले समय और निवेश का निर्धारण अभी किया जाना है।

रेलवे नेटवर्क का विस्तार

794. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने रेलवे को इसके विशाल विस्तार योजना के लिए इच्छित वित्तीय ढांचे का ब्यौरा देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने अपने विस्तार और नेटवर्क की बढ़ोत्तरी के लिए पहले ही 26,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे ने वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो विस्तार के प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) रेल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के सहयोग से मुंबई, चेन्नै, कोलकाता और दिल्ली के चार महानगरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुजनीय और इसके दो विकर्णीय मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार करने का विनिश्चय किया है। इसके अलावा, विशालकाय पुलों के निर्माण का भी एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुजीय मार्गों पर क्षमता संवर्धनकार्य के लिए लगभग 8000 करोड़ रुपए और विशालकाय पुलों के निर्माण के लिए लगभग 3600 करोड़ रुपए का निवेश अपेक्षित है। संसाधन जुटाने के लिए बहुआयामी वित्तपोषण और विशेष प्रयोजन योजना के सृजन सहित वित्त पोषण के सभी संभव रास्तों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल स्वर्णिम चतुर्भुज कार्यों के लिए विशेष प्रयोजन योजना के सृजन के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

गैसीय ईंधनों की आपूर्ति के लिए एच.पी.सी.एल. और जी.ए.आई.एल. के बीच समझौता ज्ञापन

795. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैसीय ईंधनों की आपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और जीएआईएल ने आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पत्र हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो चुकी है;

(ग) यदि हां, तो वित्तीय संसाधनों से वित्तीय योगदान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पाइप प्रणाली के माध्यम से इस प्रकार के ईंधन की किस सीमा तक आपूर्ति किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क), (ग) और (घ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) तथा गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने आंध्र प्रदेश के शहरों में प्राकृतिक गैस/आटो एलपीजी/पाइप्ड गैस के वितरण हेतु एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शहर गैस वितरण संबंधी परियोजनाएं व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने के पश्चात् आरम्भ की जाएंगी।

गेल तथा एच.पी.सी.एल. प्रत्येक की 22.5 प्रतिशत समांशता धार्यता होगी तथा 5 प्रतिशत समांशता आंध्र प्रदेश सरकार को प्रस्तावित की जाएगी। शेष 50 प्रतिशत समांशता वित्तीय संस्थाओं तथा जनता को देने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में भारत और फिनलैंड के बीच आपसी सहयोग

796. श्री रामपाल सिंह :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिनलैंड ने विद्युत क्षेत्र में भारत के सहयोग करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) विद्युत मंत्री ने फिनलैंड सरकार द्वारा उन्हें दिए गए आमंत्रण के प्रत्युत्तर में 26 जून से 29 जून, 2002 तक फिनलैंड का दौरा किया था। दोनों देश विद्युत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और

ऊर्जा को संयुक्त आयोग का एक प्राथमिक क्षेत्र बनाने में सहमत हुए हैं।

[अनुवाद]

चुनाव सुधार

797. **श्री भीम दाहाल** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में चुनाव सुधारों के संबंध में राजनीतिक दलों की कोई बैठक बुलाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) और (ख) सरकार ने उच्चतम न्यायालय के तारीख 2.5.2002 के निर्णय से, जिसमें निर्वाचन आयोग को निर्वाचन में खड़े होने वाले अभ्यर्थियों से नामांकन पत्रों के भाग के रूप में शपथ पत्र पर कतिपय जानकारी देने का निदेश दिया गया है, उत्पन्न स्थिति पर राजनीतिक दलों से 8.7.2002 को चर्चा की थी। इस बैठक में इस बात पर मतैक्य था कि इस विषय में विधान लाने की शक्ति केवल संसद् को है और राजनीतिक दलों से परामर्श करके उपयुक्त विधान बना कर राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की आवश्यकता है। इस विषय पर एक विधेयक का प्रारुप उनके बीच परिचालित कर दिया गया है।

न्यायाधिकरणों और त्वरित निपटान न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों का पुनर्वास

798. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोर्डों, न्यायाधिकरणों और आयोगों, और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने वाले न्यायालयों में नियुक्तियों में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों का पुनर्वास हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान संबंधित क्षेत्रों में ऐसी नियुक्तियों के कितने उदाहरण हैं; और

(ग) क्या सरकार की योजना इस प्रक्रिया को बंद करने और युवा पीढ़ी को अवसर प्रदान करने की है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) जिला न्यायधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 233-234 के उपबंधों के अधीन उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अत:, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की बाबत जानकारी, इस विभाग में नहीं रखी जाती है।

उच्चतम न्यायालय ने ब्रिज मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अपने तारीख 6 मई, 2002 के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ त्वरित निपटान न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

> "त्वरित निपटान न्यायालयों की नियुक्ति में दूसरी अधिमानता, ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दी जाएगी, जिनके पास जहां तक न्यायिक विद्वता, ईमानदारी की बाबत ख्याति, सत्यनिष्ठा और चरित्र का संबंध है, अच्छे सेवा अभिलेख हैं और उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में कोई प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं हैं।"

उपलब्ध जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और उड़ीसा राज्यों ने अपने कुछ त्वरित निपटान न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त किया है, जिनकी संख्या 100 से अधिक है।

केरल और गुजरात में उच्च न्यायालय की खंडपीठ

799. **श्री वी.एस. शिवकुमार** :
श्री मानसिंह पटेल :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल और गुजरात सहित कुछ राज्य सरकारों की ओर से उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के संबंध में कोई नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) और (ख) किसी उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान से दूर उसकी न्यायपीठ के गठन पर संबंधित राज्य सरकार से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से पूर्ण प्रस्ताव के प्राप्त होने पर विचार किया जाता है। चूंकि, सरकार को क्रमश: मद्रास उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायपीठों के गठन के

लिए पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं अतः, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा न्यायालय भवनों, न्यायाधीशों के लिए वास-सुविधा आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को उच्च न्यायालय के समाधानप्रद रूप में उपलब्ध कराए जाने के पश्चात् ही मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की तथा जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक-एक न्यायपीठ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। केरल या गुजरात राज्य सरकार से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) चूंकि उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना में संसदीय विधान लाया जाना अंतर्वलित है अतः, इस संबंध में कोई समय-सीमा बताना साध्य नहीं है।

राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा अपनी परिसंपत्तियों की घोषणा करने संबंधी उच्चतम न्यायालय का आदेश

800. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने 14 मई, 2002 के आदेश में सरकार से नियमों में इस हेतु संशोधन करने को कहा है ताकि विभिन्न राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं, अर्हताओं और अपराधिक कार्यों आदि का लेखा-जोखा देने को अनिवार्य बनाया जा सके;

(ख) क्या राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग ने भी राजनैतिक दलों या उनके गठजोड़ों के पंजीकरण तथा कार्यकरण को नियमित करने वाले एक व्यापक विधान की सिफारिश की थी; और

(ग) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय और आयोग के आदेश/सिफारिशों की जांच की है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 2.5.2001 के (न कि प्रश्न में यथानिर्दिष्ट तारीख 14.5.2002) निर्णय में भारत निर्वाचन आयोग को यह निदेश दिए हैं कि वह निर्वाचनों में लड़ने वाले अभ्यर्थियों से उनके नामांकन पत्र के भाग के रूप में शपथ-पत्र पर उक्त जानकारी देने की मांग करे।

(ख) और (ग) जहां तक उच्चतम न्यायालय के आदेश का संबंध है, इस विषय पर तारीख 8.7.2002 को राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श किया गया था और एक विधेयक का प्रारुप उनके विचार प्राप्त करने के लिए उन्हें परिचालित कर दिया गया है। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग ने हाल ही में कतिपय सिफारिशें की हैं जिनकी सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

तलाक संबंधी कानून में खामियां

801. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने तलाक और परित्यक्त/तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं की देखभाल से संबंधित कानून में खामियों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए हिन्दू कानून तथा अन्य संबंधित कानून में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस संबंध में कब तक विधान बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) देश के अनाथाश्रमों, नारी निकेतनों, वृद्धाश्रमों, भिक्षुक गृहों और जेलों में रह रही बेसहारा महिलाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) से (ग) भारतीय विधि आयोग ने अपनी 178वीं रिपोर्ट में और राष्ट्रीय महिला आयोग ने 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्ट में, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19 का, इसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 126 के समरुप बनाने की दृष्टि से संशोधन करने की सिफारिश की है जिससे कि कोई महिला भरण-पोषण या किसी अन्य प्रकार के अनुतोष के लिए वाद अपने निवास स्थान पर फाइल कर सके। इस प्रस्ताव को सभी राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित कर दिया गया है।

(घ) यह जानकारी, भारत संघ के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह पहलू राज्यों से संबंधित है।

बकाया धनराशि का प्रतिभूतिकरण

802. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रिडको ने केन्द्रीय विद्युत इकाईयों पर देय बकाया धनराशि के प्रतिभूतिकरण के संबंध में केन्द्र सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रिडको द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से मुख्य कारण दिए गए हैं;

(ग) क्या ग्रिडको ने आंध्र प्रदेश को विद्युत की आपूर्ति रोक दी है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) अब तक नहीं।

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देय बकायों को एकमुश्त निपटान की व्यवस्था के लिए भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों के मध्य त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना है। उड़ीसा सरकार ने समझौते की कुछ शर्तों में बदलाव की मांग की है, यथा 60% बट्टे खाते डालने के प्रावधान के अतिरिक्त विलम्बित भुगतान के कारण देय पूर्ण ब्याज की छूट, बकाया मूलधन के 30% की छूट, बांडों पर ब्याज भुगतान को 5 वर्ष तक स्थगित रखना, योजना के तृतीय वर्ष से वर्तमान देनदारियों का पूर्ण भुगतान, एक्सीलरटेड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म्स प्रोग्राम के तहत-सुधार योजनाएं लागू कर देने के फलस्वरूप निधियों के आवंटन की ''दृष्टि से सर्वाधिक लोकप्रिय राज्य'' का दर्जा देना।

तथापि, एक ऐसे आदर्श त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने की सलाह दी गयी है जिसमें कोई खामी न हो तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किए गए त्याग को ध्यान में रखा जाय यथा (1) दिनांक 30.9.2001 तक बकाया देनदारियों पर देय ब्याज/प्रभार के 60% की छूट (2) साख पत्रों के रख-रखाव के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा भुगतान योग्य बांडों के सामान्य मूल्य के 2% का प्रोत्साहन (जिसका भुगतान राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है), (3) वर्तमान देनदारियों के पुर्नभुगतान में अनियमितता न बरतने तथा कार्य निष्पादन बेहतर बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों द्वारा जारी एवं के.सा.क्षे. उपक्रमों द्वारा भुगतान किए जाने वाले बांडों के सामान्य मूल्य के 19% तक प्रोत्साहन। जैसा कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत यह मॉडल उड़ीसा के मुख्यमंत्री सहित मुख्यमंत्रियों के उच्चाधिकार प्राप्त दल तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विचार-विमर्श के बाद प्रकाश में आया है, इसलिए अब कोई बदलाव तथा रियायत संभव नहीं है।

(ग) दिनांक 31.3.2002 तक के लिए वैध द्विपक्षीय समझौते के अनुसार बालीमेला-उपरी सिलेरू 220 के.वी. लाईन को ग्रिडको (उड़ीसा) द्वारा अपट्रांसको (आंध्र प्रदेश) को विद्युत स्थानान्तरित किए जाने की निश्चित सूचना है। अपट्रांसको के अनुरोध पर इसे 15.4.02 तक बढ़ा दिया गया था। अपट्रांसको द्वारा गिडको को भुगतान किए जाने वाले देनदारियों का भुगतान न किए जाने विद्युत की कमी के कारण अपट्रांसको को दिनांक 16.4.2002 से आपूर्ति रोक दी गयी थी। एनटीपीसी ने दिनांक 21.5.2002 से विद्युत आपूर्ति के विनियमन को वापिस ले लिया है।

(घ) राज्य ग्रिडों के मध्य विद्युत की खरीद संबंधी द्विपक्षीय मामला होने के कारण ग्रिडको और अपट्रांसको यदि चाहे तो विद्युत आपूर्ति हेतु परस्पर विचार-विमर्श से समझौता कर सकते हैं।

राज्य सरकारों और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

803. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों को उनकी परियोजनाओं के प्रति अधिक से अधिक उत्तरदायी बनाने और वित्तीय रूप से उन्हें अर्थक्षम के रूप में सुनिश्चित करने के प्रयास के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ भागीदारी कर संयुक्त उद्यम परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 14 राज्य इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए पहले राजी हो चुके हैं और संभावना यह भी है कि इससे भी अधिक राज्य उसका अनुसरण करेंगे;

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ङ) वे संयुक्त उद्यम परियोजनाएं कब से शुरू होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) विद्युत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए एक सुझाव नैशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) और राज्य विद्युत यूटिलिटियों के बीच संयुक्त उद्यम के जरिए विद्युत परियोजनाओं में विकास लाने का है।

एन.टी.पी.सी. एवं तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टी.एन.ई.बी.) ने परियोजनाओं की तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता एवं बैंक-ग्राह्यता की शर्त पर संयुक्त उद्यम के रूप में तमिलनाडु के एन्नोर में 1000 मे.वा. वाले कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए 12.7.2002 को एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तक में संकल्पित यह पहला संयुक्त उद्यम है।

पारासल्ला रेलवे स्टेशन को क्रासिंग स्टेशन में परिवर्तित किया जाना

804 **श्री वी.एस. शिवकुमार :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम-नागरकोविल क्षेत्र के पारासल्ला रेलवे स्टेशन को क्रासिंग स्टेशन में परिवर्तित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या प्रगति की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष के बजट में 3.85 करोड़ रु. की लागत पर कार्य स्वीकृत किया गया है।

कच्चे तेल का मूल्य निर्धारण

805. **श्री पी.एस. गढ़वी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से कच्चे तेल संबंधी मूल्य निर्धारण एजेंसी की स्थापना हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर रायल्टी की नई योजना तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति ने राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों से सुझाव मंगाए हैं। गुजरात राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू कच्चे तेल का अंतिम मूल्य निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी का सुझाव दिया है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो सरकार के विचाराधीन है।

नामांकन प्रपत्र में संशोधन के संबंध में निर्वाचन आयोग का निर्देश

806. **श्री पवन कुमार बंसल :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मंडलों के लिए चुनाव हेतु नामांकन प्रपत्र में संशोधन हेतु निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और संशोधित नामांकन प्रपत्र अथवा इसके साथ संलग्न किए गए शपथ पत्र में गलत जानकारी देने अथवा अनुदेशों का पालन न करने के क्या परिणाम होंगे?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): (क) से (ग) निर्वाचनों में अभ्यर्थियों से नामांकन पत्र के भाग के रूप में शपथ-पत्र पर कतिपय अतिरिक्त जानकारी की मांग करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को निदेश देने वाले उच्चतम न्यायालय के तारीख 2.5.2002 के निर्णय में यथा अंतर्विष्ट उसके निदेशों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग ने तारीख 28.6.2002 को यह निदेश करते हुए एक आदेश जारी किया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी किसी निर्वाचन के संबंध में अपना नामांकन पत्र फाइल करते समय पूर्वोक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट सभी पांच विषयों के संबंध में शपथ-पत्र पर पूर्ण और सही जानकारी विहित प्ररूप में प्रस्तुत करे। सरकार ने तारीख 8.7.2002 को राजनीतिक दलों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है, जिसमें सर्वसम्मति से यह विचार किया गया था कि निर्वाचन विधियों के संबंध में विधान लाने की शक्ति केवल संसद् को है। बैठक में इस बात पर सहमति थी कि राजनीति के अपराधीकरण को राजनीतिक दलों के साथ परामर्श से उपयुक्त विधान अधिनियमित करके रोकने की आवश्यकता है। विधान अधिनियमित किए जाने तक निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेश आबद्धकर होंगे और उस दशा में शपथ-पत्र पर मिथ्या जानकारी दिए जाने से भारतीय दंड संहिता के अधीन शास्तिक कार्रवाई की जा सकेगी।

तेल और गैस पाइपलाइनों की सुरक्षा व्यवस्था

807. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री पी.आर. किन्डिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई समुद्रतट से दूर तेल और गैस क्षेत्र के साथ हजीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन के जल भीतर संपर्क पर

आतंकवादी हमले की संभावना है जिससे लगभग आधे देश में गतिविधियां बिल्कुल ठप्प हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई भी सुरक्षा एजेंसी पाइपलाइनों को भारी नुकसान से बचाने के लिए तेल प्लेटफार्म के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने को तैयार नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा समूची एचबीजे पाईपलाइन को पूरी सुरक्षा लेने के लिए कौन से उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) देश के विभिन्न भागों में हाल ही के आतंकवादी क्रियाकलापों के कारण विभिन्न तेल स्थापनाओं, जिनमें मुंबई तट के तेल एवं गैस क्षेत्रों के साथ हजीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन के जल भीतर सम्पर्क भाग सम्मिलित हैं, के बारे में धमकी की आशंका तथा अति संवेदनशीलता बढ़ गई है। तेल स्थापनाओं की सुरक्षा के बारे मे समय-समय पर आतंरिक रूप से संबधित तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा साथ ही सरकार द्वारा पुनरीक्षा की जाती है। हाल ही में सचिव (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति गठित की गई है जिसमें इस समिति के सदस्यों के रूप में तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सुरक्षा एजेंसियों, कतिपय राज्य पुलिस विभागों से प्रतिनिधि लिए गए हैं। यह समिति तेल स्थापनाओं की सुरक्षा तथा सुरक्षा को सशक्त बनाने के उपायों की पुनरीक्षा करती है तथा तत्संबंधी सिफारिश करती है। तेल स्थापनाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है तथा इस संबंध में कोई कमी नहीं की गयी है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर का विभाजन

808. **श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राजनीतिक दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जम्मू और कश्मीर के विभाजन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णमूर्ति): (क) और (ख) व्यष्टियों/संगठनों द्वारा इस संबंध में कुछ मांगे की गई हैं। तथापि, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

''फ्लाइट टेस्ट बेड'' के लिए कावेरी इंजन का परीक्षण

809. **श्री रघुनाथ झा : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कावेरी इंजन का ''फ्लाइट टेस्ट बेड'' एक्रो इंजन डेवलपमेंट बोर्ड की सिफारिशों पर एयर बोर्ड सिस्टम्स पर केंद्रीभूत था जिसकी लागत 5.25 मिलियन अमरीकी डालर (18.50 करोड़ रुपये के बराबर) थी;

(ख) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 2002 की अपनी रिपोर्ट संख्या 8 के पैरा 21, पृष्ठ 32 पर इस तथ्य का उल्लेख किया है कि दिसम्बर 1996 में समाप्त की गई संविदा अपने समय से पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी जिससे 7.36 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ;

(ग) यदि हां, तो क्या संविदा को निर्धारित समय से पूर्व ही समाप्त करने की कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) राज्य को वित्तीय क्षति पहुंचाने के जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही निर्धारित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) रक्षा मुख्यालय के कार्यकरण को सुचारू बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने यह उल्लेख किया था कि वर्ष 1996 मे रूस के साथ कावेरी के ''फ्लाइट टेस्ट बेड'' के लिए संविदा किया जाना समय पूर्व था। चूंकि ''फ्लाइट टेस्ट बेड'' परीक्षण-कार्यक्रम में अनुसंधान एवं विकास के प्रयास, डिजायन और एकीकरण कार्य शामिल हैं इसलिए इसके वास्ते पर्याप्त समय की आवश्यकता है। ''फ्लाइट टेस्ट बेड'' के साथ कावेरी इंजन

लगाए जाने तक यांत्रिक इंटरफेसेस की जांच करने की संभावना नहीं थी। यह संविदा करना बहुत अनिवार्य था और इस पर आगामी कार्यकलापों को सुकर बनाने के लिए इस पर सही समय पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरी गुजरात में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता

810. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी गुजरात में 31 मार्च, 2002 की तिथि के अनुसार प्राकृतिक गैस की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध थी;

(ख) 31 मार्च, 2002 की तिथि के अनुसार गुजरात में उन इकाइयों/फैक्टरियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें प्राकृतिक गैस आवंटित की गई है;

(ग) गुजरात में उन इकाइयों का ब्यौरा क्या है जो कि आवंटन के बावजूद भी गैस का उपयोग नहीं कर रहे हैं; और

(घ) 31 मार्च, 2002 की तिथि के अनुसार उत्तरी गुजरात में प्राकृतिक गैस के लिए लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार उत्तरी गुजरात में तटीय गैस की औसत उपलब्धता 1 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है और इसे विभिन्न उपभोक्ताओं को पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से आपूर्त किया जाता है।

(ख) और (ग) प्राकृतिक गैस के आबंटन और प्राकृतिक गैस न ले रही इकाइयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) चूंकि उत्तरी गुजरात में गैस की उपलब्धता की तुलना में गैस का आबंटन बहुत अधिक कर दिया गया है अतः उत्तरी गुजरात में प्राकृतिक गैस की मांग का पंजीकरण करना बंद कर दिया गया है।

विवरण

उत्तरी गुजरात में गैस की आपूर्ति

क्र.सं.	उपभोक्ता	आबंटन	टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	इफको	0.8400	*
2.	एइसी	0.4000	*
3.	रिलायंस इंडस्ट्रीज	0.1700	
4.	अमोल डिकोलाइट लि.	0.0035	
5.	अमूल डेयरी आनन्द	0.0450	
6.	भगवती ग्लास	0.0085	***
7.	भारत विजय मिल	0.0150	
8.	बिसजा इंडिया	0.0030	
9.	गोबिन्द ग्लास एंड इंडस्ट्रीज	0.0320	
10.	गोपाल ग्लास	0.0170	
11.	गुजरात करोमियम	0.0050	**
12.	गुजरात मल्टी गैस बेस	0.0070	
13.	हाई-टेम्प सेरामिक्स	0.0020	
14.	इंटरक्लीन	0.0036	
15.	जे.पी. सेरामिकल्स	0.0025	
16.	मधुसूदन इंडस्ट्रीज	0.0330	
17.	महालक्ष्मी सेरामिक्स	0.0080	
18.	मेह. डिस्ट. को.आप डेयरी	0.0325	
19.	मेहसाणा बनास	0.0050	
20.	रिलायंस इंडस्ट्रीज रामोल	0.0300	
21.	रोनक सेरामिक्स	0.0025	
22.	सबर डेयरी	0.0250	

1	2	3	4
23.	संतोष केमिकल्स	0.0013	
24.	सिद्धार्थ सेरामिक्स	0.0035	
25.	सोमानी पीलकींगटन	0.0200	
26.	सोनया सेरामिक्स	0.0030	
27.	स्वातिक सेनिटेरी वेयर	0.0050	
28.	वी.सी. इंडस्ट्रीज	0.0035	***
29.	जय भवानी	0.0050	
30.	निरमा	0.0120	
31.	स्ट्रेलिंग केम.	0.0050	
32.	जालाराम सेरामिक्स	0.0160	
33.	पायनियर इंडस्ट्रीज	0.0065	
34.	आर.आई.एल. मोटेरा	0.0280	
35.	शाहजानन्द इंडस्ट्रीज	0.0025	**
36.	स्टेन्र्ड इन्डस्ट्रीज	0.0020	
37.	रमेश इंडस्ट्रीज	0.0013	**
38.	अशोक केम	0.0035	
39.	वीमल आयल	0.0060	
40.	अकाश सेरामिक्स	0.0035	
41.	अजीता सील	0.0025	
42.	भवानी केम	0.0025	
43.	अकीक टाइल्स	0.0040	
44.	स्ट्रेलिंग सेरामिक्स	0.0080	
45.	प्रोभात पोटरीज	0.0050	
46.	श्याम इन्डस्ट्रीज	0.0030	
	कुल योग	1.8400	

*एईसी/आरआईएल पाइपलाइन फटने के कारण गैस आपूर्ति रोक दी गई।

**लम्बित बकायों, संयंत्र को अस्थायी रूप से बन्द करने आदि जैसी विभिन्न वजह से गैस आपूर्ति बंद कर दी गई।

***वैद्य गैस आपूर्ति संविदा की अनुपस्थिति को देखते हुए कोई गैस आपूर्ति नहीं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

811. श्री वी वेत्रिसेलवन :

डा. जसवंतसिंह यादव :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार और स्थानवार कितने भारी उद्योग काम कर रहे हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में राज्यवार कुल कितनी राशि का निवेश किया गया;

(ग) तमिलनाडु में किए गए कुल निवेश की तुलना में वहां के सरकारी उपक्रमों में किए गए निवेश का अनुपात क्या है;

(घ) क्या यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) 31.3.2002 तक की जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार उक्त अवधि तक भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की संख्या 49 थी। विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा 7.3.2002 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2000-2001 नामक एक प्रकाशित दस्तावेज के खंड-1 एवं खंड-2 में उपलब्ध है।

(ख) 31.3.2001 तक के पहले के वर्षों में सकल परिसम्पत्ति के सन्दर्भ में विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में निर्वेशित राशि का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण के खंड-1 की तालिका में 16.1 में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2000-2001 में सकल परिसम्पत्ति के सन्दर्भ में तमिलनाडु में निवेशित राशि सरकारी क्षेत्र में कुल निवेश का 4.94% है। सकल परिसम्पत्ति के सन्दर्भ में पूंजीनिवेश का औसत राष्ट्रीय अनुपात प्रति राज्य/संघ क्षेत्र 2.94% बैठता है। अत: तमिलनाडु में सकल परिसम्पत्ति के सन्दर्भ में पूंजीनिवेश राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

(ङ) और (च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:

(1) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (कनिष्ठ समूह 'घ' पद) सेवा विनियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/9/2001-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

(2) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (वरिष्ठ सुरक्षा पद) सेवा विनियम, 2002 जो 31 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/4/2002-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5816/2002]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(1) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 17 जुलाई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2002 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

(2) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 17 जुलाई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

(3) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 17 जुलाई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2002 की प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

(4) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 17 जुलाई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित तटरक्षक (संशोधन) विधेयक, 2002 की प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

2. महोदय, मैं 17 जुलाई, 2002 को राज्य सभा द्वारा यथापारित चार विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:

1. गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2002
2. दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002
3. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2002
4. तटरक्षक (संशोधन) विधेयक, 2002

अपराह्न 12.04 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति का कोल इंडिया लिमिटेड से संबंधित अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा): अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 9 मई, 2002

को हुई नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य श्री अनंत गंगाराम गीते, जो मंत्री नियुक्त हो जाने के कारण प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, के स्थान पर, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य श्री अनंत गंगाराम गीते, जो मंत्री नियुक्त हो जाने के कारण प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, के स्थान पर, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) लोक लेखा समिति

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह (जालौर): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य डा. साहिब सिंह वर्मा, जो मंत्री नियुक्त हो जाने के कारण लोक लेखा समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, के स्थान पर, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य डा. साहिब सिंह वर्मा, जो मंत्री नियुक्त हो जाने के कारण लोक लेखा समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, के स्थान पर, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य श्री ए.के. मूर्ति, जो मंत्री नियुक्त हो जाने के कारण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, के स्थान पर, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य श्री ए.के. मूर्ति, जो मंत्री नियुक्त हो जाने के कारण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, के स्थान पर, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन

नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब, मैं 'शून्य काल' प्रारंभ कर रहा हूं।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला): महोदय, प्रैस में गोधरा में रेलगाड़ी जलाए जाने के बारे में एक बहुत ही उत्तेजित कर देने वाला समाचार आया है। यह सभा जड़वत थी तथा इस सभा ने भी रेलगाड़ी में जलकर मारे गए लोगों की मृत्यु पर अपनी संवेदना प्रकट की थी। उस समय दृश्य-श्रव्य मीडिया के माध्यम से यह सामने आया था कि यह कार्य मुसलमान समुदाय का था, मुस्लिम लोगों ने किया था तथा बदले की भावना से किया गया था। अब यह साबित हो गया है तथा यह अहमदाबाद न्यायालय में दाखिल मामले का ही एक भाग है। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भीड़ पर बाहर से ज्वलनशील पदार्थ डाले जाने तथा डिब्बे में आग लगाए जाने की संभावनाओं को नजरअंदाज किया गया है। अहमदाबाद स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की जांच से पता चलता है कि डिब्बे में आग लगाए जाने से पहले उसमें करीब 60 लीटर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया था।

अब फौरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट गोधरा मामले में दाखिल आरोप-पत्र के एक भाग के रूप में रखी गई है। सभा के अंदर तथा बाहर यही कहा गया कि यह आई.एस.आई. की कार्यकलापों का ही एक भाग है। बाद में गोवा बैठक में प्रधान मंत्री ने कहा कि यदि गोधरा में यह घटना नहीं हुई होती, तो उनमें भी यह भावना नहीं आती। यह सभा यह जानना चाहती है। चार जांच एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है। एक रिपोर्ट रेल पुलिस बल ने दी है। यह रिपोर्ट, फोरेंसिक विभाग की रिपोर्ट से मेल खाती है।

आई.बी. की एक अन्यत्र रिपोर्ट भी इस रिपोर्ट की पुष्टि करती है। तत्पश्चात् 'रॉ' ने भी जांच की तथा चौथी बार जांच स्थानीय पुलिस ने की।

आम आदमी के मन में उत्पन्न यह संदेह हटाने की आवश्यकता है कि गोधरा कांड कुछ मुस्लिम लोगों ने किया। यदि यह संदेह दूर किया जाना है तो इन जांच एजेंसियों की रिपोर्टों को सभा पटल पर रखना होगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रकाश अम्बेडकर यह शून्य काल है, आप लम्बा भाषण नहीं दे सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: यदि फोरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट को जांच आयोग उद्धृत करेगा तो प्रधानमंत्री एवं अन्यों को सभा को यह सूचित करना चाहिए कि उन्होंने इसे आई.एस.आई. का काम क्यों कहा था। सभा को एक स्पष्टीकरण चाहिए और मैं आशा करता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय आप सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने के लिए निदेश देंगे।

अपराह्न 12.12 बजे

पश्चिम एशिया के विशेष संदर्भ में भारत की विदेश नीति के बारे में

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से लेकर, प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल और हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी तक भारत ने मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया स्थापित करने के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के साथ-साथ विश्व के लिये शांति आंदोलनों में भाग लिया है।

पंडित नेहरू तथा राजीव गांधी के दिनों में तथा बाद के अन्य कई सरकारों के दौरान हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन को और मजबूत करने का प्रयत्न किया ताकि आक्रमणकारी बलों, सामंती हमलों तथा उपनिवेशी हमलों के तरीकों को मात दी जा सके तथा कुंठित किया जा सके। दुर्भाग्य यह है कि इतिहास इस बारे में कदम मिलाकर नहीं चल सका। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् विश्व की कुछ शक्तियों ने युद्धदेवों के रूप में सभी तरह की फासीवादी संस्कृतियों को आमंत्रित करते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि करोड़ों की आबादी वाला देश, भारत जो ऐसे सभी हमलों के विरुद्ध सभी प्रकार के शांति आंदोलनों में अग्रणीय रहा है, वह मध्य-पूर्व की घटनाओं का दर्शक मात्र बना खड़ा है। यह हमारी सरकार, हमारा राष्ट्र और हमारी प्रभुत्वसम्पन्न संसद ही है जो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही फिलस्तीनियों के पक्ष में रहे हैं।

यह तो हमारी कांग्रेस सरकार, भारत सरकार और यह संसद भी जिसने फिलिस्तीनियों और उनकी समस्याओं को समझा। हमने

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

उन्हें सर्वप्रथम राजनयिक मान्यता प्रदान की थी। अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर युद्ध, जो तीन माह तक चला, के पश्चात् फिलिस्तीनी संघर्ष को अस्थिर बनाने हेतु ध्यान केन्द्रित किया गया। हम समाचारपत्रों में प्रतिदिन 'वेस्ट बैंक' में होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। अब लोगों के अधिकारों की उपेक्षा करते हुए यह कहा जा रहा है कि कौन नेता हो सकता है अथवा कौन नेता नहीं हो सकता है। इराक राज्य पर अंतिम प्रहार होगा। बहरीन, जोर्डन और सीरिया जैसे छोटे-छोटे देशों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना आरम्भ कर दिया है। यहां तक कि कुछ दिन पूर्व रूसी संसद ने भी प्रतिक्रिया की थी। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या भारत सरकार का इस संबंध में अपना कोई दृष्टिकोण है अथवा नहीं। हमने इस पर सरकार की कोई टिप्पणी, मत अथवा कोई दृष्टिकोण नहीं सुना है।

इस प्रक्रिया में यदि फिलिस्तीन में कोई अनहोनी हो जाती है और असमय से विश्व के मध्यपूर्व में युद्ध का भय छा जाता है तो भारत अगले प्रभावित होने वाले देशों में होगा। हमारे क्षेत्र के समीप में सातवां बेड़ा कार्यरत है। अत:, यदि सरकार सभा में एक स्पष्ट वक्तव्य देती तो यह सबके हित में होता। इस समय विदेश नीति पर व्यापक रूप से चर्चा की जाये, लोक सभा को इस चर्चा से वंचित रखा गया है। अत: मेरी यह मांग है कि आप कृपया सरकार को पहले अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने की सलाह अथवा निदेश दें और इसके बाद इस सभा को समग्र मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दी जाये। भारत को विश्व के किसी अन्य भाग को राष्ट्र की तरह नहीं माना जा सकता है जो चुपचाप बैठा रहे और अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करे। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मामला नहीं है बल्कि यह तो सभा और पूरे देश का मामला है *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, इस मुद्दे को उठाने के लिए मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी को बधाई देता हूं। मेरी यह पुरजोर मांग है कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हम राष्ट्रीय विदेश नीति छोड़ नहीं सकते हैं जो कि इन देशों के पक्ष में है। आज देश की स्वीकृत समग्र विदेश नीति को दरकिनार किया जा रहा है। हमारी राष्ट्रीय विदेश नीति, जिसे दरकिनार कर दिया गया है *...(व्यवधान)* हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर बिजली और पानी की सप्लाई न होने से दिल्ली की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। दिल्ली में डेढ़ करोड़ की पापुलेशन है। *...(व्यवधान)* यहां लोग झुग्गी-झोपड़ी और गरीब बस्तियों में रहते हैं। *...(व्यवधान)* रात-रात तक बिजली न होने के कारण लोग परेशान हैं। दिल्ली में पीने का पानी नहीं है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार ने बिजली का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह कोई हल्का मुद्दा नहीं है *...(व्यवधान)* माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस संबंध में कुछ बोलें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि श्री सुरेश प्रभु कुछ कहना चाहते हैं तो वे कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह हमारी विदेश नीति का प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह हमारे देश की छवि का प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सभी लोग कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे और अपना वक्तव्य दे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, मैंने आपकी बात सुन ली है। अब कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, पहले ही दिन आपने विचार व्यक्त किया था कि सरकार को राष्ट्र से संबंधित सभी मुद्दों पर अपना उत्तर प्रस्तुत करना होगा। यह आपकी अपनी सलाह है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप मुझे श्री सुरेश प्रभु, माननीय मंत्री, जो यहां उपस्थित हैं से बात करने का मौका देंगे। कृपया बैठ जाइये। वे मंत्री भी हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं माननीय मंत्री से बात कर रहा हूं। क्या आप मुझे उनसे बात नहीं करने देंगे?

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): श्री सुरेश प्रभु उत्तर दे सकते हैं ...*(व्यवधान)*

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): भारत की विदेश नीति का एक उद्देश्य राष्ट्रीय सर्वसम्मति प्राप्त करने का रहा है। माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा व्यक्त किए गए विचार संबंधित मंत्री तक पहुंचा दिए जाएंगे। हम निश्चित रूप से यहां व्यक्त किए गए विचारों पर गौर करेंगे। ...*(व्यवधान)* जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय विदेश नीति का एक सर्वाधिक प्रमुख कार्य लोगों की सर्वसम्मति प्राप्त करना है जिसे हमारी राष्ट्रीय विदेश नीति में परिलक्षित किया गया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी: अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर बिजली और पानी की समस्या से दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग, पुनर्वास बस्तियों में रहने वाले लोग, गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। पूरी रात बिजली न आने के कारण उनको जागना पड़ता है। दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने बिजली का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि टाटा और बी.एस.ई.एस. कंपनी को बिजली का काम दिया गया है लेकिन वे इस काम को संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर बिजली आफिस में टेलीफोन किया जाता है तो वहां से बिजली के सुधार के लिए कोई नहीं आता है। दिल्ली के अंदर बिजली की 51 प्रतिशत चोरी हो रही है जिसके कारण 1200 करोड़ रुपये का घाटा प्रतिवर्ष हो रहा है। इससे हमारा सकल घाटा 22 हजार करोड़ रुपये का हो गया है।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है। ये लोग बिजली दो रुपये 50 पैसे लेकर उन कम्पनियों को एक रुपये 40 पैसे में बेच रहे हैं। जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनको पांच से सात रुपये प्रति यूनिट तक देने की खुली छूट दी गई है। यही हाल पानी का है। पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इस सरकार ने पीने के पानी की कोई योजना नहीं बनाई है। पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए 140 एम.जी.डी. का ट्रीटमैंट प्लांट सोनिया विहार में बनाने का एक प्रोग्राम बनाया था जो दो साल में बनकर तैयार हो जाना था परन्तु अभी तक श्रीमती शीला दीक्षित जी उसका शिलान्यास कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की जनता पानी और बिजली के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस सरकार शराब पिलाने के लिए शराब को बढ़ावा दे रही है। आप टेलीफोन करेंगे तो आपको शराब मिल जायेगी परन्तु पानी नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि शराब को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस सरकार को दिल्ली में शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आज दिल्ली के अंदर त्राहि-त्राहि मची हुई है। हम सब सांसद यहां बिजली से कितने परेशान हैं। कई-कई घंटे तक लाइट जाती है। पूरा प्रशासन ठप्प पड़ा है। कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली भारत की राजधानी है। यहां पर बिजली मंत्री बैठे हैं। वे बिजली की समस्या के बारे में कुछ रोशनी डालें कि बिजली का सुधार कैसे किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, हमें भी बोलने की अनुमति प्रदान की जाये ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मित्रों, मैं यहां उठाए गए मुद्दों पर अधिकाधिक सदस्यों को बोलने का अवसर देना चाहता हूं। परन्तु आप सभी लोगों को सहयोग करना होगा; अन्यथा यह सम्भव नहीं होगा। कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे 41 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। हम, आज कम से कम 15 सूचनाओं पर विचार कर पाएंगे, बशर्ते कि आप लोगों का सहयोग मिले। आप सभी लोग बाढ़ और तूफान के महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत हैं। मैं 'शून्य काल' के दौरान ऐसे मुद्दे उठाने की अनुमति कैसे दे सकता हूं जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हों? मैं ऐसे मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि इन पर हम यथाशीघ्र चर्चा करने वाले हैं। अतः ऐसे सदस्य जो 'शून्य काल' के दौरान ऐसे मामले उठाना चाहते हैं, इन पर चर्चा के दौरान अपनी बात कर सकते हैं।

मैंने यह भी निर्णय लिया है कि आज से ऐसे मुद्दे, जो नियम 377 के अधीन उठाए जा सकते हैं, उस नियम के अंतर्गत उठाए जाएं। श्री तिवारी के इस मुद्दे को अनुमति दी गई थी क्योंकि मैं यह नहीं जानता था कि वास्तव में क्या कहना चाहते थे। परन्तु, मैं यह ईमानदारीपूर्वक बता दूं कि यदि आप ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं जो राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं तो इन्हें 'शून्य काल' के दौरान उठाया जा सकता है। श्री बनातवाला ने मुझे कल इसकी सूचना दी थी। अतः, मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे रहा हूं। कृपया पीठ के साथ सहयोग कीजिए। यह आपके अपने

[अध्यक्ष महोदय]

हित में है। अन्यथा 41 मुद्दों में से पांच पर चर्चा नहीं हो पाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके मुद्दों पर भी चर्चा हो तो कृपया पीठ के साथ सहयोग कीजिए। यह मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना): माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में लाखों गन्ना किसानों की समस्या है। उनका चीनी मिलों पर अरबों रुपया बाकी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब खड़े रहेंगे क्या?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपका इश्यू जब आयेगा, तब आप बोलिएगा। बनातवाला जी ने कल इस इश्यू का नोटिस दिया था। मैंने उन्हें अनुमति दी है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप आवाज उठाएंगे जो किसी को परमीशन नहीं मिलेगी।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला: अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। इस मुद्दे की गम्भीरता को देखते हुए कल मैंने गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के सवारी डिब्बा सं. एस-6 में को जला दिए जाने को लेकर उत्पन्न परिस्थितियों के संबंध में स्थगन प्रस्ताव दिया था। *...(व्यवधान)* हमारे पास फारेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट है और अहमदाबाद की फारेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से अत्यधिक चौंकाने वाली सूचना मिली है। अभी तक देश को यह बताया गया कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने बाहर से सवारी डिब्बे में इसकी सवारियों सहित आग लगा दी परन्तु अब फारेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि यात्री सवारी डिब्बे में ही पर्याप्त मात्रा में ज्वलनशील तरल पेट्रोल ले जाया जा रहा था और आग सवारी डिब्बे के अंदर से लगी थी। सवारी डिब्बे के भीतर के ही कुछ लोगों ने डिब्बे में आग लगा दी और यात्रा करने वाली यात्रियों को भी जला दिया *...(व्यवधान)* कुल मिलाकर हमें यह बताया गया कि अहमदाबाद की घटना कुछ शरारती तत्वों द्वारा सवारी डिब्बे में बाहर से आग लगाए जाने की प्रतिक्रिया थी। *...(व्यवधान)* अब प्रश्न यह है कि सरकार और रेलवे ने रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, मैंने आपका स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है। मैंने आपको उस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी है जो आपने उठाया है। अब मैं श्री रामजी लाल सुमन जी को अपना मुद्दा उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब अपनी बात समाप्त कीजिए और अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री जी.एम. बनातवाला: जब कारसेवक आ और जा रहे थे तो ऐसे तनावपूर्व दौर में सवारी डिब्बे में 60 लीटर पेट्रोल ले जाने की अनुमति कैसे दी गई? *...(व्यवधान)* सरकार इस मामले को स्पष्ट करे।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री बनातवाल द्वारा कही गई कोई भी बात कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, आप हाउस को व्यवस्थित करिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बनातवाला जी, आपकी बात अब रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, गुजरात में दंगों के दौरान अल्पसंख्यकों के पुनर्वास की कोई समुचित व्यवस्था अभी तक गुजरात में नहीं हो पाई है। मैं तीन-चार दिन पहले अहमदाबाद गया था। *...(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (बड़ोदरा): इस तरह का मामला बार-बार सदन में उठाने का कोई औचित्य नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: ये लोग सही बात नहीं सुनना चाहते। वहां कुछ नहीं हो रहा है। *...(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): यह राज्य सरकार का मामला है इसलिए ऐसे मामले यहां नहीं उठाए जा सकते। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: वहां लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं है और ये लोग वहां गौरव यात्रा निकालने की तैयारी में हैं। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सबसे विनती करूंगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री रामजी लाल सुमन जी, गुजरात के दंगा ग्रस्त लोगों का पुनर्वास करना वाकई एक महत्वपूर्ण विषय है। मुझे विश्वास है कि पूरी सभा इस बात से सहमत होगी कि पुनर्वास कार्य उचित तरह से किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस विषय पर कोई विवाद नहीं। पुनर्वास कार्य उचित तरह से किया जाना चाहिए, मैं केवल इसी विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस विषय पर हम केवल चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इससे आगे कुछ नहीं क्योंकि यह राज्य का मामला है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि गुजरात में जो राहत शिविर बंद कर दिए गए हैं, वहां से लोग अपने घर जाने को तैयार नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: ऐसी कोई बात नहीं है। वहां लोगों को पर्याप्त सहायता दी जा रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजी लाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। राहत शिविरों से लोग अपने घर जाने को तैयार नहीं हैं। जिनके घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, सरकार द्वारा उनको 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई थी। लेकिन मेरे पास तीन चैकों की प्रतियां हैं, जिसमें किसी में पचास रुपए की रकम है और किसी में एक सौ रुपए की रकम है। सरकार किसी भी शरणार्थी का पर्याप्त इंतजाम नहीं कर सकी है। वे लोग बेघर हो गए हैं। राज्य सरकार की योजना है कि ये लोग अपने घरों को न जा सकें, जिससे आगामी चुनाव में इन्हें मतदान करने का अवसर न मिले। यह बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी इस विषय पर बयान देंगे।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): अध्यक्ष महोदय, सूखे पर हमें बोलने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस विषय पर चर्चा रखी है, तब आप अपनी बात कह सकते हैं। अभी उठाने की क्या जरूरत है।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): अध्यक्ष महोदय, नागपुर महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है। परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में बेरोजगार लोग रोजगार की तलाश में नागपुर आते हैं। इस वक्त नागपुर की आबादी 35 लाख से ऊपर है। पूरे शहर में कई जगहों पर झुग्गी-झोपड़ियां बन गई हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक नागपुर में सरकारी और निजी जमीन पर करीब 12 लाख लोग झुग्गी-झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। राज्य सरकार के एक निर्णय के मुताबिक जो झोपड़ियां 1995 के पहले बसी हुई हैं, उनको कायम करने तथा वहां रहने वाले गरीब लोगों को प्लाट के पट्टे का मालिकाना हक दिए जाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन कुछ लोग जिनको प्लाट नहीं मिले, वे कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने आदेश दिया कि वह तमाम झुग्गी-झोपड़ियां हटाकर आवेदकों को प्लाट दिए जाएं। अगर ऐसा होता है तो नागपुर में आठ लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और वहां से तीन महीने का स्टे ले आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीन महीने के अंदर इन लोगों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, आप ही सोच सकते हैं कि तीन महीने के अंदर आठ लाख लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर पाना कहां तक सही होगा। राज्य सरकार के भी बस की यह बात नहीं है। केन्द्र सरकार, जिनको घर नहीं है, उनको घर देने की व्यवस्था कर रही है। नए-नए आयाम और प्रयोजन हो रहे हैं। ऐसे वक्त में इन झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार ने खर्चा किया, जनप्रतिनिधियों ने भी खर्चा किया। यहां तक कि गरीब लोगों ने भी अपनी पूरी पूंजी लगाकर अपने घर बनाए हैं। ऐसे हालात में उनको वहां से हटाना, मैं समझता हूं उचित नहीं होगा।

कोर्ट अपने-अपने ढंग से आदेश दे देती है। वहां की राज्य सरकार और संस्था के लोग तकलीफ में आ जाते हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि झुग्गी-झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय नीति बनायी जानी चाहिए, आज देश भर में राज्य सरकारें इस समस्या से निपटने का प्रयास कर रही हैं परन्तु उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं, उनके लिए मकान देने का कार्यक्रम बना रहे हैं। दूसरे, कोर्ट को ऐसे आदेश की वजह से लोगों को मुश्किल होती है। नागपुर में तकरीबन दस लाख लोग भय की स्थिति से गुजर रहे हैं। कल क्या होने वाला है, उन लोगों को मालूम नहीं है और 30-40 किलोमीटर इन लोगों को शहर से दूर जाना पड़ेगा।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार के बचाव में आए और इस पूरे मामले को उच्चतम न्यायालय के समक्ष सही परिप्रेक्ष्य में रखे, ताकि न्यायालय में इस संबंध में स्पष्ट निदेश लिये जा सकें।

श्री राम नगीना मिश्र: अध्यक्ष महोदय, देश के करोड़ों गन्ना किसान भूखों मरने के कगार पर हैं और अरबों रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। उत्तर प्रदेश में किसानों के अरबों रुपए बकाया है। केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक अरब रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। ...*(व्यवधान)* रोने की इजाजत भी नहीं

[श्री राम नगीना मिश्र]

दी जा रही है। हमारे यहां तीन मिलें बन्द हो चुकी हैं और आठ मिलें बन्द होने जा रही हैं। देश का किसान बरबाद हो रहा है। उत्तर प्रदेश में गन्ना मिलें रसातल में जा रही हैं। यह उद्योग समाप्त होने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार और भारत सरकार कम से कम उत्तर प्रदेश में जो गन्ना उद्योग है, जो बरबाद हो रहा है, जिन पर गन्ना किसानों का अरबों रुपया बकाया है, उसको बचाने और पेमेंट कराने की व्यवस्था करे। ...*(व्यवधान)* गन्ना आन्दोलन में दो किसान शहीद हो चुके हैं और फिर गोली चलेगी, तो क्या स्थिति होगी। भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो, इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि गन्ना किसानों को उनके उत्पादन का भुगतान कराये।

[अनुवाद]

श्री विनय कुमार सोराके (उडुपी): अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किये गये घोटालों के बाद अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां इस ताक में हैं कि वह हजारों भोले-भाले निवेशकों की कड़ी मेहनत की कमाई को धोखे से खा जायें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): महोदय, उत्तर भारत में सूखा पड़ रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सदन में इस विषय पर चर्चा होगी।

[अनुवाद]

श्री विनय कुमार सोराके: रिपोर्ट मिली है कि महाराष्ट्र एपेक्स कारपोरेशन, एन.बी.एफ.सी., जिसका मुख्यालय मणिपाल में है, कर्नाटक की शाखा के बारे में कहा गया है कि उसने हजारों लोगों को धोखा दिया है और वह अपना कारोबार समेट रही है। कंपनी ने सावधि जमा में निवेश करने के लिए गरीब तथा मध्यम श्रेणी के परिवारों को निवेश करने के लिए प्रलोभन दिया।

माना जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की मानीटरिंग करता है। निवेशकों के हितों की रक्षा करने में रिजर्व बैंक विफल रहा है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस वित्तीय घोटाले की जिम्मेवारी ले, जिसने मेरे क्षेत्र के हजारों छोटे निवेशकों को बर्बाद कर दिया है। महाराष्ट्र एपेक्स कारपोरेशन लिमिटेड के प्रवर्तकों की संपत्तियों को जब्त किया जाये और निवेशकों के भुगतान की व्यवस्था की जाये ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न राज्य से संबंधित है।

[अनुवाद]

उसे तभी लिया जायेगा, अगर वह सामान्य विषय राष्ट्र के हित में है।

[हिन्दी]

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर): अध्यक्ष महोदय, प्रदूषित वातावरण के कारण ताजमहल को खतरा हो रहा है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका को स्वीकार किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को यह निर्देश दिया है कि ताजमहल के संरक्षण, संवर्द्धन के लिए और प्रदूषण से बचाने के लिए वह धन मुहैया कराए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केन्द्र सरकार ने 600 करोड़ रुपये ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए और उसके रख-रखाव, संवर्धन एवं संरक्षण के लिए दिए। उसमें एक योजना यह थी कि ताजमहल से 20 किलोमीटर टीटीजैड, फेज-1 टीटीजैड फेज-2 बनाया जाए। उसमें राज्य सरकार से कहा गया कि ताजमहल के चारों तरफ जो गांव स्थित हैं उनमें भी विद्युतीकरण नहीं है। वहां लोग प्रकाश करने के लिए लालटेन वगैरह जलाते हैं या अन्य कोई व्यवस्था प्रकाश के लिए करते हैं। ताजमहल को उस प्रदूषण से खतरा हो रहा है, इसलिए वहां विद्युतीकरण कराया जाए। सरकार जो विद्युतीकरण करा रही है वह केवल राजस्व गांवों में करा रही है। जो छोटे गांव हैं नगले और मजरा हैं, उनमें विद्युतीकरण नहीं हो रहा है। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए विद्युतीकरण कराया जा रहा है। यद्यपि सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, वे केवल बड़े गांवों में जाती हैं, छोटे गांवों में नहीं जाती हैं, लेकिन इस विद्युतीकरण का संबंध प्रदूषण एवं धुएं से है, क्योंकि बड़े गांव ज्यादा धुआं करेंगे, इससे ताजमहल को ज्यादा खतरा होगा और जो छोटे गांव हैं वे थोड़ा कम धुआं करेंगे, लेकिन प्रदूषण वह भी कर रहे हैं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग है कि टीटीजैड, में जितने भी इलाकें हैं, वहां जो भी आबादी है, उसका संपूर्ण रूप से सेचुरेटेड करते हुए विद्युतीकरण कराया जाए। केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि इन्होंने 600 करोड़ रुपया राज्य सरकार को दिया है, इसलिए उसकी मोनिटरिंग कराई जाए। टीटीजैड

से तीन सांसद हैं—श्री राजबब्बर, श्री रामजीलाल सुमन और मैं स्वयं हूं। इन्हें इस कमेटी में रखा जाए, जिससे यह देखा जाए कि उस इलाके में क्या काम हो रहा है। ...*(व्यवधान)* वहां ठीक से रोड नहीं बनी हुई हैं। जब कच्ची सड़क से कोई गाड़ी जाएगी तो उसमें से ज्यादा धुआं निकलेगा। इससे ताजमहल को भी ज्यादा खतरा हो रहा है। इसलिए वहां ठीक से रोड बनाई जाएं। वहां जितने भी गांव हैं, वहां ठीक से रोड बनाई जाए और विद्युतीकरण कराया जाए। मुझे यह भी मालूम है कि 20 किलोमीटर से कम में, धीरपुरा, लांगी, दानिकाबास, सुजानपुर, जामपुर, चमरौला, नथा का नगला, तहसील एतमादपुर, टुंडला, जलैसर, सादाबाद आदि विधान सभा के संपूर्ण गांवों में अभी तक किसी प्रकार से विद्युतीकरण नहीं है, आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी नहीं है। वहां 600 करोड़ रुपए मुहैया करने के बाद भी विद्युतीकरण नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि इन इलाकों में संपूर्ण विद्युतीकरण कराया जाए और सभी सड़कों पर ठीक से संपूर्ण मार्ग बनाया जाए। धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए कृपया मुझे अनुमति दी जाये, क्योंकि राष्ट्र को विभाजित करने की चाल चली जा रही है। देश की एकता के लिए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं, लेकिन आपके सभा में आने से पहले ही इस विषय पर चर्चा हो चुकी है।

कुमारी ममता बनर्जी: कुछ विषय ऐसे हैं, जिन पर चर्चा नहीं हुयी। मैं आपसे अपील करती हूं कि कृपया इस विषय को उठाने की अनुमति दी जाये। सामान्यत: मैं उन विषयों को नहीं उठाती जो महत्वपूर्ण नहीं होते।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहर भारत की आर्थिक राजधानी है। मुंबई से बहुत सारा पैसा भारत सरकार को मिलता है, मगर उसके बदले में मुंबई शहर के डेवलपमेंट के लिए जितना पैसा मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता है। मुंबई शहर से आप भी चुनकर आए हैं और मैं भी वहां से चुनकर आया था। इसलिए मुंबई शहर के डेवलपमेंट के लिए मांग की गई है कि वहां के डेवलपमेंट के लिए 1150 करोड़ रुपए देने चाहिए, क्योंकि वहां बहुत से डेवलपमेंट के काम करने हैं।

इसलिए भारत सरकार से हमारी मांग है कि वहां के डेवलपमेंट के लिए 1150 करोड़ रुपए दें। इसी तरह ठाणे जिले में भारी वर्षा के कारण काफी नुकसान हुआ है, उसके लिए भी 300 करोड़ रुपए देने चाहिए। वहां बहुत से लोगों की जानें चली गई हैं। वहां किसानों को काफी नुकसान हुआ है और बहुत से मकान भी नष्ट हो गए हैं, इसलिए उसके लिए भी भारत सरकार को 300 करोड़ रुपए देने चाहिए। महोदय, आप हमारा संदेश प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं कि इतना पैसा इन शहरों को मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए एक अन्य दिन उप-प्रधानमंत्री ने बड़े गर्व से कहा और मैं उसकी कदर करता हूं, कि हमारी सरकार राष्ट्र के हित कार्यों के लिए किसी विदेशी देश की ओर नहीं देखती। आज मीडिया द्वारा दी गयी चिंताजनक खबर कि जम्मू कश्मीर के कासीमपुरा में नरसंहार होने से केवल एक सप्ताह पहले और अमेरीकी रक्षा सचिव के भारत आने की संध्या पर सरकार ने सीमाओं से तीन स्ट्राइक डिवीजनों को हटा लिया है।

सेना के 18,000 जवानों को सीमा से हटा कर भारत ने अच्छा प्रयास किया, लेकिन हम जानते हैं कि इससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जो प्रयास पहले किये वे भी बेकार गये हैं और यह माननीय उप-प्रधान मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है। मैं जानता हूं कि इनमें से यहां कोई भी उपस्थित नहीं है। लेकिन चूंकि यह बहुत ही गम्भीर मामला है और मैं चाहूंगा कि कोई भी माननीय मंत्री जो यहां उपस्थित हैं माननीय उप-प्रधान मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाये और यहां आकर सदन में बताएं कि जब संयुक्त राज्य अमेरिकी के रक्षा सचिव ने भारत का दौरा किया तो उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए सरकार ने 18000 सैनिकों को सीमा से वापस बुला लिया था और हमारे लोगों को उन लोगों के रहमों करम पर छोड़ दिया जिसे सरकार मानती है कि वे सीमा-पार से चलाए जा रहे आतंकवाद में लिप्त हैं। क्या हम लोग उनके लिए उपयुक्त वातावरण नहीं बना रहे हैं? हम लोग उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं? क्या हमारी प्राथमिकता केवल अमरीका का विश्वास और सद्भावना जीतने की है? या भारतीयों के हितों की रक्षा की है? मैं यह चाहूंगा कि उप-प्रधानमंत्री ही इस संबंध में सदन को अवगत कराएं जो सदन में कल उपस्थित थे।

अपराह्न 12.42 बजे

रेलवे मंडलों के पुनर्गठन के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: साथियों, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर कई नोटिस प्राप्त हुये हैं, जिस पर सदन में चर्चा भी हुयी थी। यह मुद्दा एक नये रेलवे जोन की स्थापना के बारे में है। मुझे कई नोटिस प्राप्त हुये हैं। मैं इनमें से कुछ का नाम पढ़ना चाहता हूं, वे इस तरह हैं, योगी आदित्यनाथ, श्री नीतिश सेनगुप्ता, श्री बसुदेव आचार्य, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, कुमारी ममता बनर्जी, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री अजय चक्रवर्ती तथा अन्य सांसदों ने नोटिस दिये हुये हैं।

प्रश्न काल के दौरान भी यह मुद्दा उठाया गया था।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): लेकिन इसका उत्तर ठीक तरह से नहीं दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं, समय की कमी के कारण इसका जवाब पूरा नहीं हो पाया था। व्यक्तिगत तौर से मैं चाहता हूं कि इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चूंकि लोगों ने नोटिस दिये हुये हैं, और हमारे पास समय की कमी है, मैं चाहूंगा कि कुछ सदस्य इस पर अपने विचार प्रकट करें। लेकिन विचार आरोप के रूप में नहीं होने चाहिए। वे केवल अपने विचार प्रकट कर सकते हैं ताकि समय का उचित उपयोग किया जा सके। इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस विषय पर चर्चा कराने के पक्ष में नहीं हूं।

इस विषय को मैं कार्यमंत्रणा समिति में अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उठाऊंगा। यह बैठक में तय किया जा सकता है कि क्या इस पर चर्चा की अनुमति दी जाये या नहीं और अगर अनुमति दी भी जाये तो कब चर्चा हो। इस बीच जिन सदस्यों का नाम कार्यसूची में है उन्हें संक्षेप में बोलने की अनुमति दी जायेगी।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय कुमारी ममता बनर्जी के पक्ष में मैं अपना नाम सूची से वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय: उनका नाम सूची में है और उनको बोलने की अनुमति दी जायेगी। हम एक मद पर जा सकते हैं। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि राज्यों, शहरों तथा विशेष समस्याओं से संबधित मामलों को नियम 377 के अधीन उठाया जा सकता है। शून्य काल के दौरान देश के महत्वपूर्ण विषयों तथा वे विषय जो राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय महत्व के हैं को उठाने की अनुमति दी जाती है और वे विषय जिन पर पहले चर्चा हो चुकी है उनको 'शन्य काल' के दौरान बार-बार नहीं उठाया जाता। इससे पूरी सभा तथा उन सदस्यों को मदद मिलेगी जो सदन की कार्यवाही के प्रति गम्भीर हैं।

श्री बसुदेव आचार्य ने स्थगन प्रस्ताव पर नोटिस दिया हुआ है, तथा इस पर भी उनका एक अन्य नोटिस है, अतः पहले वे इस विषय पर बोलेंगे और बाद में कुमारी ममता बनर्जी बोलेंगी।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, पिछले तीन दिनों से मैं 'शून्य काल' के लिए राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे, सूखे को उठाने के संबंध में नोटिस दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: सूखे पर चर्चा की अनुमति दी जायेगी।

श्री विक्रम केशरी देव: धन्यवाद, महोदय।

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट): महोदय, बाढ़ की क्या स्थिति है?

अध्यक्ष महोदय: दोनों मुद्दों को एक साथ लिया जायेगा।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, पहले भी सभा में एक साथ कई मुद्दों को उठाया गया है।

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य जी, कृपया संक्षेप में।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि नियम 193 के अधीन इस पर चर्चा की जायेगी और उस वक्त मैं इस पर विस्तार से बोल सकता हूं।

महोदय, विगत में जोनों के पुनर्गठन के बारे में सदन में कई सवाल पूछे गए हैं। इस संबंध में हमें जो जवाब दिया गया है वह यह है कि वर्तमान में रेलवे जिस वित्तीय संकट से गुजर रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में पुनर्गठन संबंधी संपूर्ण मुद्दे की पुनरीक्षा की जा रही है। यह जवाब 3 अगस्त 2000 को दिया गया। इसी से मिलते-जुलते और कई जवाब दिये गये हैं।

1996 में तत्कालीन रेल मंत्री ने 6 जोनों की स्थापना के संबंध में अचानक घोषणा की। हम लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई। मैं उस समय रेलवे संबंधी स्थायी समिति का सभापति था। हमने तत्काल मामले की जांच करायी। हम लोगों ने रेल मंत्रालय को निर्देश दिये कि वह इस मामले पर आगे कार्यवाही न करे क्योंकि स्थायी समिति इस मामले की जांच कर रही थी। स्थायी समिति के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुये रेल मंत्रालय ने नये जोनों की स्थापना के लिए शिलान्यास के कार्य को अंजाम दिया।

1998 में एक अन्य नए जोन की स्थापना संबंधी घोषणा की गयी। मान्य मंत्री जी कह रहे थे कि नये जोनों की स्थापना पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर की जा रही थी। इस समिति का गठन 1981 में हुआ था। समिति ने 12 खंडों में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें से 1 खंड में उप-जोनों के एक साथ मिलाने के विषय में था। आरम्भ में उस समिति ने तीन जोनों की स्थापना की सिफारिश की। इसमें यह सिफारिश की गयी कि पहले जब तीन जोन पूर्ण रूप से कार्य करने लगे तो चौथे जोन की स्थापना की जायेगी।

वर्ष 1984 में जब रेलवे सुधार समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की उस समय की स्थिति आज की स्थिति से भिन्न थी। तबसे सूचना प्रौद्योगिकी में काफी प्रगति हुई है। तब से स्थायी समिति के अतिरिक्त कई समितियों ने इस पहलू की जांच की है। अभी हाल ही में राकेश मोहन समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया इस समिति की स्थापना वर्तमान रेल मंत्री द्वारा अपने पहले कार्यकाल में वर्ष 1998 में की गयी थी। राकेश मोहन समिति ने नये जोनों की स्थापना की तीव्र आलोचना की है। भारत के नियंत्रक की रिपोर्ट भी मौजूद है। नियंत्रक और यहां लेखा परीक्षक ने भी नये जोनों की तीव्र आलोचना की है।

महोदय, यह बंगाल बनाम बिहार का प्रश्न नहीं है इसे ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे यह बंगाल बनाम बिहार का प्रश्न है। हमारा बुनियादी प्रश्न यह है कि नये जोनों की स्थापनाओं की आवश्यकता है अथवा नहीं। पांच पूर्व महाप्रबंधकों, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं के अनुसार यदि दो नए जोन जिसमें एक का मुख्यालय हाजीपुर में तथा दूसरे का इलाहाबाद में हो, बनाया जाये तो कोयले तथा इस्पात की देश के पूर्वी हिस्से से उत्तरी भागों में आपूर्ति बाधित होगी।

उन्होंने कहा कि प्रबंधन केन्द्रों और जोनों की बहुलता ट्रंक रूट को बाधित करेगी जो भारत के पूर्वी भाग, जहां कोयला और इस्पात के भंडार उपलब्ध हैं, को देश के उत्तरी भागों को जोड़ता है।

जब रेलवे संसाधनों की कमी का सामना कर रहा है, तो दो वर्ष पहले यह बात कही गयी थी कि नए जोन बनाने की क्या आवश्यकता है? इस पर कितनी लागत आयेगी। वर्ष 1986 में दिए गए प्राक्कलन के अनुसार, एक नया जोन चालू करने में न्यूनतम 250 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है। आज की तिथि में दुगुनी धनराशि की आवश्यकता होगी। प्रति जोन यह राशि करीब 500 करोड़ रुपये होगी तथा इस तरह से कुल 3500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

अध्यक्ष महोदय: आप इस सभी बातों को तब कह सकते हैं जब आप बहस में भाग लेते हैं। आज आप इस मुद्दे पर सिर्फ अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, इसके अतिरिक्त ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, यह किस विषय पर चर्चा हो रही है। इसका उत्तर दिया जा चुका है, अब कौन सी चर्चा हो रही है। ...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हमारी एडजर्नमैंट का नोटिस है ...*(व्यवधान)* मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मैं सारा भेद खोल दूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह बिहार और बंगाल का प्रश्न नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, एक नया जोन बना दिए जाने के पश्चात् क्या रेलवे की परिचालन क्षमता में वृद्धि हो जाएगी ...*(व्यवधान)* विशेषज्ञ समिति के अनुसार, नए जोनों की स्थापना से रेलवे की परिचालन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होने वाली है। इसलिए, ऐसे किसी जोन की आवश्यकता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे बार-बार उठने के लिए क्यों मजबूर करते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, एक भी नई परियोजना की घोषणा नहीं की गयी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे इस मुद्दे पर अनेक नोटिस प्राप्त हुए हैं। मुझे पता है कि आप सभी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस सदन का तथा देश का भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि इस मुद्दे पर देश एकजुट रहे।

[अध्यक्ष महोदय]

'प्रश्न काल' के दौरान, इस मुद्दे को उठाया था तथा वहीं मैंने कहा था कि इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हेतु निर्णय लेने का सही अधिकार कार्यमंत्रणा समिति को है। परन्तु चूंकि मैंने अनेक नोटिस प्राप्त किए हैं। मैंने सोचा कि संभवत: अगले सप्ताह यह चर्चा हो सकती है। किन्तु साथ ही साथ उन सदस्यों के साथ अन्याय न हो जिन्होंने नोटिस दिए हैं। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि आप अपने विचार बहुत संक्षेप में व्यक्त करें। आप अपनी बात यथासंभव अधिकाधिक संक्षेप में कहें।

इसलिए, कृपया सहयोग करें। यह सभी सदस्यों के हित में है। उन्होंने सही कहा है कि यह सिर्फ बिहार और बंगाल प्रश्न नहीं है। यह पूरे देश का प्रश्न है। अतएव, मैं इस मुद्दे से पूर्णत: अवगत हूं। मैंने अनुमति दी है क्योंकि शिष्टाचार की यह मांग है कि किसी राष्ट्रीय मुद्दे को उठाने वाले सदस्यों को दो मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी जाए।

मैं आशा करता हूं कि आप सभी सहयोग करेंगे। एक अच्छी चर्चा होने दीजिए ताकि सिर्फ संसद का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया जा सके। अन्यथा, मैं किसी भी समय खड़ा होकर कह सकता हूं कि सभा स्थगित होती है। परन्तु मैं सोचता हूं कि ऐसा करने के बजाय सर्वोत्तम तरीका यह है कि वे सदस्य जो सही मायने में इच्छुक हैं इस मुद्दे पर बहुत संक्षिप्त वक्तव्य दें। वे अगले सप्ताह चर्चा के दौरान अपना भाषण जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक दे सकते हैं। अब कृपया सहयोग करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मेरी अंतिम बात यह है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: इसी विषय पर सदन में प्रश्न किया गया था और उसका जवाब भी आया था। अब इस पर तृणमूल कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, इस चर्चा का औचित्य क्या है। दस मिनट पहले इन्होंने इसी विषय पर चर्चा की थी। ...*(व्यवधान)* दस मिनट पहले की प्रोसीडिंग देख ली जाए।

अध्यक्ष महोदय: जब मैं आपको बोलने का चान्स दूंगा तब आप बोलें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे बोल रहे हैं। मैं आपको भी मौका दूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, पूरे मुद्दे को विशेषज्ञ समिति के पास भेज दिया जाए। तब तक, जारी की गई अधिसूचना को स्थगित रखा जाना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता, दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, जब प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री ने एक साथ बैठकर यह निर्णय लिया कि इस मुद्दे को मंत्रिमंडल के पास लौटा देना चाहिए तो हमने सोचा कि सदन में इस पर चर्चा करना उचित नहीं होगा क्योंकि हम प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री पर विश्वास करते हैं। वे पहले ही कह चुके हैं कि वे उस मुद्दे पर मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे।

महोदय, परन्तु आज मैं परेशान हूं। प्रधान मंत्री के इस तरह के निर्णय के बावजूद, मैं आज के एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में देखती हूं जहां यह उल्लेख किया गया है कि अधिसूचना 14 जून को जारी की गयी है। यह माननीय मंत्री का उत्तर है। परन्तु अधिसूचना 4 जुलाई को जारी की गयी है। मंत्री महोदय ने इस मुद्दे पर सदन को गुमराह किया है। 4 जुलाई को अधिसूचना जारी की जा चुकी है तथा 14 तारीख को नए जोनों के बारे में पहली बैठक हुई थी।

महोदय, मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि सरकार ने कहा था कि यह मामला मंत्रिमंडल को वापस लौटाया जाएगा। तब रेल विभाग द्वारा ये अनुदेश कैसे जारी किया जा रहे हैं कि 10,000 से अधिक कर्मचारियों को कलकत्ता से देश के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित किया जाए।

महोदय, जैसा कि आपको पता है भारतीय रेल राष्ट्र की जीवनरेखा है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): हम लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: आप भी बोलिए।

[अनुवाद]

महोदय, भारतीय रेल राष्ट्र की जीवनरेखा है। इस जोन की स्थापना, रेलवे मूलभूत अवसंरचना, संचार प्रणाली, पत्तन व्यवस्था, कोयले की उपलब्धता और अन्य मूलभूत अवसंरचनाओं की उपलब्धता की वजह से हुआ था। सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश, कोलकाता, चेन्नई, मंगलौर, हैदराबाद और मुम्बई ए-वन नगर हैं और उनके पास कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं।

दो जोन-पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में स्थित हैं। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे मुम्बई में स्थित हैं। दक्षिण रेलवे चेन्नई में स्थित है। दक्षिण-मध्य रेलवे सिकन्दराबाद में स्थित है। उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे गुवाहाटी में तथा उत्तर रेलवे दिल्ली में स्थित है। अब हम यह प्रश्न क्यों उठा रहे हैं?

वे 1984 की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उन सभी रिपोर्टों के संबंध में, सरकार अब तक यह कहती आ रही है कि उन्हें लागू करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु 18 वर्षों के पश्चात्, वे अब कह रहे हैं कि वे उन रिपोर्टों को स्वीकार करने जा रहे हैं। यह बिना किसी अध्ययन के लिया गया एक बड़ा एकपक्षीय निर्णय है।

महोदय, आप एक क्षण के लिए बंगाल के बारे में भूल जाएं। हमें पता है कि हमें क्या करना है अथवा क्या नहीं करना है। हमने देश को विभाजित नहीं किया और न ही ऐसा करना चाहते हैं। परन्तु यहां कुछ लोग देश को बांटने का गंदा खेल खेल रहे हैं, पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। परन्तु महोदय, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। आप मुम्बई के हैं तथा यदि पश्चिम रेलवे अथवा मध्य रेलवे को दो हिस्सों में बांटा जाने लगे तो आप क्या करेंगे? हम नहीं चाहते कि राज्य को यह अवसर न मिले। किन्तु मैं अनुरोध करती हूं कि वे दो हिस्सों में न बांटे। जब मेरे पास वर्तमान सुविधाएं हैं तो आपको उन सुविधाओं को वापस लेने अथवा उन्हें स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु ऐसा किया जा रहा है। राजनीतिक प्रतिहिंसा के कारण देश को बांटने का यह एक गंदा खेल है। यदि आप राष्ट्र की जीवनरेखा को काट देते हैं तो देश बंट जाएगा।

रेल संबंधी स्थायी समिति ने एक बार नहीं बल्कि तीन बार सिफारिश की है। रेल अभिसमय समिति ने सिफारिश की है, राकेश मोहन समिति ने सिफारिश की है। जब मैं रेल मंत्री थी तब मैंने उस समिति का गठन नहीं किया, परन्तु वे वर्तमान रेल मंत्री हैं जिन्होंने रेल सुधार और पुनर्गठन के लिए इस समिति का गठन किया है। उन्होंने कहा कि यह अस्पष्ट निर्णय है तथा इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए, हमारे पास रेल संबंधी स्थायी समिति व रेल अभिसमय समिति के प्रतिवेदन, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्टें, अन्य विशेषज्ञ समितियों के प्रतिवेदन, पूर्व अध्यक्षों की राय आदि हैं। हमारे पास पांच मान्यताप्राप्त यूनियनों, एन.एफ.आई.आर., ए.आई.आर.एफ., अधिकारी संघ, पदोन्नत अधिकारी संघ और रेल सुरक्षा बल एसोसिएशन की राय है। सभी के सभी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों?

वे सोच रहे हैं कि वे अपने घर से होकर रेल लाइन ले जाएंगे। रेल लाइन उनके घर से होकर तथा उनके घर से जानी चाहिए, भले ही उसके परिणामस्वरूप देश बंट जाये। मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूं। मैं उन लोगों से अनुरोध करती हूं कि वे इस पर पुनर्विचार करें। मैं महसूस करती हूं कि मंत्रिमंडल सर्वोच्च है। प्रधान मंत्री जी तथा उप प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि इस मामले को मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। अतएव, इस प्रश्न के उत्तर को मंत्री महोदय के अंतिम उत्तर के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। सदन यह जानना चाहता है कि प्रधान मंत्री सर्वोच्च हैं अथवा कोई वैयक्तिक मंत्री, जो राजनीतिक विद्वेष की वजह से ऐसा कर रहा है। हम यह जानना चाहते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, सन् 1996 में नए रेलवे जोन बनाने का निर्णय भारत सरकार ने किया था। हाजीपुर में नए जोन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधान मंत्री देवगौड़ा जी ने किया था, लेकिन बीच अंतर में राजनीतिक द्वेष और भेदभाव के चलते काम आहिस्ता चला। हम लोग एक दर्जन बार इस मामले को उठा चुके हैं। कुमारी ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थीं तो हमने बार-बार चेतावनी दी थी कि रेलवे जोन को रोका तो हिन्दुस्तान में अमन-चैन कायम नहीं रहेगा, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मामले में पहले बंगाल विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, उसके जवाब में बिहार ने प्रस्ताव पारित किया। वहां से दो बार प्रतिनिधिमंडल आकर प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री और रेल मंत्री सभी से मिल चुके हैं। यह प्रथम मौका है और मैं 1996 से देख रहा हूं कि अनेक मुद्दों पर जब बिहार का सवाल आता था तो हम लोग आपस में बंट जाते थे। इस कारण बहुत अन्याय बिहार के साथ हुआ और बिहार की जनता के साथ हो रहा है। अब संयोग है कि इस बार हम सब एकजुट हो गए हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

इसीलिए हाजीपुर में आन्दोलन शुरू हो गया है। ममता जी नेता हैं। बिहार के लोग भी वहां वोट देते हैं। हमारे लोग भी बंगाल में बसे हैं। सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि देश भर में बसे हैं। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: हमारे यहां के 40 परसेंट लोग बिहार में रहते हैं। हम भी उन्हें प्रोटैक्ट करते हैं। ...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: ठीक है। हाजीपुर जोन बना है। उसकी एक इंच जमीन भी कलकत्ता में नहीं है, लेकिन हाजीपुर रेल जोन को कलकत्ता में रखने की कोशिश हो रही है। इसे हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। हेरा-फेरी को सहन नहीं कर सकते हैं। ईंट से ईंट बजेगी और अध्यक्ष महोदय ''ऐसा आन्दोलन होगा

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

फिर कभी नहीं जैसा होगा।" हाजीपुर जोन के साथ अगर किसी तरह की छेड़छाड़ की गई, तो हम उसे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। देश विध्वंस के कगार पर पहुंच जाएगा। ममता जी, हिन्दुस्तान बंट जाएगा। बिहार से लड़ाई लड़कर क्या कभी कोई जीत सका है। एक भी रेल दिल्ली से बिहार होते हुए बंगाल नहीं जाएगी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी बैठिए। आपकी बात हो गई।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ दो मिनट का समय अपनी बात कहने के लिए दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। मैंने अभी योगी आदित्यनाथ का नाम बोलने के लिए पुकारा है। उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिए। उसके बाद मैं आपको बोलने के लिए एलाऊ करूंगा। आप सब लोग बैठिए।

श्री अकबर अली खांदोकर (सेरमपुर): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि एक भी रेल बिहार से बंगाल नहीं जाएगी। *...(व्यवधान)* क्या यह बिहार और बंगाल का झगड़ा है?

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं कि यह बंगाल और बिहार का झगड़ा नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: योगी आदित्यनाथ जी आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री अकबर अली खांदोकर: अध्यक्ष महोदय, एक भी गाड़ी बिहार से बंगाल नहीं जाएगी, यह माननीय सदस्य कैसे बोल सकते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक आप कैसे बोलेंगे। आप बैठिए। मैंने योगी आदित्यनाथ को बोलने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह रेलवे के जोन का मामला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, मैंने आपको बोलने का अवसर दे दिया। कृपया अब आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): वे राष्ट्र को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अकबर अली खांदोकर: अध्यक्ष महोदय, मानीय सदस्य कह रहे हैं कि बिहार से बंगाल गाड़ियां नहीं जाएंगी। इन शब्दों को रिकार्ड से हटाइए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: वे कह रहे हैं कि उनके राज्य से किसी भी रेलगाड़ी को निकलने नहीं दिया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? *...(व्यवधान)* यह एक उत्तेजना है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अकबर अली खांदोकर: अध्यक्ष महोदय, क्या यह पार्लियामेंट बिहार का है? बिहार से एक भी गाड़ी बंगाल नहीं जाएगी, यह जो बात माननीय सदस्य ने कही है, इसे रिकार्ड से निकालिए। बिहार से बंगाल गाड़ी नहीं जाएगी, ऐसा बोला जाना ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी से कहूंगा कि यदि कोई अनपार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग हुआ है, तो वह रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा।

योगी आदित्यनाथ जी, क्या आपको बोलना नहीं है?

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, एक राज्य का प्रतिनिधि दूसरे राज्य के प्रतिनिधि को डरा नहीं सकता *...(व्यवधान)* हमारी आपत्ति यही है कि उन्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इसी विवादास्पद मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र जोन का मुख्यालय है।

पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में पड़ता है। गोरखपुर के पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय से दो मंडल समस्तीपुर और सोनपुर

अलग किये जा रहे हैं। ...(व्यवधान) ये उसी जोन में पड़ते हैं। ...(व्यवधान) आप बैठ जाइये और हमें सुनिये। इन दोनों मंडलों को अलग करने से पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय सबसे छोटा जोन हो जायेगा। मात्र तीन मंडल इज्जतनगर, वाराणसी और लखनऊ इसमें रह जायेंगे। यह छोटा जोन होने के साथ-साथ लखनऊ को बाद में मध्य जोन से और वाराणसी को इलाहाबाद से मिलाने की साजिश है। इसका मतलब यह है कि पूर्वोत्तर रेलवे का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। यह सबसे पुराना जोन है। 1952 में जब छह जोन गठित हुए थे। ...(व्यवधान) रघुवंश बाबू, जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। ...(व्यवधान) आप बंगाल को धमकी दे सकते हैं लेकिन हमें नहीं दे सकते। बिहार में जो भी ट्रेन जाती है, वह यू.पी. से होकर जाती है इसलिए आप मुझे धमकी मत दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): अध्यक्ष महोदय, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो रेल को बनाकर देश को जोड़ने का काम किया लेकिन बी.जे.पी. की सरकार इसका बंटवारा करके देश को तोड़ने का काम कर रही है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं होगा, आप जिक्र मत कीजिए।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, पहले भी पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय को स्थानांतरित करने की साजिश रची गई थी। उस समय भी आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के परिणामस्वरूप गोरखपुर में पुन: पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय को बनाया गया था।

मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ रेल मंत्रालय रोता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है दूसरी तरफ वहां नई रेल लाइन बिछाने के लिए कई प्रस्ताव आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। लाइनों के दोहरीकरण का मामला पड़ा हुआ है। विद्युतीकरण के मामले पड़े हुए हैं। नये जोन बनने से तमाम खर्चे बढ़ेंगे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि नये जोन बनाने में जो पैसे खर्च होंगे, उस पैसे को वहां पर लगाया जाये जहां लाइनों के दोहरीकरण का मामला है, आमान परिवर्तन का मामला है, रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का मामला है या नयी ट्रेनें चलाने का मामला है।

अध्यक्ष महोदय, इस मामले का विरोध रेलवे की सभी यूनियनों ने किया है। राकेश मोहन कमेटी ने भी इसका विरोध किया है। इसके साथ-साथ संसद की स्थायी समिति ने भी इसका विरोध किया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभी पार्टी के मैम्बर्स को बोलने का चांस देना है।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस राजनीति प्रेरित मुद्दे को स्थगित करके इस पर पुनर्विचार किया जाये अन्यथा जो आंदोलन होने जा रहा है, वह बड़ा खतरनाक होगा। पूर्वोत्तर रेलवे में आंदोलन प्रारंभ हो चुका है। यह आंदोलन हिंसक न हो और तमाम लोग सड़कों पर न उतरें इसलिए इस पर पुनर्विचार करके इस मुद्दे को स्थगित किया जाये।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिखाना चाहूंगा। रेल मंत्रालय ने मौजूदा पूर्वी रेलवे और दक्षिण-पूर्वी रेलवे को बांटकर एक अतिरिक्त जोन बनाने का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अविवेकी निर्णय लिया है। इससे इस क्षेत्र के लोगों में असंतोष व रोष व्याप्त है।

महोदय, ऐसा अविवेकी निर्णय लेने से पहले रेल मंत्रालय ने न तो रेलवे संबंधी संसदीय स्थाई समिति की ही राय ली और न ही अन्य समितियों की। यही नहीं रेल बोर्ड के छ: भूतपूर्व अध्यक्षों ने इस विभाजन पर लिए निर्णय के विरोध में प्रधान मंत्री को पत्र भी लिखे हैं। रेलवे की वित्तीय स्थिति पहले ही खराब है और नए जोन के सृजन के लिए बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। अत: इस निर्णय से रेलवे पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि रेल अधिकारियों ने यह निर्णय रेलवे के विकास के लिए नहीं लिया है। मैं तो यह कहूंगा कि रेल मंत्री ने यह दुर्भाग्यपूर्ण और अविवेकी निर्णय संकीर्ण व क्षेत्रीय दृष्टिकोण से लिया है। उन्होंने यह निर्णय रेलवे के विकास के लिए नहीं लिया है। मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। हम इस निर्णय का पुरजोर विरोध करते हैं। मैं सरकार से यह निर्णय वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: माननीय अध्यक्ष महोदय, 1996 में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद ने जोन बनाने का फैसला किया, जिस समय श्री रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे। सुश्री ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस की सदस्य थीं और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से यूनाइटिड

[श्री रघुनाथ झा]

फ्रण्ट की सरकार चल रही थी। उस सरकार ने जोन बनाने का निर्णय लिया। पहले छः जोन बनाने का निर्णय हुआ, उसके बाद सात जोन बने। इस बीच में माननीय ममता बनर्जी जी को रेल मंत्री बनने का मौका मिला। अगर यह अनजस्टीफाइड था, जोन नहीं बनना चाहिए था तो ममता बनर्जी ने इसे क्यों नहीं हटाया?

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: वे मेरा नाम ले रहे हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहती हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: मैडम, अब हमें बोल लेने दीजिए, मैं बोल रहा हूं। आपने उस समय नहीं किया। रेल मंत्री कौन बने, किसको रेल पोर्टफोलियो दिया जाये, झगड़ा इससे शुरू हुआ और रेल जोन पर चला आया, रेल मंत्री पर चला आया। इनको मंत्री पद चाहिए और रेल मंत्री बनाओ तो बिहार किसी का उपनिवेश है क्या? हमने एक इंच भूमि बंगाल की नहीं ली, हमारे अपने इलाके में हमने जोन बनाया और इस पर उल्टे हमें तुर्रा दिखाया जा रहा है। सारे कोल कारखाने, कोल इलाका, कोल बैल्ट अधिकतर बिहार में और झारखण्ड में हैं और हैडक्वार्टर कलकत्ता में हैं। डी.बी.सी. का हैडक्वार्टर कलकत्ता में है। यह सब हम लड़कर लेने वाले हैं और कोई उपनिवेशवाद नहीं चलेगा। इस सवाल पर सरकार को टस से मस नहीं होना चाहिए और अगर सरकार होगी तो बिहार जल जायेगा, देश जल जायेगा, कभी भी हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती: यह बिहार और बंगाल का प्रश्न नहीं है। यह रेलवे के विकास का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इनके व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के विरुद्ध हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने इन्हें व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी हैं। ममता बनर्जी बोल रही हैं, उनको पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने दें।

कुमारी ममता बनर्जी: मेरा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण यह है कि मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगी कि वे मेरे द्वारा दिए गए लोक सभा प्रश्नों के उत्तर से इसे मिलाएं। जब मैं मंत्री थी और जब सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया तो सभी प्रश्नों के उत्तर में मैंने कहा कि, "यह संवीक्षाधीन है" क्योंकि उस समय मेरे पूर्ववर्ती ने राकेश मोहन समिति का गठन किया था। जिसने विभाजन और पुनर्गठन के प्रश्न के विस्तारपूर्वक विचार किया। इसलिए मैंने उनकी टिप्पणियां और विचार देखने की प्रतीक्षा की।

तथ्य यह है कि उनके दल के श्री दिग्विजय सिंह ने भी यह उत्तर दिया "यह संवीक्षाधीन है।" अपनी ओर से मैंने केवल यही कहा, "यह संवीक्षाधीन है।" जब राकेश मोहन सिमति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई तो मैंने त्यागपत्र दे दिया था किंतु मैंने रिपोर्ट देखी है और मैं जानती हूं कि उन्होंने इसके विरोध में टिप्पणी की है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.)**:** अध्यक्ष जी, हमारा भी नोटिस है।

अध्यक्ष महोदय: आपका नोटिस नहीं है।

कुंवर अखिलेश सिंह: मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय: मैं देखता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह: मैंने खुद नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: यह चर्चा एडजर्नमेंट मोशन पर नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, नया जोन एक नहीं बना है, अनेक जोन बने हैं, लेकिन हाजीपुर जोन को लेकर काफी चर्चा बढ़ी हुई है और हाजीपुर जोन में *...(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह: हमारा ऐसा मत नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप सुनिये तो सही। हाजीपुर जोन में खासकर मुगलसराय और धनबाद मंडल को लेकर यह विवाद बना हुआ है।

अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि जो हाजीपुर जोन बना हुआ है, उसमें कल का बिहार, आज का बिहार और झारखंड के अलावा एक इंच भी जमीन किसी दूसरे प्रांत की नहीं है। जिस धनबाद जोन को लेकर इतनी चर्चा चल रही है, जो भी वहां से कोयले की लदाई होती है, उसमें 98 प्रतिशत कोयला मुगलसराय के रास्ते से दिल्ली, बनारस और देश के बाकी हिस्सों में जाता है। केवल दो प्रतिशत ही कोयला है जो हावड़ा की ओर आसनसोल

होकर जाता है। अब क्या औचित्य है उस मंडल को हावड़ा में शामिल करने का, यह मेरी समझ में नहीं आता। बिहार के लोगों ने या देश के किसी और हिस्से को लोगों ने कभी यह बात नहीं उठाई कि हावड़ा में क्यों तीन महाप्रबंधक बैठते हैं। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि संसद की रेलवे से संबंधित संयुक्त स्थायी समिति के अध्यक्ष बसुदेव आचार्य जी थे। इन्होंने नए जोन के निर्माण की अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की है।

श्री बसुदेव आचार्य: यह सही बात नहीं है। आपने रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है। पहले आप रिपोर्ट पढ़ें, बिना पढ़े क्यों बोल रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: एक हमारे साथी सांसद संत महात्मा भी इस पर बोल रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि बिहार के लोगों ने इस बात पर आपत्ति नहीं की जब बनारस और मुगलसराय मात्र तीन किलोमीटर की दूरी पर हैं, वहां दो मंडल बनाए गए। लेकिन आज बिहार में एक जोन का निर्माण हो रहा है तो सबको बेचैनी है, परेशानी हो रही है। परेशानी उस समय शुरू हुई, जब बंगाल में आंदोलन हुआ। प्रतिक्रियास्वरूप बिहार में भी आंदोलन हुआ और रेल पटरियों को उखाड़ा गया। इससे देश के लोगों में एक संशय का वातावरण बना। जो यह निर्माण किया गया है, उसके पहले तीन बार यह मामला कैबिनेट में जा चुका है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही इस जोन का निर्माण हुआ है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्णय लेने का काम भारत सरकार और रेल मंत्रालय को है कि वह कहां मंडल का गठन करे और किस ढंग से उसका प्रशासन सही तरीके से चलाया जाए। इसमें आर्थिक सवाल उठाये जाते हैं। मैं बसुदेव आचार्य जी से पूछता हूं कि बंगाल में जो जिले बढ़ाये जाते हैं, थाने बढ़ाए जाते हैं, जो प्रखंड बढ़ाए जाते हैं, क्या आपने कभी उसकी अनुमति केन्द्र सरकार से मांगी है? रेल मंत्रालय ने आर्थिक दृष्टिकोण से उस मंडल का निर्माण किया है।

अध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त करें।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं दो मिनट में समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आपको पांच मिनट हो गये हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: इस बीच अखबारों में और मीडिया में इसको लेकर बड़ी चर्चा चली। मैं यह कहता हूं कि इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया जाए कि कहीं यह सवाल ममता और समता का न बन जाए, बंगाल और बिहार का न बन जाए। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर इस नए जोन के निर्माण के लिए बधाई दी है। इनमें छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, झारखंड के मुख्य मंत्री हैं और राजस्थान के भी मुख्य मंत्री हैं। रिपोर्ट की चर्चा की जाती है कि कुछ पूर्व अध्यक्षों ने इसके खिलाफ पत्र लिखा है। कल हमने मीडिया में कहा था कि कुछ पूर्व अध्यक्ष दिल्ली के फाइव स्टार होटल में बैठकर एक जालसाजी का धंधा कर रहे हैं। वे लोग जाल मोहरें बनाकर रेलवे का कारोबार कर'रहे हैं। हमने कहा था कि इसकी सी.बी.आई. द्वारा जांच कराई जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई करके इन्हें गिरफ्तार किया जाए।

बिहार का कोई भी शोषण नहीं कर सकता। इसलिए रघुनाथ झा जी ने जो कहा, वह सही है। उन्होंने कोल इंडिया के कार्यकाल का सवाल उठाया था। कोल इंडिया का कार्यकाल कोलकाता में है। एक छोटी सी कोलरी है, लेकिन बंगाल के मंत्री चीन में जाकर वहां से कोयला खरीदते हैं। लगता है उन्हें बंगाल का कोयला पसंद नहीं है। चीन का कोयला बंगाल में इस्तेमाल होता है इसलिए वहां इसके कार्यालय का कोई औचित्य नहीं है। हमारी मांग है कि कोल इंडिया का कार्यालय और बी.सी.सी.एल. का कार्यालय बिहार में होना चाहिए। मेरी विनती है कि रेल जोन पर टीका-टिप्पणी करने पर रोक लगाई जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.20 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.35 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.35 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन हुई*]

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

सभापति महोदय: अब हम नियम 377 के अधीन मामले प्रारंभ करेंगे। श्री अनादि साहू।

(एक) उड़ीसा के गंजम जिले में के. सुमंदी और आर. सुमंदी गांवों में पचास एकड़ क्षेत्र में फैले साल्ट लैंड को अनुसूचित जाति के लोगों में वितरित करने के लिए उड़ीसा सरकार को सौंपे जाने की आवश्यकता

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, उड़ीसा में गंजम जिले के चिकिटी खण्ड के सोनला-समुंदी क्षेत्र में एक नमक की खाड़ी है। जब नमक का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता था तो इस नमक के ढेर समुंदी ग्राम से सटी 50 एकड़ भूमि पर लगा दिए जाते थे। तटरेखा के पीछे होने तथा उत्पादन की उच्च लागत के कारण पिछले 25 सालों से भारत सरकार के नमक विभाग द्वारा 50 एकड़ भूमि का उपयोग नहीं कर पाया।

क्यूटा-सुमंदी की जनसंख्या पिछले चालीस वर्षों में चार गुणा बढ़ गई है। इस गांव का बड़ा समुदाय मछुआरा जाति का है और वे अनुसूचित जाति के हैं। उनमें से कईयों के पास आवास नहीं हैं। ये क्षेत्र उड़ीसा के बरहामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित जाति के लोग, गरीब होने के नाते, मकान बनाने के लिए जमीन खरीद नहीं सकते।

भारत सरकार 50 एकड़ भूमि उड़ीसा सरकार को देने पर विचार करे ताकि उस भूमि को गंजम जिले के के. सुमंदी और आर. सुमंदी गांवों के अनुसूचित जाति के लोगों में बांटा जा सके।

(दो) दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच विमान किराया कम किए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक (क्योंझर): इंडियन एयरलाइन्स ने जेट एयरवेज के साथ दिल्ली-मुम्बी, दिल्ली-कोलकाता, दिल्ली-चेन्नई, मुम्बई-चेन्नई, मुम्बई-बंगलौर, मुम्बई-कोलकाता और सात अन्य मार्गों पर 64 प्रतिशत तक किरायों में कमी की है। यह छूट 41 सैक्टरों में दी गई है। राष्ट्रीय पर्यटन हित वाले इन क्षेत्रों में पर्यटकों को लुभाने के लिए यह प्रयास किया गया है। भुवनेश्वर में एवं उसके आसपास और उड़ीसा व अन्य राज्यों में पर्यटन हित के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं। हजारों पर्यटक प्रतिदिन इन क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं किंतु हवाई जहाजों के किराये की दरों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी के कारण वे रेलगाड़ियों से यात्रा करते हैं। जब इंडियन एयरलाइन्स ने कुछ चुनिंदा मार्गों से अपना किराया बहुत कम किया तो अन्य मार्गों पर भी यही मानक लागू होने चाहिएं और इस उद्देश्य के लिए भुवनेश्वर पर भी विचार किया जाना चाहिए। भुवनेश्वर के लिए किरायों में कमी की घोषणा भी तुरंत की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

(तीन) उत्तरी बिहार में मसान बांध परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): मैडम, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तरी बिहार के मसान डैम परियोजना की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस परियोजना को वन एवं पर्यावरण के अधिनियमों के कारण अभी तक लागू नहीं किया जा सका है, जबकि मसान डैम को 1973 से बनाने का विचार किया जा रहा है और 1982 में इस योजना की स्वीकृति मिली। इसको पांच वर्ष में पूरा किया जाना था। इस योजना के तहत 350 वर्ग किलोमीटर जलग्रहण क्षेत्र में मसान नदी के ऊपर 85 फुट ऊंचे और 5220 वर्ग किलोमीटर लम्बे बांध का निर्माण किया जाना था, जिससे उत्तर बिहार के वर्षा के पानी को रोक कर बाढ़ पर काबू पाया जा सके। साथ ही पानी से सिंचाई की जा सके। प्रत्येक वर्षा से समय उत्तर बिहार में बाढ़ आती है और करोड़ों रुपए की फसल नष्ट हो जाती है। प्रलयकारी बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। मसान नदी पर प्रत्येक वर्ष की बाढ़ से पश्चिम और पूर्व चम्पारण क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उत्तर बिहार को स्थायी रूप से बाढ़ से निजात पाने के लिए मसान डैम परियोजना का शीघ्र अति शीघ्र निर्माण किया जाए।

(चार) दक्षिणी बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सभापति महोदय, बिहार में लगभग 10 लाख हैक्टेयर भूमि जल जमाव की समस्या से ग्रसित है। जल जमाव का टाल क्षेत्र लगभग डेढ़ लाख हैक्टेयर में फैला है जो गंगा नदी के तट में पटना जिले के फतुहा से लेकर सेखपुरा, लखीसराय, सूर्यगढ़ा तथा गनगनियां से कहलगांव तक फैला हुआ है। इस टाल क्षेत्र को विशेष केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है जिससे इसकी उपजाऊ भूमि से दुगनी उपज ली जा सके। गंगा नदी के तट के दक्षिण में अवस्थित बिहार के आठ जिले शेखपुरा, नालन्दा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, बांका एवं नवादा जिले हमेशा सुखाड़ तथा बाढ़ की चपेट में रहते हैं।

मैं सरकार का ध्यान इन क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन कराने, इन आठों जिलों में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित डीपीएपी कार्यक्रम को भी लागू कराने तथा हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

(पांच) कर्नाटक में गुलबर्गा-बीदर रेल लाइन को शीघ्र बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): महोदया, मैं रेल मंत्री जी का ध्यान गुलबर्गा-बिदर रेल मार्ग पर आकर्षित करना चाहूंगा। कर्नाटक राज्य द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर रेल मंत्रालय ने वर्ष 2000-01 के लिए रेल बजट के दौरान 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए थे तथा तत्कालीन रेल मंत्री ने इस लाईन के लिए नींव भी रखी थी। वर्ष के दौरान यह बताया गया कि आबंटित निधियों में से मात्र तीन करोड़ रुपये खर्च किए गए थे इससे पता चलता है कि इस परियोजना पर कार्य विलंब से हो रहा है तथा इस परियोजना को पूरा करने के लिए आबंटित धन का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है। पुन: वर्ष 2002-03 के दौरान इस रेल मार्ग के लिए 15 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे।

इस समय, बैंगलौर व दिल्ली के बीच मात्र एक ही रेलगाड़ी वाया गुलबर्गा व पुणे होकर जाती है। यदि यह रेलमार्ग बन जाता है तो इससे बंगलौर-दिल्ली की यात्रा में कम से कम पांच घण्टे की कमी आ जाएगी और इससे हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के लोगों को बहुत सुविधा होगी।

मैं, एक बार फिर, रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया संबंधित अधिकारियों को निदेश दें कि अब तक आवंटित राशि को उपयोग में लाया जाए और गुलबर्गा-बिदर रेल मार्ग को पूरा करने के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

(छह) पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा और पद्मा नदियों द्वारा हो रहे भू-क्षरण को रोकने के लिए उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद): महोदया, मुर्शिदाबाद में लम्बे समय से नदी तटीय कटाव हो रहा है। राष्ट्रीय नदी गंगा तथा अंतरराष्ट्रीय नदी पद्मा इस जिले से लगभग सौ किलोमीटर तक निकलती हैं। दोनों नदियों के दाहिने तट में, जहां यह कटाव हो रहा है, वहां लाखों हैक्टेयर उपजाऊ भूमि, छोटे व बड़े कस्बे, राज्य राजमार्ग, पेड़-पौधे और आबादी वाले गांव इत्यादि इसकी चपेट में आ गए हैं।

पिछले दशक में, लाखों लोग वहां से पलायन कर गए हैं। वे सड़क के किनारे या अनाधिकृत स्थानों पर रहने को बाध्य हैं और वे आवास, पेयजल व अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है कि पश्चिम बंगाल की गंगा और पद्मा नदियों के कटाव के कारण पलायन कर चुके लोगों के लिए एक उचित पुनर्वास कार्यक्रम बनाया जाए। इस बारे में राज्य सरकार को वित्तीय सहायता भी दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

(सात) अमरनाथ यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): सभापति महोदया, अमरनाथ यात्रा हिन्दुओं की पवित्र वार्षिक यात्रा है जो रक्षाबंधन के अवसर पर होती है। लाखों तीर्थ यात्री जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी होते हैं, इस पवित्र यात्रा में भाग लेते हैं। पिछले कई सालों से इसमें कुछ न कुछ बाधा पड़ रही है। कभी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है तो कभी आतंकवादी हमले के कारण तीर्थ यात्री मारे जाते हैं। जम्मू-कश्मीर में इस समय आतंकवादी हमले जोरों पर हैं। इस वर्ष यात्रा के आरम्भ होने में अब ज्यादा समय नहीं है। अत: इस माननीय सदन के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह अभी से तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा तथा यात्रा मार्ग पर आवश्यक सुविधाएं जैसे पर्याप्त मात्रा में भोजन, पीने का पानी, कम्बल, टैंट, चिकित्सा सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही शुरू कर दे तथा इस बात के पुख्ता इंतजाम किए जाएं कि इस वर्ष अमरनाथ यात्रा बिना किसी बाधा के सम्पन्न हो और सुरक्षा के कड़े से कड़े इंतजाम किए जाएं।

[अनुवाद]

(आठ) पश्चिमी बंगाल में गिरी मैदान होकर खडगपुर और मिदनापुर के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): माननीय सभापति महोदया, जुलाई, 2002 से 2421/2422 भुवनेश्वर राजधानची एक्सप्रेस के शुरू किए जाने के साथ ही दक्षिण-पूर्व रेलवे के अधीन खडगपुर से आद्रा तक का रेल मार्ग अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस मार्ग पर रेल सेवा में काफी सुधार आया है। इसका विद्युतीकरण पूरा हो गया। इस मार्ग से राजधानी एक्सप्रेस के अलावा कई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लोकल पैसेंजर और मालगाड़ियां गुजरती हैं। यहां से प्रतिदिन लगभग 64 गाड़ियां गुजरती हैं। चूंकि वर्तमान में खडगपुर से मिदनापुर तक बरास्ता गिरी मैदान केवल एक ही लाइन है, अत: रेल यातायात स्वीकृति में विलम्ब के कारण यात्रियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परन्तु मिदनापुर से खडगपुर तक रेल लाइन का अब तक दोहरीकरण नहीं किया गया है। कंसाबती नदी पर केवल एक रेलवे पुल है। यह पुल

[श्री प्रबोध पण्डा]

लगभग एक सौ वर्ष पुराना है। यह पुल कमजोर प्रतीत होता है और इसके किसी भी समय टूट जाने की आशंका है। अतः, मिदनापुर स्टेशन के समीप कंसावती नदी पर दूसरे पुल का निर्माण तत्काल किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, खडगपुर से मिदनापुर बरास्ता गिरी मैदान रेल लाइन के दोहरीकरण की तत्काल आवश्यकता है। मैं रेल मंत्रालय से इस संबंध में तत्काल ध्यान देने का आग्रह करता हूं।

(नौ) निजी क्षेत्र और शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदया, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक निगमों में सरकार की इक्विटी 50 प्रतिशत से भी कम हो जाने के बावजूद इनमें आरक्षण की वर्तमान नीति जारी रखी जाये। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण नीति लागू की जाये और इस प्रयोजनार्थ आवश्यक वैधानिक उपाय लाया जाये।

एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापति किया जाये जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि भी रखे जाएं। उच्च न्यायिक सेवायें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षण नीति लागू की जाए।

चिकित्सा के विशिष्ट विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों सहित व्यावसायिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों विद्यालयों जैसी शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

(दस) उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में कनहार सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रामशकल (राबर्ट्सगंज): सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंट, उ.प्र., जनपद सोनभद्र में भारत सरकार ने सिंचाई की दृष्टि से कनहर परियोजना वर्ष 1980 में प्रारम्भ की जिसमें पचासों करोड़ रुपया भारत सरकार का खर्च हो चुका है किन्तु धनाभाव के चलते विगत 10 वर्ष से काम रुका पड़ा है। मशीनों में जंग लग रहा है। उक्त कनहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का जनपद सोनभद्र, बिहार एवं मध्य प्रदेश प्रांत का अधिकांश हिस्सा सिंचित होगा, लाखों एकड़ जमीन सिंचित होगी।

वर्तमान समय में कनहर परियोजना की लागत तीन सौ करोड़ रुपये है। धनाभाव के चलते इस परियोजना का काम रुका पड़ा है।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि किसानों के हित में कनहर परियोजना पर कम से कम एक किस्त में सौ करोड़ रुपया उपलब्ध करायें जिसमें निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सके।

अपराह्न 2.49 बजे

दिल्ली नगर निगम (विद्युत कर विधिमान्यकरण) अधिनियम और अन्य विधियां (निरसन) विधेयक, 2002

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम विधायी कार्य करेंगे। हमारे पास निरसन विधेयक है। श्री सीएच. विद्यासागर राव।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> ''कि दिल्ली नगर निगम (विद्युत कर विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1966, गोवा, दमण एंड दीव (ओपिनियन पौल) एक्ट, 1966, पंजाब अग्रक्रय (चंडीगढ़ और दिल्ली निरसन) अधिनियम, 1989 और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का, जो चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्तन् में है, निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।''

यह विधेयक दिल्ली नगर निगम (विद्युत कर विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1966, गोवा दमण एंड दीव (ओपिनियन पौल) एक्ट 1966 पंजाब अग्रक्रय (चंडीगढ़ और दिल्ली निरसन) अधिनियम, 1989 और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का, जो चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्तन में है, का निरसन करने के लिए है।

सभापति महोदय, सभी प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करने और कतिपय ऐसे कानूनों जिनका निरसन किया जा सकता है, की पहचान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर तीन अधिनियमों का निरसन करने का प्रस्ताव किया गया है। पहला अधिनियम है 1966 का दिल्ली नगर निगम (विद्युत कर विधिमान्यकरण) अधिनियम जिससे 1959 से 1966 तक की अवधि के दौरान विद्युत की खपत अथवा बिक्री पर कतिपय कर लगाने और वसूली

का विधिमान्यकरण किया गया था। दूसरा अधिनियम है 1966 का गोवा, दमण एंड दीव (ओपिनियन पौल) एक्ट जिसके अंतर्गत तत्कालीन संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमण एवं दीव की भावी स्थिति के संबंध में वहां के मतदाताओं का मत प्राप्त करने की व्यवस्था थी। तीसरा अधिनियम है 1989 का पंजाब अग्रक्रय (चंडीगढ़ और दिल्ली निरसन) अधिनियम जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ में लागू पंजाब अग्रक्रय अधिनियम, 1913 का निरसन करता है।

इन सभी तीनों अधिनियमों की उद्देश्यपूर्ति हो चुकी है और सांविधिक पुस्तिका में इनकी और आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय ने गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित अधिनियमों की समीक्षा हेतु एक विशेषज्ञ दल का गठन भी किया है। इस विशेषज्ञ दल ने पंजाब राज्य के 19 अधिनियमों के निरसन की सिफारिश की है, क्योंकि जहां तक चंडीगढ़ में इनके अनुप्रयोग का संबंध है ये अधिनियम अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके हैं और इन्हें जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस सम्मानित सभा की स्वीकृति के लिए यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> 'कि दिल्ली नगर निगम (विद्युत कर विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1966, गोवा, दमण एवं दीव (ओपिनियन पौल) अधिनियम, 1966, पंजाब अग्रक्रय (चंडीगढ़ और दिल्ली निरसन) अधिनियम, 1989 और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का, जो चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्तन में है, निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।''

सभापति महोदय: चूंकि यह निरसन विधेयक है, अत: इस पर अधिक चर्चा किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अब श्री पवन कुमार बंसल।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदया, चूंकि इस विधेयक में संविधान के कुछ उन हिस्सों को हटाने का प्रावधान किया गया है जो समय के साथ-साथ अपनी उपयोगिता खो चुके हैं, अप्रचलित व अनावश्यक हैं और चूंकि इस विधेयक से भारतीय संविधान के उन अनावश्यक अंशों को हटाए जाने का प्रस्ताव है, अत: सभी इस कार्य का स्वागत करेंगे। ऐसा इसलिए है, क्योंकि भारतीय कानून या हमारे संविधान में उल्लिखित कानूनों के ढेर वस्तुत: शब्दाडंबर अधिक हैं, उसमें दोहराव अधिक हैं और इनके बिना भी हम कार्य कर सकते हैं।

लेकिन, इसी के साथ-साथ, जब यहां चंडीगढ़ से संबंधित विधेयक के कुछ प्रावधानों को इसमें उठाया गया है तो मैं निश्चित रूप से इस अवसर पर संघ राज्य क्षेत्रों, विशेषकर चंडीगढ़ को वह प्रमुखता या ध्यान न दिए जाने पर, जो कि केन्द्र सरकार को इन संघ राज्य क्षेत्रों में अच्छी शासन व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराना चाहिए, अपना असंतोष और क्षोभ व्यक्त करूंगा।

पहली बात जो तत्काल मेरे मन में आई वह है पंजाब नगर पालिका अधिनियम को संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में भी लागू करना। मुझे ज्ञात है कि उस समय राजनेताओं और नौकरशाहों का एक निश्चित समूह था जो कि इस बात के लिए प्रयासरत था कि उस समय के संविधान के भाग नौ और भाग नौ(क) में उल्लिखित अभिनन्दनीय प्रावधानों को संघ राज्य क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाना चाहिए।

श्री मणिशंकर अय्यर यहां हैं। उन्होंने एक प्रवर समिति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने किसी-न-किसी प्रकार ऐसा प्रबंध किया कि वे प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों में भी प्रभावी हों। तदनुसार, कुछ प्रावधानों का विस्तार संघ राज्य क्षेत्रों तक भी किया जाना था। मैं अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति के बारे में नहीं जानता क्योंकि मैंने स्वयं देखा है कि पंजाब नगरपालिका अधिनियम और पंचायत अधिनियम के संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में लागू होने के पश्चात भी अभी तक अनुसूची 11 के प्रावधानों को न तो पंचायतों पर लागू किया गया है और न ही उनमें से एक भी अधिकार अभी तक उन्हें प्रदान किए गए हैं।

नगरपालिकाओं के मामले में, स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है लेकिन नगरपालिका, यानि नगर निगम के पास जितने अधिकार होने चाहिए थे, उतने नहीं हैं।

इसमें वित्त आयोग का प्रावधान है। वित्त आयोग का गठन किया गया है परन्तु वह नाममात्र के लिए ही है। जब प्रशासनिक अधिकार नगर निगम को हस्तान्तरित किये जा रहे थे, तो किसी ने चंडीगढ़ नगर निगम के साथ बहुत अन्याय किया था। जो लोग कई वर्षों में भर्ती किए गए थे और जिनके लिए कोई काम भी नहीं था वे सब नगर निगम में भर दिए गए। नगर निगम पर उनके वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी है। कल्पना कीजिए कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद नगर निगम पर कितना बोझ बढ़ गया है। यदि इन लोगों को भर्ती कर नगर निगम में भेजने के साथ-साथ इसी अनुपात में नगर निगम को कार्य भी सौंपे जाते तथा यदि नगर निगम को वे शक्तियां और कार्य सौंपे जाते जिनके माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, इस मामले में भारत सरकार, राजस्व अर्जित करता, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती।

[श्री पवन कुमार बंसल]

प्रसंगवश, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में राजस्व की अतिरिक्त वसूली होती है। चंडीगढ़ सर्किल के लोग लुधियाना सर्किल के लोगों से अधिक आय कर देते हैं। शायद कोई इस बात से अवगत नहीं है। लुधियाना को पंजाब का मैनचेस्टर कहते हैं। चंडीगढ़ सर्किल लुधियाना सर्किल से अधिक आयकर देता है। हमने वहां आठ लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से भूमि अधिग्रहीत की थी। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी जानते होंगे हजारों-हजार रुपयों में बेचा; वाणिज्यिक सम्पत्ति के मामले में 50,000 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से और आवासीय सम्पत्ति के मामले में 16,000 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से भूमि बेची गई। अत:, चंडीगढ़ आपको भारी धनराशि अर्जित करके दे रहा है और बदले में आप उसे कुछ नहीं दे रहे। आप तो केवल शासन कर रहे हैं। अधिक संसाधन जुटा रहे हैं और अधिक कर थोप रहे हैं।

जब चंडीगढ़ बनाया गया था, तो उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों ने लोगों से एक वादा किया था। वे लोगों से यह कहते घूम रहे थे, "मैं आपके लिए एक सुन्दर शहर बनाना चाहता हूं। कृपया यहां आयें।" लोग वहां जाने के लिए उत्सुक थे और आज आप उन लोगों पर अधिक कर थोपना चाहते हैं। आप उनसे जो ले रहे हैं उसके व्यय को आप उचित नहीं ठहरा रहे हैं।

खैर, मैं इसे राजनैतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहूंगा, मैं महसूस करता हूं कि जब से कांग्रेस ने नगर निगम का पिछला चुनाव जीता है, इसके बाद आश्चर्य की बात है कि नगर निगम के लिए सहायता अनुदान हेतु अधिक संसाधन जुटाने के स्थान पर उन्होंने उसे घटा दिया। हम कोई खैरात या भीख नहीं मांग रहे थे। यह संविधान द्वारा प्रदत्त वैध अधिकार है, संविधान के प्रावधानों में व्यक्त है कि वित्त आयोग को रज्य की धनराशि राज्य और स्थानीय निकायों के बीच बांटकर देना चाहिए। इसे उचित ढंग से नहीं किया गया है। वास्तव में हुआ यह है कि जब से हम सत्ता में आए हैं, जब से कांग्रेस ने अधिकांश स्थानों पर जीत हासिल की है, इसे वास्तव में अधिकार नहीं मिले हैं क्योंकि वहां नाममात्र के भी अधिकार नहीं है, 13 करोड़ रुपये चंडीगढ़ के लिए एक बड़ी धनराशि है, इसे नगर निगम के अनुमानित बजट में से निकाल लिया गया है। अतिरिक्त सचिव वहां जाते हैं और कहते हैं: "यदि आप संसाधन जुटाएंगे, तो हम उसके बराबर आपको अनुदान देंगे।" यह मुख्य बात के अतिरिक्त है। इसका कोई सवाल नहीं है। हमें भा.ज.पा. द्वारा चलाए जा रहे पूर्ववर्ती नगर निगम से 13 करोड़ रुपये कम मिले हैं।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, जब आपके पास इस विधेयक को लाने का समय है तो कृपया उन कानूनों में भी संशोधन करने का समय निकालिए। आपके पास जिला योजना का प्रावधान है। जिला योजना का प्रावधान अनुच्छेद 243यघ(2) के अंतर्गत आता है और इसके अनुसार किसी राज्य का विधानमण्डल, कानूनन, जिला योजना इत्यादि के लिए प्रावधान कर सकता है। आपने संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में क्या किया है? आपको यह करना पड़ेगा। आपको इसके लिए राज्य विधानमंडलों के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपको यहीं से यह करना पड़ेगा। आपने हमारे लिए क्या किया है? आप नहीं चाहते कि चुने हुए प्रतिनिधि योजना की प्रक्रिया में भाग लें। आप केवल यह चाहते हैं कि वे आएं, बैठक में भाग लें; अधिकारी हमें कार्यसूची सौंपे और आप हमसे केवल यह उम्मीद करते हैं कि हम उस पर 'हां' या 'नहीं' कहें और चले जाएं।

महोदया, पिछली बार शायद नवम्बर, 2000 में सदस्यों को चंडीगढ़ नगर निगम की सदस्यता देने संबंधी एक संशोधन सदन के समक्ष लाया गया था।

अपराह्न 3.00 बजे

मैंने उस समय भी कहा था कि यह कोई अति आवश्यक या अति महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं है। उस समय जो महत्वपूर्ण था वह यह था कि निगम के कर्मचारी पिछले पांच या छ: वर्षों से जब से उनका स्थानांतरण नगर निगम में हुआ था उनकी मांगें क्या थीं। वे एक ऐसे प्रावधान की मांग कर रहे थे कि उसकी नियुक्ति को चंडीगढ़ प्रशासन से नगर निगम में की गई प्रतिनियुक्ति माना जाए। इस सरकार द्वारा उन कर्मचारियों को तथा मेरे पूर्ववर्ती सदस्यों को भी यहां एक आश्वासन दिया गया था।

जब मैंने इस मुद्दे को यहां उठाया तो तत्कालीन माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि सरकार दूसरे संशोधन को लाने के लिए शीघ्र ही कदम उठायेगी। क्या ऐसे संशोधन को लाने के लिए सरकार को ढाई वर्ष या दो वर्ष का समय चाहिए? ऐसा प्रतीत होता है कि तदर्थता इस सरकार का मानक बन गई है ऐसा सब जगह देखा जा रहा है। यह सर्वत्र स्पष्ट है और यही हम चंडीगढ़ में देख रहे हैं। चंडीगढ़ के लिए कोई कानून नहीं है। आप मुझे बताएं कि चंडीगढ़ में कौन सा कानून लागू होता है। इस सुंदर शहर को पोस्टर लगा कर गंदा बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से एक कानून लिया गया और उसे वहां लागू कर दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जिसके तहत संघ शासित प्रदेश बनाया गया था वह केन्द्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह चंडीगढ़ में कोई भी कानून लागू कर सकती है। लेकिन हम पाते हैं कि जहां तक चंडीगढ़ का प्रश्न है सरकार के लिए तदर्थता एक पर्याय बन गई है। आप कर्मचारियों के मामले को लें, आप अचल संपत्ति के मामले को लें, या आप व्यापार के मामले को

लें, आप कोई भी चीज लें, इन क्षेत्रों में वहां कोई भी कानून नहीं है। किसी अधिकारी विशेष को जो भी पसंद आता है वह कानून बन जाता है।

अगर मैं कहूं कि चंडीगढ़ में कानूनी अराजकता है यही स्थिति चंडीगढ़ में व्याप्त है। किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं वास्तव में इस विधेयक पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे बोलने के लिए कहा गया अतः आप कृपया मुझे एक दो बातें कहने दीजिए।

इस संदर्भ में, मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि इस संबंध में एक न्यायिक फैसला है कि संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ उतना ही बढ़िया है, लगभग उसी स्तर पर है जितने कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत आने वाले उत्तरवर्ती पंजाब और हरियाणा के राज्य। यदि ऐसा है तो आप चंडीगढ़ को उन प्रावधानों से वंचित क्यों कर रहे हैं।

मैं अभी संविधान देख रहा था। संविधान के अनुच्छेद 240 में लिखा है कि:

"(I) राष्ट्रपति-

(1) अंडमान और निकोबार द्वीप

(2) लक्षद्वीप

(3) दादरा और नागर हवेली

(4) दमन और दीव

(5) पांडिचेरी

संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा।"

इसमें चंडीगढ़ का कोई जिक्र नहीं है। आप वहां सुशासन नहीं चाहते हैं। आप वहां केवल तदर्थता की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने वहां ऐसा घटित होते हुए देखा है। वर्षों से चंडीगढ़ में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुयी है।

आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात समाप्त करूं अतः मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक बात का अनुरोध करना चाहता हूं। आपके पास गृह मंत्री की सलाहकार समिति है, क्या आपने पिछले चार या पांच वर्षों से किसी एक समिति का गठन किया है? क्या आपने संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को बुलाने तथा उनसे इन मामलों पर चर्चा करने की बात सोची है? क्या चंडीगढ़ आपकी योजना में नहीं है? आप उन लोगों को बुलाए। उनके साथ बैठक करें और यह जानने का प्रयास करें कि वे क्या चाहते हैं और तब कदम उठाएं। यहां यह कहना काफी नहीं है कि सरकार पंजाब नगर निगम अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है तथा यदि वहां कोई कमी हो तो उसे पूरा करना चाहती है।

मैं जानता हूं कि वह कानून जल्दी में लागू किया गया था क्योंकि उसे या तो उस समय लागू किया जा सकता था या फिर कभी भी नहीं क्योंकि वहां परिस्थितियां ऐसी थीं जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया है। वहां लोगों का एक सशक्त समूह था जो यह चाहता था कि ये प्रावधान संघ शासित प्रदेशों में लागू न किये जायें। अतः हम लोगों ने सोचा कि जो कुछ भी इस समय विद्यमान है उसे ही लागू किया जाये, समय बीतने के साथ हम लोग उसमें कुछ संशोधन लाएंगे और कानून में कुछ सुधार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। पिछले कई वर्षों से आप सरकार में हैं। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप चंडीगढ़ प्रशासन के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। आप चंडीगढ़ की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। इसका अपना महत्व है। आप चंडीगढ़ की महत्ता से अवगत हैं।

हम लोग केवल इस बात से अवगत हैं कि चंडीगढ़ विवाद के कारण क्या हुआ। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि चंडीगढ़ को अच्छा प्रशासन प्रदान किया जाए। आप कृपया आवश्यक कदम उठायें। जब मैं अच्छे शासन की बात करता हूं तो इससे मेरा तात्पर्य शासन प्रणाली से है। समय-समय पर चंडीगढ़ के मामलों को सम्भालने के लिए हमें बहुत ही सक्षम लोग मिले हैं और इस संबध में हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा तात्पर्य वस्तुतः शासन प्रणाली से है। वहां प्रणाली का अभाव है। चंडीगढ़ में कोई प्रणाली नहीं। मैं अपनी बात को और अधिक बल प्रदान करने के लिए इसे दोहराना चाहूंगा कि चंडीगढ़ में कोई कानून लागू नहीं है। इसे ही मैं 'कानूनी अराजकता' कहता हूं। आप वहां ऐसी स्थिति समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): सभापति महोदया, यह एक निरसन विधेयक है, लेकिन मैं कतिपय तथ्यों को सामने लाना चाहता हूं।

अब दिल्ली नगर निगम (विद्युतकर विधिमान्यकरण) अधिनियम 1966; गोवा, दमण और दीव (ओपीनियन पोल) अधिनियम 1966 और पंजाब अग्रक्रय (चंडीगढ़ और दिल्ली निरसन) अधिनियम 1989 के निरसन के लिए एक कानून लाने का प्रस्ताव है। ऐसे कुछ कानून हैं जिनका सरकार निरसन करना चाहती है। इसके

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

पीछे कारण यह बताया गया है कि इन कानूनों की अब उपयोगिता नहीं रह गई है। ये विशेष सामाजिक उद्देश्य से बनाये गये थे। सरकार के अनुसार वे उद्देश्य पूरे हो गये हैं और संविधि पुस्तक में इन कानूनों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्यत: इस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि यह सरकार को तय करना होता है कि कौन से कानून को हटाना है और कौन से कानून को जारी रखना है।

श्री पवन कुमार बंसल चंडीगढ़ के बारे में बात कर रहे थे और जो कुछ उन्होंने कहा उससे मैं सहमत हूं लेकिन मैं यहां चंडीगढ़ के अलावा कुछ और मुद्दों के बारे में भी बात करूंगा। यहां दिल्ली नगर निगम अधिनियम का प्रश्न है जिसके बारे में जो मुख्य विशेषताएं जो इस देश के सामने उभर कर आ रही हैं, मैं सरकार को उन बातों से अवगत कराना चाहूंगा। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद जिसके अनुसार देश में त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गयी। कतिपय राज्यों ने पंचायत अधिनियम और नगर निगम अधिनियम पारित किए हैं, लेकिन संविधान में उल्लिखित प्रावधानों की भावना का एक-दो राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों द्वारा क्रियान्वयन नहीं किया गया। मेरे विचार से कर्नाटक और केरल ही दो राज्य हैं, जहां पर सत्ता का वास्तविक विकेन्द्रीयकरण हुआ है। अगर आप समग्र रूप से विकेन्द्रीयकरण के मुद्दे को देखेंगे तो पायेंगे कि इस सदन ने त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित करने संबंधी जो संशोधन संविधान में किये गये थे अनेक राज्यों में वे अभी तक लागू नहीं हो पाये हैं। काफी राज्यों में त्रिस्तरीय प्रणाली का कार्यान्वयन नहीं किया गया है।

संविधान में सम्मिलित तीन अनुसूचियों के अलावा चौथी अनुसूची भी है जिसे पंचायतों और स्थानीय निकायों के लिए छोड़ दिया गया है। अनेक राज्यों ने उन विष्यों तक को नहीं छोड़ा है, जो अतिरिक्त सूची में हैं। वे स्थानीय निकायों को शक्तियां देने के लिए तैयार नहीं, जिसे उन्हें उन निकायों को हस्तांतरित कर देना चाहिए था। बहुत से राज्यों ने स्थानीय निकायों को शक्तियां नहीं दी हैं। आज भी पंचायतें और नगर निगम लगभग पहले की ही भांति संकल्प पारित करने वाले निकायों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

केन्द्र सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव था कि संविधान संशोधनों को लागू करने और प्राथमिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा जैसे सरकारी नियंत्रण में आने वाले विभागों को स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने के संबंध में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक समान कानून पारित करेगी। ऐसे कुछ विषय हैं जिन्हें स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाना चाहिए था। भारत में ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने इन संस्थाओं को स्थायी निकायों, जो कि विधिवत निर्वाचित हैं, के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तांतरित नहीं किया है। उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया गया है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हाल ही में दिल्ली में बुलाई गई बैठक में इस मामले पर चर्चा की गयी। इस बैठक में ब्लाक प्रमुख व 60 पंचायत प्रमुख तथा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी ने इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया कि संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय निकायों को शक्तियां हस्तांतरित नहीं की गयी हैं। यह एकमत राय रही है कि नगर-निगमों और स्थानीय निकायों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, जिसके लिए केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिए तथा एक माडल कानून बनाकर संबंधित राज्यों को भेजा जाना चाहिए। इस माडल कानून को प्रतिज्ञापित करना होगा तथा राज्यों को उनके लिए मार्गदर्शन के लिए परिचालित करना होगा। केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को सख्त आदेश दिये जाने चाहिए तथा साथ ही कानून पारित किये जाने चाहिए ताकि जिन शक्तियों का वे उपयोग कर रहे हैं वह स्थानीय निकायों को दी जायें। यह अत्यंत आवश्यक है अन्यथा हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में जन-साधारण की भागीदारी व्यर्थ हो जायेगी। जन-साधारण को यह महसूस होना चाहिए कि वह देश के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में उसे अहम भूमिका निभानी है, और एक ग्रामीण इसे ग्राम पंचायत के माध्यम से ही महसूस कर सकता है।

अत: आप हमारे प्रशासनिक ढांचे के बारे में कुछ भी कहें किन्तु वास्तविक प्रश्न यह है कि निचले स्तर पर व्यक्ति की भागीदारी कितनी हो पाई है। यह मामले का मूल उद्देश्य है। किंतु केन्द्रीय सरकार और दो अथवा तीन राज्यों को छोड़कर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस उद्देश्य को पूरा नहीं किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है।

अब आप दिल्ली नगर निगम विधेयक को समाप्त या निरस्त कर रहे हैं। इस अधिनियम ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है या इसका उद्देश्य समाप्त हो गया है किंतु नये सामाजिक मुद्दे, नये कानूनी मुद्दे या नये संवैधानिक मुद्दे उभर कर सामने आये हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह स्थिति से निपटे।

जब आप इस विधेयक का निरसन कर रहे हैं, मैं इसके निरसन से सहमत हूं और जब निरसन करने वाले उपबंध प्रभावी होंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि नए मुद्दे उठेंगे। जहां तक आम आदमी का संबंध है, हमें अपने लोकतंत्र को सार्थक, न कि एक मजाक बनाते हुए विशेषकर 21वीं शताब्दी में इन मुद्दों का जवाब देना होगा।

अपराह्न 3.13 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

महोदय, चूंकि हम दिल्ली नगर निगम (विद्युत कर विधिमान्यकरण) अधिनियम और अन्य विधियां (निरसन) विधेयक

पर चर्चा कर रहे हैं तो क्या मैं दिल्ली में विद्युत समस्याओं के बारे में बोल सकता हूं? शहर के विभिन्न हिस्सों में विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है। लोग पूर्णतया अंधकार में बैठे हैं। दिल्ली में कारोबार अभी भी ठप्प पड़ा है। मेरे विचार से सरकार भी इससे अवगत है।

महोदय, विद्युत कर का विधिमान्यकरण करने के लिए यह अधिनियम, 1966 में पारित किया गया था। अब इस शुल्क को अन्य स्वरूप में एकत्र किया जा रहा है। तथापि, गरीब लोग, कर-दाता या उपभोक्ता कठिनाई में हैं या उसे कई दिनों तक कनैक्शन नहीं मिलता। वह अंधकार में है और गरीब आदमी अपने घर के लिए बिजली खरीद नहीं सकता। कुछ लोग ही इसे वहन कर सकते हैं। गरीब आदमी जेनरेटर सेट नहीं खरीद सकता ताकि वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह संभव नहीं है। अत: कुल मिलाकर पूरे देश में ही विद्युत की स्थिति संकटमय है। महोदय, मेरे राज्य में विद्युत की स्थिति बहुत खराब है। यह केरल में ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में भी विद्युत की स्थिति बहुत खराब है और मानसून आने में विलम्ब से यह स्थिति और भी खराब हो जायेगी। केरल में मानसून आने में कमोबेश विलंब हो ही चुका है और यहां तक कि पिछले वर्ष की तुलना में विलम्ब से आए मानसून से वर्षा बहुत कम हुई। कई दिनों से हम दिल्ली में मानसून आने की आशा कर रहे हैं। हमें यह नहीं पता कि दिल्ली में मानसून कब आएगा। अत: स्थिति यह है।

महोदय, विद्युत का उत्पादन करने वाली मुख्य प्रणाली जल-विद्युत है। यदि मानसून नहीं आता और यदि बरसात नहीं होती तो ये प्रणाली भी बेकार हो जाएंगी। कोई भी जनरेटर काम नहीं करेगा और राज्य में संपूर्ण विद्युत आपूर्ति खतरे में पड़ जाएगी। आज हम इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। जब आप यह विधेयक निरस्त कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि जहां तक विद्युत उत्पादन का संबंध है, हम बहुत ही गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।

एनटीपीसी भी हमारी सहायता करने की स्थिति में नहीं है। वे सभी राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। वे अपनी कठिनाई बता चुके हैं। राज्य बिजली बोर्डों पर अत्यधिक राशि बकाया है और वे अत्यधिक कर्ज में डूबे हुए हैं। वे किराया या कर तक अदा करने की स्थिति में नहीं हैं। लोगों पर अत्यधिक कर लगाया गया है। मेरे राज्य केरल सहित कई राज्यों में उपभोक्ताओं से जैसे कर लिये जा रहे हैं ऐसा मानव इतिहास में कभी देखा नहीं गया। जब आप इस अधिनियम को निरस्त करें तो कृपया इस संकट को ध्यान में रखें जिसका लोग सामना कर रहे हैं। अत: मेरा आपसे इन दो पहलुओं पर विचार करने का अनुरोध है।

इन टिप्पणियों के साथ मुझे इस अधिनियम का निरसन करने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं सरकार के द्वारा प्रस्तुत विधेयक दिल्ली नगर निगम (विद्युत-कर विधिमान्यकरण) अधिनियम और अन्य विधियां (निरसन) विधेयक, 2002 का समर्थन करता हूं। चंडीगढ़ एक केन्द्र शासित प्रदेश है। पहले सारा पंजाब हुआ करता था। उसकी राजधानी के रूप में चंडीगढ़ को विकसित किया गया था। जिस तरह से नई दिल्ली भारत की शान समझी जाती है, उसी तरह से आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर चंडीगढ़ का स्थान है। चंडीगढ़ को इस ढंग से बसाया गया कि वह एक खूबसूरत शहर बन गया। वहां का सौन्दर्यीकरण, वहां की बसावट और प्राकृतिकरण तथा सभी सुखसुविधाओं से युक्त वातावरण मन मोह लेता है। इन सबके कारण चंडीगढ़ की एक निराली शान हुआ करती थी। लेकनि पंजाब का जब विभाजन हुआ और हरियाणा, पंजाब तथा हिमचाल प्रदेश अलग राज्य बने तो हरियाणा और पंजाब में राजधानी को लेकर विवाद हुआ। चंडीगढ़ आज भी हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है और स्वयं में एक केन्द्र शासित राज्य भी है। यहां पर दोनों राज्यों की सरकारें और प्रशासन तो है ही, चंडीगढ़ का प्रशासन भी यहीं है।

जहां तक इन कानूनों का सवाल है, जो हमारी केन्द्रीय सरकार ने प्रशासनिक दृष्टि से जो कार्यविधियां चल रही थीं, उनकी समीक्षा की। समीक्षा करने के बाद यह पाया गया कि जो प्रशासनिक कार्यविधि आयोग बना था, उसने देखा कि उन कानूनों की अब कोई उपयोगिता नहीं रह गई है, जो चंडीगढ़ के अंदर लागू हैं। चाहे वह दिल्ली विद्युत कर वाला हो अथवा गोवा, दमण एवं दीव (ओपिनियन पौल) एक्ट हो या फिर पंजाब अग्रक्रय (चंडीगढ़ और दिल्ली निरसन) अधिनियम, 1989 हो। मुख्य रूप से ये तीन थे, इसके अलावा इसके अंतर्गत चंडीगढ़ में जो 22 अधिनियम लागू थे, जिनकी लम्बी-चौड़ी सूची दी गई है, उनकी भी उपयोगिता नहीं रह गई है। जैसा आप जानते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पुरानी चीज बदलती है तो नई चीज उसका स्थान लेती है। मैं समझता हूं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कानूनों का निर्माण होता है। चंडीगढ़ के अंदर पंजाब के कानून या दिल्ली के कानून लागू किए गए थे। आज उन कानूनों की उपयोगिता नहीं रह गई है। इसलिए उन कानूनों का निरसन संबंधी यह जो विधेयक गृह मंत्रालय ने यहां पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि चंडीगढ़ जैसे नगर की गरिमा, उसका महत्व बना रहे। वहां पर जैसा अभी कहा गया

[प्रो. रासासिंह रावत]

नगर निगम है, स्थानीय निकाय है। स्थानीय निकाय सुदृढ़ होना चाहिए।

मैं कुछ दिन पूर्व चंडीगढ़ गया था। वहां मैने देखा कि इस शहर में भी झुग्गी-झोपड़ियों का निर्माण होने लग गया है और अतिक्रमण शुरू हो गया है। जो कभी एक आदर्श नगर माना जाता था, जिसके नगर का नाम किसी व्यक्ति के नाम से नहीं था और जहां सेक्टरों के जरिए लोग गंतव्य तक पहुंचते थे, आज के सामान्य शहरों की तरह जो बुराइयां इनमें पाई जाती हैं, वहां भी आ गई हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि पुराने जो कानून लागू थे, चाहे बिजली संबंधी हों और दूसरे संबंधी हों, उनको तो हटाएं।

लेकिन चंडीगढ़ की गरिमा है। वहां बिजली सप्लाई की बात हो, जल सप्लाई की बात हो या वहां पर स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने की बात हो या अन्य अधिकार देने की बात हो, इस पर विचार किया जाना चाहिए। उस क्षेत्र के सांसद, श्री पवन कुमार बंसल जी, ने वहां की व्याख्या की है। मैं समझता हूं कि उनके विचारों में वजन है और हमारी सरकार की मंशा भी है कि उस क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि एनडीए की सरकार प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है। वहां निश्चित रूप से लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है, चाहे पंचायत के रूप में, चाहे जिला परिषद् के रूप में, चाहे नगर-निगम के रूप में, उस क्षेत्र के विकास के लिए स्थानीय अधिकार दिये जाने चाहिए, ताकि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नियमावली बनाकर व्यवस्था को बनाये रखें। मैं समझता हूं कि जिन कानूनों की उपयोगिता नहीं रह गई है, उन कानूनों को वास्तव में खत्म होना ही चाहिए, नहीं तो अनावश्यक रूप से विधि संग्रह का भार बढ़ता है। इन कानून के स्थान पर उपयोगी कानून हों, जिनके द्वारा उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो और उनको सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। अतिक्रमण को रोका जा सके। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम का कर हटाया जा रहा है। इस बारे में विचार करना पड़ेगा।

मैं आपके माध्यम से इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि चंडीगढ़ की गरिमा, चंडीगढ़ का महत्व, चंडीगढ़ की शान और जिस उद्देश्य के लिए चंडीगढ़ बसाया गया था, वह पूरा होना चाहिए। चंडीगढ़ राजधानी चाहे दो राज्यों की रहे, लेकिन उसके सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, यह विधेयक मात्र पुराने कानूनों को हटाने के लिए लाया गया है। इसमें संविधि पुस्तक से कुछ पुराने कानूनों को हटाने की मांग की गई है। अब, संविधि पुस्तक से हटाए जाने वाले विभिन्न अधिनियमों में से एक निरसन अधिनियम है। जब मूल अधिनियम को एक अन्य अधिनियम द्वारा निरस्त किया जायेगा और आज हम निरसन अधिनियम का ही निरसन कर रहे हैं तो शायद मूल अधिनियम लागू हो जाएगा। यदि स्थिति ऐसी है तो मुझे खुशी है। मुझे प्रसन्नता है क्योंकि 11 मई, 1989 को मैंने पंजाब प्री-एम्पशन (चंडीगढ़ एवं दिल्ली रिपील) एक्ट, 1989 के निरसन का विरोध किया था। यदि यह निरसन अधिनियम आज संविधि पुस्तक से हटाया जा रहा है और यदि संविधि पुस्तक से इस निरसन अधिनियम को हटाये जाने के परिणामस्वरूप मूल अधिनियम पुनः प्रभावी हो जाएगा तो निसन्देह मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

यह अधिनियम अग्रक्रय के सिद्धांत से संबंधित है। अग्रक्रय का सिद्धांत मुस्लिम विधि में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अग्रक्रय के सिद्धांत की उपयोगिता और व्यवहार्यता तथा इस बात को देखते हुए कि अग्रक्रय का सिद्धांत नैसर्गिक न्याय और समानता की विचारधारा पर आधारित है, यह सिद्धांत सभी जगह लागू है और सभी ने इसे अपनाया भी है। मैं अग्रक्रय के सिद्धांत के विस्तार में जाना नहीं चाहता। मैंने ऐसा 11 मई, 1989 को कहा था। रिकार्ड में यह मौजूद है।

तथापि, निरसन विधेयक को निरसित कर देने के बावजूद भी यदि मूल अधिनियम लागू नहीं होता तो मुझे इसके लिए खेद होगा। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि नैसर्गिक न्याय, समानता और व्यवहार्यता व उपयोगिता के विचारों पर आधारित सिद्धांत के रूप में सर्वमान्य अग्रक्रय के सिद्धांत को पुनः पुरःस्थापित करने पर विचार किया जाए। मैं इस विषय के विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने कहा है कि ऐसा मैं इस सभा में पहले ही वर्षों पहले कह चुका हूं।

महोदय, इस विधेयक में दिल्ली नगर निगम (विद्युत कर विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1966 नामक एक पुराने कानून को संविधि पुस्तक से हटाने के लिए भी मांग की गई है। यह एक पुराना कानून है। इसे संविधि पुस्तक से हटा दें किंतु यह ऊर्जा और विद्युत के प्रश्न के संबंध में भी है। अतः मैं सरकार को जोर देकर यह कहना चाहूंगा कि विद्युत के प्रश्न अर्थात् विद्युत उत्पादन, वितरण और उसके पारेषण पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि देना चाहए था। देश भर में विद्युत की समस्या है। केरल में भी स्थिति विकट है। इस स्थिति में, मैं सरकार से जोर देकर यही कहना चाहूंगा कि विद्युत के प्रश्न पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम एक आणविक शक्ति हैं लेकिन हम अपने घरों में बिजली देने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसा विरोधाभास है।

यदि यहां बात दिल्ली की है तो मैं केवल यही कहूंगा कि दिल्लीवासी भी बहुत ही गंभीर विद्युत संकट का सामना कर रहे हैं। मुझे उनकी समस्याओं का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी कल्पना की जा सकती है। दिल्ली में विद्युत की बहुत कमी है। दिल्ली की आवश्यकता 3,000 मे.वा. प्रति वर्ष है। विद्युत उत्पादन से दिल्ली को मात्र 900 मे.वा. प्राप्त होती है। उत्तरी ग्रिड से दिल्ली को बड़ी मुस्किल से 1,500 मे.वा. प्राप्त हो पाती है। हिमाचल प्रदेश से भी आपूर्ति मुश्किल से 100 मे.वा. से 150 मे.वा. तक होती है। इन सभी आंकड़ों के जोड़ से यह पता चलता है कि करीब 500 मे.वा. विद्युत तक की कमी है। समस्या यह है कि दिल्ली में प्रति वर्ष विद्युत की आवश्यकता में आठ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गयी है। इसलिए, यहां विद्युत की समस्या हमेशा बनी रहती है। यहां यह कहना रुचिकर होगा कि पिछले दशक के दौरान दिल्ली में बिजली की खपत में 149 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। किंतु विद्युत उपभोक्ताओं में केवल 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे यह भी पता चलता है कि पारेषण और वितरण में कितनी हानि होती है। पूर्वी दिल्ली में 1999-2000 में, पारेषण एवं वितरण में 63 प्रतिशत और दक्षिण दिल्ली में 38 प्रतिशत की हानि हुई।

महोदय, स्थिति बहुत ही गंभीर है। यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार अलग-अलग क्षेत्रों के संबंध में पुराने कानूनों पर ध्यान दे रही है और उन्हें निरस्त करने का प्रयत्न कर रही है। इसी के साथ, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार के संपर्क में भी रहे और यह सुनिश्चित करे कि जनता की इन समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, सरकार की तरफ से नया कानून आया है और उसमें कहा गया है कि विशेषज्ञों का एक समूह बनाया गया था और उनकी सिफारिशों के मुताबिक यह कानून लाया गया है और उन्होंने एक स्वर से इसका समर्थन भी किया था। सभी कानून मिला कर लगभग 25 हजार हैं और उनमें से ढाई हजार कानून सैंट्रल लॉ हैं। राज्यों के अलग-अलग 1100-1200 कानून हैं।

1998 में जैन आयोग बना था। उसने कहा कि 1324 कानून रद्दी हो गए हैं और उन्हें एक बार में खत्म कर देना चाहिए लेकिन यह एक-दो करके उन्हें ला रहे हैं। इसमें क्या पेच है? उसमें इस कानून से संबंधित दिल्ली, गोवा, दमण एवं दीव एवं चंडीगढ़ वाला गया था लेकिन आयोग में बाकी के कानून क्यों नहीं गए। आप इस बात को साफ करिए। मेरा आरोप है कि सरकार के लोग ढिलाई और लापरवाही से काम करते हैं। बिल में दिए गए उद्देश्य और कारण एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इसके पीछे क्या भेद है? हिन्दी में लिख दिया कि तदानुसार चंडीगढ़ संघ क्षेत्र में लागू सभी 22 अधिनियमों के निरसन का प्रस्ताव है। चंडीगढ़ से संबंधित 22 हिन्दी में लेख दिया। अंग्रेजी में क्या लिख रहे हैं।

[अनुवाद]

> "तदनुसार, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ पर लागू होने वाली सभी 19 अधिनियमों को निरसन का प्रस्ताव किया जाता है।"

[हिन्दी]

इस प्रकार हिन्दी और अंग्रेजी में तीन नम्बर का फर्क है। इसमें से कौन सा वाजिब है यह स्पष्ट करें। ऐसा लगता है कि अधिकारी लोग इसे पढ़ते नहीं है जबकि इतने विद्वान काबिल मंत्री और मैम्बर्स यहां हैं। हल्के ढंग से हिन्दी में 22 लिख दिया और अंग्रेजी में 19 लिख दिया। किस को ठीक माना जाए। यह दो पन्ने का विधेयक है। यदि इसमें बहुत से पेज रहते तो हम मान लेते कि इसे वे लोग पढ़ नहीं पाए। सरसरी निगाह से भी किसी ने इसे देखने का कष्ट नहीं किया जबकि इस मामले में इस सरकार की जवाबदेही है। तीन नम्बर का फर्क कैसे कर दिया?

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): पूरा ब्यूरोक्रेसी निकम्मा है इसलिए इनका यह आरोप सही है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि जब कानून बनता है तो उसके अक्षर-अक्षर पर विवाद होता है। कानून कोर्ट में जाता है। उद्देश्य मूल चीज होती है। शुरु में केन्द्र सरकार द्वारा विधि के पुनरावलोकन के लिए स्थापित प्रशासनिक विधि पुनरावलोकन आयोग के बारे में कहा गया था लेकिन आप अपने विशेषज्ञ कहां से ले आये? यह दो खंडों में क्या है। आपके विभाग में कितने कानून रद्द होने लायक हैं? आयोग ने कहा था कि सब एक तरफ से खत्म कर दो, आप एक-एक या दो-दो करके क्यों ला रहे हैं, सरकार स्पष्ट करे।

श्री बनातवाला ने भी कहा कि आप इसे दोबारा रिपील कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम विद्युत कर विधिमान्यकरण अधिनियम, 1966 में लागू था, अब कहते हैं कि खत्म हो गया है। यहां म्युनिसिपल कारपोरेशन, दिल्ली एक है, एन.डी.एम.सी. एक है। दिल्ली देश की राजधानी है जहां बिजली और पानी का संकट है। लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। आप जानते हैं कि बिहार से काफी लोग यहां मेहनत मजदूरी करने आते हैं और दिल्ली को बनाने तथा संवारने का काम करते हैं। वे लोग बिजली-पानी के संकट में रह रहे हैं। अनाधिकृत कालोनियों में भारी संकट है। म्युनिसिपल कारपोरेशन में शहरी विभाग कहां गया लेकिन गृह विभाग इस कानून को खत्म कर रहा है। यह कहा गया है कि जिस ऐरिया का ज्यादा विकास हो जाये, उसे शहरी माना जायेगा।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

सरकार बताये कि कितना ऐरिया शहरी विकास का हिस्सा बना? बिहार की राजधानी पटना में अभी म्युनिसिपल कारपोरेशन का इलैक्शन हुआ। साथ में सारे राज्य में कहीं छोटा और कहीं बड़ा नगर पालिका का चुनाव हुआ। संविधान के 74वें संशोधन में कहा गया था कि नगर पालिका के संबंध में यह कानून लागू हो गया है। 10वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए यह अनुशंसा की थी। स्थानीय निकायों में पंचायत और नगर पालिका दोनों आते हैं। यदि वहां चुनाव नहीं हुये तो पैसा नहीं दिया जायेगा। यह नगर पालिका से संबंधित मामला है, केन्द्रीय सरकार का मामला नहीं हुआ। जब बिहार में स्थानीय निकायों के चुनाव हो गये हैं तो क्यों केन्द्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। 10वें और 11वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित पैसा रोक कर रखा हुआ है। 10वें वेतन आयोग ने देने के लिए कहा लेकिन वित्त विभाग ने यह सरकुलर जारी किया है कि यह पैसा लैप्स नहीं होगा जबकि केन्द्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि यह पैसा लैप्स हो गया है। मेरा सरकार पर आरोप है कि सरकार 10वें और 11वें वित्त आयोग के अनुशंसित बिहार सरकार के हिस्से को मार रही है। सरकार की खराब नीयत और दुश्मनी से ऐसा हो रहा है। यह कहा गया था कि यदि स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराये जायेंगे तो केन्द्र पैसा रोक कर रखेगी। अब जब चुनाव हो गया है तब भी केन्द्र बिहार का हिस्सा नहीं दे रही है। इसलिए आप हमें समझ-बूझकर उत्तर दीजिए कि इस तरह से कैसे शहरी विकास होगा। छोटी, मझोली नगर पालिकाओं का विकास कैसे होगा। आयोग पंच होता है। आयोग को अक्षरशः इन्होंने मान लिया है। दसवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को भी इन्होंने मान लिया है। अनुशंसा में आया है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट स्थानीय निकायों के संबंध में पार्लियामैन्ट को बता दिया जाए कि इसे हमने मान लिया। अब एक्शन टेकन रिपोर्ट ...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य असंसदीय आचरण कर रहे हैं।

सभापति महोदय: रघुवंश जी, आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं अभी खत्म कर रहा हूं। महोदय, यह विषय जनहित का है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह बैठे-बैठे बोल रहे हैं, आप उधर ध्यान मत दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे: नियम आपने भी पढ़े हैं और हम भी जानते हैं कि ऐसे उंगली दिखाकर और बाहें चढ़ाकर यह बोल रहे हैं जो असंसदीय आचरण हैं ...*(व्यवधान)* मैं आपके बोलने के बारे में नहीं, आपके एक्शन के बारे में कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह एक षडयंत्र है, एक साजिश है कि किस तरह से बिहार की हिस्सेदारी मारी जाए और हमारे ही लोकल लोगों को कहा हुआ है कि जब मामला जमने लगे और सरकार भरभराने लगे तो कुछ न कुछ बोलने लगो। यह क्या विषय है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आयोग की जो अनुशंसित राशि है, उसे नगरपालिकाओं के संबंध में सरकार ने स्वीकार किया और पार्लियामैन्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट ले लिया गया। पार्लियामैन्ट के साथ घात न हो और किसी के साथ दुश्मनी के कारण उस पैसे को रोका न जाए। तभी शहरी विकास होगा। आप खत्म करने वाला कानून ला रहे हो। विकास करने वाला कानून कहा चला गया। विकास करने वाला कानून भी लाइये। शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, खास करके दिल्ली जैसे बड़े शहर में लोग खुशहाल रह सकें। दिल्ली देश की राजधानी है। लेकिन यहां से गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों में गरीब, मेहनतकश मजदूर रहते हैं, आप उन्हें उजाड़िये मत। इसलिए इन सभी मामलों पर आपको विचार करना चाहिए। इसलिए इस बिल के माध्यम से हमने जो सब सवाल उठाये हैं, आप उनका जवाब दीजिए, नहीं तो हम आपकी खबर लेंगे।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं, माननीय सदस्यों श्री पवन कुमार बंसल, श्री वरकला राधाकृष्णन, प्रो. रासा सिंह रावत, श्री जी.एम. बनातवाला और डा. रघुवंश प्रसाद सिंह का आभारी हूं। इसके साथ-साथ उन्होंने बहुत से सुझाव भी दिए हैं।

श्री बंसल ने चंडीगढ़ से संबंधित कई वित्तीय तथा प्रशासनिक मुद्दों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने विशेष तौर पर वहां गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के गठन के मुद्दे का उल्लेख किया है। पहले भी सभा पटल पर उन्होंने एक छोटे से संशोधन का सुझाव दिया था और यह कहा था कि चंडीगढ़ के उत्तम प्रशासन के लिए कुछ किया जा सकता है। मैं उस आश्वासन को ध्यान में रखूंगा।

श्री बंसल ने चंडीगढ़ में कानूनी व्यवस्था को सुधारने का सुझाव भी दिया था। उन्होंने यही शब्द कहे थे। मैं आपके माध्यम

से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि चंडीगढ़ से सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और वित्त आयोग के अनुपालन में विधिसम्मत अधिकार दिए जाएंगे। केन्द्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ की उपेक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। एनडीए सरकार प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रही है। हम, गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते हैं।

माननीय सदस्य श्री राधाकृष्णन ने प्रकाश डाला था ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: जिला योजना समिति के गठन का क्या हुआ?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मैंने, माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सभी सुझावों को नोट कर लिया है। इन पर अवश्य ही उचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): मंत्री महोदय, आपने विभिन्न कानूनों का उल्लेख किया है किंतु आपने संविधान का उल्लेख नहीं किया है। संविधान के भाग IX-क में जिला योजना समिति के गठन का उल्लेख किया गया है। आपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह नहीं किया है। कृपया आप मुझे यह आश्वासन दीजिए कि आप न केवल अपने विधिक दायित्वों को पूरा करेंगे परन्तु आप जिला आयोजना समिति के संबंध में अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने हेतु, कम से कम अब दस वर्षों के बाद, कदम भी उठाएंगे।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: सभापति महोदय, मैंने माननीय सदस्य श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा दिए गए सुझाव को नोट कर लिया है क्योंकि चंडीगढ़ के निर्माण के समय इन समितियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था मैंने इसे नोट कर लिया है और इसकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन ने नगर निगम अधिनियम के बारे में प्रकाश डाला है। मैंने उनके सभी सुझावों को नोट कर लिया है। उन्होंने नगर निगम अधिनियम के उलझनों और जटिलताओं के बारे में प्रकाश डाला है। उन्होंने दिल्ली प्रशासन की विद्युत समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है।

महोदय, श्री वरकला राधाकृष्णन, प्रो. रासा सिंह रावत और डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं को प्रदत्त शक्तियों के बारे में विशेष रूप से बल दिया है। मैं इनकी जांच करूंगा।

जहां तक निरसन अधिनियम की तीसरी मद के बारे में श्री जी.एम. बनातवाला के सुझाव का संबंध है, इस निरसन विधेयक से मूल अधिनियम प्रभावी नहीं होगा। इसका पहले ही निरसन कर दिया गया है। इसे केवल विधान के द्वारा ही पुनः लागू किया जा सकता है।

महोदय, अतः मैं इस माननीय सभा से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली नगर निगम (विद्युत का विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1966, गोवा, दमण एवं दीव (ओपिनियन पौल) ऐक्ट, 1966, पंजाब अग्रक्रय (चंडीगढ़ और दिल्ली निरसन) अधिनियम, 1989 और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का, जो चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्तन में है, निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदया मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.50 बजे

अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2001

[अनुवाद]

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंडों, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र में खनिज स्रोतों के विकास और विनियमन का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, मैं इस विधेयक की पृष्ठभूमि का बहुत ही संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। इस विधेयक का स्वरूप भविष्योन्मुखी है। भारत के पास 8040 किलोमीटर से भी अधिक लम्बा तटवर्ती क्षेत्र है और इसलिए पिछले कई वर्षों में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण ने समुद्रीय क्षेत्र में अनेक प्रकार के खजिनों का पता लगाया है।

अब एक समुचित सांविधिक तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई जिससे इन खजिनों का वैज्ञानिक रूप से दोहन किया जा सके।

महोदय जैसाकि आप जानते होंगे, संविधान के अनुच्छेद 297 के अंतर्गत यह शक्ति पूर्ण रूप से भारत सरकार के पास विहित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है:

> "भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी और संघ के प्रयोजनों के लिए धारण की जाएंगी।"

चार अवधारणाएं हैं, जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। पहला है क्षेत्रीय जल। इसका क्षेत्र समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। इसके बाद निकटवर्ती (काटेम्यूअस) क्षेत्र आता है जो 24 समुद्री मील तक है। इसके पश्चात् विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (जोन) आता है जो 200 समुद्री मील तक है और अंत में अन्य सामुद्रिक क्षेत्र है जो 350 समुद्री मील के करीब है।

इन विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा अधिकारों का प्रयोग किया जायेगा। उदाहरणार्थ राज्य क्षेत्रीय जल के मामले में सम्पूर्ण अधिकार उपलब्ध हैं। समीपवर्ती क्षेत्र के मामले में सीमाशुल्क जैसे विभिन्न अन्य अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं।

हमारे पास दो विधान है। जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। पहला है अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, और दूसरा है राज्य क्षेत्रीय जल और सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, जो हमारे पास 1976 में थे।

इस विधेयक की आवश्यकता महसूस की गई। इस विधेयक को लाने से पहले हमने व्यापक चर्चा की थी। वर्ष 1993 में हमने खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया था। इसमें भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, खान ब्यूरो, विधि विभाग, विदेश मंत्रालय, समुद्र विज्ञान स्कंध, रक्षा मंत्रालय के नौसेना स्कंध आदि के प्रतिनिधि थे। इसमें व्यापक चर्चा की गई।

इन विचार-विमर्शों को पूरा करने के बाद यह विधेयक तैयार किया गया। इसके बाद इसे स्थायी समिति को भी भेज दिया गया। स्थायी समिति ने इसे स्वीकृत कर दिया है। इसके पश्चात् आज यह विधेयक हमारे सामने है जिसे मैं विचार हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं, अपनी बात पूरी करने से पहले, इस विधेयक के चार अत्यावश्यक संघटकों के बारे में बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इसमें सांविधिक रूप से यह परिभाषित किया गया है कि महासागर में 'माइन' क्या है। उस क्षेत्र का विधिक व्याख्या और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की गई है। दूसरे पट्टा, परमिट, जहां परमिट दिया जा सकता है, आदि को परिभाषित किया गया है। जैसाकि आप जानते हैं कि समुद्र में पर्यावरण संबंधी चिंता महत्वपूर्ण है। इस विधेयक में पर्यावरणीय चिंताओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इसमें बहुत सख्त पर्यावरण निगरानी तंत्र है जिसकी समुचित रूप से निगरानी की जा सकती है। इस प्रयोजनार्थ मैं विशेष रूप से खंड 7 और 9 का उल्लेख करना चाहता हूं। यदि यह पाया जाता है कि कोई लाइसेंस धारक नियमों और शर्तों का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में इसमें सम्पूर्ण पर्यवसान करने और क्षेत्र को बंद करने की संक्रियात्मक शक्ति है। इसमें सुरक्षा संबंधी व्यवस्था भी है। इसमें सिविल दायित्व और दण्डात्मक दायित्व का उपबंध भी है। नियम में सभी तंत्र अधिनियमित किए गए हैं।

अंत में मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें नियम बनाने की शक्ति भी है। हम व्यापक नियम बनाएंगे जिससे नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और शक्तियां और सुरक्षोपाय किए जाएंगे।

[हिन्दी]

इन आरंभिक शब्दों के साथ मैं इस बिल को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसमें उन सारी बातों का ध्यान रखा गया है ताकि अपने पर्यावरण और भारत की सुरक्षा का ध्यान हो सके। लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप यह बिल जरूरी है। मैं इस बिल को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंडों, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र में खनिज स्रोतों के विकास और विनियमन का तथा उससे संबधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): सभापति महोदय, मुझे हमारे समक्ष लाए गए इस अत्यधिक समाजवादी विधेयक का स्वागत करने में अति प्रसन्वनता हो रही है।

इस विधेयक में दी गई नीति हमारी आर्थिक नीति के बिल्कुल विपरीत है और खेदपूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि सरकार इसी नीति पर पिछले चार वर्षों से चल रही है और मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा है कि वे इस विधेयक के दृष्टिकोण के साथ हम अपनी आर्थिक नीति का किस तरह से तालमेल बना पाएंगे। यदि उनकी आगे की आर्थिक नीति विधेयक कें दृष्टिकोण से प्रभावित होगी तो एक समाजवादी होने के नाते इसे स्वीकार करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता होती। इस विधेयक में सर्वप्रथम भारतीय कम्पनियों के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है। जबकि विदेशी कम्पनियों का पूरा-पूरा पक्ष लिया गया है। दूसरे उन्होंने इस विधेयक के बड़े उपबंधों से सरकारी एजेंसियों को छूट प्रदान की है जबकि दूसरी ओर वे सब कुछ बेचने में लगे हुए हैं जिसे बनाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है।

तीसरी बात यह है कि उन्होंने अपने ढंग की एक समर्थ होने की प्रणाली शुरू की है ताकि उनके अनुसार शर्तों का उल्लंघन होने पर वे पार्टी के खिलाफ कार्यवाही कर सकें जबकि सामान्यतः उनका दृष्टिकोण देश को लूटने वाले विदेशी निकाय अथवा किसी विदेशी पूंजीपति को पूरी तरह खुशामद करने का रहा है। वे यह चाहते हैं कि ऐसे मामलों में व्यापार और उद्योग संबधी प्रधानमंत्री परिषद के सदस्य इनके संबंध में कोई कार्यवाही न करें। अतः, मैं इस विधेयक में निहित समाजवादी दृष्टिकोण का पूरी तरह से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं, जैसाकि मैंने कहा है, कि यह सरकार की शेष आर्थिक नीति को प्रभावित करता है।

परन्तु, महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की इस आरम्भिक टिप्पणी के बावजूद भी अप्रभावित रहा कि सभा के समक्ष ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को लाने में 20 वर्ष लग गए। समुद्र से संबंधित कानून के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने इसे काफी समय पहले 1982 में स्वीकृत कर लिया था और अभी-अभी माननीय मंत्री द्वारा उल्लिखित सारी सम्पदा का गत 20 वर्षों से अन्वेषण नहीं हुआ था। स्पष्टतः, कांग्रेस पार्टी को, एक कार्यदल का गठन करने से पूर्व 11 वर्ष लगे, लेकिन इस विधेयक की विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए आश्चर्य होता है कि परामर्श की प्रक्रिया, जिसमें सरकार सम्मिलित है, को उस मुद्दे पर पहुंचने में आठ वर्ष लगे जहां से इस विधेयक को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सका। इस विलंब के प्रति खेद व्यक्त करते हुए मैं इस तथ्य का स्वागत करता हूं कि कम से कम अब यह हमारे सम्मुख आ सका।

लेकिन यह और भी उपयोगी होता यदि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में यह स्पष्ट करते कि उन्होंने समुद्र के कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र समझौते को स्वीकार करने के बाद कार्यदल का गठन करने में 11 वर्ष तक प्रतीक्षा क्यों की और इस कार्यदल ने निर्णय पर पहुंचने में इतना लंबा समय, जैसाकि उसने लिया, क्यों लिया, जबकि मुझे इस विधेयक में ऐसी कोई विवादास्पद बात दिखलाई नहीं देती जिससे कार्यदल के कार्यकरण में हुए इतने लंबे विलम्ब को न्यायोचित ठहराया जा सके और इसलिए मेरे विचार से यही वह समय है जब हमें नौकरशाही को उसके द्वारा लाए गए इस विधेयक के शानदार कार्य की बधाई देने के स्थान पर उन्हें फटकार लगानी चाहिए।

महोदय, इस विधेयक के प्रावधानों का भव्य स्वागत करते हुए मैं अपनी गहरी आशंका भी प्रकट करना चाहूंगा, जैसाकि हम इस सरकार के उदासीन रवैये और यहां तक कि आर्थिक गतिविधियों के अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित को हानि पहुंचाने वाला रवैये देख चुके हैं। अतः हमें नहीं लगता कि सरकार वास्तव में उन प्रावधानों को कार्यान्वित करने के प्रति गंभीर है।

उदाहरणार्थ, लाइसेंस शुल्क के मामले में बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं। परन्तु, महोदय, दूरसंचार के क्षेत्र में भी कड़े प्रावधान हैं। जब कंपनियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया और कार्य करना आरंभ कर दिया तो उसके बाद उन्होंने पलटकर इस सरकार से कहा कि वे लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे और इस सरकार को जिसके घुटने कमजोर हैं, को मजबूर किया, कि वह लाइसेंस शुल्क के कर ढांचे में ही परिवर्तन करे। अब, मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि श्री रवि शंकर प्रसाद उस स्थिति से निपटने

[श्री मणिशंकर अय्यर]

में सक्षम होंगे जब इन कंपनियों ने अपनी बात से पलटते हुए कहा कि वे कोई शुल्क या लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे। चूंकि यह इस सरकार का रिकॉर्ड रहा है कि इससे दूरसंचार के क्षेत्र में शुल्क के एक ढांचे से दूसरे ढांचे में परिवर्तन से आने वाले 20 वर्षों में लगभग 200,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि श्री जगमोहन यहां पर हैं क्योंकि उनमें ऐसे कायरतापूर्ण व्यवहार के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति है, मुझे उम्मीद है कि आप, माननीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद, श्री जगमोहन की तरह कार्य करेंगे न कि संसदीय कार्य मंत्री की तरह। मैं मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि जिस अवधि के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे उसके बारे में कड़ी शर्तों, गैर-कार्यनिष्पादन हेतु लगाया जाने वाला जुर्माना, परमिट शुल्क या लाइसेंस शुल्क के माध्यम से वसूल की जाने वाली राशि आदि को वे वास्तव में वसूल करेंगे। मैं उनसे इस सदन में यह आश्वासन चाहता हूं क्योंकि ऐसे आश्वासन के अभाव में ही यह सरकार दूरसंचार संचालकों को भारतीय धन के हजारों करोड़ रुपयों की लूट को ले जाने की अनुमति देती है।

इसके बाद, सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री इस सदन को यह आश्वासन दें कि जो कोई भी चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, विशेषकर प्रदूषण के संबंध में, उसके विरुद्ध कड़ी न्यायिक कार्यवाही की जाएगी।

अपराह्न 4.00 बजे

हमने भोपाल गैस त्रासदी के बारे में देखा कि यूनियन कार्बाइड के श्री एन्डरसन को दिल्ली वापस लौटने और विदेश में आराम से रहने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक विमान उपलब्ध कराया गया जबकि यूनियन कार्बाइड की लापरवाही से लाखों लोग पीड़ित हुए और उन्हें, अमरीकी शर्तों पर न्यूनतम मुआवजा दिया गया और वह भी उन तक पूरा नहीं पहुंचा। अतः हम आपसे एक आश्वासन चाहते हैं कि जब आप कठोर कार्यवाही करने हेतु बाध्य हों तो आप वास्तव में कठोर कार्यवाही करें और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने में बाहरी कारणों से अड़चन न आने पाए जो आपके प्रदूषण विनियमों, सुरक्षा विनियमों या राष्ट्रों के वित्तीय हितों सहित समग्र रूप से राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने वाले विनियमों का उल्लंघन करते हैं।

अपराह्न 4.01 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन* हुए]

तीसरे, मैं इस बात से थोड़ा विचलित हूं कि सरकार ने विनियामक प्राधिकरण के अभाव में लगभग सभी स्वविवेकाधीन शक्तियां अपने पास रखी हैं। उदारीकरण के इस दुर्भाग्यपूर्ण काल में गठित विनियामक प्राधिकरणों का अनुभव सर्वाधिक अप्रसन्नता भरा रहा है। अभी हम शेयर बाजार घोटाले संबंधी संयुक्त संसदीय समिति में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे विनियामक प्राधिकरणों की भूमिका की जांच में लगे हुए हैं। चूंकि मैं इस समिति का सदस्य हूं अतः मैं इस स्तर पर उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन उस समिति का सदस्य होने के नाते नहीं अपितु भारत का नागरिक होने के नाते मेरे विचार से हमारे विनियामक प्राधिकरणों ने सही तरीके से कार्य नहीं किया है क्योंकि उनका प्रबंधन पेशेवर नहीं है। वे आई.ए.एस. विशेषकर कम सक्षम आई.ए.एस. के लिए एक ठहराव का स्थान है। वे वास्तव में सरकार से स्वतंत्र नहीं हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में जहां मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ऐसे महत्वपूर्ण मामले की निगरानी करे की अपनी जिम्मेदारी निभाती रहेगी, हमें एक ऐसे विनियामक प्राधिकरण की आवश्यकता है जो स्वतंत्र और पूर्णतया पेशेवर हो जो कि सरकार को उसके सामान्य निदेशों को कार्यान्वित करने में सहायता दे लेकिन सरकार अपनी स्वतंत्रता को कायम रखते हुए किसी बहुत सम्पन्न औद्योगिक घराने या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को इस संबंध में अपने निर्णय को प्रभावित नहीं करने दे रही है। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर विचार करें, तुरंत नहीं किन्तु एक समयावधि में एक ऐसे विनियामक प्राधिकरण का गठन करें जो सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और पेशेवर हो व इस संबंध में सरकार के निदेशों का पूरक हो और उन्हें आगे बढ़ाए।

यहां मैं इस बात पर जोर दूंगा कि उद्देश्य और कारणों के कथन में कही गई एक बात पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। वह यह है कि इस अधिनियम में जितना भू-क्षेत्र सम्मिलित किए जाने पर हम विचार कर रहे हैं वह भारत के कुल तटीय क्षेत्र के लगभग बराबर है। भारत का कुल तटीय क्षेत्र 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इस अधिनियम के अंतर्गत हम महासागर के नीचे छिपे 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की आर्थिक संपदा को सम्मिलित करने जा रहे हैं। इसलिए, मेरे विचार से हमें यह मानना चाहिए कि हमने प्रभावी रूप से राष्ट्र की संभावित संपत्ति में दुगनी वृद्धि की है। हमने शायद भारत की संपत्ति में भारी वृद्धि की है क्योंकि समुद्र तल में छिपी खनिज संपदा का मूल्य इतना अधिक हो सकता है कि यह इसके दोगुने से भी अधिक वृद्धि कर दे।

इसको ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को कार्यान्वित करते समय अत्यधिक सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। इस अधिनियम को कार्यान्वित करते समय हम इसके तकनीकी पहलुओं का इस प्रकार ध्यान नहीं रख सकते जैसाकि खान मंत्रालय की भांति कोई तकनीकी मंत्रालय रख सकता है। हमें विभिन्न रक्षा मानकों उनसे भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को भी ध्यान में

रखना पड़ेगा। इसलिए न केवल खान मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति के माध्यम से इस पर संसद द्वारा निगरानी रखने की आवश्यकता है अपितु किसी ऐसी नई प्रणाली, जैसा भी माननीय अध्यक्ष महोदय चाहें, जिसमें विदेश मंत्रालय से संबंधित और रक्षा मंत्रालय से संबंधित सूचनाओं को इस उद्योग विशेष से संबंधित तकनीकी सूचनाओं के साथ मिलाकर काम किए जाने की आवश्यकता है। अतः यह एक और ऐसा पहलू है जिसके संबंध में मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसके बारे में बताएं और यह भी चाहूंगा कि इन मामलों को कार्यान्वित करते समय इन्हें भी प्रचालन में लाएं।

अन्ततः, मैं एक विकासशील देश होने के बावजूद भी अंटर्काटिका में कार्यरत कुछ देशों में से एक होने पर भारत की असाधारण उपलब्धि पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। समुद्र के कानून के अंतर्गत अंटर्काटिका में उपलब्ध खनिज संपदा भारत के आर्थिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भूमि क्षेत्र के दोगुने होने से उपलब्ध होने वाली संपदा से भी अधिक होगी। इस विधेयक में इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है। हम अभी अंटर्काटिका में खोज या खनन का लाइसेंस देने की स्थिति से बहुत पीछे हैं परन्तु हमने यहां भारत में हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जो व्यवस्था स्थापित की है और हम अंटार्कटिका में जो विशेषाधिकार प्राप्त करने जा रहे हैं उनके बीच का संबंध समग्र रूप से इस सरकार के ध्यान में रहना चाहिए। यह केवल माननीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद की जिम्मेदारी नहीं है अपितु समग्र रूप से सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि अन्य कई मंत्रालय और विभाग इससे संबंधित होंगे। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वे इस मामले को वरीयता के आधार पर लें और शायद, भारत सरकार के माध्यम से एक मंत्री-समूह या इन विभिन्न मंत्रालयों से लिए गए विशेषज्ञों का एक निकाय गठित करें जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए हमारी व्यवस्था और अंटार्कटिका में हम जैसी व्यवस्था चाह रहे हैं उसके बीच संबंधों की जांच करे। क्योंकि हम स्वयं को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहेंगे जिसमें हम अंटार्कटिका को भारत के लिए तैयार की गई व्यवस्था के कारण खो दें।

अतः यदि इन उद्देश्यों को बनाए रखा जाता है, यदि माननीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद हमें आश्वासन देते हैं कि अपतटीय समाजवाद को तट पर लाया जाएगा तो मेरी पार्टी को इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करने में प्रसन्नता होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): महोदय, मैं अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2001 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसकी भूमिका में माननीय मंत्रीजी ने सामुद्रिक सीमाओं और उसकी दूरियों का उल्लेख किया है। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पूर्ववक्ता की बातों को सुनकर मुझे लगा कि उनका समाजवाद बिखर कर सामने आ गया। जब व्यक्ति सत्ता में नहीं रहता है, तो समाजवाद की बातें करता है और सत्ता के सामने अपने दूसरे तर्क रखता है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि देश में विभिन्न तरह की सामुद्रिक सीमायें हैं, जैसे प्रादेशिक समुद्र 12 सामुद्रिक मील, समीपस्थ क्षेत्र 24 सामुद्रिक मील, महाद्वीप शैल्फ में 200 से 300 सामुद्रिक मील और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में 200 सामुद्रिक मील है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका उल्लेख पूर्ववक्ता ने भी किया है। 1982 में अन्तर्राष्ट्रीय कन्वैंशन में स्वीकार किया गया कि सामूहिक सामुद्रिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। यह बात जरूर है, जो भी सरकारें सत्ता में रहीं, उन्होंने इस काम में विलम्ब किया। इस सदन में जो भी सदस्य रहा है, उसको पता है और भविष्य में जो भी सदस्य आयेंगे, उनके लिए हमारे पास आंकड़े हैं, हमने 16 नवम्बर, 1994 में कन्वैंशन की शर्तों को स्वीकार किया और 1995 में पूरी तरह से उनको लागू किया, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हमें पुराने आंकड़ों को देखना होगा। 1957 में खनिज विनियमन अधिनियम हमारे सामने था, जिसके द्वारा राज्य सरकारों को विशेष अधिकार दिए गए थे, जो सीमावर्ती राज्य थे। इसके बाद इसमें दो अमेंडमेंट किए गए और केन्द्रीय सरकार को सारे अधिकार मिल गए। जब दोनों कानूनों को देखते हैं, तो इसमें विरोधाभास दिखाई देता है। यदि इसके आगे चलें, जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने भी किया है, 1993 में जाइंट सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन्स दी थीं और उल्लेख किया था कि इसमें बहुत लम्बे दूर तक परिवर्तन नहीं करने हैं। यह मानकर चलिए कि वर्षों तक इसमें विरोधाभास चलता रहा। यह आश्चर्यजनक बात है। अगर आलोचना होनी चाहिए तो वास्तव में इस बात पर होनी चाहिए, अधिकारियों ने किया है या नहीं किया है, यह महत्व की बात नहीं है। जो दो कानून एक-दूसरे से टकराते रहे, उनके बारे में विचार नहीं किया गया।

महोदय, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत जल्दी इसे ध्यान में रख कर सदन में रखा है। विशेष बात यह है कि दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं और समुद्र के अन्वेषण की जब बात आती है, यह सिर्फ एक विभाग, खान एवं खनिज का मामला नहीं है, उसमें कोयला मंत्रालय भी है। विधेयक में साफ तौर से पैट्रोलियम और पैट्रोलियम प्रोडैक्टस को छोड़कर बाकी सारी चीजें उसमें दी है। उसमें बायो-डायवर्सिटी भी आती है और उसमें जो सीमा क्षेत्र है, उस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मेरी जानकारी में जैसे महाराष्ट्र एवं गुजरात के जो तट हैं, वहां

[श्री प्रहलाद सिंह पटेल]

50 से 200 मीटर गहरे जल के जो क्षेत्र हैं, उनमें उच्च ग्रेड का चूना है। आंध्र तट में सौ से 200 मीटर गहरे जल में उच्च ग्रेड का चूना है, मड निक्षेप उसमें भी है। चैन्नई के दक्षिण एवं पश्चिम से सौ से 200 मीटर गहरे जल में फॉस्फेटाइज्ड सेंटीमेंट्स हैं। लक्षद्वीप समुद्र में 2800 से 3400 मीटर गहरे जल में माइको, मैगनीज, नोडयूल्स पाए जाते हैं। लक्षद्वीप के उथले अपतट और लेगुनों में उच्च ग्रेड केलसेरियस बालू पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र हैं, ऐसा नहीं कि ये आज सामने आए हैं। हमारे जो भी वैज्ञानिक औसियन डेवलपमेंट के लिए काम करते रहे-चाहे वे अनुसंधान के क्षेत्र में काम करते रहे हो, उन्होंने जानकारी हासिल की है कि ये हमारे पास हैं और हमें अंतर्राष्ट्रीय कंवेशन से एक फायदा यह हुआ है कि कुछ क्षेत्र हमें बढ़ा कर बताए गए कि इस क्षेत्र पर आप अपने अनुसंधान के कार्य कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस कानून की महती आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जब इस पर विचार करने के लिए बैठे हैं तो इसके कुछ अच्छे लक्षण भी हैं। हमने परमाणु खनिजों को भी पट्टे पर देने की बात कही है, लेकिन इस कानून में प्रतिबंध भी है कि जब तक भारत सरकार या परमाणु ऊर्जा विभाग से परमीशन नहीं ली जाएगी तब तक कोई भी व्यक्ति परमाणु खनिजों का उत्खनन नहीं कर सकता। यह चिन्ता का विषय है, जब हम परमाणु खनिजों की बात करते हैं तो आज हम समुद्र में क्यों परमाणु खनिजों की संभावना को तलाश रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि बढ़ती आबादी और बढ़ती आवश्यकताओं में जो हमारे क्षेत्र हैं, वे कम पड़ रहे हैं।

आप जानते हैं कि दुनिया में 71 फीसदी समुद्र हैं, बाकी हमारे भूमिगत क्षेत्र हैं। जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से हमें एक न एक दिन समुद्र के ऊपर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, मैं अय्यर जी की बात से सहमत हूं कि हम दुनिया के उन लोगों के बारे में विचार करें कि कोई विदेश से आकर हम पर राज न करने लगे। यह कानून स्पष्ट करता है, इसकी धारा में स्पष्ट उल्लेख है कि जो रजिस्टर्ड कम्पनी है, अधिनियम 1956 की धारा 3(1) के तहत जो भारतीय कम्पनी या जो व्यक्ति भारतीय है, यदि वह किसी विदेशी को भी रोजगार देना चाहें तो उसे परमीशन लेनी होगी। हम उन संभावनाओं की तरफ देखें। इसके बनने से इस अनुसंधान में कोई विदेशी व्यक्ति या कम्पनी शामिल होगी तो हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए स्वाभाविक है कि उसकी चिन्ता हमें करनी चाहिए। सदन में बैठे हुए प्रत्येक माननीय सदस्य को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कहीं इस सारी चर्चा में कोई चीज ओझल तो नहीं हो रही, उस पर विचार करना चाहिए। सदन इसी बात पर विचार करता है। कानून के एक-एक पैरा को देखने के बाद आपको यह लगा कि हम उन सारी संभावनाओं का, जो हमारे ऊपर बाहर से हमला कर सकती हैं, उन्हें रोकने का भी इस कानून में कहीं न कहीं प्रावधान है।

सभापति महोदय, निश्चित रूप से जहां तक ओसियन डेवलपमेंट की बात है, मैं समझता हूं कि सिर्फ यही बात है, चाहे हमारे समुद्र प्रौद्योगिकी, समुद्र विज्ञान हो या खनिज हो। मैं बायो-डायवर्सिटी की बात भी करूंगा, जो हमारी धरती पर नहीं हैं, वे प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं, जो हमारे समुद्र में है। ये हमारी जानकारियां हैं, लेकिन हम उनका दोहन नहीं कर सकते। हमारे पास अन्वेषण के अनुभव कम हैं, उन्हें बढ़ाने की जरूरत है। हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम तत्काल उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अनेक ऐसी कम्पनियों को भी बुलाना होगा, उनकी मदद लेनी होगी। आज हम समुद्र के मौसम के बारे में विचार करें। यह ठीक है कि आज हिन्दुस्तान नम्बर एक पर पहुंच गया है, लेकिन अन्य बातों में हम समुद्र की जानकारी की दृष्टि से एक नम्बर पर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं से एक-दूसरे से ज्ञान का आदान-प्रदान करना होगा, इसके आदान-प्रदान में वे कहीं अधिकतम लाभ न ले जाए। इस बात की चिन्ता सरकार को करनी चाहिए। सरकार इसी चिंता के तहत अपने इन सभी कर्तव्यों को पूरा करते हुए इस कानून को लेकर आई है मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसमें दंड का प्रावधान रखा गया है। मैंने जितना इस बात का अध्ययन किया है मैं उसमें एक बात की सराहना करना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति पट्टा नहीं लेता है, लाइसेंस नहीं लेता है और उसके बाद खनन करता है या उपयोग करना चाहता है ऐसी स्थिति में पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा है। वह जितना लाभ कमाएगा उतना उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। दूसरी तरफ यदि लाइसेंसधारी है और नियम का उल्लंघन करता है तो इसमें साफ लिखा है 10 लाख से एक करोड़ रुपए तक जुर्माना बढ़ सकता है। यदि विशेष परिस्थिति होगी तो कम से कम वह जुर्माना एक लाख रुपए से कम नहीं होगा। उसे 10 लाख के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। इसका सरकार के पास अधिकार है। निश्चित रूप से दंड प्रक्रिया को पूरी तरह स्पष्ट किया है जो महत्वपूर्ण बात है। सिविल प्रक्रिया अपनाने की भी इसमें कल्पना की है। इसे अलग रख कर सिविल प्रक्रिया से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश सरकार ने की है। इस परिस्थिति में जो कुछ छूटें दी हैं जैसे भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय, नौसैनिक सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान सहित केन्द्र की जो एजेंसियां होंगी और यदि वे अनुसंधान करना चाहती हैं, उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर के हित को देखते हुए अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो इस कानून की सहमति के बगैर वह अपना काम जारी रख सकती है। राष्ट्रीय हित

के सवालों का ध्यान रखते हुए इस कानून को पूरा स्थान दिया गया है और पूरी चिन्ता की गई है। इस विधान को बनाते समय जो चिन्ता की है और देश के सामने जो चीजें आज धरती पर शायद हमारे लिए संभव नहीं है उन खनिजों का उल्लेख इस रिपोर्ट में किया है और वे हैं इल्मेनाइट, गारनेट, जीकोन, मोनाजाइट, अल्मीनियम, सिलेकेट, सिल्मेनाइट, कायनाइट, लिकोटिन। ऐसे उत्पाद धरती पर कम मात्रा में पाए जाते हैं और हम दूसरों पर आश्रित हैं। ऐसी स्थिति में देश के भविष्य के लिए यह कानून हमारी प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा मेरी ऐसी मान्यता है। सरकार सारी कमियों को दूर करते हुए जितनी जल्दी इस कानून को लाई है, उसके लिए वह बधाई की पात्र है। मैं इसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं इसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। अय्यर जी ने जो तर्क दिया कि रवि शंकर जी पता नहीं मजबूत होते हैं या नहीं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमें विरासत में जो सरकार मिली है वह अविश्वास के धरातल पर मिली है। मैं रवि शंकर जी से परिचित हूं। उन्हें उत्तराधिकार में जो चीजें मिली हैं, आशा है वह उनमें सफल होंगे और अविश्वास को तोड़ेंगे। इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं न समाजवादी हूं और न ही पूंजीवादी है। मैं एकात्म मानववादी हूं। मुझे लगता है कि हम किसी जाल में फंसने वाले नहीं हैं। हम भारत के हितों की चिन्ता करेंगे और यह कानून उसकी मिसाल बनेगा। सभापति जी धन्यवाद।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): मैं सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी नए हैं। जैसे मेडन स्पीच होती है उसी तरह इनका यह मैडन बिल है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। यह एक लाभ देने वाला विधेयक है। 1982 में यूएन कनवैंशन हुआ था। हमने खान और खनिज को छोड़ दिया था। इसके पहले 20 बरस तक जैसे-तैसे काम चल रहा था। बिल के उद्देश्य और कारण इन लोगों ने नहीं पढ़े हैं। मैं पहले हिन्दी वाला पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि भारत का भूमि क्षेत्र लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है जिसमें तटवर्ती क्षेत्र 8 हजार 41 वर्ग किलोमीटर है। महोदय, इससे लगता है कि 33 लाख वर्ग किलोमीटर में से 8041 वर्ग किलोमीटर तटवर्ती क्षेत्र है। अब अंग्रेजी में सुनिए। भारत का भू-क्षेत्र लगभग 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है इसकी समुद्र तट रेखा 8041 किलोमीटर है। हिन्दी और अंग्रेजी में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हिन्दी में लिखा हुआ है कि 8041 वर्ग किलोमीटर समुद्री किनारा-ये लोग लापरवाही से विधेयक बनाते हैं, कुछ भी लिखते हैं और संसद में लेकर आते हैं। यह नहीं जानते कि सरसरी निगाह से लोग पढ़ेंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र का क्षेत्र 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि अन्यान्य आर्थिक क्षेत्र का क्षेत्रफल 22 लाख वर्ग किलोमीटर-फिर अर्थ का अनर्थ हो गया। हमें संदेह हो जाता है कि हिन्दी वाली बात ठीक है या अंग्रेजी वाली। इसलिए मैं संशय में पड़ जाता हूं जो 20.2 लाख वर्ग किलोमीटर हुआ।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): महोदय, ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि गणित के प्रोफेसर महाविद्यालय से संसद में आ गए हैं और वे गणित भूल गए हैं।

सभापति महोदयः माननीय मंत्री जी इसे स्पष्ट करेंगे।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः 22 लाख हिन्दी में और अंग्रेजी में 2.02 मिलियन किलोमीटर?

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय मंत्री जी, बहुत उचित मुद्दा उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः यह कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। इतना ही नहीं, यह कहा गया कि खनिज, बालू में अधिकांशतः रूटाइल सहित इल्मेनाइट, लिकोटिन, गारनेट जीर्कोन, काइनाइट, मोनाजाइट, अल्युमिनियम सिलिकेट ये सब भारी पैमाने पर पाये गये हैं। ये सब खोज से मिले हैं लेकिन रायल्टी के मामले में लिकोटिन और काइनाइट को छोड़ दिया गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इन्हें क्यों छोड़ दिया गया? बाद मैं इसमें लिखा है कि खनिज जो अनुसंधान में मिलेंगे लेकिन जिन खनिजों की जानकारी हो गई, उन्हें रायल्टी में क्यों छोड़ दिया गया। सरकार इसे देखे क्योंकि यह बिल लापरवाही से लाया गया है। हम सब जानते हैं कि समुद्र में भारी मात्रा में खनिज मिलते हैं और किनारे पर भी खनिज पदार्थ मिलते हैं। यदि खुदाई की जायेगी तो मालूम होगा कि बालू में खनिज कितना है? लिकोटिन, इल्मेनाइट इसमें हैं। हमने एल्युमीनियम ऑक्साइड और बॉक्साइट सुने थे। इल्मेनाइट, कायनाइट नहीं सुने थे। लेकिन ये सभी पदार्थ उसमें छूट गये हैं तो इन्हें माननीय मंत्री जी ठीक से देख ले। आपने शुरू में कहा कि जो चीजें खनिज में हैं, उनका रॉयल्टी में छूट जाने से क्या मतलब रहेगा। उसकी रॉयल्टी नहीं आयेगी और उसमें कुछ हेरा-फेरी हो जायेगी। इसलिए इसमें सुधार कर लेना चाहिए। जिन एरियाज का इन्होंने दावा किया है कि हमने सुरक्षा का भी ख्याल रखा है। हम जानना चाहेंगे कि आपने कौन सा इंतजाम किया है, जो उधर सुरक्षा ठीक रहेगी। उस एरिया में अब तक जो सुरक्षा

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

की व्यवस्था थी, एक विधेयक आने के बाद यह कौन से विशेष इंतजाम करेंगे जिससे वहां की सुरक्षा ठीक रहेगी।

इसके बाद पर्यावरण का मामला आता है। आपने पर्यावरण के लिए कौन सा उपाय किया है, क्या कार्रवाई की है, जिससे हमारा पर्यावरण दुरुस्त रहेगा। नहीं तो इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट लग जाते हैं। अभी वन्य एवं पर्यावरण विभाग में जहां पहाड़ हैं, उसमें जहां-तहां वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने पहाड़ों को काट-काट कर खत्म कर दिया। उन्होंने पहाड़ों को नीचे से काट दिया, ऊपर जंगल और मिट्टी है, नीचे से काट लेने के कारण सारी मिट्टी और जंगल बरबाद हो गये और उसका पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ा। इसलिए कौन सी सावधानी बरती गई है, जो इन खनिजों का दोहन करेंगे या उन्हें निकालेंगे और सप्लाई करेंगे, आपने कौन से उपाय, कौन सी सावधानियां बरती हैं जिनसे हम आश्वस्त हो सकें कि सरकार इस मामले में सचेष्ट है। केवल कह देने से नहीं कि विधेयक में आपने सुरक्षा और पर्यावरण के लिए प्रावधान किया है। इन सारी बातों की जानकारी हम सरकार से चाहते हैं और इनका क्या फायदा होगा। 1982 में कन्वेशन हुआ, 20 वर्षों तक एक विभाग मंथन करता रहा, हिसाब जोड़ता रहा और इसे लाने में इतनी देरी हुई। श्री मणिशंकर अय्यर जी ने सब हिसाब बताया है कि खान-खनिज का हमारा अथाह भंडार पड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, बिहार का बंटवारा हुआ और सारे खान-खनिज झारखंड में चले गये। सारी पूंजी झारखंड के उद्योगों में लग गई। हमारे यहां ग्रेनाइट का जो अनुसंधान हुआ है, सरकार बताये कि उस ग्रेनाइट का कब इस्तेमाल होगा, नहीं तो बिहार में सिवाय बालू के खान-खनिज अब नहीं रहे हैं। लेकिन वहां मुंगेर कर्ण की राजधानी जंगली एरिया में थी, लोग बताते हैं कि इस एरिया में सोना मिलने के अवसर है। इसलिए आप समुद्र के किनारे खोलिये। समुद्र के किनारे होने के कारण पुराने जमाने में मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता विकसित होते गये। चूंकि वहां समुद्री मार्ग था, इसलिए ये विकसित होते चले गये। लेकिन जो बीच में हैं, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार आदि का क्या होगा। खान-खनिज का आप केवल समुद्री एरियाज वाला कानून लाये हैं। आप बिना समुद्री एरियाज के खान-खनिज वाला कानून भी लाइये और बताइये कि इनका दोहन कैसे होगा, ग्रेनाइट का दोहन कैसे होगा। कर्नाटक मे ग्रेनाइट बहुत अच्छा होता है, वहां अच्छा कारोबारी पत्थर होता है। जयपुर में विभिन्न किस्म का संगमरमर है। हमारे यहां जांच करने तथा अनुसंधान करने पर सबसे अच्छा ग्रेनाइट पत्थर बिहार में मिला है। अब मुझे लगता है कि हम लोग भी खान-खनिज वाले मामले में शून्य नहीं रहेंगे। हमारे लिए भी कुछ इंतजाम हो जायेगा। इसलिए तटवर्ती इलाकों के साथ-साथ गैर तटवर्ती एरियाज में भी खान-खनिज का दोहन हो, उससे लोगों को लाभ मिले और इसका सदुपयोग हो, इन सब बातों को माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें। माननीय मंत्री जी नये आये हैं और यह विधेयक लाये हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि स्वस्थ आलोचना का हम स्वागत करते हैं, परंतु एक समुग्र बिल इस सरकार के द्वारा लाया गया है। समुद्र को रत्नाकर कहा गया है, वसुन्धरा कहा गया है। रत्नाकर का मतलब जो रत्नों का भंडार होता है, बाकी संस्कृत के शब्द हैं। आप अंग्रेजी धाराप्रवाह बोलते हैं, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसके साथ हमारी जो शब्दावली है, रत्नाकर, वसुंधरा, रत्नों को धारण करने वाली तथा समुद्र के पैंदे में पाये जाने वाले नाना प्रकार के खनिज जो गिनाये गये हैं, उनका उल्लेख किया गया है। ऐसा समग्र बिल इस सरकार के द्वारा केवल तीन-चार साल के शासन के अंदर ही लाया गया है, इसके लिए मैं एन.डी.ए. सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

1982 के कन्वेंशन की माननीय सिंह साहब और अय्यर साहब ने यहां बात कर रहे थे। उसके बाद शासन किन लोगों के हाथ में था, किनके हाथ में इस देश का शासन था? यू.एन. कन्वेंशन, 1982 के अंदर सम्पन्न हुआ। उसके बाद यह अधिकार मिल गया कि इतना नाटीकल माइलज तक भारत की सीमा है, उसके आगे इसकी सीमा है और उसके आगे उसकी सीमा है। इससे हम समुद्र के अंदर गति कर सकते हैं। वहां पर खनिजों को निकाल सकते हैं। आखिर क्यों नहीं निकाला? किसने मना किया था? करना और कहना या बोलना अलग-अलग बातें हैं।

कथनी थोती जगत में, करनी उत्तम सार, कह कबीर करनी सबल, उतरे भवजल पार।

इसलिए मैं बधाई देना चाहूंगा, कम से कम इसको तो निकाला। मैं रघुवंश बाबू जी के लिए यह प्रार्थना करना चाहूंगा। वैसे उनके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल समुद्र के अंदर पाये जाने वाले खनिजों के बारे में लाया गया है। धरती के ऊपर पाये जाने वाले खनिज, भारत भूमि को ट्रेजर ऑफ नेचर, क्रेडल ऑफ नेचर, प्रकृति का पालना कहा है। वहां पाये जाने वाले खनिजों के लिए बहुत से कानून बने हुए हैं, जिन कानूनों के आधार पर खनन होता है, खुदाई होती है। बिहार को रायल्टी प्राप्त होती है और हर राज्य अपना-अपना हिस्सा प्राप्त करता है। ऐसे बहुत सारे कानून पहले से बने हुए हैं लेकिन समुद्र के पैंदे में पाये जाने वाले खनिज पदार्थ हैं, उनका हम कैसे दोहन कर सकें, कैसे उनसे भारत लाभान्वित हो सके, इसके बारे में यह समग्र बिल, कम्प्रीहैन्सिव बिल लाया गया है। इसके लिए मैं इनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा। जैसा भारत के संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है कि केन्द्रीय सरकार को अधिकार है कि वहां अपना जो लंबा चौड़ा तट है, 8041 किलोमीटर का हमारा तटीय क्षेत्र है और 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर खनिजों का अन्वेषण करना और उनका एक्सप्लोरेशन करना, उनके लिए व्यवस्था करना आदि ये सारे अधिकार केन्द्रीय सरकार को मिले हुए हैं। केन्द्रीय सरकार ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए खनन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था। वर्किंग ग्रुप ने काफी डिसकशन किया।

[अनुवाद]

> "सरकार के कार्यकाल की सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों के विकास और विनियमन संबंधी कानून को अधिनियमित किया जा सकता है।"

[हिन्दी]

यह बात विचार करने के बाद जो कार्यक्रम बनाया गया था। उसकी जो अभिशंसाएं थीं, उन अभिसंसाओं के बारे में विचार करके, फिर विकास करने के लिए और खनन को अधिनियमित करने के लिए यह बिल बनाया गया है। अंत में बताया गया है कि:

[अनुवाद]

> "खनिज क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रस्तावित विधेयक अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों के दोहन और विकास को सुचारू बनाएगा और खनिज भंडारों (पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और हाइड्रोकार्बन संसाधनों के अलावा व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से दोहन को सुनिश्चित करेगा।"

[हिन्दी]

यह मामला खनन का था लेकिन माननीय अय्यर साहब उदारीकरण की नीति की आलोचना करने लगे और पिछले चार-पांच साल की बातें करने लगे। आप कभी तो चश्मा दूसरा लगा लीजिए। जाकि रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखि तिन तैसी। कोई भी विषय हो, कैसा भी विषय हो, केवल छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति वास्तव में राष्ट्र के लिए घातक है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां राष्ट्र का सर्वांगीण विकास निहित है वहां कम से कम हम मिलजुल कर ऐसा काम आगे बढ़ाये।

सं. गच्छध्वं सं वदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्,

देवा भागं यथापूर्वे, सं जानाना उपासते।

मैं समझता हूं कि माननीय अय्यर साहब बहुत विद्वान हैं और वे इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि सुव्यवस्थित ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से दोहन करने के लिए समुद्र के अंदर खनिजों के रिजर्व भंडार बने हुए हैं। हम सब जानते हैं क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय में बाम्बे हाई, समुद्र के किनारे हम देखने के लिए गये थे।

लगभग डेढ़ सौ मील, समुद्र के किनारे से दूर, अंदर बड़े-बड़े संस्थान और यंत्र लगे हुए हैं जो उस समय रशिया की सहायता से लगाए गए थे। समुद्र के पैंदे से तेल की खुदाई करके हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपार्टमैंट ने देश की तेल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का जो प्रयास किया था, मैं समझता हूं वैसा ही प्रयास आगे आने वाले समय में होगा, क्योंकि वह डिपार्टमैंट अलग है, खनन विभाग समुद्र के पैंदे में पाए जाने वाले खनन के बारे में पूरा ध्यान रखेगा।

फर्स्ट शैडयूल में रेट्स ऑफ रॉयल्टी बताई गई है। उन खनिजों को निकालने के लिए दूसरी प्राईवेट पार्टियां भी आती हैं और पैसे लगाती हैं, तो रॉयल्टी का रेट क्या होगा, कौन-कौन से धातु मिलने वाले हैं, प्रॉन, इलमेनाइट, रूटाइल, ल्यूकोक्सीन, जिरकॉन, गारनेट आदि, मैं समझता हूं कि हमारे यहां नीलमणियां, रजत मणियां और कई प्रकार की मणियों का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। जॉग्राफिक या डिस्कवरी चैनल में जैसा बताया जाता है, समुद्र के पैंदे में नाना प्रकार के रत्न और अन्य वस्तुएं हो सकती हैं। उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। निश्चित रूप से मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जब कानून बन रहा है लेकिन इसकी क्रियान्विती स्वीकृत करें और शीघ्र ही खनन का कार्य आरंभ किया जाए ताकि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहला सके, जिसके बारे में कहा जाता है-जहां डाल-डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा।

इसमें प्रदूषण से बचने के लिए भी प्रावधान किया गया है क्योंकि समुद्र में नाना प्रकार के जीव पाए जाते हैं जैसे कोरल्स हैं। हम अंडमान-निकोबार गए थे। वहां नीचे जो कोरल्स पाए जाते हैं, वे नौका के कांच से नीचे देखने पर दिखाई देते हैं। उन कोरल्स को नुकसान नहीं पहुंचे, नाना प्रकार की मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचे या और किसी प्रकार से खनन द्वारा प्रदूषण हो, इसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है।

[प्रो. रासा सिंह रावत]

व्यक्तियों का स्वास्थ्य, देश की सेफ्टी और सिक्युरिटी का प्रश्न भी यहां आया है।

[अनुवाद]

"केन्द्र सरकार को सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से अपतटीय क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य और इन क्षेत्रों में संपत्ति की सुरक्षा हेतु मानदण्ड बनाने के लिए प्राधिकृत किया जा रहा है।"

[हिन्दी]

समुद्र के अंदर और किनारे जो प्रापर्टी है, वहां रहने वाले जीवों की सुरक्षा आदि के बारे में भी इसमें बताया गया है। पैमेंट ऑफ रॉयल्टी के नियम क्या होंगे, फिक्स्ड रैंट किस प्रकार लिया जाएगा, डिफैंस सेफगार्ड, कहा जाता है कि देश की रक्षा खतरे में न पड़े, यह भी इसमें दिया गया है। श्री पटेल ने बताया कि परमाणु विभाग हो, डिफैंस विभाग हो या लेवी हो, उन सबसे मिलकर भी ऐसा कोआर्डीनेशन किया जाएगा ताकि हमारी सेना या देश की सुरक्षा को किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचे। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो. रासासिंह रावत: मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। *...(व्यवधान)*

इसमें आपरेटिंग राइट्स का भी प्रावधान किया गया है। यह बताकर मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि यह बहुत समग्र बिल है। यह समग्र बिल में यह प्रयास किया गया है कि किसी प्रकार की कमी नहीं रहे लेकिन फिर भी यदि माननीय सदस्य कोई कमी बताते हैं तो उसे सरकार दूर करके निश्चित रूप से राष्ट्र हित में खनन कार्य प्रारंभ करके खनिजों की सम्पदा को बाहर लाकर राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाने का प्रयास करेगी।

इंटर डिपार्टमैंटल कंसल्टेशन की बात कही गई है। डिफैंस डिपार्टमैंट एंड मिनिस्ट्रीज, जो ऑफशोर एरिया के अंदर पैरलल इंटरस्ट रखते हैं, उनसे भी विचार-विमर्श की बात कही गई है। एक्सप्लोरेशन लाइसैंस देने की बात, लीज देने की बात, उसके लिए पहले उनसे वर्क प्रोग्राम मांगेंगे कि आपका क्या कार्यक्रम रहेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, पहली स्टेज में क्या होगा, दूसरी स्टेज में क्या होगा, कब तक उसका वास्तविक स्वरूप सामने आएगा, उनके बारे में भी नियम बनाए गए हैं। इन सबसे पता लगता है कि यह वास्तव में बहुत उपयोगी बिल है। इसलिए मैं आपकी अनुमति से अपने इस कथन को विराम प्रदान करते हुए पुनः कहना चाहूंगा कि एन.डी.ए. की सरकार द्वारा यह अच्छा बिल लाया गया है। पहले पटवा जी, जो पूर्व खनन मंत्री थे, ने भी इसके लिए काफी प्रयास किया था। मैं ऑफशोर एरिया मिनरल्स डैवलपमैंट एंड रैगुलेशन बिल, 2001 का समर्थन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। विलम्ब से प्रस्तुत किये गये इस विधेयक में कुछ प्रावधान हैं जिनकी पूरी तरह जांच करनी पड़ेगी। केरल राज्य के चावारा में क्यूलोन के निकट उत्खनन का कार्य पहले से ही जारी है। वहां इंडियन रेयर अर्थ मिनिरलर्स लिमिटेड कंपनी पिछले 3-4 दशकों से कार्य कर रही है। हजारों मजदूर इसमें काम कर रहे हैं। क्यूलोन के निकट चावारा से जरकॉन, इलमीनाइट, थोरियम आदि खनिजों का खनन किया जाता है।

महोदय, भारत ही केवल ऐसा देश है जो इन दुर्लभ खनिजों को उपलब्ध करा सकता है *...(व्यवधान)* यह कहा जाता है कि परमाणु हथियार बनाने यहां तक की अणु बम्ब बनाने में *...(व्यवधान)* हम ऐसा कर रहे हैं। हम इन्हें बना रहे हैं *...(व्यवधान)* उनको शायद ज्ञात नहीं है कि वहां दशकों से कार्य कर रही है और वहां से थोरियम का उत्खनन किया जा रहा है। सिलीमानाइट और जरकॉन खनिजों का उत्खनन भी क्यूलोन के निकट चावारा से किया जाता है।

महोदय, यदि मैं सही समझ रहा हूं तो एक भारतीय कम्पनी अर्थात् सरकारी क्षेत्र की कंपनी में लगभग 3000 मजदूर कार्य कर रहे है। यह काफी समय से लाभ अर्जित कर रही थी। लेकिन इस नीति के कारण यह कंपनी बंद हो गयी है। यह कंपनी इसलिए बंद नहीं हुई कि थोरियम की मांग बाजार में नहीं है या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इलमीनाइट की आवश्यकता नहीं है बल्कि केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण यह कंपनी बंद हो गयी है। लगभग 3000 मजदूर, सरकार की इस नीति के कारण बेरोजगार हो गए है।

महोदय, न केवल केरल में हमारे तटीय क्षेत्र बल्कि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्रों में इन दुर्लभ खनिजों का भण्डार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तीन से चार मील की परिधि में ये दुर्लभ खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। समुद्री रेत में थोरियम और इलमीनाइट के भण्डार हैं। यह सर्वविदित तथ्य है। अगर आप वहां जाकर समुद्री रेत को देखते हैं, तो उसे चमकता हुआ पायेंगे। क्यों? यह इसलिए क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में ये दुर्लभ खनिज उपलब्ध हैं। अब भी मैं माननीय मंत्री जी को केरल तट पर आने का निमंत्रण देता हूं। वह विस्तृत समुद्र तट के पास थोरियम और इलमीनाइट को टनों की मात्रा में पायेंगे। रात में समुद्रतट की रेत में ये खनिज

सितारों की तरह चमकते हैं। आज भी आप इसे देख सकते हैं। हालांकि हम इसका उत्पादन नहीं कर सके। इन खनिजों का उत्खनन करने के लिए सरकार एक अंतरराष्ट्रीय कम्पनी, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी लाने के लिए विचार कर रही है। यह कहा जाता है कि यह रक्षा क्षेत्र है। इससे हम किस हद तक प्रभावित होंगे? इसका पता लगाना होगा। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करे कि इण्डियन रेयर अर्थ फैक्ट्री जो वहां पहले कार्य कर रही थी को किस प्रकार पुन: चालू किया जा सकता है, मजदूर काम करने के लिए तैयार हैं। कंपनी भी कार्य करने के लिए तैयार है। यदि सरकार उनकी दृढ़ता से सहायता करती है तो मुझे विश्वास है कि हम रक्षा उत्पादन के लिए आवश्यक थोरियम का उत्पादन कर सकेंगे और शीघ्र ही हम चावारा से इलमीनाइट, एक दुर्लभ खनिज का उत्पादन कर सकेंगे। ये खनिज वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। आपको चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निसन्देह आपके कानून से भी कुछ लाभ मिलेगा।

लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार ने एक लाइसेंस के लिए 30 वर्ष की अवधि निश्चित की है और किसी आधार पर इसे दस या बीस वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। संविधि में ऐसा प्रावधान किया गया है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हम भारतीय विदेशी कंपनियों में ही रुचि दिखाते हैं। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक में यह प्रावधान है कि केवल भारतीय कंपनियों को ही लाइसेंस दिए जाएंगे। यह ठीक बात है। निजीकरण के मामले में मैं बाधा नहीं डालना चाहता। लेकिन इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस कंपनी में किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को कार्य करने की अनुमति न दी जाए। उनको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह हमारी रक्षा सुरक्षा से संबंधित मामला है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 26 प्रतिशत की इक्विटी देकर उन्हें इस क्षेत्र में लाएं। केन्द्र सरकार हमेशा से ऐसा नारा लगाती रही है। आप प्रत्येक निजी कंपनी में 26 प्रतिशत इक्विटी दे रहे हैं। क्यूलोन के निकट चवारा समुद्र तट जो कि त्रिवेन्द्रम से 60 मील की दूरी पर उत्तर की ओर स्थित है, से इलमीनाइट या दुर्लभ खनिज के उत्खनन के लिए कंपनी में 26 प्रतिशत समुद्र तट की इक्विटी न दी जाये। वहां से करीब 60 मील के विस्तृत क्षेत्र में भी यह उपलब्ध है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नियम बनाते समय सावधानी बरती जाये और उन्हें लागू करते समय इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि हमारे राष्ट्रीय हित पूरी तरह सुरक्षित हैं।

पहले ही कानून मौजूद है। इसके लिए अब हम समेकित कानून लागू करने जा रहे हैं। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि हमारे राष्ट्रीय हितों और मजदूरों के हितों की भी सुरक्षा की गई है। कुछ कंपनियां बंद होने के कगार पर हैं। उन सभी कंपनियों को केन्द्रीय सहायता देकर पुन: चालू किया जाए और लाभ अर्जित करने वाली कंपनी बनाया जाए। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इन सब मामलों विशेषकर क्यूलोन के निकट चावारा के तट पर स्थित रेयर अर्थ फैक्टरी के कार्यकरण पर ध्यान देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंगपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। निसन्देह यह एक अच्छा विधेयक है क्योंकि यह हमारे 33 लाख किलोमीटर तटवर्ती खनिज क्षेत्र में 28 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जोड़ रहा है। यदि आप 33 लाख किलोमीटर तटीय क्षेत्र अर्थात् भारत के भू-क्षेत्र को देखेंगे तो आपको वह क्षेत्र अलग करना पड़ेगा जो पाकिस्तान के अधीन है और जो चीन के भी कब्जे में है। अत: यह क्षेत्र भारत के क्षेत्र के बराबर है। हमें इस नए खनिज क्षेत्र का दोहन करना है। अत: यह एक स्वागत योग्य विचार है जिसका हम समर्थन करते हैं, हम चाहते है कि इस कार्य को ईमानदारीपूर्वक वैज्ञानिक तथा आधुनिक ढंग से सम्पन्न किया जाये।

इस विधेयक का समर्थन करते हुये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। साथ ही मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन सुझावों पर ध्यान देंगे और उत्तर देते समय वे इन मुद्दों के भी उत्तर देंगे।

ऐसा नहीं है कि हम समुद्री उत्पादों का दोहन नहीं कर रहे हैं। हम मछली तथा अन्य समुद्री उत्पादों का दोहन कर रहे हैं। लेकिन ये खनिज समुद्र के नीचे हैं। यह सभा और देश जानना चाहते हैं कि कौन से विकसित देश अपतटीय खनिजों का दोहन कर रहे हैं। वे कौन-कौन से खनिज कितनी-कितनी मात्रा में निकाल रहे हैं।

इस संबंध में सभा के समक्ष एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत की जानी चाहिए और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी ऐसा करेंगे। यही मेरा पहला मुद्दा है।

अब मैं दूसरे पहलू पर आऊंगा। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है। निसन्देह यह खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम जिसे अब खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के नाम से जाना जाता है, की तरह न होकर अनुच्छेद 297 के तहत बनाया गया एक केन्द्रीय कानून है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम संबंधित राज्य सरकार

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

द्वारा बनाया जाने वाला विधान है और इसे भारतीय संसद द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए था। संसद के पास खान एवं खनिजों के केवल विनियमन और विकास का अधिकार है। इसे संबंधित राज्यों को भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह पूरी तरह एक केन्द्रीय अधिनियम है। इस केन्द्रीय अधिनियम में तटीय राज्यों, समुद्री उत्पादों से जुड़े राज्यों की भूमिका अथवा उनके हिस्से के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसकी भी जांच की जानी चाहिए क्योंकि यह उनसे भी संबंधित है और जैसा कि माननीय मंत्री श्री वरकला राधाकृष्णन जी ने ठीक ही कहा कि खनिज केवल केरल के तटीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में भी उपलब्ध हैं। गोपालपुर में मोनाजाइट, रुटाइल थोरियम तथा अन्य खनिजों के भण्डार मौजूद हैं। अत: तटीय क्षेत्रों में प्रचुर खनिज संपदा है, अभी तक इसका उचित तरह से दोहन नहीं किया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि तटीय राज्यों की भूमिका समुद्री उत्पादों से जुड़े संबंधित राज्यों और उनके हिस्से को भी उचित रूप से सुनिश्चित किया जा सके। इस अधिनियम के इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

मेरा तीसरा मुद्दा रॉयल्टी के संबंध में है। इसकी भाषा खान और खनिज (विनियमन और विकास अधिनियम) जिसे अब खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम से जाना जाता है, से ली गई है। रॉयल्टी के संबंध में इस अधिनियम के खंड 16 में प्रावधान है। खंड 16, उप-खंड के परन्तुक में निम्नलिखित कहा गया है:-

> ''केन्द्रीय सरकार किसी खनिज की बाबत स्वामित्व की दर तीन वर्ष की किसी अवधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं बढ़ाएगी।''

आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इसे स्पष्ट करें। इसमें चतुराईपूर्वक भाषा का प्रयोग किया गया है और इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। कृपया इसे ऐसा बनाये कि प्रत्येक दो वर्ष में इसमें वृद्धि की जायेगी अच्छा इसमें संशोधन किया जाएगा। आप निश्चित समय बतायें, अन्यथा तीन वर्षों के अंदर भी इसे नहीं बढ़ाया जायेगा और इसका तात्पर्य यह है कि इसे 10 से 15 वर्षों तक भी नहीं बढ़ाया जायेगा। जैसा कि वर्तमान में अन्य खनिजों और कोयला के मामले में किया जा रहा है। माननीय कोयला और खनिज मंत्री इस बात से अवगत हैं कि पिछले 8 वर्षों से कोयले की रायल्टी में कोई संशोधन नहीं किया गया है या इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है क्योंकि वहां ऐसा प्रावधान है और वे ऐसे प्रावधान की शरण ले रहे हैं।

सरकारिया आयोग ने यह ठीक ही कहा है कि प्रत्येक दो वर्ष में रॉयल्टी बढ़नी चाहिए। यह कर दिया गया है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने भी कहा है कि प्रत्येक तीन वर्ष में रॉयल्टी बढ़नी चाहिए और यदि कोई सरकार रॉयल्टी समय पर नहीं बढ़ाती है तो खनिज उत्पादन करने वाले राज्यों को मुआवजा मिलेगा। इसलिए, मेरा कहना यह है कि हालांकि भारत सरकार को रॉयल्टी मिलेगी किंतु फिर भी यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि प्रत्येक दो वर्ष के बाद यह रॉयल्टी बढ़ाई जानी चाहिए अन्यथा निजी खनिज ही लाभार्थी होंगे। अत: मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि वे कृपया इस पर ध्यान दे।

महोदय, मेरा चौथा सुझाव यह है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कृपया प्रथम अनुसूची को देखें। उसमें केवल नौ मदें हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल नौ खनिजों का ही पता लगाया गया हैं उससे अधिक नहीं। इससे यह पता चलता है कि जहां तक अपतटीय खनिज संपदा का संबंध है सभी खनन योग्य क्षेत्रों का संपूर्ण सर्वेक्षण नहीं किया गया है। दरअसल, हम जानना चाहते हैं कि जहां तक हमारी अपतटीय खनिज संपदा का संबंध है, सबसे बड़ा सर्वेक्षण कौन-सा किया गया है। यहां, केवल नौ खनिजों का ही उल्लेख किया गया है। प्रथम अनुसूची में भी, एक प्रावधान यह है कि कुछ खनिजों पर रॉयल्टी 'मूल्यानुसार' आधार पर है और कुछ पर समान दर से। इसलिए, मेरा सुझाव मात्र यही है कि कृपया सभी खनिजों पर रॉयल्टी मूल्यानुसार की जाए।

महोदय, 1957 में जब खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, अधिनियमित किया गया था तब इस सभा को और राष्ट्र को यह आश्वासन दिया गया था कि पिट माऊथ वैल्यू का 20 प्रतिशत रॉयल्टी के रूप में दिया जाएगा। यह आश्वासन पूरा नहीं किया गया। उस समय प्रावधान था कि प्रत्येक चौथे वर्ष में इसे बढ़ाया जाएगा किन्तु ऐसा हानिकर प्रावधान बनाने के कारण उसका पालन नहीं किया गया। हानिकर रचना यह है - मैं पुन: पढ़ रहा हूं - तीन वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी खनिज की रॉयल्टी दर एक बार से अधिक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। इसका अर्थ है कि तीन वर्षों में इसे बढ़ाया नहीं जाएगा और 'तीन वर्षों के पश्चात्' का अर्थ है कि इसे 10 वर्षों के पश्चात् बढ़ाया जा सकता है और या फिर 20 वर्षों के बाद भी बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि कोयले के मामले में हो रहा है। इसलिए, उनसे मेरा अनुरोध है कि यह एकदम साफ, स्पष्ट और असंदिग्ध होना चाहिए ताकि किसी भी प्रावधान का भविष्य में कोई भी दुरुपयोग न हो सके।

मैं, माननीय मंत्री, को ऐसी कानून लाने के लिए पुन: धन्यवाद देता हूं। इसकी सफलता की मैं कामना करता हूं किंतु इस सभा के समक्ष मैंने जो चार चीजें रखीं हैं माननीय मंत्री, कृपया उनका समाधान करें।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक मुद्दा उठाना चाहूंगी।

हमें बहुत प्रसन्नता है कि सदन के सत्र के दौरान, श्री अब्दुल कलाम जी करीब 90 प्रतिशत मतों से राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं क्योंकि यह चुनाव सर्वसम्मति से किया गया चुनाव है। यह कहते हुए हमें गर्व हो रहा है कि वे, नए वैज्ञानिक विश्व के सुलहकार हैं और वे देश की आशा हैं। महोदय, आपके माध्यम से हम उन्हें बधाई देते हैं।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। तथाकथित उदारीकरण और वैश्वीकरण के वर्तमान परिदृश्य हैं, मैं सरकार और मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जो कम से कम विदेशियों को रोकता तो है। यह अच्छा तो है किंतु मुझे आशंका इस बात की है कि वे कितनी देर तक इसका पालन करेंगे। यह रोजमर्रा की बात है।

महोदय, यह स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार अपतटीय क्षेत्रों में खान एवं खनिजों के विकास के विनियमन से अपना नियंत्रण हटाने के लिए विधि के अधिनियमन की आवश्यकता महसूस कर रही है। एक प्रस्ताव भी आया है जो संचालन अधिकारों के मानक, उत्पादन पट्टा इत्यादि को स्पष्ट करता है। यह अच्छा है। इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह किया जा सकता है किंतु इस विधेयक का समर्थन करने के साथ-साथ मैं एक प्रश्न अवश्य करूंगा।

अपराह्न 5.00 बजे

यहां एक माननीय सदस्य द्वारा यह प्रश्न पहले ही उठाया जा चुका है कि संबंधित राज्य सरकारों को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया था राज्य सरकारों को सम्मिलित करने का कोई प्रावधान क्यों नहीं है। अपतटीय तथा तटीय क्षेत्रों की देखभाल के लिए राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं। मेरे विचार से कुछ प्रावधान तो होने ही चाहिए। कृपया विभिन्न राज्य सरकारों को इसमें शामिल करने पर विचार करें।

मैं सरकार का आभारी हूं कि उसने कार्य-दलों की सभी सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। यह अच्छी बात है किंतु मुद्दा यह है कि आपने राज्य सरकारों से इस पर अपनी सिफारिशें या राय व्यक्त करने के लिए क्यों नहीं कहा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया इस मुद्दे को देखें।

मैं कहना चाहता हूं कि सब कुछ ठीक है। अंत में, मैं एक अन्य मुद्दा उठाना चाहूंगा जो इस विधेयक के दायरे में संभवतः नहीं आता है। चूंकि मंत्री महोदय महासागर संबंधी मामलों को देख रहे हैं अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि दिन प्रति दिन समुद्री कटाव बढ़ता जा रहा है और यह सत्य है। इसका ध्यान कौन रखेगा? राज्य सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। उनके पास धन नहीं है और समुद्र से जुड़े मामले उनसे संबंधित नहीं हैं। यह मुद्दा संभवतः इस विधेयक की परिधि में नहीं आता। किंतु कृपया इस पर ध्यान दें ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। मैं और कहना नहीं चाहता, कुल मिलाकर, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): आदरणीय सभापति महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है किंतु यह करीब दो वर्षों के विलंब के बाद प्रस्तुत किया गया है। सच तो यह है कि 1982 के आरंभ में समुद्र कानूनों पर हुए सम्मेलन में हमने भी भाग लिया था। यह विधेयक केवल प्रक्रियात्मक मामलों से संबंधित है। इसका व्यापक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए था ताकि हमारे भारत देश के चारों तरफ समुद्री बेसिन में उपलब्ध सम्पदा का संरक्षण किया जा सके। समुद्री तट के किनारे रह रहे लोगों के लिए समुद्र में कई जीवित और निर्जीव पदार्थ तथा खनिज भी उपलब्ध हैं जिनका दोहन आसानी से किया जा सकता है और जो समुद्रतट पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं। इस मामले पर हमें बहुत सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए। इस सम्पदा को, विदेशियों को वहां के निकटवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों की सहायता करने के बहाने हथियाना नहीं चाहिए। इसके साथ-साथ, आपने ऐसी कोई संदर्शी योजना भी नहीं बनाई कि आप हमारे समुद्र बेसिन में उपलब्ध संपदा का संरक्षण कैसे करेंगे।

दक्षिण में स्थित आर्थिक क्षेत्र में कई बहुमूल्य जीवित और निर्जीव पदार्थ उपलब्ध हैं। लोग खनन लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत, अति बहुमूल्य जीवित और निर्जीव पदार्थ ले जा सकते हैं, जो कि भोजन और दवाइयों के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। सरकार को यह पता लगाने के लिए एक निगरानी तंत्र गठित करना चाहिए कि वे लोग जिन्होंने खनन लाइसेंस प्राप्त खनन लिया है वे सम्पदा का दुरूपयोग तो नहीं कर रहे हैं। समुद्र में कर बहुत ही कठिन और महंगी खनन है। इसमें बहुत ही आधुनिक मशीनों और निवेश की भी आवश्यकता होती है। लोग प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इस जीवित व निर्जीव प्राकृतिक संपदा को चुरा सकते हैं।

महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है जहां मूंगा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किंतु उसे छोटे-छोटे लोगों द्वारा भी निकाल लिया जाता है। सरकार की ओर से इस पर कोई निगरानी नहीं की जा रही है। समुद्र के विकास के लिए हमारे पास

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

कोई भी पृथक विभाग नहीं है। हालांकि हमारे पास महासागर विकास विभाग नामक विभाग तो है किंतु वह, यहां-वहां छोटे-छोटे अनुसंधान कार्य ही करता है और बहुत ही कम वित्तीय आबंटन के साथ इसका बजट भी बहुत कम है। यदि मात्स्यिकी से संबंधित कोई सूचना चाहिए होती है तो लोगों को कृषि मंत्रालय में जाने के निर्देश दिए जाते हैं। यदि खनन से संबंधित सूचना चाहिए होती है तो लोगों को खान-विभाग में जाने के निर्देश दिए जाते हैं किंतु समुद्री खनन स्थलीय खनन से सर्वथा भिन्न है। इसलिए विभाग को इस पहलू पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इन क्षेत्रों के बेहतर विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। विधेयक के प्रारंभ में दिए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि हमारे यहां 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर भू-क्षेत्र हैं जिसका 8041 किलोमीटर लम्बा समुद्रतट है। प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त यह सर्वोत्तम संपदा है। इसलिए, सरकार के पास पृथक विभाग होना चाहिए जो निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्यावरण की रक्षा करते हुए समुद्र में मछली पकड़ने और अन्य जीवित जीवों इत्यादि पर ध्यान दे।

इसके साथ-साथ हमें इससे समुद्री उत्पादों का दोहन करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करते हुए हमें समुद्र खनन करना चाहिए। यदि इन तीनों पहलूओं को मिला दिया जाए और इन पर ध्यान दिया जाए तो इनके लिए हम एक पृथक विभाग बना सकते हैं जो खनन, सजीव चीजों का दोहन और पर्यावरण की रक्षा जैसे मुद्दों का ध्यान रख सकता है।

महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि कानून बना देने मात्र से इस देश को मिले समुद्र तटों का लाभ नहीं उठा सकेंगे। उदाहरण के लिए मेरे राज्य निर्वाचन क्षेत्र थोंड़ी में हमने महासागर व तटीय अध्ययन महाविद्यालय प्रारंभ किया है। हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में तटीय अध्ययन केवल प्रारंभिक स्तर पर है। हमारी तटीय रेखा बहुत समृद्ध है। किंतु हमें उसके दोहन की जानकारी नहीं है। अत: इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे पास एक उचित शैक्षिक प्रणाली होनी चाहिए जिसमें पता लगाने का अवसर बना रहे कि हमारी तटीय रेखा में कितनी संपदा है और तटीय रेखा पर उपलब्ध संपदा का हम बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं और इस क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं का बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है। यह केवल वाणिज्यिक कारणों से नहीं किया जाना चाहिए। यह ऐसी संपदा है जिसका प्रयोग समुदाय तथा समाज के कल्याण के लिए व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए। यह अधिक महत्वपूर्ण है।

महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। परन्तु इसके साथ ही मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि हमें महासागर सम्पदा का संरक्षण करने पर भी ध्यान देना चाहिए। इस मुद्दे पर समुचित चर्चा की जानी चाहिए और हमारी महासागर सम्पदा के संरक्षण के लिए उपयुक्त विधान भी अधिनियमित करना चाहिए। इस अपतट खनिज विकास विनियमन विधेयक में इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है। जब विकास और विनियमन किया जा रहा हो तो विकास के लिए थोड़ा निवेश भी किया जाना चाहिए। यदि खनन और खनिज अधिनियम में विकास पर बल दिया जा रहा है तो खनन पर विचार करते समय कुछ पर्यावरणानुकूल उपबंध की प्रतिस्थापित किए जाएं। इसी प्रकार समुद्रीय अपतट की भी सुरक्षा की जाये। परन्तु इसके लिए इस अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है।

महोदय, दूसरी बात यह है कि रायल्टी और लाइसेंस शुल्क के रुप में आय का राज्यों के साथ बंटवारा किया जाए। उदाहरणार्थ तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे तटवर्ती राज्य इससे रायल्टी के रुप में भारी राशि अर्जित कर सकते हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : आप उड़ीसा राज्य को क्यों भूल रहे हैं?

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : हम उड़ीसा राज्य को नहीं भूल सकते हैं। रायल्टी में इसे भी इसका हिस्सा मिलना चाहिए। समुद्री तट का संरक्षण करने वाले राज्यों के कल्याण के लिए कराधान की व्यवस्था होनी चाहिए।

अत:, इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की समुचित भागीदारी होनी चाहिए। दोनों सरकारें यह सुनिश्चित करें कि सम्पदा का संरक्षण किया गया है और समुदाय के कल्याणार्थ इसका समुचित उपयोग किया गया है।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सभापति महोदय, मैं अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2001 का समर्थन करता हूं।

देश में चल रही आधुनिक विकास प्रक्रिया और देश के परमाणु शक्ति बनने के साथ ही अधिक रेडियोधर्मी खनिजों की आवश्यकता महसूस की गई। जिरकोन, इलमेनाइट आदि जैसे परमाणु खनिज प्रमुख रुप से अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इस विधेयक से इसके खनन में सहायता मिलेगी। अत: मैं पूरे मन से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मूलत: इस विधेयक से विधेयक में निर्धारित राज्य क्षेत्रीय जल में महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में अपतटीय खनन को कानूनी मान्यता मिलेगी। विभिन्न खंडों में पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु उपबंध हैं। परंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें अपने विगत अनुभव पर गौर करना चाहिए। भूमि आधारित खनन जो आज हो

रहा है, के मामले में उस तरीके से पुनर्वास नहीं किया गया है जिस तरीके से किए जाने की आवश्यकता थी। बाल्को के मामले में कोरबा और ऐसे स्थानों, जहां ताप विद्युत संयंत्र निर्मित किए गए है, से विस्थापित लोगों का अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है।

जब यह विधेयक अधिनियम बनकर लागू हो जाएगा, तो महाराष्ट्र से बंगाल तट तक अपतटीय खनन शुरू हो जाएगा। मुम्बई में 'डकफिश' और 'पामफ्रेट' मिलते हैं। उड़ीसा तट में 'श्रिप' (झींगा) मछलियों का भण्डार है। देश के कई मिलियन मछुआरे अपनी आजीविका के लिए तटीय कृषि और मछली पालन पर आश्रित हैं। हम उनको कैसे बचाएंगे? मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे अपने उत्तर में कृपया यह स्पष्ट करें कि वे मछुआरों के हितों के लिए सुरक्षोपाय कैसे करेंगे।

भारत में अपतटीय खनन नया है। समुद्र से संबंधित कानून के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1982 के 20 वर्षों के पश्चात् हम यह विधेयक ला पाए हैं। इस विधेयक को लाने में हमें इतना समय क्यों लग गया? विकास के इस नए दौर में इस प्रगतिशील विधेयक को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री और सरकार को बधाई देता हूं। मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

अपनी बात पूरी करने से पहले मैं अपने राज्य उड़ीसा के बारे में कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र श्री त्रिलोचन कानूनगो ने 'रायल्टी' का उल्लेख किया था। हमारा राज्य हमेशा से ही उपेक्षित राज्य रहा है। चाहे वह कोयले का मामला रहा हो अथवा बाक्साइट खनन का। उड़ीसा में एशिया की सबसे बड़ी और दूसरी बाक्साइट खान है। इसके बावजूद रायल्टी के मामले में हमारी उपेक्षा की गई है। हमारे देश का सबसे लम्बा तट क्षेत्र हमारे राज्य का है। गोपालपुर में रेयर अर्थस् लिमिटेड संयंत्र है। मैं यह अनुरोध करुंगा कि इसके कार्यकरण में सुधार लाया जाये, इसका विस्तार किया जाये और यहां अन्य कार्यकलाप कराए जाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लाटूर): महोदय, क्या मुझे कुछ कहने का मौका मिलेगा? मैं केवल पांच मिनट का समय लूंगा।

सभापति महोदय : जी हां।

श्री शिवराज वि. पाटील : हमें इस बात की खुशी है कि यह विधेयक सभा में पुरःस्थापित किया गया है। यह विधेयक महासागर में उपलब्ध संपदा के बारे में है। मुझे महासागर विकास मंत्री के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं यह जानता हूं कि महासागर विकास विभाग किस प्रकार बना है।

श्रीमती इंदिरा गांधी यह चाहती थीं कि महासागर विकास विभाग हो। उन्हें यह बताया गया कि चूंकि कृषि मंत्रालय, मत्स्यन का और रक्षा मंत्रालय नौवहन की समस्याओं की देखरेख कर रहे है अतः महासागर विकास विभाग की कोई आवश्यकता नहीं है।

परन्तु उन्होंने यह स्पष्ट किया और मैं भी इस बात को जानता हूं। उन्होंने यह समझाया कि हमारे महासागर हमारी भूमि की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। भूमि पर और भूमि के नीचे उपलब्ध सामग्री समुद्र तट और समुद्र तट के नीचे उपलब्ध हैं; महासागर तट के जलमग्न क्षेत्र में पाए जाने वाले पदार्थ न तो भूमि पर उपलब्ध है अथवा न ही भूमिगत क्षेत्र में पाए जाते हैं।

अतः, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि महासागर विकास विभाग बने और उस विभाग का उत्तरदायित्व यह पता लगाना हो कि महासागर में किस प्रकार की सम्पदा उपलब्ध है और तत्पश्चात् वह उस सम्पदा के उपभोग हेतु प्रौद्योगिकी विकसित करे और इसके बाद वह प्रौद्योगिकी सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी उपलब्ध कराए ताकि महासागर में उपलब्ध सम्पदा का उपभोग हो सके।

और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभाग बने प्रशासन पर काफी दबाव डालना पड़ा। और अंततः यह विभाग बना। परन्तु यह विभाग बहुत धीमी गति से कार्य कर रहा है। कुल मिलाकर इस कानून में यह व्यवस्था की गई है कि महासागर में उपलब्ध खनिज सम्पदा का उपयोग हो।

राज्य क्षेत्रीय जल के संबंध में हमारा राज्य क्षेत्रीय जल पर पूरा अधिकार है। आर्थिक क्षेत्र में, हमारा आर्थिक अधिकार है। हम आर्थिक क्षेत्र की सम्पदा का उपयोग कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र प्राधिकरण जो हाल ही में बना है, की अनुमति से हमें महासागर में स्थित संसाधनों का उपयोग करने की स्वतंत्रता होगी और सौभाग्यवश यह विधेयक भी लाया गया है।

इस विधेयक से निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और समुद्र के संसाधनों का उपयोग करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। यह उपबंध स्वागत योग्य है। संभव है कि इसमें कुछ कमियां और खामियां होगी। परन्तु समय के बीतने के साथ और जब यह लागू हो जाएगा और इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो हम इन कमियों और चूकों को दूर कर पाएंगे।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

परन्तु इस संबंध में मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। महासागर में केवल खनिज ही उपलब्ध नहीं हैं परन्तु बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। यहां केवल मछली ही उपलब्ध नही है बल्कि महासागर जलमग्न क्षेत्र में ऐसी कई सामग्रियां हैं जिन्हें खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। यह स्वास्थ्य कर खाद्य पदार्थ हैं। अब हमारे लिए इन खाद्य पदार्थों का उपयोग करना संभव हो पाएगा।

हमारे पास कितना आर्थिक क्षेत्र है? यह भारत की आबादी का दो तिहाई है। यह हमारा आर्थिक क्षेत्र है और यह अप्रयुक्त पड़ा है। इसमें अन्वेषण नहीं किया गया है। हमने इसे छुआ तक नहीं है। अतः, पहले हमें इन खनिजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास उपलब्ध हैं; दूसरे, हमें उस खाद्य सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए जो उपलब्ध है; और तीसरे, महासागर में रसायन भी उपलब्ध हैं। इन रसायनों का भी उपयोग किया जाये। अभी यह महसूस नहीं किया गया कि महासागार ऊर्जा का भण्डार है। ऊर्जा सूर्य से मिलती है। यह महासागर से शुरू होकर पुनः लोगों के लिए उपलब्ध होती है।

इस प्रयोजनार्थ प्रौद्योगिकी विकसित की जाये ताकि उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। अतः, महासागर संसाधनों का इस्तेमाल करने हेतु हमारे द्वारा उठाए जाने वाले कदमों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग किया गया है।

आजकल हम पेयजल की समस्या पर बात कर रहे हैं। लोग हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा की अभाव होने जा रहा है; पेयजल का अभाव होने जा रहा है। वे आजकल खाद्यान्नों की कमी की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब हगारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हैं। लेकिन जहां तक पेयजल सौर ऊर्जा का संबंध है वे उनके बारे में बातें कर रहे हैं। यदि हम महासागर में उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो स्वयं के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करना संभव हो सकेगा। लेकिन वह पांच वर्ष की अवधि में उपलब्ध होने नहीं जा रहा है। अतः यदि हम आज शुरू करते हैं तो हम इसे 20 वर्ष बाद ही उपयोग में ला पाएंगे। इसमें इतना समय लगेगा यदि हम विलंब से शुरू करेंगे तो अधिक समय लगेगा।

अब, खाद्यान्न, ऊर्जा और पेयजल की बात है। आप पेयजल की समस्या सुलझाने में सक्षम हो सकते हैं; आप खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ा सकते हैं लेकिन पेयजल की नहीं। अतः वास्तव में यह किए जाने की आवश्यकता है कि महासागर के पानी को पेयजल में परिवर्तित करने की प्रौद्योगिकी विकसित की जाए और वह पेयजल पीने के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस प्रकार उपलब्ध पानी को सिंचाई हेतु भी उपयोग में लाया जा सकता है।

यदि भारत सरकार को देश की समस्याएं सुलझानी हैं तो भारत सरकार को केवल वर्तमान की समस्याएं हल करके ही प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए अपितु उसे भविष्य की समस्याएं सुलझाने में भी सक्षम होना चाहिए। इसे 10 से 15 वर्षों की अवधि में ही कर देना पड़ेगा। यदि हमने परमाणु उर्जा के विकास पर शीघ्रता से कार्य आरंभ नहीं किया होता तो हम यहां तक नहीं पहुंचते। यदि हमने अंतरिक्ष में अनुसंधान और विकास का कार्य शीघ्रता से आरंभ नहीं किया होता तो हम यहां नहीं पहुंचते।

अब, वह समय आ गया है जब हमें महासागर में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने की अपनी क्षमता को विकसित कर लेना चाहिए जिससे कि हमें इसका फल दिखने लगे और यह 50 वर्ष के बाद हमें उपलब्ध हो जाएं। यही बात अनुवांशिकी के बारे में भी लागू है।

इस विधेयक को लाने हेतु मंत्री जी को मुबारकबाद देते हुए और इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करते हुए, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इन बातों को ध्यान में रखें और जब कभी भी संभव हो इन्हें आगे बढ़ाए जिससे कि कुछ समय बाद जब हम शायद यहां रहें या न रहें - कुछ जो कि वास्तव में भविष्योन्मुखी हो पारित हो सके।

[हिन्दी]

श्री रवि शंकर प्रसाद : आदरणीय सभापति जी, भविष्य की संभावनाओं को नियंत्रित करने के लिए मैं जो बिल लेकर आया था, उसका पूरे सदन ने बहुत सहज तरीके से स्वागत किया, सहयोग किया। इसके लिए मैं सबका कृतज्ञ हूं। शायद यह समय की आवश्यकता है।

आदरणीय शिवराज पाटिल जी ने इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताया। श्रद्धेय मणि शंकर अय्यर जी ने इसमें समाजवाद के नवनिर्माण की बुनियाद देखने की कोशिश की। मेरे मित्र श्री प्रहलाद पटेल, रासा सिंह रावत, सुदर्शन जी, प्रमोद पांडा जी, राधाकृष्णन जी और देव साहब ने इसकी आवश्यकता पर जोर दिया। श्री रघुवंश बाबू ने अपनी बात कही। कुछ दो प्रदेशों की बात की। मैं उसका भी उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

[अनुवाद]

महोदय, क्रमानुसार आरंभ करते हैं। श्री मणि शंकर अय्यर ने विस्तार से विलम्ब के बारे में कहा है, जिसे अन्य माननीय सदस्य भी दोहरा चुके हैं। मैं केवल यह सूचित करना चाहूंगा कि समुद्र

से संबंधित कानून संबंधी सम्मेलन 1982 में आयोजित किया गया था। यह 16 नवम्बर, 1994 से प्रभावी हुआ भारत ने इसे 29 जून, 1995 को अनुमोदित किया। 1982 से 2002 के बीच 20 वर्ष की अवधि है। इसमें से हमारे पास चार वर्ष तक प्रभावी शक्ति रही है। यदि इन चार वर्षों में हम विधेयक ले आए हैं तो अब इस पर निर्णय इस सदन को करना है कि क्या हमारी ओर से कोई विलम्ब हुआ है। लेकिन हां, मैं इसी के साथ यह भी कहूंगा कि इस विधेयक के गंभीर निहितार्थों को देखते हुए हमने यह सुनिश्चित किया कि जितना हो सके उतना परामर्श कर लिया जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा को केवल इतना कहना चाहूंगा कि हमने रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, महासागर विकास विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विधि विभाग और अन्य के साथ परामर्श किया। यदि यह यथासम्भव विस्तृत परामर्श है तो मेरे विचार से श्री मणि शंकर अय्यर हम पर अनुग्रह करेंगे। वर्ष 1998 में सत्ता में आने के पश्चात् हमने इस पर त्वरित गति से कार्य किया और यह विधेयक लाए जिसे चार वर्षों में सर्वाधिक स्वीकार्यता मिली इस प्रकार यह वास्तव में एक प्रशंसनीय कार्य है न कि आलोचना के योग्य।

जहां तक श्री मणि शंकर अय्यर और अन्य लोगों द्वारा उठाए गए कतिपय अन्य मुद्दों का संबंध है, मैं एक-एक करके उनका उत्तर देना चाहूंगा। उन्होंने पर्यावरण की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से और इस विधेयक को कार्यान्वित करने के तंत्र के बारे में चिंता व्यक्त की है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक विनियामक का सम्बन्ध है, हम वर्तमान में विनियामक के रूप में भारतीय खान ब्यूरो, जो कि एक उचित विशेषज्ञ निकाय को नियुक्त करने पर विचार कर रहे हैं। मैं उन्हें आगे भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस विधेयक के कार्यकरण से अनुभव लेते हुए - या इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् - यदि हमें इसमें और संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी तो हम ऐसा करेंगे क्योंकि यह एक ऐसा नया क्षेत्र है जिसे हम अपनी विशेषज्ञता से खोज रहे हैं।

चूंकि, भारतीय खान ब्यूरो गत कई वर्षों से अस्तित्व में है और उसे खान संबंधी योजना, खानों की निगरानी, खानों के कार्यकरण आदि का अनुभव है, अतः वर्तमान में मैं आश्वस्त हूं कि भारतीय खान ब्यूरो यह करने में सक्षम है। मैं पुनः दोहराता हूं कि यदि ऐसी आवश्यकता पड़ी - यदि ऐसा महसूस किया गया - तो जैसा कि उन्होंने सुझाव दिया है, हम उसमें संशोधन करके एक अलग स्वायत्तशासी विनियामक का गठन करेंगे।

अन्य कई माननीय संसद सदस्यों ने अन्य चिंताओं के बारे में कहा है। श्री मणि शंकर अय्यर ने इस विधेयक की समाजवादी प्रकृति के बारे में कहा है। मैं इसके बारे में केवल इतना ही कह सकता हूं। उन्होंने सूचित किया है कि जहां तक विकास का संबंध है, समाजवाद का एक नीति के रुप में हमेशा स्वागत है। लेकिन यदि समाजवाद में यथास्थिति ही बनी रहती है और यदि विकास में बाधा पड़ती है तो आप निश्चित रुप से नए साधनों की तलाश करेंगे।

उन्होंने लाइसेंस शुल्क और दूरसंचार क्षेत्र के बारे में कहा है। निश्चित रुप से यह एक अलग क्षेत्र है और संबंधित मंत्री ही इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन मैं केवल इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि जहां तक मेरी सरकार का संबंध है, यह सत्य है कि जबसे हमने लाइसेंस से बदलकर राजस्व बांटने की नीति बनाई है, तब से टेलीफोनों की दर कम करने की प्रतियोगिता हो रही है। क्या इससे उपभोक्ताओं को लाभ नहीं हो रहा है? अतः, विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा की जानी चाहिए लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया है इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में बता देना चाहिए।

जहां तक वर्तमान अधिनियम में लाइसेंस शुल्क तथा अन्य बातों का संबंध है यह बिल्कुल खनिज विकास और विनियमन अधिनियम के समान है। हमने ही समान तंत्र अपनाया है। अनेक सदस्यों ने बताया है कि अनुसूची में केवल नौ खनिजों का उल्लेख है। श्री कानूनगो ने भी इसका उल्लेख किया है। मैं केवल उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यदि वे अनुसूची में क्रमांक 10 पढ़े तो उसमें कहा गया है, "इसके आगे अन्य सभी खनिजों का उल्लेख नहीं किया गया है।" अतः, इन नौ का उल्लेख किया गया है, रॉयल्टी की दर बताई गई है तथा शेष खनिजों के लिए हमने समान दर अर्थात् मूल्यानुसार बिक्री मूल्य 10 प्रतिशत रखा है। रघुवंश जी ने पूछा है, इसको कहां छोड़ दिया आपने। इसे बिल्कुल शामिल किया गया है। शेष सभी खनिजों को अनुसूची के क्रमांक 10 में बिल्कुल शामिल किया गया है।

रघुवंश जी ने पर्यावरण तथा सुरक्षा के बारे में उल्लेख किया है।

[हिन्दी]

मैं रघुवंश बाबू को यह बताना चाहूंगा कि अगर आप इस बिल के दो प्रावधान-पैरा 7 और 9, का ध्यान करें तो उसमें इस बात का साफ ध्यान है। पर्यावरण की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, अन्य किसी विशेष आवश्यकता के आलोक में सरकार उसकी लीज को रद्द कर सकती है और अगर राष्ट्र हित में लीज

[श्री रवि शंकर प्रसाद]

को रद्द करना आवश्यक हुआ तो सरकार ने वह अधिकार भी अपने पास रखा है। ऐसा अन्य किसी प्रावधान में नहीं है। क्योंकि समुद्र के तटों की चिन्ता राष्ट्र की चिन्ता के साथ जुड़ी हुई है इसलिए हमने यह विशेष अधिकार रखा है।

[अनुवाद]

श्री अय्यर ने सरकार से विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए कहा। मेरे विचार से सरकार को यह निर्णय ले लेना चाहिए था क्योंकि यह अत्यंत संवदेनशील तरह की कार्यवाही है जिसके बारे में इस विधेयक पर ध्यान दिया जाना है। अत: विहित मार्गनिर्देशों के भीतर नियमों का विस्तार में पता चलेगा। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरणीय चिंताओं तथा अन्य रक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इन विवेकाधिकारों का भी अत्यधिक वस्तुपरक और उचित तरीके से प्रयोग किया जाएगा।

मैं सभा को एक और बात बता दूं तथा वह यह है-कि जब हम खनन विशेष क्षेत्र की पहचान करेंगे हैं तो हम रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति लेंगे और सुरक्षा एजेंसियों की स्वीकृति के बाद ही हम रेखांश और अक्षांश के आधार पर खनन विशेष क्षेत्र अधिसूचित करेंगे।

मेरे अन्य मित्रों ने मात्स्यिकी तथा अन्य बातों पर चिंता व्यक्त की है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि मात्स्यिकी अधिकास और खनन अधिकार के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। खनन अधिकार के लिए हमें समुद्र की गहराई में जाना पड़ता है और मछलियों को या तो समुद्र की सतह पर अथवा उससे थोड़े नीचे पकड़ा जाता है। अत: इसमें कोई विशेष विरोधाभास नहीं है। तथापि, इस अधिनियम के अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन के लिए हम सदैव मात्स्यिकी विभाग से भी परामर्श करते है ताकि वस्तुत: कोई समस्या न आए।

श्री कानूनगो ने रॉयल्टी तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी संबंधी मुद्दा उठाया है। मेरे मित्र श्री बिक्रम केशरी देव ने भी इसका उल्लेख किया है। मैं पुन: संविधान उद्धृत करना चाहता हूं इसमें उल्लेख किया गया है:

> ''राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी और संघ के प्रयोजनों के लिए धारण की जाएंगी।''

इसलिए संविधान के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे सभी खनिजों, जिनका दोहन होता है, भारत सरकार में निहित है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमें राज्य सरकार का ख्याल नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमें राज्य सरकार के अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत रॉयल्टी का समुचित विभाजन किया गया है। जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, हमने लाईसेंस देने में राज्य सरकारों को अपनी अधिकांश शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी हैं ...*(व्यवधान)* रायल्टी का संशोधन हुआ है। राज्य सरकार की रॉयल्टी में हिस्सेदारी है। इसलिए रॉयल्टी आपकी है न कि हमारी। संविधान के अनुसार भूमि हैं पर खानें राज्य सरकार की होती है। और समुद्र के भीतर की खानें केन्द्र सरकार की होती हैं अत:, मुझे आशा है कि मेरे सम्मानित मित्र इस संवैधानिक योजना को समझ पाऐंगे।

[हिन्दी]

रघुवंश बाबू ने बिहार की बात की ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): रघुवंश बाबू का आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही असर है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: ये बिहार के वरिष्ठ नेता हैं। सुमन जी, इतना तो कहने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: रेयर अर्थ इंडिया लि. का क्या हुआ?

श्री रवि शंकर प्रसाद: आप ठीक कह रहे हैं, श्री राधाकृष्णन अब मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूं। यह रेयर अर्थ इंडिया लि. परमाणु ऊर्जा विभाग का सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है यह भली भांति चल रहा हैं। इस विधेयक को बनाने से पूर्व हमने परमाणु ऊर्जा विभाग से भी परामर्श किया था और उन्होंने इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति और सहमति दे दी थी। अत:, इस विधेयक का उद्देश्य किसी भी स्थिीत में रेयर अर्थ इंडिया लि. के उद्देश्य को कम करना नहीं हैं। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं। यह अति महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र का उपक्रम भी पूरी तरह से चलता रहेगा। इसे हमारा पूर्ण सहयोग मिलेगा। कोई विरोधाभास नहीं होगा और यदि कोई समस्या उत्पन्न होगी तो जैसाकि मैंने बताया हम और परामर्श करेंगे।

[हिन्दी]

रघुवंश बाबू, बिहार को जो ग्रेनाइट मिला है, वह हम लोगों के प्रयास से मिला है। बिहार के सात जिलों में 19 प्रौस्पैक्ट्स में चार हजार करोड़ रुपये का ग्रेनाइट खोजा गया है।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): यह भी तो बता दीजिए कि बिहार को कितनी रायल्टी मिलेगी।

श्री रवि शंकर प्रसाद: हमने चार हजार करोड़ रुपये का बताया है। लेकिन नियम के मुताबिक लीज देने का राइट आपका है, हमारा नहीं है। इसे आप अपने विशेष व्यक्तित्व से आग्रह करके लीज दिलाइये। ज्यूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से हम पूरी मदद करेंगे, लेकिन कानून में लीज देने का अधिकार हमारा नहीं है। हमने खोज कर आपको बता दिया है कि यहां पर ग्रेनाइट है।

[अनुवाद]

मैं आपको केवल आश्वस्त कर सकता हूं कि यह विधेयक भारत में एक महत्वपूर्वर्ण घटना है जैसाकि श्री शिवराज पाटील ने बताया है। यदि पूरी सभा इस विधेयक को पारित कराने में अपना सहयोग देगी तो मैं इसकी सराहना करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है।

"कि भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर खंडों, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र में खनिज स्रोतों के विकास और विनियमन का तथा उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुअ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगी।

प्रश्न यह है।

"कि खंड 2 से 12 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 13 **उत्पादन पट्टे का अनुदान**

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 8, पंक्ति 36,-

" भूमि" *के स्थान पर*

"अपतट क्षेत्र" *प्रतिस्थापित किया जाये।* (3)

पृष्ठ 8, पंक्ति 39,-

"ऐसी भूमि" *के स्थान पर*

'ऐसे अपतट क्षेत्र" *प्रतिस्थापित किया जाये।* (6)

(श्री रवि शंकर प्रसाद)

श्री प्रबोध पण्डा: महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 9, पंक्ति 5,-

"तीस वर्ष" *के स्थान पर*

"बीस वर्ष" *प्रतिस्थापित* किया जाये। (7)

सभापति महोदय: अब मैं श्री प्रबोध पण्डा द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 7 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 7 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 13, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14 और 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 16 **स्वामित्व**

श्री त्रिलोचन कानूनगो: महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 9, पंक्ति 36 और 37,-

"किसी खनिज की बाबत स्वामिस्व की दर, तीन वर्ष की किसी अवधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं बढ़ाएगी" के *स्थान पर*

"किसी खनिज की बाबत स्वामित्व की दर, प्रत्येक दो वर्ष से बढ़ाएगी" *प्रतिस्थापित* किया जाये। (16)

महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। यदि वे उत्तर देंगे तो मैं संशोधन का आग्रह नहीं करूंगा।

श्री रवि शंकर प्रसाद: तीन वर्ष के लिए रॉयल्टी पहले ही तय हो चुकी है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: मैंने निश्चित समय के बारे में पूछा है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: कानून के अनुसार भी तीन वर्ष अवधि का पहले से उपबंध है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: फिर आप कहेंगे कि तीन वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

सभापति महोदय: अब मैं श्री त्रिलोचन कानूनगो द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 16 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 16 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, एक तकनीकी गलती की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। खंड 16 पहली अनुसूची से संबंधित हैं और पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 1 में 'ब्राउन' राष्ट्र के बाद अल्पविराम लगा हुआ है। यह अल्पविराम वहां नहीं होना चाहिए था। इसे 'ब्राउन इलमीनाइट' पढ़ा जाना चाहिए न कि 'ब्राउन इलमीनाइट।'

मैं आपका ध्यान प्रविष्टि संख्या 8 की ओर भी दिलाना चाहूंगा कि जिस तरह सीलीमानाइट का वर्ण विन्यास किया गया है। अपने उद्देश्यों और कारणों के कथन में दिए गए वर्ण विन्यास से अलग यहां वर्णविन्यास किया है। चूंकि यह कानूनी दस्तावेज है, कृपया इसकी ओर ध्यान दे।

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं इसे देखूंगा।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 से 22 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 23 अपराध

श्री प्रबोध पण्डा: महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:-

पृष्ठ 13, पंक्ति 30-31,-

"पांच वर्ष" *के स्थान पर*

"दस वर्ष" *प्रतिस्थापित* किया जाये। (8)

पृष्ठ 13, पंक्ति 31,-

"पचास हजार" *के स्थान पर* (9)

"एक लाख" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

पृष्ठ 13, पंक्ति 35,-

"तीन वर्ष" *के स्थान पर*

"पांच वर्ष" *प्रतिस्थापित* किया जाये। (10)

पृष्ठ 13, पंक्ति 35-36,-

"पच्चीस हजार" *के स्थान* पर

"पचास हजार" *प्रतिस्थापित* किया जाये। (11)

पृष्ठ 14, पंक्ति 5,-

"तीन वर्ष" *के स्थान पर*

"पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये। (12)

पृष्ठ 14, पंक्ति 5,-

"पचास लाख" *के स्थान* पर

"पचहत्तर लाख" *प्रतिस्थापित* किया जाये। (13)

पृष्ठ 14, पंक्ति 20,-

"पांच वर्ष" *के स्थान पर*

"आठ वर्ष" *प्रतिस्थापित* किया जाये। (14)

पृष्ठ 14, पंक्ति 21,-

"पचास हजार वर्ष" *के स्थान पर*

"एक लाख" *प्रतिस्थापित* किया जाये। (15)

सभापति महोदय: अब मैं श्री प्रबोध पण्डा द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और 15 सभा के मतदान के लिए रखूंगा

संशोधन सं. 8 से 15 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:-

''कि खंड 23, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24 से 38 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,-

''2001'' *के स्थान पर*

''2002'' *प्रतिस्थापित* किया जाये। (2)

(श्री रविशंकर प्रसाद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

''बावनवें'' *के स्थान पर*

''तिरपनवें'' *प्रतिस्थापित* किया जाये। (1)

(श्री रविशंकर प्रसाद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रुप में विधेयक में जोड़ दिया गया।
विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक, संशोधित रुप में, पारित किया जाए।''

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.40 बजे

संविधान अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2001

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> ''कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

...(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): महोदय, माननीय मंत्री जी छोटे-छोटे बिल लेकर सदन में उपस्थित होते हैं। कम्प्रिहैंसिव बिल लाने के लिए चर्चा हुई है और एस.सी. और एस.टी. के लिए तो अभी तक नहीं लाए हैं। *...(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया : महोदय, संविधान अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2001 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा श्रम एवं कल्याण संबंधी स्थायी समिति को जांच व रिपोर्ट के लिए भेजा गया था। समिति ने इस विधेयक को विस्तृत जांच एवं विचार-विमर्श के पश्चात्, प्रक्रियाओं के अनुरूप ठीक पाया एवं दिनांक 17.5.2002 को लोक सभा में प्रस्तुत किया तथा उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया।

[डा. सत्यनारायण जटिया]

संविधान के अनुच्छेद 341 के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों को किसी विशिष्ट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में ही विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। इस विधेयक में 18 राज्यों से संबंधित कुल 81 प्रस्ताव विभिन्न जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने, सूची से निकालने तथा अन्य संशोधन (परिवर्तन) करने के संबंध में हैं। इसमें 8 प्रस्ताव नई जातियों के समावेश, 24 प्रस्ताव जातियों के अपवर्जन तथा 49 प्रस्ताव अन्य संशोधन के बारे में हैं। श्रम एवं कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने इस विधेयक को स्वीकार करने के अलावा कुछ अन्य जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने की भी अनुशंसा की है। इस संबंध में सरकार स्वीकृत प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई कर रही है। वर्तमान में सिर्फ 81 जातियों का प्रस्ताव ही सरकार ने इस सदन में अनुमोदन के लिए रखा है।

इस संबंध में मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसी प्रकार के दो अन्य विधेयक अर्थात् संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002, जो कि आठ जातियों के संबंध में उड़ीसा, पंजाब एवं पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जाति की सूची में संशोधन के लिए थे तथा संविधान (अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002, जो कि मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य के उन अनुसूचित जाति व जनजातियों के बारे में हैं, जिनको सरदार सरोवर परियोजना के कारण गुजरात में विस्थापित होना पड़ा तथा गुजरात राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में परिवर्तन के बारे में है, को संसद, मई, 2002 में पारित कर चुकी है।

इस विषय में यह बताना उचित होगा कि इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकारों के पास कुल 364 प्रस्ताव लम्बित हैं, इसके अतिरिक्त 52 प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग को प्रक्रियाओं के अनुरूप भेजे गए हैं। इस विषय में सरकार आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाओं के अनुरूप कर रही है।

इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् विधेयक में उल्लिखित जातियां अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित हो जायेंगी तथा अन्य परिवर्तन जिन्हें संबंधित राज्य सरकार, भारत के महारजिस्ट्रार तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने अनुमोदित कर दिया है, उनको संबंधित संविधान अनुसूचित जाति आदेश में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

''कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951; संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956; संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): माननीय सभापति महोदय, संविधान अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक 2001 की चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 18 राज्यों ने अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए जातियों के नाम भेजे हैं, जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। वे लोग जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रजातंत्र के अंतर्गत यह एक संवैधानिक दायित्व है। इन जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जनसंख्या के अनुपात के आधार पर इनको सुविधाएं देने पर विचार कर रही है। क्या आपने इनका पता लगाया है? पिछली जनगणना जो कि शायद 1961 में या 1971 में हुई थी, के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की संख्या 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 7.5 प्रतिशत थी। इसके अनुसार उनकी कुल जनसंख्या 22.5 प्रतिशत बनती है। मेरी जानकारी के अनुसार, वर्तमान में, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 20 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10 प्रतिशत है। इस प्रकार उनकी कुल जनसंख्या 30 प्रतिशत है। परंतु देश में केवल 22.5 प्रतिशत लोगों को ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन लोगों की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? अब यह कहना एक पुरानी बात हो गई है कि इन लोगों की जनसंख्या 22.5 प्रतिशत है। मैं केवल एक सरकार को ही जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता क्योंकि अन्य सरकारें भी रही हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन वर्गों के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया है। वे एक बहुत ही कर्मठ मंत्री हैं जो, कम बोलते और अधिक कार्य करने में विश्वास रखते हैं। मेरा ऐसा विचार है लेकिन मंत्री महोदय जी आप क्या कर रहे हैं? देश में इन वर्गों के लोगों के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया जाता है तथा देश की इस 30 प्रतिशत जनसंख्या के कल्याण के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है।

मैं यहां एक अन्य महत्वपूर्ण चीज का उल्लेख करना चाहूंगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ इस देश पर शासन करना नहीं है बल्कि इसका अर्थ है इस देश की गरीब जनता, इस देश के निर्धनतम नागरिक की रक्षा करना; उसे आवास, भोजन तथा अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यही मुख्य उद्देश्य है। हमें समाज में सम्मान और गौरव के साथ रहना होगा। हमें, इन लोगों को सभी सुविधाएं देनी होंगी। यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम स्वतंत्रता चाहते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु ने विचार व्यक्त किया था कि निर्धनतम व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। निसन्देह, लम्बे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है। महात्मा गांधी के निर्देशानुसार पंडित जवाहर लाल नेहरू ने डा. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को प्रारूप संविधान प्रस्तुत किया किंतु पचास वर्ष बीत जाने के बाद भी हम चीन की तुलना में यहां समस्या के समाधान हेतु उचित योजना नहीं बना पाए हैं।

यहां मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा। 1965 में हमने चीन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और एक प्रकार से हमने युद्ध जीता भी किंतु हुआ क्या? उन्होंने यह निर्णय किया कि एक परिवार में एक बच्चा हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज आर्थिक और औद्योगिक रूप से उनकी स्थिति बेहतर है। वे सभी क्षेत्रों में हमसे आगे हैं। वे वीटो शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमरीका और रूस इत्यादि से प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं। इस देश में स्थिति क्या है? हम इस देश की आबादी बढ़ाए जा रहे हैं जो एक अरब से भी अधिक हो चुकी है। अत: योजनाएं ठीक से क्रियान्वित नहीं की गई हैं। इस देश में हम बिना उचित योजना के परिवार नियोजन के सम्बन्ध में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सच तो यह है कि सभी राजनैतिक दल इसके लिए तैयार ही नहीं हैं।

आरम्भ में भाजपा इस समस्या के समाधान के प्रति बहुत उत्सुक थी किंतु अब तो भाजपा भी अपनी योजनाएं व कार्यक्रम छोड़ रही है। वह भी अस्तित्व में बने रहने और इस देश पर शासन करते रहने का प्रयत्न कर रही है। अब वे यह सोचते रहते है कि सत्ता में कितने वर्ष तक बना रहा जा सकता है। किंतु इतिहास इस देश की जनता को याद दिलाएगा कि राजनैतिक दल इस देश की भोली-भाली जनता को न्याय दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं; ऐसे लोगों के साथ क्या अन्याय किए गए हैं। हमें उस पहलू को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस व भाजपा जैसे भिन्न-भिन्न दल हो सकते हैं किंतु इस मुद्दे विशेष पर हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। हमें समस्या का समाधान करना होगा। तभी भारत विश्व में आगे बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारे यहां बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक और कुशल लोग हैं।

भारत कई क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। हम स्वदेशी उपग्रह छोड़ने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत विश्व में आगे बढ़ रहा है तथा हमारे देश में इन्फोसिस जैसी सूचना प्रौद्योगिकी महाकाय कंपनियां भी हैं। जनसंख्या के मामले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और विश्व में चीन के बाद हम दूसरे स्थान पर हैं। किंतु हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि जब तक हम सबसे गरीब आदमी, गरीब किसानों और कृषि मजदूरों इत्यादि को सभी सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक भारत 'रामराज्य' नहीं बन सकेगा। चुनावों के समय सभी राजनैतिक दल अपने-अपने घोषणा-पत्रों में लोगों से अनेक वायदे करते हैं किंतु वे अपने वायदे नहीं निभाते। देश में सत्ता किसी भी दल के हाथों में हो वह अपने घोषणा-पत्र में लोगों से किए गये वायदों को पूरा नहीं करती। संसद के विशेष सत्र के दौरान भी मैं यह कह चुका हूं, जिसे हमारी स्वतंत्रता के 50 वर्ष मनाने के लिए बुलाया गया था। अत: जब तक हम अपने घोषणा पत्र को ठीक से क्रियान्वित नहीं करते तब तक हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं बनेगा।

महोदय, पाकिस्तान एक छोटा सा देश है किंतु वह हमें धमकी दे रहा है। हम सीमा-पार आतंकवाद की समस्या का हल नहीं कर पाए हैं। हम अपने देश में आतंकवादी कार्यवाहियों को रोकने में सक्षम नहीं हैं। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि क्या है? अमरीका, पाकिस्तान में अपनी सेना रखने के लिए खेल, खेल रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थीं तब उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक सफल युद्ध लड़ा था। वे बहुत बहादुर थीं। पंडित नेहरु तथा इंदिरा गांधी के शासन के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की प्रतिष्ठा व छवि क्या थी और आज क्या है? मैं किसी भी राजनैतिक दल पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मुद्दा यह है कि हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा और छवि को पुन: प्राप्त करना चाहिए।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, अनुसूचित जाति की सूची में कुछ समुदायों को सम्मिलित करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह सोचना होगा कि हम उनके जीवन स्तर को कैसे सुधार सकते हैं तथा कैसे अपने देश को मजबूत बना सकते हैं। देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आबादी कितनी है?

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

यह 50 प्रतिशत से अधिक है। हम पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं किंतु हम अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाए हैं जबकि भारत के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले छोटे-छोटे देश हमसे कहीं आगे हैं। उदाहरण के लिए, चीन, जिसकी आबादी हमारे देश की आबादी से अधिक है, कई क्षेत्रों में बहुत मजबूत है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमसे कहीं आगे हैं। पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश हमें अब धमकी दे रहा है।

अनुसूचित जातियों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के बारे में मैंने परामर्शदात्री समिति में भी यह सुझाव दिया था कि देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। पूरे देश में ऐसे विद्यालय खोलने पर धनराशि खर्च करना होगा।

माननीय मंत्री से मैं यह अनुरोध करूंगा कि वे अनुसूचित जातियों को शिक्षा प्रदान करने को महत्व दें ताकि वे समाज में आगे आ सकें। अनुसूचित जाति के माता-पिता निरक्षर हैं और वे शारीरिक श्रम करने अपनी आजीविका कमाते हैं। वे अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज सकते और वे उन्हें खेतों में शारीरिक श्रम करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। अत: सरकार को ऐसे बच्चों को उचित शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। हम कई संवैधानिक संशोधन पारित कर चुके हैं, किंतु वे पर्याप्त नहीं हैं। हमें उनके रहन-सहन की परिस्थितियों को जानने, उनकी समस्याओं को समझने के लिए गांवों में जाना होगा और उनके उत्थान के लिए उचित योजनाएं शुरू करनी होंगी। गांवों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के बच्चों को पढ़ने के लिए शहरों में भेजा जाता हैं। कृषि मजदूरों और कृषकों के बच्चे ही यहां क्यों रुके हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। श्री राजीव गांधी ने ब्लैकबोर्ड स्कूल प्रारंभ किए थे। उसी प्रकार, हमें भी शिक्षकों के लिए वहीं पर आवास उपलब्ध कराने होंगे जहां वे पढ़ाते हैं। उनके लिए आवास का प्रावधान होना चाहिए। उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। दूरस्थ गांवों से जिला मुख्यालयों और तालुका मुख्यालयों तक सुबह और शाम बसें चलानी चाहिए। फिर उन्हें अपने बच्चों को शहरों में पढ़ने नहीं भेजना पड़ेगा जहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। गांवों के समृद्ध लोग, शिक्षक और साक्षर लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांवों में केवल गरीब किसान और कृषि मजदूर ही रहते हैं। इस समस्या का हल किया जाना चाहिए। गरीब अमीर का अंतर मिटाना होगा।

अब, मैं पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। एक जनजातिय विकास समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने जनजातिय विकास और पूर्वोत्तर क्षेत्र में समस्याओं के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उस रिपोर्ट पर अभी तक कार्यवाही पूरी नहीं की गई है।

अंत में, मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि जनसंख्या के अनुपात के अनुसार तत्काल राहत प्रदान की जाए। लोगों को सुविधाएं दी जानी चाहिए भले ही उनकी जाति कोई भी हो। समाज में कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणी भी है। माननीय मंत्री को वर्ष 2001 में की गई जनगणना के अनुसार अनुपात लेना चाहिए। इसे ठीक किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हुये इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इनके नेतृत्व में एक के बाद एक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिये क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं।

सभापति जी, पिछली बार भी जब इस प्रकार का एक बिल आया था, उसके माध्यम से कुछ जातियों का समावेश किया गया था, लेकिन कुछ जातियां ऐसी थीं जिन्हें किन्हीं कारणों से शामिल होने से रोक दिया गया था क्योंकि किसी में प्रोनन्सिएशन की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप वह हक उन्हें मिल रहा था। मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वह हक मिलना चाहिये।

सभापति जी, आज से दो साल पहले पंजाब में एक विचित्र स्थिति एक महिला मंत्री को लेकर पैदा हुई थी। महिला मंत्री श्रीमती सन्धू रामदासिया जाति से संबंध रखती थी लेकिन संविधान की धारा 341 और 342 के अंतर्गत रविदासी शब्द लिखा होने के कारण हाई कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया। एक प्रकार से यह विसंगति थी जिसे भारत सरकार ने दूर किया। मैं इसके लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरह मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक होनहार बालक बलवीर सिंह रामदासिया था। वह आगे पढ़ना चाहता था। वह एडीशनल कलेक्टर से जाति सर्टिफिकेट लेने के लिये गया लेकिन उसे कहा गया कि रामदासिया का सर्टिफिकट नहीं मिल सकता क्योंकि संविधान की धारा 341 और 342 में रविदासी लिखा हुआ है। वास्तव में रविदासी है जो डायलेक्ट यूज कर के कहा गया, तो रामदासिया भी कह सकते हैं।

सायं 6.00 बजे

इस तरह की जो एनोमोलीज थीं, उन सबको सरकार ने दूर किया। इतना ही नहीं, भारत सरकार अपने चार साल के कार्यकाल में तीन कांस्टीट्यूशनल अमैन्डमैन्ट लाई। लेकिन श्री देवेगौड़ा जी की सरकार के समय में कांग्रेस पार्टी उनकी सरकार का समर्थन कर रही थी, उस सरकार के समय में दलितों के हितों पर

कुठाराघात करने वाले ओ.एम्स. एक के बाद एक जारी हुए। जिनके परिणामस्वरूप उस शासन में दलितों की नौकरियां छीन ली गई। दलितों के बैकलॉग का अधिकार छीन लिया गया। दलितों का कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम छीन लिया गया। मैं भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर भारत की संसद ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): उन्होंने श्री के.आर. नारायणन को दूसरे कार्यकाल की अनुमति क्यों नहीं दी? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : सभापति महोदय, सभी राजनीतिक दलों का एक तीन दिवसीय सम्मेलन आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने बुलाया और सभी दलों के सांसदों के विचार लिये कि इस देश के अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? उन सभी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन बना और उस ड्राफ्ट रिजोल्यूशन को लेकर एक के बाद एक उन सभी डिफिकल्टीज को दूर किया जा रहा है।

सभापति महोदय : छः बज गये हैं और अभी इस विधेयक पर बोलने वाले काफी माननीय सदस्य हैं। अगर हाउस की सहमति हो तो समय आगे बढ़ाया जाए अथवा इसे कल जारी रखा जाए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सर, इसे कल करिये।

श्री पवन कुमार बंसल : इसे अभी खत्म नहीं करना चाहिए, इस पर और समय लगाना चाहिए। कल फ्राइडे है, इसे जल्दबाजी में खत्म नहीं करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदन की यह इच्छा है कि इसे कल या आगे जैसा निर्धारण हो, जारी रखा जाए। मैं माननीय सदस्य कटारिया जी से निवेदन करूंगा कि वह कल अपना भाषण जारी रख सकेंगे।

श्री रतन लाल कटारिया : सर, मैं जानना चाहूंगा कि कल यह किस समय आयेगा।

सभापति महोदय : कल जब भी बिजनेस में आयेगा, अथवा अगर यह कल नहीं आता है या सोमवार को आता है, या जब भी यह बिजनेस में आयेगा, आप इस पर बोलेंगे।

[अनुवाद]

अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 19 जुलाई, 2002/28 आषाढ़, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.26.4/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।